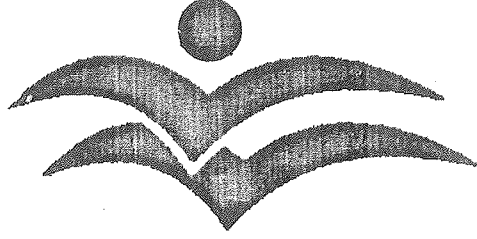


केवल शासकीय उपयोग हेतु



मध्यप्रदेश
नगरपालिका निर्वाचन नियम
1994
(जून 2014)



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल

केवल शासकीय उपयोग हेतु



**मध्यप्रदेश
नगरपालिका निर्वाचन नियम
1994
(जून 2014)**



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
भोपाल

(एक)

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

विषय-सूची

अध्याय 1—प्रारंभिक

1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.	1
2.	परिभाषाएं.	1

अध्याय 2—मतदाता सूची

3.	मतदाता सूची का तैयार किया जाना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.	3
4.	दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन.	4
5.	दावे तथा आपत्तियां.	4
6.	दावों तथा आपत्तियों का निपटारा.	4
7.	प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना.	5
8.	मतदाता सूचियों की अस्तित्वावधि और उनका पुनरीक्षण.	5
9.	मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.	6
9-क.	कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना	6
10.	कागज पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.	7

अध्याय 3—निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासनिक तंत्र

11.	निर्वाचन संचालित करने के लिये अधिकारी तथा कर्मचारी वृन्द.	7
11-क.	आयोग के सामान्य या विशेष आदेश या निर्देश देने की शक्ति.	7
11-ख.	निर्वाचन के प्रयोजन के लिए यान आदि का अधिग्रहण.	7
11-ग.	प्रतिकर या संदाय.	8
11-घ.	यानों, जलयानों या पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामीली की रीति.	8
11-ङ.	अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिये शास्ति.	8
12.	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).	9
12-क.	प्रेक्षक	9
13.	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की नियुक्ति.	9
14.	सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की नियुक्ति.	10
15.	रिटर्निंग आफिसर का सामान्य कर्तव्य.	10
16.	मतदान केन्द्र.	10
17.	पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति.	10

(दो)

18.	पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्तव्य.	11
19.	मतदान अधिकारी के कर्तव्य. . .	11
20.	जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी का नियंत्रण.	11
20-क.	रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना.	11

अध्याय 4—निर्वाचन का संचालन

21.	निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिए समय अनुसूची.	12
22.	नियम 21 के अधीन सूचना प्रकाशन की रीति.	12
23.	निर्वाचन पूरा करने के लिए समय का बढ़ाया जाना.	13
24.	अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन. . .	13
24-क.	अभ्यर्थियों द्वारा आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा.	13
25.	नामनिर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना.	15
26.	प्रतिभूति निक्षेप. . .	16
27.	नामनिर्देशन की सूचना तथा संवीक्षा के लिए समय और स्थान.	16
28.	नामनिर्देशन की संवीक्षा . . .	17
29.	अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना.	19
30.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.	19
31.	निर्वाचन के लिये प्रतीकों का आवंटन.	19
31-क.	मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन	22
32.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.	22

अध्याय 5—अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता

33.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति. . .	23
34.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति. . .	23
35.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति. . .	23
36.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.	24
37.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.	25

अध्याय 6—निर्वाचन की साधारण प्रक्रिया

38.	मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु. . .	25
39.	निर्विरोध निर्वाचन. . .	26
40.	सविरोध निर्वाचन. . .	27

अध्याय 7—निर्वाचन के लिए मतदान तथा मतों का दिया जाना

41.	निर्वाचनों में मतदान की रीति. . .	27
42.	मतपेटी. . .	27
42क.	निर्वाचनों में मतदान मशीनें . .	27
43.	मतपत्रों का प्ररूप. . .	27
44.	मतदान केन्द्र पर इन्तजाम. . .	27
45.	मतदान केन्द्र में प्रवेश. . .	28
46.	मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटियों का सील किया जाना. . .	28
47.	महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं. . .	29
48.	मतदाताओं की पहचान. . .	29
49.	अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप. . .	29
50.	मतपत्र जारी करना. . .	31
51.	मतदान प्रक्रिया. . .	32
52.	अंधे या शिथिलांग मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन. . .	32
53.	खराब हुये और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र. . .	32
54.	निविदत्त मत. . .	33
55.	मतदान बंद करना. . .	33
56.	मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सील बंद किया जाना. . .	34
57.	मतपत्रों का लेखा. . .	34
58.	अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना. . .	34
59.	मतपेटियों, पैकेटों आदि का रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाना. . .	34
60.	आपात स्थिति में मतदान का स्थगन. . .	35
61.	स्थगित मतदान का पुनरारम्भ. . .	35
62.	मतपेटी की क्षति, विनष्ट हो जाने या गड़बड़ी आदि होने की दशा में या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नया मतदान. . .	36
63.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र. . .	37

अध्याय 7 'क'—मतदान मशीनों द्वारा मतदान 39

अध्याय 8—मतों की गणना

64.	मतों की गणना का पर्यवेक्षण. . .	48
65.	मतगणना के लिए नियत किये गये स्थान में प्रवेश. . .	48

(चार)

66.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना.	49
67.	मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना.	50
68.	मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिकेपित किया जाना.	51
69.	मतों की गणना. . .	52
70.	गणना लगातार की जाएगी. . .	53
71.	नये मतदान के पश्चात् गणना का पुनः प्रारंभ किया जाना.	54
72.	मतों की पुनर्गणना. . .	54
73.	मतों की साम्यता. . .	55
74.	निर्वाचन के परिणामों की घोषणा और उसकी विवरणी.	55
75.	निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जाना.	55

अध्याय 8-क—महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में मतदान 55

75-क.	महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारंभ.	55
75-ख.	वर्तमान नियम स्थिति के अनुसार लागू रहेंगे.	55
75-ग.	मतदान की सूचना तथा उसके लिये समय-सूची.	55
75-घ.	नियम 75-ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति.	56
75-ङ.	मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.	56
75-च.	प्रतीकों का आवंटन. . .	56
75-छ.	नियम 75-च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति.	56
75-ज.	मतदान के परिणाम की घोषणा. . .	56
75-झ.	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना.	57
75-ञ.	रिक्ति की अधिसूचना. . .	57

अध्याय 9—निर्वाचन कागज-पत्र

76.	प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या उसका समपहरण.	57
77.	निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों की अभिरक्षा.	57
78.	निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को पेश किया जाना तथा उनका निरीक्षण किया जाना.	58
79.	निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों का निपटारा.	58
79-क.	आकस्मिक रिक्तियां . . .	58
80.	निरसन	58

(पांच)

प्ररूपों की सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	नियम क्रमांक (3)	प्ररूप क्रमांक (4)
1.	मतदाताओं की सूची	3 (1)	प्ररूप 1
2.	निर्वाचन की सूचना	21	प्ररूप 2
3.	स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना	22 'क'	प्ररूप 2 'क'
4.	नामनिर्देशन पत्र	24 (2)	प्ररूप 3
5.	नामनिर्देशन की सूचना	27	प्ररूप 4
6.	विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची	28 (8)	प्ररूप 5
7.	अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन	29 (1)	प्ररूप 6
8.	अभ्यर्थिता वापस लिये जाने की सूचना	29 (4)	प्ररूप 7
9.	राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के संबंध में सूचना	31 (2) (दो)	प्ररूप 8
10.	राजनैतिक दल द्वारा पदधारियों का प्राधिकृत किया जाना	31 (2) (चार)	प्ररूप 9
11.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	32	प्ररूप 10
12.	निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति	33 (1)	प्ररूप 11
13.	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति	34 (1)	प्ररूप 12
14.	गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति	35 (1)	प्ररूप 13
15.	निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा	39	प्ररूप 14
16.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	49 (2) (ग)	प्ररूप 15
17.	अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी का घोषणा पत्र	52 (1)	प्ररूप 16
18.	निविदत्त मतों की सूची	54 (2)	प्ररूप 17
19.	मतपत्र लेखा	57	प्ररूप 18
20.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिए आवेदन	63 (2)	प्ररूप 19
21.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये छोटा लिफाफा	63 (4) (क)	प्ररूप 19-क
22.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये बड़ा लिफाफा	63 (4) (ख)	प्ररूप 19-ख
23.	निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा	63 (4) (ग)	प्ररूप 19-ग
24.	निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश	63 (4) (घ)	प्ररूप 19-घ
25.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम	66 (10)	प्ररूप 20
26.	गणना का परिणाम	69 (2)	प्ररूप 21
27.	अंतिम परिणाम-पत्र	69 (3)	प्ररूप 22
28.	निर्वाचन की घोषणा सह-विवरणी	74	प्ररूप 23
29.	निर्वाचन का प्रमाण-पत्र	75	प्ररूप 24
30.	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना	75 (ग)	प्ररूप 25
31.	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान	75 (च)	प्ररूप 26
32.	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के परिणाम की घोषणा	75 (ज)	प्ररूप 27

(छः)

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के निर्वाचन के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम]

नियम	विषय	पृष्ठ क्रमांक
6.	दावों तथा आपत्तियों का निपटारा (5) ..	123
9.	मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना ..	123
9-क.	कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना ..	123
10.	कागज-पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना ..	124
16.	मतदान केन्द्र ..	124
23.	निर्वाचन पूरा करने के लिए समय का बढ़ाया जाना ..	124
33.	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति ..	124
34.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति ..	124
35.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति ..	124
36.	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, प्रतिसंहरण या मृत्यु ..	125
37.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु ..	126
43.	मतपत्रों का प्ररूप ..	126
44.	मतदान केन्द्र पर इंतजाम ..	126
45.	मतदान केन्द्र में प्रवेश ..	126
46.	मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटियों का सील किया जाना ..	127
49.	अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप ..	127
51.	मतदान प्रक्रिया ..	127
55.	मतदान बंद करना ..	127
56.	मतदान के पश्चात् मतपेटियों को सीलबंद किया जाना ..	127
58.	अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना ..	127
60.	आपात स्थिति में मतदान का स्थगन ..	128
61.	स्थगित मतदान का पुनरारम्भ ..	128
64.	मतों की गणना का पर्यवेक्षण ..	128
65.	मतगणना के लिए नियत किये गये स्थान में प्रवेश ..	129
66.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना ..	129
67.	मतपेटियों की समीक्षा और उनका खोला जाना ..	130
68.	मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिकेपित किया जाना ..	130
69.	मतों की गणना ..	130
70.	गणना लगातार की जाएगी ..	130
71.	नये मतदान के पश्चात् गणना का पुनः प्रारंभ किया जाना ..	130
72.	मतों की पुनर्गणना ..	130
77.	निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों की अभिरक्षा ..	131
79.	निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों का निपटारा ..	131

(सात)

प्ररूपों की सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	नियम क्रमांक (3)	प्ररूप क्रमांक (4)
1.	निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति	33 (1)	प्ररूप-11 (वा)
2.	मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति	34 (1)	प्ररूप-12 (वा)
3.	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति	35 (1)	प्ररूप-13 (वा)
4.	अभ्याक्षेपित मतों की सूची	49 (2)(ग)	प्ररूप-15 (वा)
5.	अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा-पत्र	52 (1)	प्ररूप-16 (वा)
6.	निविदत्त मतों की सूची	54 (2)	प्ररूप-17 (वा)
7.	भाग-1 मतपत्र लेखा	57	प्ररूप-18 (वा)
8.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन	63 (2)	प्ररूप-19 (वा)
9.	लिफाफा-क	63 (4)	प्ररूप-19 (वा)-क
10.	लिफाफा-ख	63 (4) (ख)	प्ररूप-19 (वा)-ख
11.	निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा	63 (4) (ग)	प्ररूप-19 (वा)-ग
12.	निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश	63 (4) (घ)	प्ररूप-19 (वा)-घ
13.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम	66 (10)	प्ररूप-20 (वा)
14.	गणना का परिणाम	69 (2)	प्ररूप-21 (वा)
15.	अन्तिम परिणाम-पत्र	69 (3)	प्ररूप-22(वा)

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

स्थानीय शासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 1994

क्र. 84-अठारह-तीन-94.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (6) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से नगरपालिका की सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

अध्याय 1—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 है.

2. यह नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से, प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, यथास्थिति,—

(एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956); या

(दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) “अपील प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इन नियमों के अधीन अपीलें सुनने के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी;

* (ग) जिला निर्वाचन अधिकारी.—“जिला निर्वाचन अधिकारी” से अभिप्रेत है किसी जिले में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचनों का संचालन करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त किया गया अधिकारी”.

*“(घ) “निर्वाचन” से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका में स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन और उसमें सम्मिलित है, यथास्थिति, किसी नगरपालिक निगम के महापौर या किसी नगरपालिका या नगर परिषद् के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन;”

(ङ) “निर्वाचन आयोग” से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग;

(च) “निर्वाचन कार्यवाहियों” से अभिप्रेत है, निर्वाचनों के लिए सूचना के जारी होने से प्रारंभ होने वाली तथा ऐसे निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाहियां;

(छ) “प्ररूप” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ज) “मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति” से अभिप्रेत है, मतदाता, जिन्हें निर्वाचन में मतपत्र जारी किये गये हैं, के नामों को चिन्हांकित करने के प्रयोजन के लिए पृथक से रखी गई मतदाता सूची की प्रति;

**“(ज-1) — “महापौर” से अभिप्रेत है किसी नगर निगम का महापौर;”

(झ) “नगरपालिका” से अभिप्रेत है बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगर परिषद् अर्थात् वह क्षेत्र जिसका किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण हो;

**“(झ-1) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् का अध्यक्ष.”

(ञ) “मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल” से अभिप्रेत है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राष्ट्रीय दल के रूप में या मध्यप्रदेश में राज्य दल (स्टेट पार्टी) के रूप में तत्समय प्रवृत्त मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दल;

(ट) “रजिस्ट्रीकरण अधिकारी” से अभिप्रेत है किसी वार्ड का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और उसके अन्तर्गत है निर्वाचक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा;

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 29-12-2000

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 7-7-97

- (ठ) “रिटर्निंग आफिसर” से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका के निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या जब राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) द्वारा नियुक्त किया गया रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) और इसके अंतर्गत सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) आता है;
- (ड) “मतदाता सूची” से अभिप्रेत है नगरपालिका के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली या मतदाताओं की सूची;
- (ढ) “वार्ड” से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका का वार्ड;
- (ण) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का, जो इन नियमों से परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होगा जो यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) में उनके लिये दिया गया है.

अध्याय 2—मतदाता सूची

3. मतदाता सूची का तैयार किया जाना और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.—(1) निर्वाचन आयोग प्रत्येक नगरपालिका के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये वार्डवार प्ररूप 1 में मतदाताओं की सूची देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में तैयार करवाएगा.

(2) निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक नगरपालिका के लिये एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की और नगरपालिका के मतदाताओं की सूची बनाने में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता करने के लिए, जैसा आवश्यक समझा जाए, एक या एक से अधिक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति करेगा.

(3) प्रत्येक सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त या किन्ही भी कृत्यों का पालन करने हेतु सक्षम होगा.

“3-क मतदाता सूची आदि तैयारी करने में पदीय कर्तव्यों का भंग.—

(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो मतदाता सूची की किसी ऐसी प्रविष्टि के पुनरीक्षण अथवा उसमें सुधार के सम्बन्ध में, जो उसमें सम्मिलित की जाना है या उसमें से अपवर्जित की जाना है, अपने ऐसे पदीय कर्तव्यों का भंग करता है जिनका कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किया जाना है, तो वह, उस दशा में, जहां कि किसी कृत्य का ऐसा भंग या लोप बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किया गया हो, जुर्माने सहित कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा.

(2) जब तक कि निर्वाचन आयोग या संबंधित जिले के कलेक्टर एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके अधीन प्राधिकार से परिवाद न किया जाए, कोई भी न्यायालय संज्ञान के बिना, दण्ड देने के लिए सक्षम नहीं होगा.

4. दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिये मतदाता सूची का प्रकाशन.—(1) जैसे ही मतदाता सूची तैयार हो जाए, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सूची में नाम सम्मिलित करने तथा उसमें की किसी प्रविष्टि की बाबत आपत्ति के लिये ऐसे प्ररूप में, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए, सूचना प्रदर्शित करके दावे आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना (नोटिस) देगा तथा सूची की प्रति तैयार करके—

(क) अपने कार्यालय पर यदि वह नगरपालिका के भीतर है;

(ख) नगरपालिका के कार्यालय पर; और

(ग) वार्ड में या उसके पास के किसी ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवायेगा।

(2) सूचना में वह कालावधि, जिसके दौरान तथा वह अधिकारी जिसके पास आपत्तियां या दावे यदि कोई आई हों, दाखिल किए जा सकेंगे तथा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा ऐसी आपत्ति तथा दावे यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मतदाता सूची कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन की तारीख की कालावधि से कम से कम सात दिन के लिए जनता द्वारा निरीक्षण के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।

(4) मतदाता सूची की प्रति, किसी भी व्यक्ति को, ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जैसी कि निर्वाचन आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, प्रदाय की जाएगी।

(5) दावे तथा आपत्तियां.—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट न किया गया हो या गलत स्थान पर अशुद्ध विशिष्टियां सहित प्रविष्ट किया गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सूची में प्रविष्ट हो और जिसे स्वयं अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम उस सूची में सम्मिलित कर लिये जाने पर आपत्ति हो, नियम 4 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट अंतिम दिन अधिक से अधिक 3 बजे अपराह्न तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित आवेदन देकर, दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उसके पश्चात् प्राप्त होने वाला कोई भी दावा या आपत्ति ग्रहण नहीं की जाएगी।

(2) प्रत्येक दावा या आपत्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा विहित प्ररूप में की जाएगी और या तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

“(2-क) यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रारूप मतदाता सूची पर दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा। यह कर्मचारी वार्ड का संदर्भ लेते हुए प्राधिकृत किया जाएगा।”

(3) कोई दावा या आपत्ति, किन्हीं ऐसी दस्तावेजों सहित होंगे, जिन पर दावेदार या आपत्तिकर्ता निर्भर करता है।

6. दावों तथा आपत्तियों का निपटारा.—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, दावों या आपत्तियों के संबंध में ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, अपना विनिश्चय लेखबद्ध करेगा और ऐसे विनिश्चय की एक प्रति मांग की जाने पर, दावेदार या आपत्तिकर्ता को निःशुल्क तुरन्त उपलब्ध करायेगा।

(2) इस नियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी द्वारा नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची संशोधित करेगा.

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची, अपील में यदि कोई हो, विनिश्चय के अध्यक्षीन रहते हुए, अंतिम होगी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित उसकी एक प्रति उसके कार्यालय में रखी जाएगी और उसकी एक अन्य प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा की जाएगी.

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के पांच दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के सफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करते हुए संशोधित करे. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में नाम-निर्देशन के लिये नियत अंतिम तारीख तथा समय के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जायगा.

7. प्रमाणित प्रतियों का निरीक्षण तथा जारी किया जाना.—जनता के प्रत्येक सदस्य को दो रुपये फीस का नगद भुगतान करने पर नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और किसी आवेदक को उसकी प्रमाणित प्रतियां, उतनी फीस का नगद भुगतान करने पर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी की जा सकेगी, जितनी राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिये विहित की गई है.

***“8. मतदाता सूची की अस्तित्वावधि और उसका पुनरीक्षण.**—(1) नियम 6 के उप नियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उपनियम (2) या उप-नियम (3) के अनुसार उसका पुनरीक्षण नहीं कर दिया जाए.

(2) ऐसी प्रत्येक सूची उस वर्ष की, जिसमें उसका इस प्रकार पुनरीक्षण किया गया है, जनवरी के प्रथम दिवस के प्रतिनिर्देश से,—

(एक) नगरपालिकाओं के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व या यथास्थिति,

(दो) किसी नगरपालिका में स्थान भरने के लिए, प्रत्येक उप-निर्वाचन के पूर्व, पुनरीक्षण के दायित्वाधीन होगी,

(3) उप नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी उप-निर्वाचन के पूर्व ऐसी सूची का पुनरीक्षण करना आवश्यक नहीं होगा यदि ऐसा उप-निर्वाचन उस कलेण्डर वर्ष के दौरान होता है, जिसकी जनवरी के प्रथम दिन को सूची मूलतः तैयार की गई है :

परन्तु निर्वाचन आयोग, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा पर्याप्त समझे जाएं, उप-निर्वाचन करवाए जाने के पूर्व ऐसी सूची के पुनरीक्षण का निर्देश दे सकेगा.

(4) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट मतदाता सूची की विधिमान्यता या उसका निरन्तर प्रवर्तन में रहना, उपनियम (2) के अधीन ऐसी सूची का पुनरीक्षण नहीं होने से या उपनियम (3) के परन्तुक के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होगा."

* "9. मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.—नियम 9-क के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुए नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी मतदाता से सम्बन्धित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 21 के अधीन नामनिर्देशन के लिए नियत अन्तिम तारीख और समय के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी."

* "9-क. कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना.—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए, कि नियम 6 के अधीन नगरपालिका की मतदाता सूची के अन्तिम रूप दिए जाने के बाद उसमें से संबंधित व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोप किया जाना चाहिए कि वह सम्बन्धित नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य नगरपालिका या किसी पंचायत की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति को, उसके सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन सम्बन्धित नगरपालिका के किसी वार्ड से निर्वाचन के लिए नियम 21 के अधीन जारी सूचना में, नामनिर्देशन के लिए नियत अन्तिम तारीख के बाद और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जायेगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उप-नियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारणों को अभिलिखित करेगा और सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर, ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा.

(4) उप नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के पन्द्रह दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा.

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा.”

* “10. कागज-पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.—नियम 4 के अधीन प्रकाशित प्रारम्भिक मतदाता सूची तथा नियम 5 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां, उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा नियम 9-क के अधीन कार्रवाईयों से संबंधित कागज-पत्र तब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाएंगे, जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.”

अध्याय 3—निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रशासनिक तंत्र

11. निर्वाचन संचालित करने के लिये अधिकारी तथा कर्मचारी वृन्द.—(1) राज्य सरकार, जब निर्वाचन आयोग द्वारा वैसा निवेदन किया जाए, निर्वाचन आयोग को ऐसे कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराएगी जो कि इस अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो.

(2) इस अधिनियम तथा इन नियमों के अधीन मतदाता सूची के तैयार किये जाने और किसी नगरपालिका के निर्वाचन का संचालन किया जाने के लिये नियुक्त किए गए या लगाए गए समस्त अधिकारी तथा कर्मचारीवृन्द के सदस्य निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे.

* “(3) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त या अभिनियोजित किए गए अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को आयोग ऐसे कर्तव्य या कृत्य सौंप सकेगा और ऐसे क्षेत्रों के संबंध में उन्हें ऐसे अधिकारों से वेष्टित कर सकेगा जैसे कि वह निर्वाचनों के संचालन और उनसे संबंधित या अनुषंगिक मामलों के सम्बन्ध में आवश्यक या उपयुक्त समझे.”

“11-क. आयोग की सामान्य या विशेष आदेश या निदेश देने की शक्ति.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र निर्वाचन के लिए, आयोग ऐसे विशेष या सामान्य आदेश या निदेश जारी कर सकेगा जो अधिनियम, के उपबन्धों से असंगत न हों.”

** 11-ख. निर्वाचन के प्रयोजन के लिए यान यादि का अधिग्रहण.—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि उसे मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 के अधीन निर्वाचन के संबंध में यह प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान केन्द्र से मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान, विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन हेतु किसी यान, जलयान, या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा, जो उसे अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 7-7-1997

** मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-2), दिनांक 30-3-2001

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यान, जलयान या पशु का स्वामी समझा गया हो या उस व्यक्ति को, जो उनका कब्जा रखता हो, संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामील किया जाएगा, जिसे वह संबोधित किया गया हो।

(3) जब कभी किसी यान, जलयान या पशु का इस नियम के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण की कालावधि, उस कालावधि से परे नहीं, बढ़ाई जायेगी, जिसके लिए इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए ऐसा यान, जलयान या पशु अपेक्षित है।

स्पष्टीकरण.—इस नियम में “यान” से अभिप्रेत है ऐसा कोई यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो।

11-ग. प्रतिकर या संदाय.—जब कभी नियम 11-ख के अनुसरण में किसी यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदाय किया जाएगा, जिसकी रकम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो मध्यप्रदेश राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिए ऐसे यान, जलयान या पशु हेतु नियत की गई हो:

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की गई प्रतिकर की रकम से व्यथित कोई व्यक्ति प्रतिकर अवधारित किए जाने वाले आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। संभागीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा।

11-घ. यानों, जलयानों या पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामिली की रीति.—
नियम 11-ख के उपनियम (1) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तामिली—

(1) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित है, कोई निगम या फर्म हो या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 में समन की तामिल के लिए उपबंधित रीति में, और

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित हो, कोई व्यक्ति हो, तो —

(एक) आदेश को व्यक्तिशः परिदत्त या निविदत्त करके, या

(दो) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, या

(तीन) यदि व्यक्ति नहीं पाया जा सके तो आदेश की एक अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर या ऐसी प्रति उस परिसर के, जिसमें उसका अंतिम निवास करना या कारोबार करना अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर, की जाएगी।

11-ड. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति.—यदि कोई व्यक्ति नियम 11-ख के उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह, दोष सिद्धि पर ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

12. जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) तथा उपजिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका).—

(1) निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) तथा एक या अधिक उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को, जो जिले में नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के संचालन में जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए आवश्यक समझे जाएं, नियुक्त करेगा.

(2) निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में की नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्यों का समन्वयन तथा पर्यवेक्षण करेगा.

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मुख्यालय पर की नगरपालिका के निर्वाचन के लिए पदेन रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा.

* “12-क. प्रेक्षक.—(1) आयोग, किसी नगरपालिका के निर्वाचन या नगरपालिकाओं के समूह के निर्वाचनों के संचालन के प्रेक्षण और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो आयोग द्वारा उसे सौंपे जाएं, एक प्रेक्षक नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(2) उप नियम (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रेक्षक को, उस नगरपालिका जिसके लिए उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, के रिटर्निंग आफिसर को, परिणाम घोषित होने के पूर्व किसी भी समय मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश देने की शक्ति होगी यदि प्रेक्षक की राय में उस नगरपालिका के किसी मतदान केन्द्र या मतगणना के लिए नियत स्थान पर “बूथ पर कब्जा करने” की घटना हुई है या किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त मतपत्र गैर-कानूनी तौर पर रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से बाहर ले जाए गए हों या दुर्घटनावश या इरादतन विनष्ट हुए हों या खो गए हों, या इस सीमा तक क्षतिग्रस्त या गड़बड़ कर दिए गए हों कि उस मतदान केन्द्र पर मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके.

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन प्रेक्षक के द्वारा रिटर्निंग आफिसर को मतगणना रोकने या परिणाम घोषित न करने का निर्देश दिया हो, वहां प्रेक्षक तत्काल आयोग को मामले की रिपोर्ट करेगा और आयोग सभी तात्विक परिस्थितियों का विचारण करने के पश्चात् नियम 62 के अधीन समुचित निदेश जारी करेगा.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति—“बूथ पर कब्जा करना” का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 14-घ में दिया गया है”.

13. रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की नियुक्ति.—निर्वाचन आयोग या जब निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिला मुख्यालय की नगरपालिका से भिन्न किसी नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिये प्रत्येक निर्वाचन के लिये रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) नियुक्त करेगा :

परन्तु इस नियम में कोई भी बात निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी को, एक या अधिक नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिये उसी व्यक्ति को रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।

14. सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) की नियुक्ति.—(1) निर्वाचन आयोग या जब निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रिटर्निंग आफिसर को उसके कृत्यों के अनुपालन में सहायता करने के लिये एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम होगा।

15. रिटर्निंग आफिसर का सामान्य कर्तव्य.—किसी निर्वाचन में रिटर्निंग आफिसर का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह ऐसे समस्त कार्य तथा बातें करें, जो इन नियमों द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिये आवश्यक हो,

16. मतदान केन्द्र.—(1) रिटर्निंग आफिसर इन नियमों के अधीन प्रत्येक निर्वाचन के लिये पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और मतदान की तारीख से 20 दिन पूर्व एक ऐसी सूची, प्रकाशित करेगा जिसमें मतदान केन्द्र तथा ऐसे मतदान क्षेत्र जिनके लिये वे बनाए जाएंगे, दर्शाए गए हों।

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा उपनियम (1) के अधीन अधिसूचित किए गए मतदान केन्द्र की अवस्थिति में, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, जो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) मतदान केन्द्र की अवस्थिति में कोई परिवर्तन यदि वह निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो—

(क) परिवर्तन द्वारा प्रभावित वार्ड में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाएगा, और

* “(ख) संबंधित अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा, यथासम्भव शीघ्र, लिखित में संसूचित किया जाएगा.”

17. पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति.—(1) रिटर्निंग आफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए इतने मतदान अधिकारी या अधिकारियों को जितने कि वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम के नियोजन में नहीं है, पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान केन्द्र से अनुपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है जो निर्वाचन में या उसके संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या उसके लिये कोई अन्य कार्य कर रहा है, पूर्ववर्ती मतदान अधिकारी के अनुपस्थित रहने के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा और तदनुसार रिटर्निंग आफिसर को उसकी सूचना देगा।

(2) मतदान अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हुए, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाए, इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी रूग्णता या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से, मतदान केन्द्र से अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्व में प्राधिकृत किया गया हो।

(4) इन नियमों में पीठासीन अधिकारी के प्रति किए गए निर्देशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे किन्हीं भी कृत्यों का, जिसका पालन करने के लिए वह यथास्थिति उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, पालन कर रहा हो, सम्मिलित समझा जाएगा।

18. पीठासीन अधिकारी का सामान्य कर्तव्य.—किसी मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी का यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखे और देखे कि मतदान उचित रूप से हो रहा है।

19. मतदान अधिकारी के कर्तव्य.—मतदान केन्द्र में प्रत्येक मतदान अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उस केन्द्र के पीठासीन अधिकारी की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करे।

20. जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी का नियंत्रण.—रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी तथा ऐसे अन्य समस्त व्यक्ति जो इन नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हों निर्वाचन आयोग के सर्वोपरि निर्देश तथा नियंत्रण के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

*20-क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन अधिकारी आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना.—किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस अध्याय के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की सूचना की तारीख से प्रारम्भ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

अध्याय 4—निर्वाचन का संचालन

21. निर्वाचन की सूचना तथा उसके लिए समय अनुसूची.—निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की गई समय अनुसूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी प्ररूप 2 में सूचना द्वारा—

- (क) किसी वार्ड के “महापौर, अध्यक्ष या पार्षद” के स्थान के निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन करने के लिये अन्तिम तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसी सूचना के प्रकाशन के तारीख से सातवें दिन की होगी या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा, जो सार्वजनिक अवकाश न हो;
- (ख) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी तारीख नामनिर्देशन के लिये नियत की गई अन्तिम तारीख से ठीक आगामी दिन होगा, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;
- (ग) अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख विनिर्दिष्ट करेगा, जो नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् का दूसरा दिन होगा, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका आगामी दिन होगा जो सार्वजनिक अवकाश न हो;
- (घ) वह तारीख जिसको और वह समय जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो, मतदान किया जाएगा विनिर्दिष्ट करेगा; और
- (ङ) मतगणना के लिये तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करेगा.

टिप्पणी.—“सार्वजनिक अवकाश” से अभिप्रेत है कोई दिन, जिसे राज्य में उसके कार्यालयों के साथ-साथ सरकारी कोषालयों तथा उपकोषालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा अवकाश का दिन घोषित किया गया हो.

22. नियम 21 के अधीन सूचना प्रकाशन की रीति.—नियम 21 के अधीन सूचना को मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व उस सूचना की एक प्रति निम्न कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकाकर प्रकाशित की जायेगी :—

- (क) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका);
- (ख) रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका); और
- (ग) संबंधित नगरपालिका.

*22-क. स्थानों सीटों के आरक्षण की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना का प्रकाशन.—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, नियम 21 के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ-साथ प्रत्येक स्थान, जिसके

लिए निर्वाचन होना है, के आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुए प्ररूप 2-क में एक सूचना,—

- (क) जिला निर्वाचन अधिकारी,
- (ख) रिटर्निंग आफिसर, और
- (ग) संबंधित नगरपालिका

के कार्यालय के सूचना फलक पर उसकी प्रति चिपकाकर प्रकाशित कराएगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उतनी फीस का भुगतान करने पर, जितनी कि राजस्व अभिलेखों की प्रतियों के लिए विहित की गई है, जनता के किसी सदस्य की मांग पर, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की प्रमाणित प्रति तत्काल प्रदाय की जाएगी.

23. निर्वाचन पूरा करने के लिए समय का बढ़ाया जाना.—निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों से, जिन्हें वह उचित समझे, किसी निर्वाचन को पूरा कराने के लिए, नियम 21 के अधीन उसके द्वारा विहित की गई समय अनुसूची में आवश्यक संशोधन करके समय बढ़ाने में सक्षम होगा.

24. अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन.—(1) किसी स्थान की पूर्ति हेतु कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया जा सकेगा, यदि वह उस स्थान की पूर्ति करने हेतु अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिए अर्हित है :

*परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में कोई व्यक्ति जो, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं है या महिला नहीं है, ऐसे स्थान के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा."

(2) नियम 25 के अधीन प्रस्तुत किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र प्ररूप 3 में होगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मतदाता की मांग करने पर नामनिर्देशन-पत्र प्रदाय किया जायेगा.

****“24-क. (1) प्रत्येक अभ्यर्थी,—आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा—**

(एक) किसी लंबित आपराधिक मामले, जिसमें वह आरोपित है और किसी निपटाए गए आपराधिक मामले, जिसमें वह सिद्धदोष ठहराया गया है;

(दो) जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति, जिसका/जिसमें वह स्वयं, उसका पति या पत्नी तथा उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या हिताधिकारी है;

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 517 दिनांक 18-10-95

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 347, दिनांक 20-8-2004

(तीन) किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व;

(चार) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसके दायित्व; और

(पांच) शैक्षणिक अर्हता, जो वह रखता है, से संबंधित जानकारी, उसके (अभ्यर्थी) द्वारा दिए गए शपथ-पत्र में, ऐसे *प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, रिटर्निंग आफिसर को नामनिर्देशन पत्र फाइल करते समय प्रस्तुत करेगा.

स्पष्टीकरण :— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(एक) “स्थावर सम्पत्ति” से अभिप्रेत है भूमि और उसके अंतर्गत कोई ऐसा भवन या अन्य संरचना आती है जो भूबद्ध हो या किसी ऐसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हो जो भूबद्ध हो;

(दो) “जंगम सम्पत्ति” से अभिप्रेत है कोई अन्य सम्पत्ति जो स्थावर सम्पत्ति नहीं हो और उसके अंतर्गत आती है प्रत्येक प्रकार की मूर्त और अमूर्त सम्पत्ति;

(तीन) “लोक वित्तीय संस्था” से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4-ए के अर्थ के अंतर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था और उसके अंतर्गत आता है बैंक;

(चार) खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट “बैंक” से अभिप्रेत है;—

(क) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(ख) समनुषंगी बैंक, जिसका वही अर्थ है जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (के) में उसे समनुदेशित किया गया है;

(ग) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 के अधीन स्थापित प्रादेशिक ग्रामीण बैंक;

(घ) तत्स्थानी नया बैंक, जिसका वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खण्ड (डी ए) में इसे समनुदेशित किया गया है;

* शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की रीति एवं शपथ-पत्र का प्ररूप विहित करने संबंधी आदेश दिनांक 6-9-2004 इस नियम के अंत में संलग्न है. यह आदेश मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 365, दिनांक 6-9-2004 में अधिसूचित हुआ है.

(ड) सहकारी बैंक, जिसका वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (सी) के उपखण्ड (एक) द्वारा यथा उपांतरित उस अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (सी सी एक) में उसे समनुदेशित किया गया है; और

(पांच) “आश्रित बालक” से अभिप्रेत है ऐसे पुत्र तथा पुत्रियां, जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और जो जीविका के लिए अभ्यर्थी पर पूर्णतः आश्रित हैं.

(2) यदि शपथ-पत्र संलग्न नहीं किया गया हो तो नामनिर्देशन-पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा.

(3) शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के संबंध में रिटर्निंग आफिसर द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी.

(4) रिटर्निंग आफिसर, उपनियम (1) के अधीन उसे जानकारी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उपरोक्त जानकारी, उसके कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर शपथ-पत्र की एक प्रति चिपकवा कर उस संबंधित वार्ड के, जिसके लिए नामनिर्देशन-पत्र फाइल किया गया है निर्वाचकों की जानकारी के लिए संप्रदर्शित करेगा, और वार्ड के किसी अन्य अभ्यर्थी/निर्वाचक द्वारा मांग की जाने पर, अभ्यर्थी की प्राप्त जानकारी उपलब्ध करवाएगा और प्राप्त जानकारी को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक भी करेगा.

(5) यदि कोई अभ्यर्थी या निर्वाचक, उपनियम (1) के अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा फाइल किए गए शपथ-पत्र में अंतर्विष्ट जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र फाइल करता है तो वह भी उपनियम (4) में विहित रीति में संप्रदर्शित की जाएगी.”.

25. नामनिर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना.—(1) नियम 21 के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो व्यक्तिशः या अपने प्रस्तावक के द्वारा नियम 21 के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट समय के दौरान तथा स्थान पर रिटर्निंग आफिसर या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर को, सम्यक् रूप से पूर्ण विहित प्ररूप में भरा गया और अभ्यर्थी द्वारा तथा प्रस्तावक के रूप में *महापौर या अध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में, नगरपालिका के किसी वार्ड के मतदाता द्वारा और किसी वार्ड से पार्षद् के निर्वाचन के मामले में उस वार्ड के किसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करेगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिनियम के अधीन मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अध्यधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नहीं होगा.

(2) इस नियम में कोई भी बात किसी भी अभ्यर्थी, के किसी पद पर निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने से नहीं रोकेगी :

परन्तु किसी पद पर निर्वाचन के लिए किसी भी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से दो से अधिक नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे.

***26. प्रतिभूति निक्षेप.—**(1) किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप में नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय या उसके पूर्व रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नांकित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दी हो, अर्थात् :—

(क) पार्षद के स्थान के लिए :—

- (i) किसी नगर परिषद के मामले में रुपये 1000/- की धनराशि;
- (ii) किसी नगरपालिका परिषद के मामले में रुपये 3000/- की धनराशि;
- (iii) किसी नगरपालिक निगम के मामले में रुपये 5000/- की धनराशि;

(ख) किसी नगर परिषद के अध्यक्ष के स्थान के लिए रुपये 10,000/- की धनराशि;

(ग) किसी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष के स्थान के लिए रुपये 15,000/- की धनराशि; और

(घ) किसी नगरपालिक निगम के महापौर के स्थान के लिए रुपये 20,000/- की धनराशि :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उसे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप के रूप में जमा करना होगा.

(2) जहां किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र से किसी एक ही स्थान हेतु निर्वाचन के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया हो, वहां उससे, उपनियम (1) के अधीन, एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी. ”

****27. नामनिर्देशन की सूचना तथा संवीक्षा के लिए समय और स्थान.—**(1) नियम 25 के उपनियम (1) के अधीन नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथाप्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक के नाम और सरल क्रमांक वही हैं जो कि मतदाता सूची में प्रविष्ट किये गये हैं :

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 377 दिनांक 7-7-1997.

**मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, क्रमांक 517, दिनांक 18-10-1995.

परन्तु रिटर्निंग आफिसर नाम निर्देशन-पत्र में गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि को सुधारने की अनुज्ञा देगा और जहां आवश्यक हो, वहां नाम निर्देशन-पत्र में ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लिपिकीय या तकनीकी त्रुटि की अनुवेक्षा करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर नाम निर्देशन-पत्र परिदत्त करने वाले व्यक्ति को नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा और नाम-निर्देशन पत्र पर उसका क्रमांक दर्ज करेगा तथा वह तारीख और समय जब नाम निर्देशन-पत्र उसे परिदत्त किया गया हो, अभिकथित करते हुए उस पर एक प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरित करेगा और उसके पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र अपने कार्यालय के सूचना फलक पर नामनिर्देशन संबंधी एक ऐसी सूचना प्रारूप 4 में चिपकवायेगा, जिसमें अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावक दोनों के संबंध में वे ही ब्यौरे अन्तर्विष्ट होंगे जो नाम निर्देशन-पत्र में अन्तर्विष्ट हैं।

28. नामनिर्देशन की संवीक्षा.—(1) प्राप्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए नियम 25 के अधीन नियत तारीख को अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक् रूपेण प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति इस निमित्त नियम 21 के अधीन नियत समय तथा स्थान पर उपस्थित हो सकेंगे, किन्तु कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकेगा और रिटर्निंग आफिसर उन्हें उन समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों का, जो कि नियम 25 के द्वारा यथा अपेक्षित रूप में परिदत्त किये गये हों, परीक्षण के लिए समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करेगा और ऐसी समस्त आपत्तियों का जो किसी नामनिर्देशन-पत्र के संबंध में की जायें, विनिश्चय करेगा और या तो ऐसी आपत्ति पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन-पत्र को निम्नलिखित किन्हीं भी आधारों पर प्रतिक्षेपित कर सकेगा, अर्थात् :—

- (क) यह कि अभ्यर्थी इस अधिनियम, द्वारा या उसके अधीन किसी स्थान की पूर्ति करने हेतु निर्वाचित किये जाने के लिए निरर्हित है;
- (ख) यह कि प्रस्तावक नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए निरर्हित है;
- (ग) यह कि नियम 24, 24-क*, 25, 26 के किन्हीं भी उपबन्धों का पालन नहीं किया गया है; और
- (घ) यह कि नामनिर्देशन-पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं हैं।

(3) उपनियम (2) के खण्ड (ग) या (घ) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी भी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को उसके नामनिर्देशन-पत्र के संबंध में किसी अनियमितता के आधार पर प्रतिक्षेपित करने हेतु प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएंगी, यदि अभ्यर्थी ऐसे किसी अन्य नामनिर्देशन-पत्र द्वारा, जिसके संबंध में कोई अनियमितता नहीं की गई हो, सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया हो।

(4) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन-पत्र को किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं करेगा जो सारभूत प्रकार की न हो।

(5) रिटर्निंग आफिसर इस निमित्त नियम 21 के खण्ड (ख) के अधीन नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का, बलवे या खुले रूप में हिंसा या उसके नियंत्रण के परे कारणों से ऐसी कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा उपस्थित होने के सिवाय अन्यथा स्थगन नहीं करेगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर द्वारा कोई आपत्ति उठाई जाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति की जाने की दशा में अभ्यर्थी को उसके खण्डन करने के लिये अधिक से अधिक आगामी दिन तक का किन्तु संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन बाद तक का समय दिया जा सकेगा और रिटर्निंग आफिसर उस तारीख को, जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई हो अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

*(5-क) यदि रिटर्निंग आफिसर के द्वारा किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन-पत्र अन्वेक्षा या आपत्ति के अभाव में या अन्य किसी भी कारण से एक से अधिक वार्ड के लिए स्वीकार कर लिया गया है। तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस नामनिर्देशन-पत्र पर ध्यान नहीं देगा जो समय की दृष्टि से बाद में परिदत्त किया गया है और इस तथ्य को नामनिर्देशन-पत्र पर अभिलिखित करेगा तथा प्रश्नाधीन वार्ड की विधि मान्यतः नाम निर्देशित अभ्यर्थियों की सूची, प्रारूप 5 में से उस अभ्यर्थी का नाम विलोपित करेगा या करायेगा। रिटर्निंग आफिसर अपने कार्यालय के सूचना-पटल पर भी, प्रारूप 5, में पुनरीक्षण सूची की एक प्रति, जिस पर चिपकाने की तारीख व समय उसके हस्ताक्षर के नीचे अभिलिखित हो, चिपकवायेगा।

(6) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकार करने या प्रतिक्षेपित करने संबंधी अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो ऐसे प्रतिक्षेपण के लिए कारणों का संक्षिप्त विवरण लिखित में अभिलिखित करेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(7) इस नियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत नगरपालिका की मतदाता सूची में की गई किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतिलिपि का पेश करना उस प्रविष्टि में नामित किसी मतदाता के निर्वाचन में खड़े होने के अधिकार के संबंध में निश्चायक साक्ष्य होगा, जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभ्यर्थी निरहित है।

(8) समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा कर लिये जाने तथा उन्हें स्वीकार या प्रतिक्षेपित करने संबंधी विनिश्चय अभिलिखित कर लिये जाने के ठीक पश्चात् रिटर्निंग आफिसर विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की एक सूची प्रारूप 5 में तैयार करेगा तथा उस सूची को अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकवाएगा और उस पर अपने हस्ताक्षर के नीचे वह तारीख जिसको तथा वह समय जब कि सूची इस प्रकार चिपकाई गई हो सम्यक् रूप से अभिलिखित करेगा।

29. **अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना.**—(1) कोई अभ्यर्थी, नियम 21 के खंड (ग) के अधीन नियत तारीख तथा समय तक रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 6 में आवेदन परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा.

(2) यह आवेदन या तो अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिशः या उसके प्रस्तावक या ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो, दिया जा सकेगा :

परन्तु जहां आवेदन अभ्यर्थी के प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाता है वहां वह तभी स्वीकार किया जाएगा यदि उसके साथ नियम 25 के अधीन नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किये जाते समय अभ्यर्थी या प्रस्तावक को दी गई नामनिर्देशन-पत्र की मूल अभिस्वीकृति प्रस्तुत की जाती है.

(3) ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने उपनियम (1) के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने हेतु आवेदन किया हो, ऐसा आवेदन रद्द करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(4) रिटर्निंग आफिसर उपनियम (2) के अधीन वापस लेने संबंधी आवेदन की वास्तविकता तथा उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अपना समाधान कर लेने पर उस अभ्यर्थी के, जिससे अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, ब्यौरे देते हुए एक सूचना प्ररूप 7 में अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकवाएगा.

30. **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**—(1) रिटर्निंग आफिसर ऐसी कालावधि के, जिसके भीतर नियम 21 के खंड (ग) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती हो, समाप्त होने के ठीक पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की, अर्थात् उन व्यक्तियों की जिनके नामनिर्देशन-पत्र अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिये गये हों तथा जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो, एक सूची तैयार करेगा.

*“(2) उपनियम (1) के अधीन नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिये अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् :—

(एक) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी,

(दो) भाग (एक) में वर्णित अभ्यर्थियों से भिन्न पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी,

(तीन) अन्य अभ्यर्थी.

(3) उपनियम (2) में वर्णित प्रवर्ग विनिर्दिष्ट क्रम में रखे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रवर्ग में प्रतियोगी के नाम वर्णक्रमानुसार रखे जाएंगे और नामनिर्देशन-पत्रों में विहित किए गए अनुसार प्रतियोगी के पते तथा अन्य विशिष्टियां भी क्रम से रखे जाएंगे.”

31. **निर्वाचन के लिये प्रतीकों का आवंटन.**—(1) जहां मतदान आवश्यक हो जाता है वहां रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा उनके नामनिर्देशन-पत्रों में अभिव्यक्त किए गए प्रतीकों की पसंद पर विचार करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए सामान्य और विशेष निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए—

(क) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित करेगा जो यथासाध्य अभ्यर्थी की पसंद के अनुरूप होगा परन्तु ऐसी पसंद केवल तीन प्रतीकों तक ही सीमित रहेगी तथा इस संख्या के परे पसंद की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(ख) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से एक से अधिक ने एक ही प्रतीक के लिए अपनी

अधिमानता उपदर्शित की है, तो लाट डालकर यह निर्णय लेगा कि ऐसे अभ्यर्थियों में से किसे वह प्रतीक आवंटित किया जाएगा.

(ग) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक उस अभ्यर्थी को आवंटित नहीं करेगा जिसे उस दल ने खड़ा नहीं किया है.

(घ) मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को केवल वही प्रतीक आवंटित करेगा जो उस दल के लिए आरक्षित है और कोई अन्य प्रतीक आवंटित नहीं करेगा.

उक्त नियमों में, नियम 31 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ड) तथा (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात्:—

****“(ड) गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को विहित मुक्त प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीक आवंटित किए जाएंगे;

(च) प्रथमतः राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को, मान्यता प्राप्त प्रतीक, द्वितीयतः मान्यता प्राप्त राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक, तृतीयतः गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को, मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद के तथा चतुर्थतः निर्दलीय अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद के प्रतीक आवंटित किए जाएंगे:

परन्तु प्रतीकों के आवंटन में, गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को निर्दलीय अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी;

(छ) यदि कोई राजनैतिक दल जो किसी अन्य राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल है, मध्यप्रदेश राज्य में अपना अभ्यर्थी खड़ा करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को, उस निर्वाचन क्षेत्र के अन्य अभ्यर्थियों को छोड़कर इस बात के होते हुए भी कि ऐसा प्रतीक मध्यप्रदेश राज्य में मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट है, उस दल के लिए उस राज्य में, जिसमें की वह एक मान्यता प्राप्त दल है, आरक्षित प्रतीक, निम्नलिखित प्रत्येक शर्त की पूर्ति करने पर आवंटित किया जाएगा, अर्थात्:—

(एक) अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र में इस आशय की घोषणा की हो;

(दो) संबंधित राजनैतिक दल की जिला इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियम 31(2) के अधीन प्ररूप 8 में लिखित में सूचना दी हो जो अभ्यर्थियतायें वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त हो गई हो;

(तीन) ऐसा पदाधिकारी उस राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा नियम 31 (2) (चार) के अधीन प्ररूप 9 में प्राधिकृत किया गया हो और उसका नमूना हस्ताक्षर, अभ्यर्थिताएं वापस लिये जाने के अन्तिम दिन अपराह्न 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किये गये हों:

परन्तु यदि इस आशय की जानकारी कि अभ्यर्थी को, उस राजनैतिक दल द्वारा उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा खड़ा किया गया है, विहित अवधि में प्राप्त नहीं होती है तो उस अभ्यर्थी को निर्दलीय अभ्यर्थी समझा जाएगा;

(चार) फैक्स द्वारा प्राप्त कोई संदेश या किसी पत्र की फोटोकापी, प्रमाण या संतुष्टि हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी."

(2) कोई अभ्यर्थी किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी और केवल तभी खड़ा किया गया समझा जाएगा यदि—

(एक) अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन-पत्र में इस प्रभाव की घोषणा कर दी है; और

(दो) अभ्यर्थिताएं वापस किए जाने के अंतिम दिन के अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक इस प्रभाव की एक सूचना प्ररूप 8 में रिटर्निंग आफिसर को लिखित में परिदत्त कर दी गई है, तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दी गई है; और

(तीन) उक्त सूचना, दल की जिला इकाई के किसी ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है जो दल की राज्य इकाई द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; और

(चार) ऐसे प्राधिकृत पदधारी का नाम तथा नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 9 में संसूचित कर दिये गये हैं तथा जिसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है।

*“(2-क) यदि उपनियम (2) की किसी शर्त की पूर्ति नहीं की गई है, तो अभ्यर्थी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के द्वारा खड़ा किया गया नहीं समझा जाएगा और उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक उस अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा."

(3) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किये जाते हैं तो प्रतीकों के बारे में उसकी उसी पसंद को विचार में लिया जाएगा जो प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन-पत्र में व्यक्त की गई है और प्रतीकों के बारे में कोई अन्य पसंद पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही प्रथम नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो।

**“परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा समय की दृष्टि से प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीक के बारे में अपनी पसंद व्यक्त नहीं की गई है या वह अपनी पसन्द का प्रतीक प्राप्त नहीं कर सका है, तो रिटर्निंग आफिसर उसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अनुसार प्रतीक आवंटित करेगा."

(4) किसी अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किया गया किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय उस दशा के जहां कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किसी निर्देश से असंगत हो और उस दशा में निर्वाचन आयोग, ऐसी रीति में जैसा कि वह उचित समझे, आवंटन का पुनरीक्षण कर सकेगा।

* मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7-7-2008

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 18-10-95

(5) रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को अभ्यर्थी के लिये आवंटित किए गए प्रतीक की जानकारी तुरंत दी जाएगी और उस प्रतीक का नमूना प्रदाय किया जाएगा.

(6) राज्य सरकार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन उपरान्त निदेश दे सकेगी कि उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) में तथा उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निर्वाचन को लागू नहीं होगी और किसी राजनैतिक दल के लिए आरक्षित किया गया कोई निर्वाचन प्रतीक ऐसे निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा.

*नियम 31 के उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" क्रमांक 889, दिनांक 17 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित तत्कालीन स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1269-अठारह-तीन-94, दिनांक 17 अक्टूबर 1994 को विखंडित करती है.

****31-क मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन.**—कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन रहते हुए प्ररूप 8 में, पूर्व में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जारी की गई सूचना को या तो निरस्त कर सकेगा या उसमें किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम प्रतिस्थापित कर परिवर्तन कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) पूर्व में, प्ररूप 8 में जारी की गई सूचना को निरस्त या प्रतिस्थापित करने वाली उत्तरवर्ती सूचना रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थियों से नाम वापिस लेने की अन्तिम तारीख को अपराह्न 3 बजे के पूर्व प्राप्त हो जाए;

(ख) ऐसी उत्तरवर्ती सूचना प्ररूप 8, में उसी प्राधिकृत पदधारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसके द्वारा प्ररूप 8 में पूर्ववर्ती सूचना हस्ताक्षरित की गई है और वह असंदिग्ध व स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि वह पूर्ववर्ती सूचना को यथास्थिति निरस्त या प्रतिस्थापित करती है;

(ग) रिटर्निंग आफिसर का उत्तरवर्ती सूचना की प्रमाणिकता के बारे में समाधान हो जाए; और

(घ) उस अभ्यर्थी द्वारा जिसके पक्ष में उत्तरवर्ती सूचना दी गई है, अपने नाम-निर्देशन पत्र में पूर्व में ही यह घोषणा की गई हो कि उसे उक्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है.

32. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन.—रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 10 में तैयार किए जाने के पश्चात् तत्काल उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना फलक पर चिपकवाएगा और उसकी एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को प्रदान करेगा.

* मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र, दिनांक 5-10-2004.

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 18-10-95.

अध्याय 5—अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता

33. **निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.**—(1) यदि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्ति उपनियम (2) तथा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्ररूप 11 में या तो नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त करते समय या निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय की जाएगी.

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करके प्रतिसंहरित की जा सकेगी. ऐसा प्रतिसंहरण ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि वह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में या निर्वाचन के पूर्व या उसकी कालावधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अभ्यर्थी उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नये निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा.

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को जो नगरपालिका के किसी निर्वाचन में निर्वाचित किये जाने या उसमें मतदान करने के लिए इस अधिनियम के अधीन तत्समय निरर्हित हो, निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा. जब तक कि निरर्हिता बनी रहती है.

34. **मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति.**—(1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय जिसमें मतदान किया जाना हो निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता तथा एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जिस पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, की जाएगी.

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्ता को परिदत्त करेगा जो उसे मतदान के नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा कर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा. पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा, किसी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र पर किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने इस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन न कर लिया हो.

* 35. **गणन अभिकर्ता की नियुक्ति.**—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्ररूप 13 में दो प्रतियों में लिखित-पत्र द्वारा, जिस पर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हों, नीचे उल्लिखित सीमा तक अभिकर्ताओं की ऐसे अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति कर सकेगा :—

(क) ऐसे वार्ड के लिए जिसमें केवल एक मतदान केन्द्र हो, एक गणन अभिकर्ता,

(ख) ऐसे वार्ड के लिए, जिसमें दो या अधिक मतदान केन्द्र हों, उतने गणन अभिकर्ता, जितनी गणना मेजें हों.

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्ति-पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा जो उसे मतगणना के लिये नियत की गई तारीख को रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणाओं पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा. रिटर्निंग आफिसर उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा. किसी गणन अभिकर्ता को मतगणना के लिये नियत स्थान पर किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि इसने इस उपनियम के उपबंधों का अनुपालन न कर लिया हो.

36. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रतिसंहरण या मृत्यु.—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी.

(2) ऐसी घोषणा—

(क) उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व प्रतिसंहत कर ली गई हो, रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जायेगी.

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या उस मतदान केन्द्र के, जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिये नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी.

(3) यदि किसी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के पूर्व हो जाती है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ऐसी मृत्यु के तथ्य की रिपोर्ट—

(क) उस दशा में जहां मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व हुई है, रिटर्निंग आफिसर को, और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर या उस मतदान केन्द्र के, जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिये नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को, तत्काल लिखित में करेगा.

(4) जब कभी रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (1) या (3) के अधीन की गई घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो, तो वह, यथास्थिति ऐसी घोषणा या रिपोर्ट उस मतदान केन्द्र के, जहां ऐसा मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिये नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को तत्काल संसूचित करेगा.

(5) जहां किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की गई हो या जहां मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के पूर्व हो जाय वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने के पूर्व किसी भी समय नियम 34 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेगा :

परन्तु नए मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी पत्र—

(क) उस दशा में जहां ऐसी नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व की जाय, रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा, और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग आफिसर को या उस मतदान केन्द्र के, जहां नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया हो, पीठासीन अधिकारी को दिया जायेगा।

(6) नियम 34 के उपनियम (2) के उपबन्ध, उपनियम (5) के अधीन नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 34 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

37. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.—(1) अभ्यर्थी द्वारा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी। ऐसी घोषणा रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी के गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाती है तो अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मृत्यु की लिखित रिपोर्ट रिटर्निंग आफिसर को तत्काल करेगा।

(3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उपनियम (1) के अधीन प्रतिसंहत की गई हो, या जहां गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाए, वहां अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, नियम 35 के उपनियम (1) में अधिकथित रीति में नये गणन अभिकर्ता की नियुक्ति करेगा।

(4) नियम 35 के उपनियम (2) के उपबन्ध, उपनियम (3) के अधीन नियुक्त किये गये गणन अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे नियम 35 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त किए गए गणन अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

अध्याय 6—निर्वाचन की साधारण प्रक्रिया

38. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु.—(1) मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी की, जिसे मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, मृत्यु हो जाने के कारण निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं किया जाएगा सिवाय उस दशा के जब कि ऐसी मृत्यु के परिणामस्वरूप निर्वाचन लड़ने में केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाता है और वैसी दशा में रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को करेगा।

(2) यदि मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये किसी अभ्यर्थी की—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के पूर्वाह्न में 11 बजे के पश्चात् किसी भी समय मृत्यु हो जाती है और नियम 28 के अधीन संवीक्षा करने पर उसका नामनिर्देशन-पत्र वैद्य पाया जाता है, या

(ख) जिसका नामनिर्देशन नियम 28 के अधीन संवीक्षा करने पर वैद्य पाया जाए और जिसने नियम 29 के अधीन अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, मृत्यु हो जाती है।

और दोनों में से किसी भी दशा में उसकी मृत्यु की रिपोर्ट, नियम 32 के अधीन निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी की सूची प्रकाशित होने के पूर्व, किसी भी समय प्राप्त होती है, या

(ग) निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के रूप में, मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की रिपोर्ट मतदान प्रारंभ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है.

तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान हो जाने पर आदेश द्वारा मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से इस तथ्य की रिपोर्ट, निर्वाचन आयोग को करेगा :

परन्तु मतदान को प्रत्यादिष्ट करने के लिए कोई आदेश खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामले में, सभी नामनिर्देशनों की संवीक्षा करने के पश्चात् जिसमें मृत अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन सम्मिलित है, के सिवाय नहीं किया जाएगा.

(3) जब कोई मतदान उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन प्रत्यादिष्ट किया जाता है तब निर्वाचन के संबंध में निर्दिष्ट सभी प्रक्रियाएं, इसमें इसके पूर्व नियमों के अनुसार सभी प्रकार से नए सिरे से उसी प्रकार प्रारंभ की जाएगी जैसे कि वह नए निर्वाचन के लिए प्रारंभ की जाती है :

परन्तु—

(एक) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो मतदान प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, आगे और नामनिर्देशन आवश्यक नहीं होगा, और

(दो) कोई व्यक्ति जिसने मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने का कोई आवेदन नियम 29 के उपनियम (1) के अधीन दे दिया है, वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किए जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा.

39. निर्विरोध निर्वाचन.—*“(1) यदि किसी स्थान के लिए, अभ्यर्थिता वापसी की नियत तारीख और समय के पश्चात्, केवल एक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में रहता है, तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थी को तत्काल ऐसे स्थान की पूर्ति के लिए प्ररूप 14 में सम्यक् रूपेण निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजेगा.”

(2) यदि किसी स्थान के लिये कोई नामनिर्देशन-पत्र नहीं भरा गया है या यदि किसी स्थान के लिए किसी अभ्यर्थी को सम्यक् रूपेण नामनिर्देशित नहीं किया गया है तो रिटर्निंग आफिसर इस तथ्य की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को भेजेगा और निर्वाचन आयोग इस अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार स्थान की पूर्ति करने के लिए आगे कार्यवाही करेगा.

40. **सविरोध निर्वाचन.**—नियम 39 के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में मतदान कराया जायेगा.

अध्याय 7—निर्वाचन के लिए मतदान तथा मतों का दिया जाना

41. **निर्वाचनों में मतदान की रीति.**—प्रत्येक निर्वाचन में, जिसमें मतदान कराया जाना है, इसके पश्चात् उपबंधित रीति में मतपत्र द्वारा मत दिये जायेंगे और कोई भी मत परोक्षी (प्राक्सी) द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा.

42. **मतपेटी.**—प्रत्येक मतपेटी, राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्याधीन रहते हुए, ऐसे परिकल्प (डिजाइन) की होगी जिसमें मतपत्र डाले तो जा सके किन्तु मतपेटी खोले बिना और सील तोड़े बिना उन्हें निकाला न जा सके.

* (1) नियम 42 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“42क. **निर्वाचनों में मतदान मशीनें.**—नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट वाडों में मतदान मशीनों द्वारा मत देना और मत अभिलिखित करना उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि इसके पश्चात् यथा विहित है.

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए “मतदान मशीन” से अभिप्रेत है कोई मशीन या संयंत्र जो इलेक्ट्रॉनिकली या अन्यथा चलाया जाता है, का उपयोग मत देने और अभिलिखित करने में किया जाता है और नियमों में मतपेटी या मतपत्र के बारे में अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब भी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन का उपयोग किया जाए, ऐसी मतदान मशीन के संदर्भ को सम्मिलित करते हुए अर्थ लगाया जाएगा.”

43. **मतपत्रों का प्ररूप.**—(1) प्रत्येक मतपत्र में उसके साथ प्रतिपण संलग्न होगा और वह ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी विशिष्टियों के साथ होगा, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किया जाए.

(2) मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में उसी क्रम में होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उनके निर्वाचन प्रतीक के सामने दिये गए हैं.

44. **मतदान केन्द्र पर इन्तजाम.**—(1) जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतपेटियों तथा मतपत्रों, मतदान क्षेत्र से संबंधित मतदाताओं की सूची की प्रतियों, मतपत्र चिन्हित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की और साथ ही साथ ऐसे अन्य उपकरणों तथा सहायक सामग्रियों की भी जो ऐसे मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए अपेक्षित हो, पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करेगा.

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र में एक या अधिक कोष्ठ की, जिसे मतदान कोष्ठ कहा गया है, व्यवस्था की जाएगी जिसमें मतदाता एक के बाद एक जाकर पर्दे की ओट में दृष्टि में आये बिना अपने मत दे सके और किसी भी मतदाता को मतदान कोष्ठ में तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जब तक कि अपना मतदान करने के प्रयोजन से कोई अन्य मतदाता उसके अन्दर हो,

(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनायें प्रमुखतः प्रदर्शित की जायेगी—

- (क) ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया हो जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों, और
- (ख) एक सूचना, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में उसी क्रम में दिया जाएगा, जिस क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम नियम 32 के अधीन प्रकाशित सूची में आये हो.

45. मतदान केन्द्र में प्रवेश.—पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और—

- (क) मतदान अधिकारियों के;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;
- (ग) निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;
- (घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और इन नियमों के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के एक-एक मतदान अभिकर्ता के;
- (ङ) मतदाता के साथ गोद वाले बालक के;
- (च) अंधे या विकलांग मतदाता के, जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; और
- (छ) ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिए नियोजित करे;

सिवाय समस्त अन्य व्यक्तियों को वहां से अपविर्जित करेगा.

46. मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपेटियों का सील किया जाना.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व अभ्यर्थियों को, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को तथा उनके मतदान अभिकर्ताओं को, जो ऐसे केन्द्र पर उपस्थित हों, मतदान के काम में लाई जाने वाली प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें तथा वहां उपस्थित समस्त अन्य व्यक्तियों को यह दिखायेगा कि वह (मतपेटी) खाली है.

(2) पीठासीन अधिकारी उपनियम (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने के पश्चात् मतपेटी को सुरक्षित रूप से बंद करेगा और उस पर इस प्रकार सील लगायेगा कि पेटी में मतपत्र डालने के लिए बना हुआ छिद्र खुला रहे और अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं को जो वहां उपस्थित हों, यदि वे चाहे, तो उसे प्रयोजन के लिए मतपेटी में बने हुए स्थान पर अपनी सीलें भी लगाने देगा.

(3) मतपेटी के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सील इस प्रकार लगाई जायेगी, जिससे कि ऐसी सील को या ऐसे किसी धागे को जिस पर सीलें लगी हों तोड़े बिना मतपेटी को फिर से खोलना संभव नहीं हो सके।

47. महिला मतदाताओं के लिए सुविधाएं.—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिए हो, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक-पृथक टोलियों में घुसने दिया जायगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं के बाबत मतदान लेने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी, और विशिष्टतः किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए जिसमें वह तलाशी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन के लिए आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा।

48. मतदाताओं की पहचान.—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए या मतदान में अन्यथा सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

* “(2) राज्य निर्वाचन आयोग, मतदाता की पहचान स्थापित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे तथा जब कोई मतदाता ऐसे निदेशों के अनुसार अपनी पहचान स्थापित करने में असफल रहता है तो उसे मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा तथा अपना मत देने से वंचित किया जाएगा.”

(3) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलायेगा और तब वह मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़कर सुनायेगा।

(4) मतपत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में यथास्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की गई मात्र कोई लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐंसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

49. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.—(1) कोई अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसे निक्षेप किये जाने पर—

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा,

- (ख) मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनायेगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है,
- (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्ररूप 15 में उसका नाम और पता प्रविष्टि करेगा, और
- (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा.
- (3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए—
- (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दे,
- (ख) जिस व्यक्ति बाबत अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा, और
- (ग) जिस व्यक्ति बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रत्याशा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा.
- (4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा.
- (5) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है तो निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर लिया जाय और अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा.

*“49-क. (1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बाबत यथा स्थिति पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा नाखून के मूल के यथासम्भव निकटतम स्थान पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा जिससे कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर फैल सके.

(2) यदि कोई मतदाता, उपनियम (1) के अनुसार अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इन्कार करता है, या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने का कोई कृत्य करता है, तो उसे कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा या उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इस नियम में मतदाता की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश से, उस दशा में जिसमें मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य उंगली के प्रति निर्देश है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां न हों, वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हों, वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बाईं दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतन भाग के प्रति निर्देश है, जो वह धारण करता हो."

50. मतपत्र जारी करना.—(1) कोई भी मतपत्र, किसी भी मतदाता को मतदान प्रारंभ होने के नियत समय के पूर्व नहीं दिया जाएगा.

(2) कोई भी मतपत्र, किसी मतदाता को मतदान बंद होने के लिए नियत समय के पश्चात् नहीं दिया जाएगा सिवाय उन मतदाताओं के जो मतदान बंद होने के समय मतदान केन्द्र में उपस्थित हो ऐसे मतदाताओं को मतदान के लिए नियत समय समाप्त हो जाने पर भी मतदान करने देगा.

*“(3) प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपत्र का पृष्ठ भाग ऐसे सुभेदक चिन्ह से मुद्रांकित किया जाएगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्देशित करे, और, प्रत्येक मतपत्र पर किसी मतदाता को जारी करने के पूर्व, पीठासीन अधिकारी उसके पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा.”

“(4) किसी मतदाता को मतपत्र देते समय मतदान अधिकारी,—

(क) मतपत्र के प्रतिपत्र पर मतदाता सूची का चिन्हित प्रति में प्रविष्ट मतदाता का सरल क्रमांक अभिलिखित करेगा;

(ख) उक्त प्रतिपत्र पर उस मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा; और

(ग) मतदाता सूची का चिन्हित प्रति में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि को यह उपदर्शित करने के लिए कि उसे मतपत्र दिया जा चुका है, मतदाता को दिए गए मतपत्र का सरल क्रमांक सूची में अभिलिखित किए बिना रेखांकित करेगा :

परन्तु किसी मतदाता को मतपत्र जब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपत्र पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे का निशान न लगा दिया हो.”

(5) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति, किसी भी विशिष्ट मतदाता के लिए जारी किये गये मतपत्र का क्रमांक नोट नहीं करेगा.

51. **मतदान प्रक्रिया.**—(1) मतदाता, मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जायेगा; वहां उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मतपत्र में, उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से चिन्ह बनाएगा; मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए, मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा;

(2) कोई भी मतदाता अपना मत देने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समय से अधिक समय तक मतदान केन्द्र में नहीं रहेगा.

52. **अंधे या शिथिलांग मतदाता द्वारा मत का अभिलेखन.**—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अंधेपन या शारीरिक शैथिल्य के कारण कोई मतदाता मतपत्र पर प्रतीक को पहचानने में या बिना किसी की सहायता के उस पर चिन्ह लगाने में असमर्थ है तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता को, उसकी इच्छा के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलेखन करने और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र को इस प्रकार मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मत पेटी में डालने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस नियम के अधीन किसी मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात किए जाने के पूर्व उससे प्ररूप 16 में यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि मतदाता की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को वह गुप्त रखेगा और उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन समस्त मामलों का अभिलेख रखेगा.

53. **खराब हुये और लौटाये गये मतपत्र तथा मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र.**—(1) उस मतदाता को, जिसने अपना मतपत्र अनवधानता से, ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन अधिकारी को उसे लौटा दिये जाने पर उसे और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिये जाने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जायेगा और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपण पर पीठासीन अधिकारी “खराब-रद्द किया गया” शब्द अंकित करेगा.

(2) यदि मतदाता कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो उसे वह पीठासीन अधिकारी को लौटा देगा और ऐसे लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी “लौटाया गया-रद्द किया गया” शब्द अंकित करेगा.

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रद्द किये गये समस्त मतपत्र पृथक से एक पैकेट में रखे जायेंगे.

(4) यदि कोई मतपत्र, जो मतदाता को जारी किया गया हो, उसके द्वारा किसी मतपेटी में डाला न जाए किन्तु वह मतदान केन्द्र में या उसके निकट किसी भी स्थान पर, चाहे मत कोष्ठ के भीतर या बाहर पाया जाये तो वह उपनियम (2) के अधीन पीठासीन अधिकारी को लौटा दिया गया समझा जायेगा और उसके संबंध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी.

54. निविदत्त मत.—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह मतदाता सूची में नामित विशिष्ट मतदाता है ऐसे मतदाता के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिये जाने के पश्चात् मतपत्र के लिये आवेदन करता है तो वह आवेदक ऐसे प्रश्नों के सम्यक् उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन अधिकारी पूछे मतपत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “निविदत्त मतपत्र” के रूप में निर्दिष्ट है) प्राप्त करने का उसी प्रकार हकदार होगा जैसे कोई अन्य मतदाता होता है.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, निविदत्त मतपत्र प्रदाय किये जाने के पूर्व प्ररूप 17 में एक सूची पर उससे संबंधित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगायेगा.

(3) निविदत्त मतपत्र, सिवाय इसके कि—

(क) ऐसा निविदत्त मत मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिये गये मतपत्रों के बंडल में क्रम में अंतिम होगा, और

(ख) ऐसे निविदत्त मत और उसके प्रतिपर्ण के पृष्ठ भाग पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने हाथ से शब्द ‘निविदत्त मतपत्र’ पृष्ठांकित किये जायेंगे तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे,

वैसा ही होगा जैसा कि मतदान में उपयोग में लाये जाने वाला अन्य मतपत्र होता है.

(4) मतदाता निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिन्हित करने और उसको मोड़ने के पश्चात् उसे मतपेटी में डालने के बजाय उसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा.

55. मतदान बंद करना.—(1) पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र को नियम 21 के खण्ड (घ) के अधीन उस निमित्त नियत समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बंद किये जाने के पूर्व उसमें उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा.

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत उद्भूत होता है कि कोई मतदाता मतदान केन्द्र बंद किये जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

56. मतदान के पश्चात् मतपेटियों का सीलबंद किया जाना.—(1) मतदान के बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतपेटी के छिद्र को बंद कर देगा और जहां छिद्र को बंद करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटेटी में न हो वहां वह उस छेद को सीलबंद करेगा और किसी उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता को भी उस पर सील लगाने देगा.

(2) मतपेटी तत्पश्चात् सीलबंद की जाएगी और सुरक्षित कर दी जाएगी.

(3) जहां कि पूर्ववर्ती मतपेटी के भर जाने के कारण पश्चात्वर्ती मतपेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है वहां प्रथम मतपेटी दूसरी मतपेटी उपयोग में लाने के पूर्व उपनियम (1) और (2) में यथा उपबंधित रूप में बंद, सीलबंद और सुरक्षित कर दी जाएगी.

57. मतपत्रों का लेखा.—पीठासीन अधिकारी मतदान के बंद होने पर मतपत्र लेखा प्ररूप 18 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उसके ऊपर शब्द, मतपत्र लेखा लिखेगा.

58. अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.—पीठासीन अधिकारी तब—

(एक) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के,

(दो) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपणों के,

(तीन) मतदाताओं को जारी न किये गये मतपत्रों के,

(चार) प्ररूप 17 में उनकी सूची सहित निविदत्त मतपत्रों के,

(पांच) रद्द किये गये मतपत्रों के,

(छः) किन्हीं अन्य ऐसे कागज पत्रों के, जिनके बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि वे सीलबंद पैकेट में रखे जाएं,

पृथक्-पृथक् पैकेट तैयार करेगा.

(2) ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी की तथा उपस्थित उन अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद किया जायेगा.

59. मतपेटियों, पैकेटों आदि का रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त किया जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी तब रिटर्निंग आफिसर को—

(क) मतपेटियां,

(ख) मतपत्र लेखा,

(ग) नियम 58 में निर्दिष्ट सीलबंद पैकेट, और

(घ) मतदान में उपयोग में लाये गये समस्त अन्य कागज-पत्र,

ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर या ऐसा अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, निर्देशित करे, परिदत्त करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर या ऐसा प्राधिकृत अधिकारी समस्त मतपेटियों, पैकेटों और अन्य कागज-पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिये और मतों की गणना प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इन्तजाम करेगा।

60. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन.—(1) यदि किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र की कार्यवाहियों में बलवे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान कराया जाना संभव नहीं है तो रिटर्निंग आफिसर या ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख तक मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहां वह संबंधित रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण सूचित करेगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग यथाशक्य शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारंभ होगा और वह मतदान केन्द्र जहां तथा वह समय जिसके भीतर मतदान कराया जाएगा, नियत करेगा। रिटर्निंग आफिसर ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

(3) स्थगित मतदान की दशा में पीठासीन अधिकारी मतपेटियों और अन्य पैकेटों को सीलबंद करने, मतपत्रों का लेखा तैयार करने, और मतपेटियों तथा अन्य मतदान सामग्री को परिदत्त करने में नियम 56 से 59 के उपबन्धों का यथासाध्य उसी प्रकार अनुसरण करेगा मानों कि मतदान नियम 21 के अधीन इस निमित्त नियत समय पर बंद हुआ है।

(4) जिला निर्वाचन अधिकारी यथा पूर्वोक्त प्रत्येक मामले में, मतदान के लिए वह तारीख, स्थान और समय, जो उपनियम (2) के अधीन नियत किया गया है, ऐसी रीति में जैसा कि निर्वाचन आयोग निर्देश दे, अधिसूचित करेगा और मूल मतदान को शासित करने वाले नियमों के उपबन्ध इस नियम के अधीन पुनः प्रारंभ किये गए मतदान के संबंध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

61. स्थगित मतदान का पुनरारम्भ.—(1) जब कोई मतदान जिसे नियम 60 के अधीन स्थगित कर दिया गया था पुनः प्रारम्भ किया जाता है तो उन मतदाताओं को, जिन्होंने इस प्रकार स्थगित मतदान के पहले ही अपने मत दे दिये हो, फिर से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(2) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के जिस पर स्थगित मतदान प्रारंभ किया जाए, पीठासीन अधिकारी को सीलबंद पैकेट जिसमें मतदाता सूची की चिन्हांकित प्रति होगी और एक नई मतपेटी देगा।

(3) पीठासीन अधिकारी उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतदाता सूची में चिन्हांकित प्रति का सीलबंद पैकेट खोलेगा और स्थगित मतदान के समय शेष रहे मतदाताओं के नाम जिन्हें मतपत्र जारी किये गये हैं चिन्हित करने के लिए उपयोग करेगा, तथापि, जारी किए गए मतपत्रों के क्रमांक उसमें अभिलिखित नहीं किए जाएंगे।

(4) नियम 41 से 59 के उपबन्ध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि मतदान के संबंध में उसे इस प्रकार स्थगित किये जाने के पूर्व लागू थे।

62. मतपेटी की क्षति, विनष्ट हो जाने या गड़बड़ी आदि होने की दशा में या प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण नया मतदान.—(1) यदि किसी निर्वाचन में—

- (क) मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन अधिकारी या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से गैर कानूनी तरीके से निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है या खो जाती है अथवा उसे इस सीमा तक क्षति पहुंचायी जाती है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सके, या
- (ख) मतदान केन्द्र में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह संभाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए,

तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर समस्त तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो—

- (क) उस मतदान केन्द्र में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा; उस मतदान केन्द्र में नवीनतम मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश देगा कि वह ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करे, जैसा वह ठीक समझे; या
- (ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र में नये मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या प्रक्रिया सम्बन्धी गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन के आगे संचालन और पूरा किये जाने के लिए ऐसे निर्देश देगा जैसे कि वह उचित समझे।

(3) उपनियम (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नये निर्वाचन के संचालन की कार्यवाही करेगा और नियम 41 से 59 के उपबन्ध ऐसे नये निर्वाचन को लागू होंगे।

63. **निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र.**—(1) कोई व्यक्ति, जो एक मतदाता के रूप में किसी नगरपालिका में रजिस्ट्रीकृत है और निर्वाचन की तारीख को निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र पर, जहां कि वह मतदाता के रूप में मतदान का हकदार है, मतदान करने में असमर्थ है, निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के रूप में जाना जायेगा और उसका मत इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में अभिलिखित किया जाएगा.

(2) कोई कर्तव्यारूढ़ मतदाता रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 19 में इस प्रकार आवेदन करेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि के पूर्व जैसी कि रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे, पहुंच जाए और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता है, तो वह उसे एक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जिसे इसमें इसके पश्चात् निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र कहा गया है जारी करेगा.

स्पष्टीकरण.—कोई मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान आफिसर कोई पीठासीन अधिकारी और कोई अन्य लोक सेवक जिन्हें रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ माने, निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के हकदार होंगे.

(3) प्रत्येक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र का उससे संलग्न एक प्रतिपण होगा और जो ऐसे प्ररूप में होगा तथा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसी कि निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाएं.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में और हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जायेंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं.

(4) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित भी आवेदक को भेजेगा या देगा, अर्थात् :—

(क) मतपत्र रखने हेतु प्ररूप 19-क में अन्दर वाला एक छोटा लिफाफा.

(ख) प्ररूप 19-ख में रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बाहर वाला एक बड़ा लिफाफा.

(ग) प्ररूप 19-ग में मतदाता द्वारा की जाने वाली एक घोषणा.

(घ) प्ररूप 19-घ में मतदाता के लिए अनुदेश.

(5) प्रत्येक अधिकारी जिनकी देखरेख में या जिसके द्वारा निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र भेजा जाता है यह सुनिश्चित करेगा कि वह मतपत्र संबोधित व्यक्ति को अविलंब परिदत्त कर दिया जाता है.

(6) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करते समय—

(क) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के प्रतिपण पर उस मतदान केन्द्र की मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता का यथा प्रविष्टित क्रमांक अभिलिखित करेगा.

(ख) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम के सामने—

यह उपदर्शित करने के लिए कि उसे निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया है “नि. क. म.” मत अंकित करेगा और यह कि मतदान केन्द्र पर उसे व्यक्तिशः मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए, तथापि मतदाता को जारी किये गये निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र का क्रमांक मतदाता सूची की चिन्हित प्रति पर अभिलिखित नहीं करेगा.

(7) मतदाता अपने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को निम्नलिखित रीति में अभिलिखित और प्रेषित करेगा, अर्थात् :—

(क) मतदाता, उस अभ्यर्थी को, जिसे वह मत देना चाहता है, मतपत्र में आवंटित किए गए स्थान में कहीं भी (✓ या × के समान) चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित कर सकेगा. कोई विशिष्ट चिन्ह अंकित करना अपेक्षित नहीं है; कोई भी चिन्ह वहां तक विधिमान्य होगा जहां तक कि मतदाता का किसी विशिष्ट अभ्यर्थी को मत देने का आशय युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट हो और ऐसे चिन्ह से मतदाता की पहचान प्रकट नहीं होती हो.

(ख) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर अपना मत देने के पश्चात् मतदाता मतपत्र को प्ररूप 19-क में अंदर वाले छोटे लिफाफे में बंद करेगा.

(ग) इसके पश्चात् मतदाता नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी, अर्थात् :—

(एक) यदि वह शासकीय सेवक है या किसी नगरपालिका या सरकारी उपक्रम का कर्मचारी है, उस कार्यालय के प्रमुख की, जहां वह कार्य करता है;

(दो) किसी राजपत्रित अधिकारी की या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी जिस पर वह निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ है;

(तीन) नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की;

(चार) ऐसे किसी अन्य अधिकारी की, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए;

उपस्थिति में प्ररूप 19-ग में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और अपने हस्ताक्षर उसके द्वारा अभिप्रमाणित कराएगा, जिसके समक्ष समाधानप्रद रूप में वह पहचाना गया है.

(घ) उसके पश्चात् मतदाता प्ररूप 19-ग में घोषणा के साथ प्ररूप 19-क में अंदर वाले छोटे लिफाफे को जिसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र अंतर्विष्ट है, प्ररूप 19-ख में बाहर वाले बड़े लिफाफे के भीतर रखेगा, बड़े लिफाफे को बंद करेगा और उसे रिटर्निंग आफिसर को या तो व्यक्तिशः या किसी संदेश वाहक के मार्फत सौंप देगा या डाक द्वारा इस प्रकार भेजेगा कि वह लिफाफा मतों की गणना प्रारम्भ करने के नियत समय के पूर्व उसके पास पहुंच जाए.

(8) यदि नियम 21 के खण्ड (ड) के अधीन नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा कोई ऐसा लिफाफा प्राप्त किया जाता है जिसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र अन्तर्विष्ट हो तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफे को एक साथ पृथक् पैकेट में रखेगा।

(9) रिटर्निंग आफिसर उन समस्त लिफाफों को जिनमें उसके द्वारा प्राप्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र अन्तर्विष्ट हो मतों की गणना प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(10) ऐसे मतदाता को, जिसके नाम के सामने मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में “निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र” चिह्नित हो, किसी मतदान केन्द्र पर मतपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

अध्याय 7-क

मतदान मशीनों द्वारा मतदान

*63 क. मतदान मशीन की डिजाइन.—प्रत्येक मतदान मशीन में एक कन्ट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जैसा कि निर्वाचन आयोग अनुमोदित करे।

63 ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—(1) मतदान मशीन की मतदान इकाई में ऐसा विवरण और ऐसी भाषा या भाषाएं अन्तर्विष्ट होंगी जैसी कि निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें।

(2) मतदान इकाई पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आए हों।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे हैं, तो वे उनके उपनाम के अतिरिक्त पिता का नाम, आजीविका या निवास जोड़ने के द्वारा या अन्य रीति से सुभिन्न किए जाएंगे।

(4) इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों के अधधीन रिटर्निंग आफिसर —

(क) मतदान यूनिट में, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेबल के नाम और प्रतीक रहेंगे, चिपकाएगा और उस यूनिट को अपनी सील तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या उनके लेबल निर्वाचन अधिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों उनकी सील लगाकर सुरक्षित करेगा;

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्रमांकित (समुच्चय) करेगा और नियंत्रण यूनिट में अभ्यर्थी सेट सेक्शन बंद करेगा और अपनी सील तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अधिकर्ता जो उपस्थित हों, जो अपनी सील लगाना चाहते हों, सुरक्षित करेगा।

63 ग. मतदान केन्द्र पर इंतजाम.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित करेगा —

(क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता (इलेक्टर) मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस; और

(ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति.

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या एक से अधिक मतदान कक्ष होंगे जिनमें अपना मत निर्वाद रूप से अभिलिखित कर करेंगे.

(3) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसी संख्या में मतदान मशीनों को उपलब्ध कराएगा जिससे वार्ड के समस्त चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित विशिष्टियां और प्रादर्श और मतदाता सूची के सुसंगत भाग और अन्य ऐसी चुनाव सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हों समायोजित कर सके और मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मशीन उपलब्ध करने के मामले में वे एक दूसरे से संसक्त होंगी जिससे वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई बनायें.

(4) उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसी परिसर में अवस्थित दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामूहिक वोटिंग मशीन का उपबंध कर सकेंगे.

63.घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश.—पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को नियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय में मतदाता प्रवेश कर सकेंगे और वहां से निम्न को अपवर्जित करते हुए सभी अन्य व्यक्तियों को अलग कर देगा.

(क) मतदान अधिकारों;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(घ) अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचन अभिकर्तागण और नियम 34 के उपबंधों के अधधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता;

(ङ) किसी मतदाता के साथ गोद वाला बालक;

(च) अंधे या विकलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल नहीं सकता, के साथ एक, और

(छ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी नियम 63च के उपनियम

(2) या नियम 63छ के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे.

63 ड. मतदान के लिये मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—(1) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक लेबल रहेगा जिसमें लिखा रहेगा —

- (क) अनुक्रमांक, यदि कोई हो, और वार्ड का नाम;
- (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के, सरल क्रमांक और मतदान केन्द्र का नाम;
- (ग) यूनिट का अनुक्रमांक; और
- (घ) मतदान की तारीख.

(2) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान एजेंट तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही किसी मतदाता का कोई मत अभिलिखित नहीं है और इस मशीन पर, नियम 63-ख के उपनियम (4) में निर्दिष्ट (लेबल) नामपत्र लगा है.

(3) मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिये कागज की एक सील का उपयोग किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी कागज की सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उपस्थित मतदान एजेंट के भी हस्ताक्षर कराएंगे यदि वे इच्छुक हों.

(4) इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस तरह हस्ताक्षरित कागज की सील को वोटिंग मशीन की नियंत्रण यूनिट में उसके लिए आशयित स्थान पर लगा देंगे और उसे सुरक्षित कर उसे सील करेंगे.

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई सील ऐसी रीति में लगाई जाएगी कि यूनिट सील होने के पश्चात् बिना सील तोड़े “परिणाम बटन” दबाया जाना संभव नहीं हो.

(6) नियंत्रण यूनिट बंद की जाकर सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं के बिलकुल सामने रखी जाएगी तथा मतदान यूनिट मतदान कक्ष में रखी जायेगी.

63 च. महिला मतदाताओं के लिये सुविधाएं.—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिये हों, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक्-पृथक् टोलियों में घुसने दिया जाए.

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं के बाबत् मतदान करने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, यदि आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा.

63. छ. मतदाताओं की पहचान.—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए या मतदान में अन्यथा उसे सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा.

(2) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टियों से मिलाएगा और तब वह मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा.

(3) मतपत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार विनिश्चय करने में यथास्थित, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की गई मात्र कोई लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है.

63 ज.—निर्वाचन कर्तव्य पर कार्यरत लोक सेवकों के लिये सुविधाएं.—नियम 63 में यथा उपबंधित, निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित व्यक्ति प्ररूप क्रमांक 19 में एक आवेदन रिटर्निंग आफीसर को भेज सकेगा, जो उसे कम से कम मतदान तिथि से 7 दिन पूर्व प्राप्त हो और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर यदि रिटर्निंग आफीसर संतुष्ट है तो रिटर्निंग आफीसर —

- (क) उस पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा;
- (ख) प्रमाण-पत्र में लिखे हुए उस व्यक्ति का नाम और मतदाता सूची के अनुक्रमांक की प्रविष्टि, मतदाता सूची की चिन्हित की हुई प्रति के अंत में करेगा; और
- (ग) उसे उसी रीति में अपना मतदान करने की अनुज्ञा देगा जैसे मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान करने का पात्र हो.

63 झ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.—(1) मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा.

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसे निक्षेप किये जाने पर —

- (क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;
- (ख) मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;
- (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्ररूप 15 में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; और
- (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा.

(3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए —

- (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;
- (ख) जिस व्यक्ति बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और
- (ग) जिस व्यक्ति बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रत्याशा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा.

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा.

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छतापूर्ण है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप शासन के पक्ष में समपहत कर दिया जाय और अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा.

63 ज. दूसरे व्यक्ति द्वारा वास्तविक व्यक्ति बनने के विरुद्ध सुरक्षा उपाय.—(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बाबत् यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा नाखून के मूल के यथासंभव निकटम स्थान पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा जिससे कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर फैल सके.

(2) यदि कोई मतदाता, उपनियम (1) के अनुसार अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने का कोई कृत्य करता है, तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(3) इस नियम में मतदाता की बाईं दर्जनी के प्रति किसी निर्देश से, उस दशा में जिसमें मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां न हो, वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हो वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बाईं या दाहिने भुजा के ऐसे अग्रतन भाग के प्रति निदेश है, जो वह धारण करता हो.

63 ट. मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया.—(1) मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने के पहले मतदान अधिकारी —

- (क) मतदाता की मतदाता सूची की मार्क वाली प्रति में नियम 50 (4) (क) में यथा उपबंधित मतदाता क्रमांक मतदाता रजिस्टर प्ररूप 17 क में दर्ज करेगा;
- (ख) मतदाता रजिस्टर में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेंगे; और
- (ग) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम पर चिन्ह लगाएगा जिससे यह पता चलेगा कि उसे मत देने की अनुमति दी गई है :

परन्तु किसी भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त न कर लिया गया हो.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाता रजिस्टर पर मतदाता के अंगूठा निशान का सत्यापन करे.

63 ठ. मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा और मतदान प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.— (1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए एतदपश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा.

(2) मतदान की अनुमति मिलते ही मतदाता, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट प्रभारी हैं, के पास जाएगा जो समुचित बटन दबाकर मतदाता को मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट चालू कर देगा.

(3) इसके बाद मतदाता तुरंत —

- (क) मतदान कक्ष में पहुंचेगा;
- (ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने वाली मतदान यूनिट पर बटन को दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा जिसके लिए मतदान करने का उसका इरादा है;
- (ग) मतदान कक्ष के बाहर आएगा और मतदान केन्द्र से चला जाएगा.

(4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा.

(5) किसी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब दूसरा मतदाता भीतर हो.

(6) यदि कोई मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति मिल गई हो, पीठासीन अधिकारी के नियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की चेतावनी देने के बाद भी मतदान करने से इंकार करता है तब पीठासीन अधिकारी के निर्देश के बाद ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

(7) जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाती तब इस बाबत कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है मतदान रजिस्टर में उस मतदाता के नाम के सामने एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी और जिसमें उनके हस्ताक्षर होंगे।

63 ड. नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना।—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाए कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता, मतदान मशीन की मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी उसे अनुमति देगा कि वह अपना एक साथी जिसकी उम्र उठारह वर्ष से कम न हो अपनी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जा सकेगा :

परन्तु किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस नियम के अंतर्गत जिस दिन किसी व्यक्ति के साथी के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए तब पहले उसे यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा मतदाता की ओर से अभिलिखित किए जाने वाले मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के साथी के रूप में काम नहीं किया है।

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 16 में रखेगा।

63 ढ. निविदत्त मत।—(1) यदि कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति स्वयं को वह मतदाता विशेष बताकर मतदान करने आता है तब वह उसकी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के बाद मतदान यूनिट द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के स्थान पर उसे निविदत्त मतपत्र दिया जायेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और उसका विवरण ऐसी भाषा में या भाषाओं में होगा जिसे निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे।

(2) ऐसे प्रत्येक मतदाता को निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पहले प्ररूप 17 में उसके संबंध में प्रविष्टि के सामने अपना नाम लिखना होगा।

(3) मतपत्र प्राप्त करते ही तुरंत उसे —

(क) मतदान कक्ष में जाना होगा;

- (ख) वहां मतपत्र पर इस प्रयोजन हेतु दिए गए उपकरण या वस्तु द्वारा क्रॉस का चिन्ह "x" अभ्यर्थी के प्रतीक पर या निकट लगाकर जिसको मत देने का इरादा है अपना मतदान अभिलिखित करेगा;
- (ग) मतपत्र इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए;
- (घ) यदि आवश्यक हो, तब मतपत्र पर विशिष्ट मार्क पीठासीन अधिकारी को दिखाएगा;
- (ङ) इसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए लिफाफे में रखेगा; और
- (च) मतदान केन्द्र के बाहर चला जाएगा.

(4) यदि नेत्रहीन या शारीरिक अक्षमता के कारण ऐसा मतदाता बिना सहायता के मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ रहता है तब पीठासीन अधिकारी उसे उसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा नियम 63 ड में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एक साथी ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार उसका मत अभिलिखित करेगा.

63 ग. मतदान की अवधि में पीठासीन अधिकारी का मतदान कक्ष में प्रवेश.—(1) पीठासीन अधिकारी जब कभी वह आवश्यक समझे, मतदान की अवधि में मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे कदम उठा सकेगा जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में छेड़छाड़ नहीं की गई है या किसी अन्य प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाई गई है.

(2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह हो कि कोई मतदाता जो मतदान कक्ष में प्रवेश कर चुका है वह मतदान यूनिट में छेड़छाड़ कर रहा है या कोई बाधा डाल रहा है या मतदान कक्ष के भीतर अनावश्यक लम्बी अवधि तक है तब वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जो मतदान की प्रगति साधारणतया शांतिपूर्ण और नियमानुसार रहे यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो.

(3) पीठासीन अधिकारी जब कभी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा तो वह मतदान अधिकर्ता को, जो उपस्थित हों, यदि वे वांछा करें तो साथ चलने की अनुमति देगा.

63 त. मतदान का बंद किया जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी, मतदान बंद करने के नियत समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा और उसके बाद किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा :

परंतु सभी मतदाता जो मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होते समय उपस्थित हों उन्हें अपना मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

(2) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पहले उपस्थित था तब इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

63 थ. अभिलिखित मतों का लेखा.—पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने पर (प्ररूप 18 क) में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा और इसे अलग लिफाफे में रख कर उसके ऊपर “अभिलिखित मतों का लेखा” लिखेगा।

63 द. मतदान के बाद मतदान मशीन का सीलबंद किया जाना.—(1) यथासाध्यशीघ्र मतदान बंद होने के बाद पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाद में मतदान अभिलिखित न हो सके नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा।

(2) कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट इसके बाद सीलबंद कर दिए जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें ऐसी रीति में अलग-अलग सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखने वाली सील ऐसी चिपकाई जाएगी कि बिना सील तोड़े यूनिट का खोलना संभव नहीं होगा।

(3) मतदान अभिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी।

63 ध. अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी तब अलग-अलग पैकेट बनाएगा —

- (क) मतदाता सूची की मार्क की हुई प्रति;
- (ख) मतदाता रजिस्टर;
- (ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा;
- (घ) चुनौती दिए गए मतों की सूची;
- (ङ) शेष बचे हुए निविदत्त मतपत्र जो काम नहीं आए; और
- (च) कोई अन्य कागजात, जिन्हें सीलड पैकेट में रखने का निर्वाचन आयोग का निदेश हो।

(2) ऐसा प्रत्येक पैकेट पीठासीन अधिकारी की सील द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता की, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और जो अपनी सील लगाने का इच्छुक हो उनकी सील लगाकर सीलबंद किए जाएंगे।

63. न. मतदान मशीनें आदि रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी इसके बाद ऐसे स्थान पर रिटर्निंग आफिसर को मतदान मशीन सौंप देगा या सौंपने के लिए भेज देगा, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर निदेश दे।

- (क) मतदान मशीन;
- (ख) अभिलिखित मतों का लेखा;
- (ग) नियम 63-ध में निर्दिष्ट सीलड बंद पैकेट्स; और
- (घ) सभी अन्य कागजात जिनका उपयोग मतदान में हुआ है।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेट्स तथा अन्य कागजातों को मतगणना प्रारंभ होने तक के लिये सुरक्षित में रखे जाने के लिये सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

63 प. मतदान स्थगित करने की प्रक्रिया.—यदि किसी निर्वाचन में आपातकालीन स्थिति में मतदान स्थगित हो जाता है तो नियम 60 और 61 में उपबंधित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

64 फ. बूथ पर कब्जा करने की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना.—जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर, जो बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह तुरन्त मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि आगे कोई मतदान अभिलिखित न हो सके और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा।

अध्याय 8—मतों की गणना

64. मतों की गणना का पर्यवेक्षण.—प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान होता है, मतों की गणना या तो रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जाए, पर्यवेक्षण तथा निदेशन के अधीन की जाएगी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह मतगणना के समय उपस्थित रहे।

65. मतगणना के लिए नियत किए गए स्थान में प्रवेश.—(1) रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं मतगणना के लिये नियत स्थान से—

- (क) ऐसे व्यक्तियों के, जो गणना, पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में ज्ञात हैं और जिन्हें वह मतगणना करने में अपनी सहायता करने के लिये नियुक्त करे,
- (ख) निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,
- (ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के, और
- (घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के,

सिवाय अन्य समस्त व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा।

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या जो उसके लिए अन्य प्रकार से कार्य करता रहा हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी यह विनिश्चय करेंगे कि कौन सा या कौन से मतगणना अभिकर्ता किस विशेष मतगणना टेबल या मतगणना टेबलों के समूहों पर मतगणना का कार्य देखेंगे।

(4) ऐसे किसी व्यक्ति को जो मतगणना के दौरान अपचार करें या रिटर्निंग आफिसर के या किन्हीं ऐसे अधिकारियों के जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हों, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करें, उस स्थान से, जहाँ पर मतगणना की जा रही हो रिटर्निंग आफिसर द्वारा, या कर्तव्य पर उपस्थित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

66. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना.—(1) रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में निपटाएगा।

(2) उस निमित्त नियत समय समाप्त हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप 19-ख में प्राप्त कोई लिफाफा खोला नहीं जाएगा तथा ऐसे किसी लिफाफे में अन्तर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जाएगी।

(3) अन्य लिफाफों को एक-एक करके खोला जाएगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः उसमें अन्तर्विष्ट प्ररूप 19-ग में घोषणा की संवीक्षा करेगा।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित नहीं किया गया है, या अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रमांक प्ररूप 19-क में लिफाफे पर पृष्ठांकित किये गये अनुक्रमांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और उसे उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् उसमें रखे हुए मतपत्र को रिटर्निंग आफिसर प्रतिक्षेपित कर देगा।

(5) इस प्रकार पृष्ठांकित प्रत्येक लिफाफा तथा उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः प्ररूप 19-ख के लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप 19-ख में के ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे जिन्हें सीलबन्द किया जाएगा और उस पर वार्ड का क्रमांक तथा नाम, यदि कोई हो, गणना की तारीख तथा उसकी अन्तर्वस्तु के संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किये जाएंगे।

(6) रिटर्निंग आफिसर तब प्ररूप 19-ग में की उन सभी घोषणाओं को, जो उसने व्यवस्थित पाई हैं, एक पृथक् पैकेट में रखेगा और उसे प्ररूप 19-क में के किसी लिफाफे को खोलने के पहले सीलबन्द किया जाएगा और उस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियाँ अभिलिखित की जाएंगी।

(7) प्ररूप 19-क में के उन छोटे लिफाफों को, जिनके विषय में इस नियम के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन पहले से ही कार्यवाही नहीं की गई है, तब एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित किए गए मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा।

(8) किसी निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा—

(क) यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जो मत को अभिलिखित करने से भिन्न है, जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके, या

- (ख) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं है, या
- (ग) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये हैं, या
- (घ) यदि वह बनावटी मतपत्र है, या
- (ङ) यदि वह इस प्रकार क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, या
- (च) यदि उसे उसी लिफाफे में जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को उसके साथ ही भेजा गया था, रखकर नहीं लौटाया गया है.
- (छ) यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति में लगा है जिससे कि यह बात संदेहपूर्ण हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है.

(9) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि मतपत्र चिन्हित किए जाने के ढंग से ऐसा आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा.

(10) रिटर्निंग आफिसर उन सभी विधिमान्य मतों की, जो हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए हैं, गणना करेगा, उनके योग को प्ररूप-20 में परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा और उसे आख्यापित (एनाउन्स) करेगा.

(11) तदुपरांत, सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल पृथक्-पृथक् बांधे जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों की, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबन्द किया जाएगा और ऐसे सीलबन्द पैकेट पर वार्ड का क्रमांक और नाम, यदि कोई हो, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा.

67. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना.—(1) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी एक वार्ड के मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मत पेटियों को एक साथ खुलवा सकेंगे और उनकी अन्तर्वस्तुओं की गणना साथ-साथ करवा सकेंगे.

(2) किसी मतपेटी के मतगणना टेबल पर खोले जाने के पूर्व, किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ताओं को, जो उस टेबल पर उपस्थित हों, पत्र पर सील का या किसी ऐसी अन्य सील का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि वह ठीक हालत में है, अनुज्ञात किया जाएगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मत पेटियों में से किसी में भी वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है.

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गई है तो वह उस मत पेटि में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में नियम 62 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

68. मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना—(1) मतपेटि में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, यदि—

- (क) उस पर ऐसा कोई चिन्ह या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है; या
- (ख) वह बनावटी मतपत्र है; या
- (ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है; या
- (घ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाये जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रमांकों से भिन्न क्रमांक का या परिकल्पों से भिन्न परिकल्पों का है; या
- (ङ) उस पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो नियम 50 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन उस पर होना चाहिए; या
- (च) उस पर कोई चिन्ह नहीं लगा है; या
- (छ) एक से अधिक अभ्यर्थी के कालम में चिन्ह लगाया गया है; या
- (ज) उस पर उस प्रयोजन के लिए विहित उपकरण और रीति से भिन्न उपकरण और रीति में चिन्ह लगाया गया है :

परन्तु जहां रिटर्निंग आफिसर ने यह समाधान कर लेने पर कि किसी केन्द्र में उपयोग में लाए गए सभी या किसी मतपत्र के संबंध में खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में वर्णित ऐसी कोई त्रुटि संबंधित पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है, यह निर्देश दिया हो कि त्रुटि पर ध्यान न दिया जाए वहां मतपत्र खण्ड (घ) या (ङ) के अधीन ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी किसी मतपत्र को उपनियम (1) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पूर्व प्रत्येक ऐसे गणन अधिकर्ता को जो उपस्थित हो, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा किन्तु उस (मतपत्र) से या किसी अन्य मतपत्र से हाथ नहीं लगाने देगा।

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर, जिसे वह प्रतिक्षेपण करता है अक्षर “प्र” और प्रतिक्षेपित करने के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो अपने हाथ से लिख कर या रबर स्टाम्प लगाकर अभिलिखित करेगा।

(4) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए समस्त मतपत्रों को एक साथ बंडल में बांधा जाएगा।

69. मतों की गणना.—(1) हर मतपत्र की जिसे नियम 68 के अधीन प्रतिकेपित नहीं किया गया है, गणना की जाएगी :

परन्तु किसी लिफाफे को, जिसमें निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट है, खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी.

(2) यदि किसी वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो तो उस वार्ड में के विभिन्न मतदान केन्द्रों के लिए गणना, एक के बाद एक की जाएगी और उसका परिणाम प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्ररूप 21 में पृथक्-पृथक् अभिलिखित किया जाएगा.

(3) किसी वार्ड में समस्त मतदान केन्द्रों के संबंध में गणना पूर्ण कर ली जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर अंतिम परिणाम पत्र (शीट) प्ररूप 22 में परिणाम संकलित करेगा.

वह प्ररूप 20 में की प्रविष्टियों के आधार पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या भी उसमें अभिलिखित करेगा और तब प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या का योग करेगा और आख्यापित (एनाउन्स) करेगा.

(3) नियम 69 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

*“69 क. मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण.—(1) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर होने की भी संवीक्षा और निरीक्षण करेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना एक साथ होगी.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना के पूर्व अभ्यर्थी या उसके गणना अभिकर्ता जो गणना टेबल पर उपस्थित हों उनको निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी कि कागज की सीलें तथा ऐसी अन्य मुख्य सीलें, जो यूनिट पर लगाई होंगी उनसे वे संतुष्ट हैं कि वे ज्यों की त्यों हैं.

(3) रिटर्निंग आफिसर अपने को संतुष्ट करेगा कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ नहीं की गई है.

(4) रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ की गई है तब वे उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और नियम 62 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन जहां तक वह लागू होती हो उस मतदान केन्द्र के संबंध में करेगा.

*69 ख. मतों की गणना जब इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का उपयोग हुआ है.—(1) रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाने के पश्चात्, कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ नहीं की गई है तब उसमें अभिलिखित मतों की गणना समुचित बटन जिस पर मार्क “रिजल्ट” नियंत्रण यूनिट में दिया हुआ है उसे दबा कर करेगा जिससे कुल मतदान और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मत प्रदर्शन पटल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत जो यूनिट में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए हैं.

(2) जब प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित हो जाएंगे तब रिटर्निंग आफिसर को —

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में अलग-अलग अभिलिखित मतों की ऐसी संख्या;

(ख) प्ररूप 21 क में गणना परिणाम पत्रक में तत्स्थानी प्रविष्टि की जायेगी और इस प्रकार प्रविष्टि इनका विवरण जो परिणाम पत्रक में दर्ज है घोषित किया जायेगा.

*** 69 ग. मतदान मशीन को सील किया जाना.**—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी बाबत नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम सुनिश्चित होने और नियम 69 (2) के प्ररूप 21 क में दर्ज होने के बाद रिटर्निंग आफिसर अपनी सील से पुनः यूनिट सील बंद करेगा और ऐसे अभ्यर्थीगण या उसके निर्वाचन अभिकर्तागण जो वहां उपस्थित हों और अपनी-अपनी सीलें उस पर लगाने के इच्छुक हों, वे अपनी-अपनी सीलें लगायेंगे और सीलें इस तरह लगाई जाएगी कि मतदान परिणाम जो यूनिट में अभिलिखित हैं मिटने न पाये और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे.

(2) इस प्रकार सीलबंद नियंत्रक यूनिट विशेष तौर से बनाई गई पेटी में रखी जायेगी जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

(क) वार्ड का नाम;

(ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों जहां नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का उपयोग हुआ है, का विवरण;

(ग) नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का अनुक्रमांक;

(घ) मतदान की तारीख; और

(ङ) मतगणना की तारीख."

"(3) मतदाता का डाटा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) में दो जगह अभिलिखित होता है. एक नियंत्रण इकाई की मेमोरी में तथा दूसरा इकाई में स्थापित डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल में निर्वाचन आयोग, न्यायालयीन प्रकरणों में उपयोग के लिए, निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा हो जाने के पश्चात् कंट्रोल यूनिट का डाटा सील करने के निदेश जारी करेगा और अभिलेख के अभाव में आगामी निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा. सील करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी."

70. गणना लगातार की जाएगी.—रिटर्निंग आफिसर, यथासाध्य, मतगणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब गणना निलंबित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों और कागज-पत्रों को, स्वयं अपनी सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद करके रखेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियां बरतेगा.

71. नये मतदान के पश्चात् गणना का पुनः प्रारम्भ किया जाना.—(1) यदि नियम 60 से 62 के अधीन नवीन मतदान किया जाता है तो रिटर्निंग आफिसर उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को, और उस समय और उस स्थान में, जो उसके द्वारा उस निमित्त नियत किया गया है, और जिसकी सूचना अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को पहले की जा चुकी है, मतों की गणना पुनः प्रारम्भ करेगा।

(2) नियम 65 से 69 तक के उपबंध ऐसी आगे की गणना के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे।

72. मतों की पुनर्गणना.—(1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियम 69 के उपनियम (3) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या का आख्यापन किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या तो पूर्णतः या भागतः मतों की पुनर्गणना करवाने के लिए उन आधारों का, जिन पर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, कथन करते हुए लिखित आवेदन रिटर्निंग आफिसर को कर सकेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसा आवेदन किए जाने पर उस बात का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या यदि वह उसे तुच्छ या अयुक्तयुक्त प्रतीत हो तो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का हर विनिश्चय लिखित में होगा और उसमें उस विनिश्चय के लिये कारण अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर आवेदन को उपनियम (2) के अधीन या तो पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात करने का विनिश्चय करे, तो वह—

(क) अपने विनिश्चय के अनुसार मतपत्रों की पुनर्गणना करेगा या करवाएगा;

(ख) प्ररूप 22 में परिणाम-पत्र को ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यक सीमा तक संशोधित करेगा; और

(ग) अपने द्वारा किये गये ऐसे संशोधन को आख्यापित करेगा।

(5) नियम 69 के उपनियम (3) के अधीन या उपनियम (4) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या आख्यापित किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर परिणाम पत्र को पूरा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु गणना पूरी होने पर इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पूरा होने के समय उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

*“(6) समस्त विधिमान्य मतपत्रों को एक साथ बंडल में बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ ही पृथक् पैकेट में रखा जाएगा, जिसे सीलबंद किया जाएगा और उस पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) नगरपालिका का नाम तथा उस पद की नामावली जिससे मतपत्र संबंधित है जैसे कि महापौर, अध्यक्ष या पार्षद,

(ख) पार्षद के निर्वाचन के मामले में वार्ड का क्रमांक,

(ग) उस मतदान केन्द्र का क्रमांक जहां मतपत्र उपयोग में लाए गए हैं, और

(घ) गणना की तारीख.”

73. **मतों की साम्यता:**—यदि मतों की गणना पूरी होने के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाती है और एक मत के जोड़ लिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित होने के लिए हकदार हो सकता है, तो रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लाट निकाल कर तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के पक्ष में पर्ची निकली है उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है. ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 23 में अपनी निर्वाचन की घोषणा-सह-विवरणी के अंत में शब्द “लाट निकाल कर” करेगा.

74. **निर्वाचन के परिणामों की घोषणा और उसकी विवरणी.**—रिटर्निंग आफिसर फिर प्ररूप 23 में निर्वाचन की घोषणा-सह-विवरणी पूरी करेगा और उसे प्रमाणित करेगा और उसकी दो हस्ताक्षरित प्रतियां, जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा जिसमें से एक उसके अभिलेख हेतु और दूसरी निर्वाचन आयोग की ओर अग्रेषित करने हेतु होगी.

75. **निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया जाना.**—रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियम 39 या 74 के अधीन अभ्यर्थी के निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 24 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त करेगा और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा.

***“अध्याय 8-क—महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में मतदान.**

75-क. **महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारंभ.**—यथास्थिति, मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (2) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया तुरंत आरंभ करेगा और उसे छह मास के भीतर पूरी करेगा.

75-ख. **वर्तमान नियम स्थिति के अनुसार लागू रहेंगे.**—अध्याय-8क के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के अध्याय 1 से 8 तक तथा अध्याय 9 के नियम, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जैसा आयोग उचित समझे.

75-ग. **मतदान की सूचना तथा उसके लिए समय-सूची.**—निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की गयी समय-सूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रारूप 25 में सूचना द्वारा,—

(एक) मतदान का दिनांक और समय,

(दो) मतगणना का स्थान, दिनांक तथा समय

विनिर्दिष्ट करेगा.

75-घ. **नियम 75-ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति.**—नियम 75-ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित की गई तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना फलक पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी—

- (एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
- (दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका),
- (तीन) संबंधित नगरपालिका, और

रिटर्निंग आफिसर, उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्ता को प्रदान करेगा.

75-ङ. **मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन.**—रिटर्निंग आफिसर, इन नियमों के अनुसार पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और नियम 75-ग के अधीन जारी की गई सूचना के साथ मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों को, जिनके लिए वे बनाये जाएंगे, दर्शाते हुए सूची प्रकाशित करेगा.

75-च. **प्रतीकों का आवंटन.**—राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर, संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने तथा पद पर बने रहने के लिए अलग-अलग प्रतीक विहित करेगा और उसे प्ररूप 26 में प्रकाशित करेगा.

75-छ. **नियम 75-च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति.**—प्ररूप 26, नियम 75-ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना फलक पर सूचना चिपका कर किया जायेगा :—

- (एक) जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका),
- (दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका),
- (तीन) संबंधित नगरपालिका, और

रिटर्निंग आफिसर, प्ररूप 26 की एक प्रति का संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके एजेंट को भी परिदान करेगा.

75-ज. **मतदान के परिणाम की घोषणा.**—रिटर्निंग आफिसर, मतगणना के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्ररूप 27 में मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और उसकी दो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा जिसमें से एक अभिलेख के लिए होगी और दूसरी प्रति उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जायेगी.

75-झ. महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना.—महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.

75-ञ. रिक्ति की अधिसूचना.—यदि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं द्वारा संबंधित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान किया है, तब, यथास्थिति, संबंधित महापौर या अध्यक्ष का पद, परिणाम घोषित होने की तारीख से रिक्त समझा जाएगा और ऐसी रिक्ति की सूचना, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी.

अध्याय 9—निर्वाचन कागज-पत्र

76. प्रतिभूति निक्षेप की वापसी या उसका समपहरण.—(1) नियम 26 के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप इस नियम के उपबंधों के अनुसार या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाएगा या राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर दिया जाएगा.

(2) इस नियम में इसके पश्चात् उल्लिखित मामलों को छोड़कर निर्वाचन का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र निक्षेप वापस कर दिया जाएगा.

(3) यदि अभ्यर्थी का नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में न दर्शाया गया हो या यदि वह मतदान आरंभ होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् जैसी भी दशा हो यथासाध्य शीघ्र निक्षेप वापस कर दिया जाएगा.

(4) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए निक्षेप को उस स्थिति में समपहृत कर लिया जाएगा जब कि निर्वाचन में, जहां मतदान हुआ हो, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है और उसे प्राप्त हुये विधिमान्य मतों की संख्या सभी अभ्यर्थियों को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के एक षष्ठमांश से अधिक नहीं है.

* (5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 26 के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापस नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा, यदि उसके लिए दावा, यथास्थिति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाए.

77. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों की अभिरक्षा.—जिला निर्वाचन अधिकारी नियम 58 तथा 59 में निर्दिष्ट पैकेटों को तथा निर्वाचन संबंधी समस्त अन्य कागज पत्रों को अभिरक्षा में रखेगा.

78. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों को पेश किया जाना तथा उनका निरीक्षण किया जाना.—जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखे हुए :—

- (क) उपयोग में न लाये गये मतपत्रों के पैकेटों को;
- (ख) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के पैकेटों को, चाहे वे विधिमान्य, निविदत्त या प्रतिक्षेपित मतपत्र के पैकेट हो;
- (ग) उपयोग में लाये गये मतपत्रों के प्रतिपणों के पैकेटों को; और
- (घ) मतदाता सूचियों की चिन्हांकित प्रतियों के पैकेटों को;

सक्षम न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोला जाएगा और न ही उसकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न ही उन्हें उनके समक्ष पेश किया जाएगा.

79. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों का निपटारा.—(1) नियम 77 में निर्दिष्ट पैकेट छः मास की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक रखे जाएंगे और उसके पश्चात् निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.

(2) निर्वाचन से सम्बद्ध समस्त अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि तक रखे जाएंगे जैसा कि निर्वाचन आयोग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे.

“(3) यदि मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाता है तो डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल तथा समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जिसका कि निर्वाचन आयोग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे.”

* “79 क. आकस्मिक रिक्तियां.—(1) नगरपालिका के किसी निर्वाचित महापौर, अध्यक्ष या पार्षद का स्थान मृत्यु, अनर्हता, त्यागपत्र, बिना अनुमति अनुपस्थिति, निर्वाचन अपास्त किये जाने आदि किसी भी कारण से रिक्त हो जाने पर यथास्थिति नगरपालिका का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या आयुक्त ऐसी रिक्त होने के दिनांक से 7 दिन के भीतर उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा.

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) का सम्यक रूप से पालन सुनिश्चित करेगा और प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की रिक्तियों का समेकित ब्यौरा राज्य शासन और निर्वाचन आयोग को भेजेगा, जिस पर निर्वाचन आयोग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा इन नियमों के प्रावधान यथोचित परिवर्तन सहित ऐसे स्थानों को भरने के लिए आयोजित नये निर्वाचन को लागू होंगे.”

** 80. निरसन.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व इस विषय पर प्रवृत्त समस्त नियम, उपविधियां और आदेश, यदि कोई हों, निरसित हो जाएंगे.

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 18-10-96

** मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 30-9-1994

मतदाताओं की सूची

वार्ड क्रमांक मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक (यदि हो)

• • • • •

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए

अनुपूरक अनुसूची

वार्ड क्रमांक वार्ड का नाम भाग अनुक्रमांक (यदि हो)

(1) परिवर्धन सूची

क्रमांक	गृह क्रमांक यदि कोई हो	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष या महिला	आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(2) संशोधन सूची

मुख्य सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम	दर्ज प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है)	संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)	(4)

(3) विलोपन सूची

मुख्य सूची का क्रमांक	मतदाता का नाम
(1)	(2)

प्ररूप 2
(नियम 21 देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् * के निर्वाचन की सूचना

क्रमांक मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) में विनिर्दिष्ट नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के महापौर/अध्यक्ष/पार्षदों*के निर्वाचन के संबंध में एतद्वारा, निम्नलिखित सूचना देता हूँ कि:—

- (क) अनुसूची के कालम (2) में वह/वे स्थान विनिर्दिष्ट हैं जिसके/जिनके लिए निर्वाचन होना है;
- (ख) पार्षद्/पार्षदों के निर्वाचन के मामले में, सम्बन्धित वार्ड/वार्डों के क्रमांक, अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट हैं;
- (ग) अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचन का संचालन करने हेतु रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) होगा;
- (घ) अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन करने का स्थान, अंतिम तारीख और समय होगा;
- (ङ) अनुसूची के कालम (6) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही नामनिर्देशन की संवीक्षा करने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (च) अनुसूची के कालम (7) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय ही अभ्यर्थिता वापस लेने का स्थान, तारीख और समय होगा;
- (छ) अनुसूची के कालम (8) में विनिर्दिष्ट तारीख और समय ही जिसके दौरान मतदान होगा, मतदान की तारीख और समय होगा;
- (ज) अनुसूची के कालम (9) में विनिर्दिष्ट स्थान, तारीख और समय, ही मतों की गणना करने का स्थान, तारीख और समय होगा;

स्थान

तारीख

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे कांट दें.

मोहर

***प्ररूप 2-क**
(नियम 22-क देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

सूचना

विषय .—स्थानों के आरक्षण की स्थिति के संबंध में सूचना

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 22-क के अनुसरण में, एतद्वारा सामान्य जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के जिस स्थान/जिन स्थानों के लिए निर्वाचन होना है, उसके/उनके आरक्षण की स्थिति निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है :—

तालिका

स्थान (सीट) का विवरण जिसके लिए निर्वाचन होना है (यथा महापौर/अध्यक्ष/पार्षद्)	वार्ड क्रमांक (केवल पार्षद् के निर्वाचन के लिए)	आरक्षण की स्थिति (यथा अनु. जाति/अनु. जाति-महिला/अनु. जनजाति/अनु. जनजाति-महिला/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग-महिला/सामान्य/सामान्य-महिला)
(1)	(2)	(3)

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला

नाम

सील

प्ररूप 3
(नियम 24(2) देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मैं, जिला की *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद/के निर्वाचन के लिए, निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ/करती हूँ :—

अभ्यर्थी का नाम पिता/पति का नाम
उसका डाक का पता उसका नाम उपर्युक्त
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक में क्रमांक पर प्रविष्ट है.

2. मेरा नाम है, जो उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक में क्रमांक पर प्रविष्ट है.

तारीख

.....
प्रस्तावक के हस्ताक्षर
(नाम)

मैं, ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :—

(क) मैंने वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

* लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए.

** (ख) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है;

(ग) मेरे द्वारा चुने गये प्रतीक अधिमान क्रम में—

(एक) (दो) (तीन) है.

(घ) मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार मैं उपर्युक्त नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं एवं निरर्हित नहीं हूं.

(ङ) मैं (*) जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ावर्ग का/ की सदस्य हूं जो मध्यप्रदेश राज्य के (जिला) सम्बन्ध में (*) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित है.

(च) मेरा नाम और मेरे पिता/पति का नाम ऊपर हिन्दी में सही रूप से लिखा गया है और मेरे नाम मतपत्र तथा निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों में नीचे दिये गये अनुसार लिखा जाए.***

तारीख

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(नाम)

* लागू न होने वाला शब्द काट दीजिए.

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए.

*** यदि आवश्यक हो तो नाम के साथ आदरसूचक पदनाम, व्यावसायिक पदनाम, पिता/पति का नाम, निवास आदि भी लिखा जाए.

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन का क्रमांक

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में (तारीख) को (बजे)

*अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त किया गया था.

तारीख

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
(नाम

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए.

नामनिर्देशन-पत्र को स्वीकृति या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 29 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ :—(*)

.....
.....
.....

तारीख

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
(नाम)
सील

*यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया जाता है तो उसके कारण लिखे जाएं.

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा करने की सूचना
(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक

(*) श्री/कु./श्रीमती का, जो *नगरपालिक निगम/नगरपालिका
परिषद्/नगर पंचायत के महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक
से पार्षद् के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी है. नामनिर्देशन-पत्र मुझे (तारीख)
को (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा परिदत्त किया गया. समस्त नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा
तारीख को बजे (स्थान) में की जायेगी.

तारीख

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
(नाम)

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए.

प्ररूप 4
(नियम 27 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं :—

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	*पिता/पति का नाम (3)	अभ्यर्थी की आयु (4)	पता (5)	दल से सम्बद्धता (6)
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------	------------	---------------------------

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये जातियों/जनजातियों या अन्य वर्गों की विशिष्टियां (7)	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक (भाग अनुक्रमांक. क्रमांक) (8)	प्रस्तावक का नाम (9)	मतदाता सूची में प्रस्तावक क्रमांक (भाग अनुक्रमांक. क्रमांक) (10)
---	--	----------------------------	---

स्थान

तारीख

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
नाम
सील

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप 5

[नियम 28(8) देखिए]

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	*पिता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

स्थान

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

तारीख

नाम

सील

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप 6
[नियम 29 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए आवेदन

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

मैं, जो कि ऊपरवर्णित निर्वाचन में विधिमान्यतः
नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी हूँ, एतद्वारा सूचना देता/देती हूँ कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता/लेती हूँ.

2. तारीख को मेरी ओर से आपको प्रस्तुत *किया गया/किए गए नामनिर्देशन
*पत्र/पत्रों की प्राप्ति की अभिस्वीकृति में जो *रसीद/रसीदें दी गई थीं वे इसके साथ मूल रूप में संलग्न हैं.

स्थान

तारीख

विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी
के हस्ताक्षर.

यह सूचना (नाम) के द्वारा **
है; (तारीख) को (बजे) मुझे मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई थी.

तारीख

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम

सील

अभ्यर्थिता वापस लेने के आवेदन के लिए रसीद
(आवेदन परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाए)

श्री द्वारा, जो कि *नगरपालिक निगम/
नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक से *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के लिए
निर्वाचन में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन
(**) द्वारा तारीख को (बजे) मुझे मेरे कार्यालय
में परिदत्त किया गया.

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम

सील

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

** यहां नीचे लिखे विकल्पों में से एक समुचित विकल्प अंतःस्थापित करें (1) अभ्यर्थी (2) अभ्यर्थी का
प्रस्तावक (3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अधिकर्ता.

प्ररूप-7

[नियम 29 (4) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लिए जाने की सूचना

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली हैं :—

विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का नाम (1)	विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी का पता (2)	टिप्पणियां (3)
1.		
2.		
3.		

तारीख

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

(नाम

सील

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-8

[नियम 31(2) देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्

जिला

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् *

जिलाके *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नाम.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा, सूचना देता हूँ कि ऊपर वर्णित आगामी नगरपालिक निर्वाचन/निर्वाचनों में
(दल) द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति अपने अभ्यर्थी के रूप में खड़े किए गए हैं:—

पद का विवरण यथा महापौर/ अध्यक्ष/पार्षद	वार्ड का क्रमांक (केवल पार्षद के निर्वाचन के मामले में)		अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम	अनुमोदित अभ्यर्थी के पति/पति का नाम
	अंकों में	शब्दों में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अनुमोदित अभ्यर्थी का डाक का पता	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का नाम (जो अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम संवीक्षा में प्रतिक्षेपित होने पर या उसके लड़ने से हट जाने पर अभ्यर्थी के स्थान पर आएगा)	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम	प्रतिस्थानी अभ्यर्थी का डाक का पता
(6)	(7)	(8)	(9)

स्थान

भवदीय,

तारीख

(दल की मोहर)

हस्ताक्षर

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत
पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)

नाम

प्रतिलिपि :—

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(नगरपालिका) जिला

की ओर सूचनार्थ.

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

(दल की मोहर)

(दल की जिला इकाई के प्राधिकृत
पदधारी का नाम और हस्ताक्षर)

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-9

[नियम 31(2) (चार) देखिए]

राजनैतिक दल द्वारा पदधारी को प्राधिकृत किये जाने की सूचना
..... दल मध्यप्रदेश

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्

जिला

विषय.—नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्*
जिला के *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद का निर्वाचन, दल के अभ्यर्थियों के नामों
की सूचना देने के लिए पदधारियों को प्राधिकृत किया जाना.

महोदय,

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 31 के अनुसरण में, मैं एतद्द्वारा, यह सूचित करता हूँ कि ऊपर वर्णित निर्वाचन में इस दल द्वारा जो (मध्यप्रदेश राज्य में एक) राष्ट्रीय दल/राज्य दल है, खड़े किए गए अभ्यर्थियों के नाम संसूचित करने के लिए इस दल द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है:—

नामों की संसूचना भेजने के लिए	दल की जिला इकाई में उसके	जिला/जिले जिसके संबंध में
प्राधिकृत पदधारी का नाम	द्वारा धारित पद का नाम	उसे प्राधिकृत किया गया है
(1)	(2)	(3)

2. ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया/किये गये/ है/ हैं, के नमूना हस्ताक्षर नीचे दिये गए हैं:—

नाम	नमूना हस्ताक्षर
1. श्री	1.
2. *श्री	2.
3. श्री	3.

स्थान

भवदीय,

तारीख (दल की मोहर)

हस्ताक्षर

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-10

(नियम 32 देखिए)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	अभ्यर्थी का पता (3)	दल से सम्बद्धता (4)	आवंटित प्रतीक (5)
1.				
2.				
3.				

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
 (नाम)
 सील

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-11

[नियम 33 (1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

मैं निवासी जो ऊपर
 वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ. एतद्वारा श्री निवासी
 को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान

तारीख

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ.

स्थान

तारीख

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

अनुमोदित

.....

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम

सील

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-12

[नियम 34 (1) देखिए]

मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मैं, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, *ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतद्वारा श्री/श्रीमती पता को मतदान केन्द्र क्रमांक *(मतदान के लिये नियत स्थान) में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूं.

स्थान

तारीख अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

मैं, ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूं.

स्थान

तारीख मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

मतदान अभिकर्ता की घोषणा
(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

.....
मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर.
नाम

तारीख मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.
.....
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-13

[नियम 35 (1) देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफीसर (नगरपालिका)

.....

मैं जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, * ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्द्वारा श्री/कु./श्रीमती पता को (गणना के लिये नियत स्थान) पर होने वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान

.....

तारीख

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

मैं, ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान

.....

तारीख

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर.

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

गणन अभिकर्ता की घोषणा

(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

स्थान

.....
गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर.

नाम

तारीख

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.

.....
रिटर्निंग आफिसर(नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

सील

* जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-14
(नियम 39 देखिए)

निर्विरोध निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 39 के उपनियम (1) के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

..... (नाम)
..... (पता)

** जो (मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किये गए/खड़ी की गई, ऊपर वर्णित निर्वाचन में महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं.

स्थान
तारीख

हस्ताक्षर
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
सील

- * जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.
** यदि अनावश्यक हो तो उसे काट दीजिए.

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाणित किया गया है

प्ररूप-15
[नियम 49 (2) (ग) देखिए]
अभ्याक्षेपित मतों की सूची

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के

* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

प्रविष्टि का क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति	पहचानकर्ता यदि कोई हो का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-16

[नियम 52 (1) देखिए]

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा-पत्र

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के

* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मैं पिता आयु
 निवासी पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूं कि :—

(क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदाता के साथी
 के रूप में कार्य नहीं किया है.

(ख) मैं, श्री/कु./श्रीमती जो मतदाता सूची के भाग
 अनुक्रमांक के क्रमांक पर दर्ज है के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित
 किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान

तारीख

(साथी के हस्ताक्षर)

नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-17

[नियम 54 (2) देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के

* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

व्यक्ति को, जिसने मत डाल दिया, जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक (7)	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (8)
--	---

तारीख.

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-17 क

[नियम 63 ट (1) (क) देखिए]

मतदाता रजिस्टर

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक (1)	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक (2)	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा (3)	मतदाता के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान (4)	टिप्पणियां (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

दिनांक

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप-18

(नियम 57 देखिए)

भाग-1—मतपत्र लेखा

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के

* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहां से	कहां तक	
1. पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या			
2. उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या			
3. मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्र (1-2=3)			
4. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र :—			
(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
(ग) रद्द किये गये मतपत्र			
योग (क+ख+ग)			
5. मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र **(3-4=5)			
(** अनुक्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)			

स्थान

तारीख

.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

भाग-2—प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या

2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो

तारीख

.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप-18 क

(नियम 63 थ देखिए)

भाग 1-अभिलिखित मतों का लेखा

(जहां ई.वी.एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
महापौर/अध्यक्ष तथा वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मतदान केन्द्र का क्रमांक और नाम नियंत्रण यूनिट क्र.

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक मतदान यूनिट क्र. 1

2

प्रिन्टर क्र. (यदि प्रयुक्त हुआ है)

डी. एम. एम. का संख्यांक

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित वोटर्स की संख्या
4. नियम 63उ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2—3—4 = 5)
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या

कुल से तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए

7. कागज की सीलों का लेखा

1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कागज की सीलें.	कुल सं.	मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
	क्र. सं. से तक	1.
2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें	कुल सं.	2.
	क्र. सं. से तक	3.
3. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलें.	कुल सं.	4.
	क्र. सं. से तक	5.
4. नष्ट हुई कागज की सीलें	कुल सं.	4.
यदि कोई हों :	क्र. सं. से तक	

तारीख

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र क्र.

भाग 2-प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई ई. वी. एम. में पाये गये मतों की कुल संख्या
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 3 में दर्शायी गई ई. वी. एम. में पाए गए मतों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो

स्थान

तारीख

.....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप-19

[नियम 63 (2) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
 जिला

महोदय,

मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपना मत देना चाहता/चाहती हूँ. मुझे *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक के मतदान केन्द्र क्रमांक पर निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है.

2. मेरा नाम ऊपर वर्णित नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक के क्रमांक पर प्रविष्ट है.

3. निवेदन है कि मुझे एक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजें, ताकि मैं अपना मत दे सकूँ.

पता :

.....

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

स्थान

तारीख

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-क

[नियम 63 (4) (क) देखिए]

लिफाफा—क

(क)

गणना के पूर्व न खोला जाए

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के वार्ड क्रमांक से
 *महापौर/अध्यक्ष/पार्षद का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र

मतपत्र का क्रमांक

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-ख
[नियम 63 (4) (ख) देखिए]

लिफाफा—ख

(ख)

गणना के पूर्व न खोला जाए

निर्वाचन तत्काल

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

.....

जिला

.....
भेजने वाले के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-ग
[नियम 63 (4) (ग) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में वह मतदाता हूँ जिसे क्रमांक
वाला निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया है.

तारीख

.....
निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के हस्ताक्षर
नाम
पता
.....

हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन

ऊपर वर्णित घोषणा पर श्री/कु./श्रीमती (मतदाता) ने, जिसे मैं,
स्वयं जानता/जानती हूँ/जिसे (पहचानने वाले) श्री/कु./श्रीमती ने, जिसे
मैं, स्वयं जानता/जानती हूँ, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.

.....

.....

यदि कोई पहचानने वाला है तो हस्ताक्षर

अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

नाम

पता

पदनाम

.....

पता

तारीख

.....

तारीख

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19-घ

[नियम 63 (4) (घ) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

1. इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे उक्त वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं. आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने इस प्रयोजन से रखे गए स्थान पर स्पष्ट रूप से ✓ या × या अन्य किसी रीति से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें, जिससे स्पष्ट और बिना किसी संदेह के पते यह उपदर्शित हो जाए कि आप किस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं. यदि चिन्ह इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह संदेह हो कि आपने अपना मत किस अभ्यर्थी को दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा.

2. मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने के अपेक्षित चिन्ह से भिन्न किसी भी प्रकार के न तो हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न कोई चिन्ह या संकेत लगाए और न कोई बात लिखें.

3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित (प्ररूप 19-क में) छोटे लिफाफे में रखे. लिफाफे को बंद कर दें और उसे सील लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें.

4. फिर आप प्ररूप 19-ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें—

(क) यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.

(ख) कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का जिस पर आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ हैं पीठासीन अधिकारी.

(ग) नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी.

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर करें.

यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा, आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाएँ और न ही उसे यह बताएं कि आपने किस को मत दिया है।

5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 19-ग में घोषणा और साथ ही "क" चिह्नित (प्ररूप 19 क) में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिह्नित (प्ररूप 19-ख में) बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के मार्फत भेजे अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करें। कृपया "ख" चिह्नित (प्ररूप 19-ख में) बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस पर अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें।

6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत तारीख और समय *पर अर्थात् तारीखको पूर्वाह्न/अपराह्न बजे के पूर्व उक्त लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए।

7. कृपया यह भी ध्यान रखें कि :—

(एक) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा।

(दो) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत तारीख और समय के पश्चात् पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी।

प्ररूप-20
[नियम 66 (10) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
(ख) अविधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
(ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या

स्थान
तारीख

.....
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21
[नियम 69 (2) देखिए]
गणना का परिणाम

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.
 मतदान केन्द्र क्रमांक

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या

स्थान

तारीख

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21 क
(नियम 69 ख देखिए)

गणना का परिणाम
(जहां ई. वी. एम. से निर्वाचन कराया जायेगा)

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद के लिये पृथक्-पृथक् भरना है.)

मतदान केन्द्र क्रमांक

क्रमांक संख्या	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(क) अन्डर / नो वोटों की संख्या

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/गणन अधिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

.....

स्थान

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

प्ररूप-22

[नियम 69 (3) देखिए]

अन्तिम परिणाम पत्र

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्के
 * महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

अन्तिम परिणाम पत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की मतदान केन्द्रवार संख्या	महायोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()
			मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या
 (चार) विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
 (पांच) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
 (छः) डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या

स्थान
 तारीख

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-23
(नियम 74 देखिए)

निर्वाचन की घोषणा सह-विवरणी

- * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
* महापौर/अध्यक्ष/वार्ड क्रमांक से पार्षद का निर्वाचन.

(1) निर्वाचन की विवरणी

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम (2)	दल से सम्बद्धता (3)	प्राप्त हुए मतों की संख्या (4)
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

मतदाताओं की कुल संख्या
 डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या
 इनमें से कोई नहीं (नोटा) को प्राप्त मतों की संख्या
 प्रतिकक्षेपित मतों की कुल संख्या
 निविदत्त मतों की कुल संख्या

(2) विवरणी के आधार पर निर्वाचन की घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि :—

..... (नाम)
 (पता)

सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं/हुई हैं।

स्थान
 तारीख

हस्ताक्षर
 रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
 नाम
 सील

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए।

टिप्पणी.—किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मतों की साम्यता पाई जाने के मामले में नियम 73 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

***प्ररूप 25**

(नियम 75-ग देखिए)

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला**महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना**

क्रमांक मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (2)/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगर परिषद के अध्यक्ष श्री/श्रीमती को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कराने का संदर्भ इस आधार पर किया है, कि तीन-चौथाई पाषाणों द्वारा वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गए हैं;

यतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3)/ मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (3) के अंतर्गत उक्त महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे निदेश दिया गया है;

अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जिला नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के उक्त महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के लिए एतद्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूँ :—

(एक) मतदान दिनांक को बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक होगा.

(दो) मतगणना दिनांक को स्थान पर, बजे पूर्वाह्न से बजे अपराह्न तक होगी.

(तीन) इस मतदान के लिए श्री कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रिटर्निंग आफिसर होंगे.

स्थान :

दिनांक :

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला

नाम

***प्ररूप 26**
(नियम 75-च देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के महापौर/अध्यक्ष
श्री/श्रीमती को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नाम (1)	मतदान का विकल्प (2)	प्रतीक (3)
.....	क-वापस बुलाने के लिए (पद रिक्ति के लिए)	
	ख-वापस बुलाने के विरुद्ध (पद पर पूर्ववत् बने रहने के लिए)	

स्थान : रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)
दिनांक : नाम

* मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र, दिनांक 29-12-2000

***प्ररूप 27**
(नियम 75-ज देखिए)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के परिणाम की घोषणा

नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती को वापस बुलाने के संबंध में दिनांक को हुए मतदान में कुल मत पड़े, जिनमें से मत वापस बुलाने के पक्ष में तथा मत वापस बुलाने के विरुद्ध थे, तथा मत अवैध पाये गये थे.

अतएव, मैं, रिटर्निंग ऑफिसर, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक/आधे से कम मतदाताओं ने महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है जिसके परिणामस्वरूप महापौर/अध्यक्ष, पद मुक्त माना जायेगा/पद पूर्ववत् धारण करता रहेगा.

स्थान :

हस्ताक्षर (रिटर्निंग ऑफिसर)

दिनांक :

नाम

(मुहर)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. पी. राही, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.) 462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 मई 2014

क्र. एफ -70-31/2014/तीन/1036—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24-क (1) (पांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, नगरपालिका (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर परिषद) में स्थान/स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के संबंध में निम्न निर्देश देता है:—

1. नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी दी जावेगी. इस शपथ-पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.
2. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र का प्रत्येक कालम भरा जायेगा. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में “निरंक” शब्द अंकित किया जायेगा. रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र के सभी कालम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को रिक्त कालम भरने के लिए स्मरण करायेंगे. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी कालम को रिक्त नहीं छोटा जाना चाहिए. स्मरण कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तम्भ को भरने में असफल होता है तो नामांकन पत्र की जांच/संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांक पत्र खारिज किया जायेगा.
3. उक्त शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित किया जायेगा और मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी के समक्ष शपथित होगा.
4. अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्रस्तुत की जायेंगी.
5. उक्त शपथ-पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जायेगा.
6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. तथा जरूरत पड़ने पर आयोग भी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से ले सकेगा.
7. किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र की प्रमाणित प्रति एक रुपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.
8. यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग.

**नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के
समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र**
देखिए नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 नियम-24-क(1) (पाँच) (संशोधित)

कृपया अपना
नवीनतम फोटो
यहां चस्पा करें.

नगर निगम/नगरपालिका/नगर परिषद् के
महापौर/अध्यक्ष/पार्षद वार्ड क्रमांक के निर्वाचन के लिये

भाग-क

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, जो
(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती
हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:—

(1) मैं (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा
किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(जो लागू नहो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/
नगर परिषद्) में वार्ड क्रमांक एवं भाग सं. के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क दूरभाष/मोबाईल नं. है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

..... है और मेरा सोशल मीडिया खाता (यदि कोई है)

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए) में
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आक्षेप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/-राज्य के पूर्ण ब्यौरे।	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की (धारा धाराएं) और अपराध (अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संस्था और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे।	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है।	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें दो वर्ष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित से भिन्न) :—

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे।	

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडोद्देश दिया गया है/नहीं दिया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडोद्देश दिया गया है:—

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)।	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है? यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति।	

(7) मैं मेरे, पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे देता हूँ:-

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण लिया जाना है।

टिप्पणी 2-जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पणी 3-सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4-यहां आश्रित का वही अर्थ है जो म. प्र. नगरपालिका निर्वाचन 1994 के नियम 24क एवं स्पष्टीकरण: इस उप नियम के प्रयोजनों के लिये-(पांच) के परिभाषित के अधीन स्पष्टीकरण।

टिप्पणी 5-रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम।					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम।					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक, बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिमसे फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम।					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)।					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यदान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरे)।					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1-संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम से आस्तियों का भी विवरण लिया जाना है।

टिप्पणी 2-प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)।					
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)।					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।					
	अनुमानत चालू बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)।					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।					
	अनुमानत चालू बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थियां)					
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।					
(iv)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान।					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
	आवासीय भवन अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)।					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र वर्ग फुट में कुल माप)।					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)।					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख।					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान।					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)।					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य।					

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य					
	बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टियों, निकाय को ऋण या शोध्य।					
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति।					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य।					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।					
	विद्युत् आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।					
	टेलीफोन/ मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य।					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य।					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	आय-कर शोध					
	धनकर शोध					
	सेवाकर शोध					
	नगरपालिका/ संपत्ति कर शोध।					
	विक्रयकर शोध					
	कोई अन्य शोध					
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग।					
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:—

.....

(प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/ डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.	
2.	डाक का पूरा पता		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)।		
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।		
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न।		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए।		
7.	 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी		
	(ख) पति या पत्नी		
	(ग) आश्रित		

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)							
		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगल आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.		स्थावर आस्तियां					
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)					
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9.	I	दायित्व सरकारी शोध (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10.		ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं.					
	I	सरकारी शोध (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि:—

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है.
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.

आज तारीख की सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

टिप्पणी 1—शपथ-पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 2—सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3—शपथ-पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

REPORT

The purpose of this report is to provide a comprehensive overview of the project's progress and results. The report is organized into several sections, each detailing a different aspect of the project. The first section, 'Introduction', provides a brief overview of the project's goals and objectives. The second section, 'Methodology', describes the research methods and data collection techniques used. The third section, 'Results', presents the findings of the study, and the fourth section, 'Conclusion', summarizes the main points and offers recommendations for future research.

The data collected during the project shows a clear trend of increasing participation in the program over the past year. This is a positive indication of the program's effectiveness and suggests that it is meeting its goals. The results also show that there is a need for further research in this area, particularly in the area of long-term outcomes. The conclusion of the report highlights the importance of continued monitoring and evaluation of the program to ensure its ongoing success.

In conclusion, the project has successfully completed its objectives and has provided valuable insights into the program's impact. The findings suggest that the program is effective in achieving its goals and that there is a need for further research in this area. The report also highlights the importance of continued monitoring and evaluation of the program to ensure its ongoing success. The data collected during the project shows a clear trend of increasing participation in the program over the past year, which is a positive indication of the program's effectiveness.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के निर्वाचन के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम]

टीप.—महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के निर्वाचन में भाग-एक में वर्णित नियम 21, 22, 22-क, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 73, 74, 75, 76, 79-क लागू नहीं होंगे. जो नियम संशोधित रूप में लागू होंगे उसका विवरण इस भाग में दिया गया है। शेष नियम यथावत् लागू होंगे।

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 76, दिनांक 1 फरवरी 2001 में अधिसूचित,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2001

क्र. एफ-69-1-2001-तीन-134.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 749, दिनांक 29 दिसम्बर 2000 द्वारा प्रतिस्थापित नियम 75-ख में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने से संबंधित निर्वाचन के प्रयोजन के लिये, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के निम्नलिखित नियम नीचे दर्शाए गए संशोधित रूप में लागू होंगे :—

6. **दावों तथा आपत्तियों का निपटारा (5).**—ऐसा कोई व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, ऐसे विनिश्चय के 5 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा. प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाए और अपील प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाएगी. अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह ठीक समझे समुचित आदेश शीघ्र पारित करेगा और अपील के सफल होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश देगा कि वह मतदाता सूची को उसके विनिश्चय को प्रभावी करते हुए, संशोधित करें. अपील प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के अनुसार मतदाता सूची में कोई संशोधन नियम 75-ग के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने के पूर्व नहीं किया जाएगा.

9. **मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाना.**—महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम 9-क के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए संशोधित रूप में लागू नियम 6 के अधीन मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसकी किसी प्रविष्टि में कोई सुधार या किसी नाम का समावेश या अपवर्जन नहीं किया जाएगा :

परन्तु किसी मतदाता से संबंधित अभिलेख पर दृश्यमान लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण संबंधी त्रुटि या चूक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 75-ग के अधीन जारी सूचना के पूर्व किसी भी समय ठीक की जा सकेगी.

9-क. **कतिपय मामलों में मतदाता सूची में प्रविष्टियों का विलोप किया जाना.**—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, यह समाधान हो जाए कि उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में लागू नियम 6 के अधीन नगरपालिका की मतदाता सूची के अंतिम रूप दिए जाने के बाद उसमें से संबंधित व्यक्ति के नाम का इस आधार पर विलोप किया जाना चाहिए कि वह संबंधित नगरपालिका के एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है या किसी अन्य नगरपालिका या किसी नगर परिषद् की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस संबंध में आयोग द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष निर्देशों यदि कोई हो के अधधीन रहते हुए ऐसी प्रविष्टि का विलोप करेगा :

परन्तु इस संबंध में कोई कार्यवाही करने के पूर्व रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोपन नियम 75-ग के अधीन जारी सूचना के बाद और निर्वाचन पूरा होने के पहले नहीं किया जाएगा.

(3) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किसी प्रविष्टि का विलोप करने के अपने विनिश्चय के कारण को अभिलिखित करेगा और संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग करने पर ऐसे विनिश्चय की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा.

(4) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपील कर सकेगा.

(5) जिला निर्वाचन अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जांच जैसी कि वह उचित समझे करने के पश्चात् अपील पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा और जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

“10. कागज-पत्रों की अभिरक्षा और उनका नष्ट किया जाना.—नियम-4 के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची तथा नियम-5 के अधीन प्राप्त दावे और आपत्तियां उन पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपील अधिकारी के आदेशों सहित तथा उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में लागू नियम 9-(क) के अधीन कार्यवाहियों से संबंधित कागज-पत्र तब तक जिला निर्वाचन अधिकारी के अभिलेखागार में संरक्षित रखे जाएंगे जब तक कि मतदाता सूचियों का आगामी पुनरीक्षण नहीं हो जाता और तत्पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।”

16. मतदान केन्द्र—(3) “(ख)-संबंधित महापौर/अध्यक्ष को रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा, यथा संभव शीघ्र, लिखित में संसूचित किया जाएगा।”

23. निर्वाचन पूरा करने के लिए समय का बढ़ाया जाना.—निर्वाचन आयोग ऐसे कारणों से जिन्हें वह उचित समझे, किसी निर्वाचन को पूरा कराने के लिए नियम-75-ग के अधीन उसके द्वारा विहित की गई समय अनुसूची में आवश्यक संशोधन करके समय बढ़ाने में सक्षम होगा।

33. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) यदि संबंधित महापौर/अध्यक्ष निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करना चाहे तो ऐसी नियुक्ति उपनियम (2) तथा उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्ररूप-11 (वा) में नियम-75-ग के तहत सूचना जारी होने के पश्चात् तथा मतदान के पूर्व किसी भी समय की जाएगी।

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधित महापौर/अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय उसके द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत करके प्रतिसंहरित की जा सकेगी। ऐसा प्रतिसंहरण ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि वह इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे प्रति संहरण की दशा में या निर्वाचन के पूर्व या उसकी कालावधि के दौरान निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में संबंधित महापौर/अध्यक्ष-उप नियम (1) के उपबंधों के अनुसार नये निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकेगा।

*34. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) ऐसे किसी निर्वाचन के समय जिसमें मतदान किया जाना हो, संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता तथा एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 (वा) में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा, जिस पर संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, की जाएगी।

(1)(क) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद भी केवल अपने वार्ड से संबंधित प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। ऐसी नियुक्ति प्ररूप 12 (वा) में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा, जिस पर संबंधित वार्ड के पार्षद के हस्ताक्षर होंगे, की जायेगी।

(2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता / पार्षद, नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति मतदान अभिकर्ता को प्रदत्त करेगा, जो उसे मतदान की नियत तारीख को पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणा कर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा। किसी मतदान अभिकर्ता को मतदान केन्द्र पर किसी भी कर्तव्य को निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उसने इस उप नियम के उपबंधों का अनुपालन न कर लिया हो।

*35. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति.—(1) संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप 13 (वा) में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा जिस पर महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर हों, नीचे उल्लिखित सीमा तक गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकेगा :—

(क) ऐसे वार्ड के लिए जिसमें केवल एक मतदान केन्द्र हो, एक गणन अभिकर्ता;

(ख) ऐसे वार्ड के लिए जिसमें दो या अधिक मतदान केन्द्र हों, उतने गणन अभिकर्ता, जितनी गणना मेजें हों।

(1)(क) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद भी केवल अपने वार्ड से संबंधित प्रत्येक गणना मेज के लिए एक अभिकर्ता नियुक्त कर करेगा, ऐसी नियुक्ति प्ररूप 13 (वा) में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा, जिस पर संबंधित वार्ड के पार्षद के हस्ताक्षर होंगे, की जावेगी।

(2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद, नियुक्ति-पत्र की दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को भी प्रदत्त करेगा, जो उसे मतगणना के लिए नियत की गई तारीख को रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेगा और उसमें अंतर्विष्ट घोषणाओं पर उसके समक्ष हस्ताक्षर करेगा। रिटर्निंग ऑफिसर उसे प्रस्तुत की गई दूसरी प्रति को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा। किसी गणन अभिकर्ता को मतगणना के लिए नियत स्थान पर किसी भी कर्तव्य को निर्वहन करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसने इस उप नियम के उपबंधों का अनुपालन न कर लिया हो।

***36. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, प्रतिसंहरण या मृत्यु.**—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरण की जा सकेगी।

(2) ऐसी घोषणा :—

(क) उस दशा में जहां नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व प्रतिसंहरण कर ली गई हो, रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग ऑफिसर को या उस मतदान केन्द्र जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि संबंधित महापौर/अध्यक्ष / पार्षद के मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारंभ हो जाने के पूर्व हो जाती है तो संबंधित महापौर / अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद ऐसी मृत्यु के तथ्य की रिपोर्ट :—

(क) उस दशा में जहां मृत्यु मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व हुई हो, रिटर्निंग ऑफिसर को, और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग ऑफिसर या उस मतदान केन्द्र के जहां मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को तत्काल लिखित में करेगा।

(4) जब कभी रिटर्निंग ऑफिसर को उप नियम (1) या उप नियम (3) के अधीन की गई घोषणा या रिपोर्ट प्राप्त हो तो वह यथास्थिति ऐसी घोषणा या रिपोर्ट उस मतदान केन्द्र के जहां ऐसा मतदान अभिकर्ता कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त किया गया था, पीठासीन अधिकारी को तत्काल संसूचित करेगा।

(5) जहां किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति उप नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण की गई हो या जहां मतदान अभिकर्ता की मृत्यु मतदान प्रारंभ हो जाने के पूर्व हो जाए, वहां महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद मतदान बंद होने के पूर्व किसी भी समय संशोधित रूप में लागू नियम 34 के उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार नया मतदान अभिकर्ता नियुक्त करेगा :

परन्तु नये मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति संबंधी पत्र :—

(क) उस दशा में जहां ऐसी नियुक्ति मतदान प्रारंभ होने के कम से कम सात दिन पूर्व की जाए, रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाएगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में रिटर्निंग ऑफिसर को या उस मतदान केन्द्र के, जहां नये मतदान अभिकर्ता को नियुक्त किया गया है, पीठासीन अधिकारी को दिया जाएगा।

(6) उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में लागू नियम 34 के उप नियम (2) के उपबंध, उप नियम (5) के अधीन नियुक्ति किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे संशोधित रूप में लागू नियम 34 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये मतदान अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं।

***37. गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मृत्यु.**—(1) संबंधित महापौर/अध्यक्ष/पार्षद द्वारा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय महापौर/अध्यक्ष/पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा प्रतिसंहरण की जा सकेगी. ऐसी घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाएगी.

(2) यदि संबंधित महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना पूरी होने के पूर्व हो जाती है तो संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद मृत्यु की लिखित रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल करेगा.

(3) जहां गणन अभिकर्ता की नियुक्ति उप नियम (1) के अधीन प्रतिसंहरण की गई है, या जहां गणन अभिकर्ता की मृत्यु मतों की गणना होने के पूर्व हो जाए, वहां संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता/पार्षद संशोधित रूप में लागू नियम 35 के उप नियम (1) में अधिकथित रीति में नये गणन अभिकर्ता की नियुक्ति करेगा.

(4) संशोधित रूप में लागू नियम 35 के उपनियम (2) के उपबंध उप नियम (3) के अधीन नियुक्ति किये गये गणन अभिकर्ता के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे संशोधित रूप में लागू नियम 35 के उप नियम (1) के अधीन नियुक्त किये गये गणन अभिकर्ता के संबंध में लागू होते हैं.

43. मतपत्रों का प्ररूप.—(2) मतपत्र में संबंधित महापौर/अध्यक्ष का नाम देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखा जाएगा एवं नाम के सामने विकल्प तथा उनका प्रतीक भी मुद्रित किया जाएगा.

44. मतदान केन्द्र पर इंतजाम.—(3) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर निम्नलिखित सूचनाएं प्रमुखतः प्रदर्शित की जाएंगी.—

- (क) ऐसी सूचना जिसमें वे मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये गये हों, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार हों, और
- (ख) ऐसी सूचना जिसमें संबंधित महापौर/अध्यक्ष का नाम तथा विकल्प देवनागरी लिपि में लिखा होगा तथा प्रतीक चिन्ह अंकित होंगे.

****45. मतदान केन्द्र में प्रवेश.**—पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को विनियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के अन्दर किसी एक समय प्रवेश कर सकेंगे, और :—

- (क) मतदान अधिकारियों के;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के;
- (ग) निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के;
- (घ) महापौर/अध्यक्ष, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, पार्षद और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के एक-एक मतदान अभिकर्ता के;
- (ङ) मतदाता के साथ गोद वाले बालक के;
- (च) अंधे या विकलांग मतदाता के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के; और
- (छ) ऐसे अन्य व्यक्ति के, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी मतदाताओं को पहचानने के लिए नियोजित करे;

सिवाय समस्त अन्य व्यक्तियों को वहां से अपवर्जित करेगा.

46. **मतदान प्रारंभ होने के पूर्व ई. व्ही. एम. का सील किया जाना.**—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र का पीठासीन अधिकारी मतदान प्रारंभ होने के ठीक पूर्व संबंधित महापौर/अध्यक्ष को, उसके निर्वाचन अभिकर्ता को तथा उसके मतदान अभिकर्ता को, जो ऐसे केन्द्रों पर उपस्थित हो, मतदान के काम में लाई जाने वाली प्रत्येक मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें तथा वहां उपस्थित समस्त अन्य व्यक्तियों को यह दिखायेगा कि वह (मतपेटी) खाली हैं।

(2) पीठासीन अधिकारी उप नियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात् मतपेटी को सुरक्षित रूप में बंद करेगा, और उस पर इस प्रकार सील लगायेगा कि पेटी में मतपत्र डालने के लिए बना हुआ छिद्र खुला रहे और संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता को जो वहां, उपस्थित हों, यदि वे चाहें तो मतपेटी में बने हुए स्थान पर अपनी सील लगाने देगा।

49. **अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.**—(1) संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप, हरेक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नगद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा।

(2) (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्ररूप-15 (वा) में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा।

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावपूर्वक नहीं किया गया है तो निर्देश देगा कि उप नियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप राज्य सरकार के पक्ष में समपहत कर लिया जाए और अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा।

51. **मतदान प्रक्रिया.**—(1) मतदाता मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जाएगा। वहां संबंधित महापौर/अध्यक्ष के वापसी के पक्ष या विपक्ष के प्रतीक पर या उनके निकट जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिये दिये गये उपकरण से चिन्ह बनाएगा। मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए। मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा।

52. नियम-52 में प्ररूप-16 के स्थान पर प्ररूप 16 (वा) पढ़ा जाएगा।

54. नियम-54 में प्ररूप-17 के स्थान पर प्ररूप 17 (वा) पढ़ा जाएगा।

55. **मतदान बंद करना.**—(1) पीठासीन अधिकारी मतदान को नियम-75-ग के अधीन उस निमित्त नियत समय पर बंद कर देगा और तत्पश्चात् किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बंद किये जाने के पूर्व उसमें उपस्थित समस्त मतदाताओं को अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

56. **मतदान के पश्चात् ई. व्ही. एम. को सीलबंद किया जाना.**—(1) मतदान के बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन अधिकारी संबंधित—महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मतपेटियों के छिद्र को बंद कर देगा और जहां छिद्र को बंद करने के लिए कोई यांत्रिकी युक्ति पेटी में न हो, वहां वह उस छिद्र को सीलबंद कर देगा और उपस्थित महापौर/अध्यक्ष, निर्वाचन अभिकर्ता/मतदान अभिकर्ता को भी उस पर सील लगाने देगा।

(2) मतपेटी तत्पश्चात् सीलबंद की जाएगी और सुरक्षित कर दी जाएगी।

(3) जहां की पूर्ववर्ती मतपेटी के भर जाने के कारण पश्चात्वर्ती मतपेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है, वहां प्रथम मतपेटी, दूसरी मतपेटी उपयोग में लाने के पूर्व उप नियम (1) और (2) में यथा उपबंधित रूप में बंद, सीलबंद और सुरक्षित कर दी जाएगी।

57. नियम-57 में प्ररूप 18 के स्थान पर प्ररूप 18 (वा) पढ़ा जाए।

58. **अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.**—नियम-58 में प्ररूप-17 के स्थान पर प्ररूप 17 (वा) पढ़ा जाए।

(2) ऐसे प्रत्येक पैकेट को पीठासीन अधिकारी के तथा उपस्थित संबंधित महापौर/अध्यक्ष, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता की जो उस पर अपनी सील लगाना चाहे, सीलों से सीलबंद किया जाएगा।

59. (ग) संशोधित रूप में लागू नियम 58 में निर्दिष्ट सीलबंद पैकेट।

60. आपात स्थिति में मतदान का स्थगन.— (3) स्थगित मतदान की दशा में पीठासीन अधिकारी मतपेटियों और अन्य पैकेटों को सीलबंद करने, मतपत्रों का लेखा तैयार करने और मतपेटियों तथा अन्य मतदान सामग्री को परिदत्त करने में उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में लागू नियम-56 से 59 के उपबंधों का यथासाध्य उसी प्रकार अनुसरण करेगा मानो कि मतदान नियम 75-ग के अधीन इस निमित्त नियत समय पर बंद हुआ है।

61. स्थगित मतदान का पुनरारम्भ.— (1) जब कोई मतदान जिसे उपरोक्तानुसार संशोधित रूप में लागू नियम-60 के अधीन स्थगित कर दिया गया था. पुनः प्रारंभ किया जाता है तो उन मतदाताओं को जिन्होंने इस प्रकार स्थगित मतदान के पहले ही अपने मत दे दिये हों, फिर से मत देने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(3) पीठासीन अधिकारी उपस्थित महापौर/अध्यक्ष या निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में मतदाता सूची में चिन्हांकित प्रति का सीलबंद पैकेट खोलेगा और स्थगित मतदान के समय शेष रहे मतदाताओं के नाम जिन्हें मतपत्र जारी किये गये हैं, चिह्नित करने के लिए उपयोग करेगा तथापि जारी किये गये मतपत्रों के क्रमांक उसमें अभिलिखित नहीं किये जाएंगे।

(4) नियम 41, 42, 47, 48, 50, 53 एवं संशोधित रूप में लागू नियम 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के मतदान के संबंध में उसे इस प्रकार स्थगित किये जाने के पूर्व लागू थे।

62. (3) उप नियम (2) के खण्ड-क के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नये निर्वाचन के संचालन की कार्यवाही करेगा और नियम-41, 42, 47, 48, 50, 53 तथा संशोधित रूप में लागू नियम-43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 के उपबंध ऐसे नये निर्वाचन को लागू होंगे।

63. नियम-63 में प्ररूप-19 के स्थान पर प्ररूप 19 (वा) पढ़ा जाए, 19-क के स्थान पर 19(वा)-क पढ़ा जाए, 19-ख के स्थान पर 19(वा)-ख पढ़ा जाए, 19-ग के स्थान पर 19(वा)-ग पढ़ा जाए, 19-घ के स्थान पर 19(वा) घ पढ़ा जाए,

(3) प्रत्येक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र का उससे संलग्न एक प्रतिपुर्ण होगा और जो ऐसे प्ररूप में होगा तथा जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जैसी कि निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाएं. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर संबंधित महापौर/अध्यक्ष का नाम और विकल्प हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे।

(7) मतदाता अपने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र को निम्नलिखित रीति में अभिलिखित और प्रेषित करेगा, अर्थात्—

(क) मतदाता संबंधित महापौर/अध्यक्ष के संबंध में जिस विकल्प को मत देना चाहता है, मतपत्र में आवंटित किये गये स्थान में कहीं भी (✓ या × के समान) चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित कर सकेगा, कोई विशिष्ट चिन्ह अंकित करना अपेक्षित नहीं है, कोई भी चिन्ह वहां तक विधिमान्य होगा, जहां तक कि मतदाता का किसी विशिष्ट विकल्प को मत देने का आशय युक्तियुक्त संदेह के परे स्पष्ट हो और ऐसे चिन्ह से मतदाता की पहचान प्रकट नहीं होती हो।

(8) यदि नियम 75-ग के खण्ड-2 के अधीन नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा कोई ऐसा लिफाफा प्राप्त किया जाता है जिसमें निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र अन्तर्विष्ट हों तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा और ऐसे समस्त लिफाफे को एकसाथ पैकेट में रखेगा।

64. मतों की गणना का पर्यवेक्षण.— प्रत्येक निर्वाचन में जहां मतदान होता है मतों की गणना या तो रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी के, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जाए, पर्यवेक्षण तथा निर्देशन के अधीन की जाएगी और संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता को यह अधिकार होंगे कि वह मतगणना के समय उपस्थित रहे।

*65. मतगणना के लिए नियत किए गए स्थान में प्रवेश.—(1) रिटर्निंग ऑफिसर या ऐसे अन्य अधिकारी जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाए मतगणना के लिये नियत स्थान से —

- (क) ऐसे व्यक्तियों के, जो गणना, पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में ज्ञात हैं और जिन्हें वह मतगणना करने में अपनी सहायता करने के लिये नियुक्त करे,
- (ख) निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,
- (ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के, और
- (घ) महापौर/अध्यक्ष, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, पार्षद और इन नियमों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुये महापौर/अध्यक्ष/पार्षद के गणन अभिकर्ताओं के,

सिवाय अन्य समस्त व्यक्तियों को अपवर्जित करेगा.

(2) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसे निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में महापौर/अध्यक्ष/पार्षद द्वारा उसकी ओर से नियोजित किया गया हो या जो उसके लिए अन्य प्रकार से कार्य करता रहा हो, उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा.

(3) रिटर्निंग ऑफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी यह विनिश्चय करेंगे कि कौन सा, कौन से मतगणना अभिकर्ता किसी विशेष मतगणना टेबल या मतगणना टेबलों के समूहों पर मतगणना का कार्य देखेंगे.

(4) ऐसे किसी व्यक्ति को जो मतगणना के दौरान अपचार करें या रिटर्निंग ऑफिसर के या किन्हीं ऐसे अधिकारियों के जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हों, विधिपूर्ण निर्देशों का पालन न करें, उस स्थान से, जहां पर मतगणना की जा रही हो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, या कर्तव्य पर उपस्थित किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा.

66. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना.— नियम-66 में प्ररूप-19 (ख) के स्थान पर प्ररूप 19 (वा) ख पढ़ा जाए और प्ररूप-19-ग के स्थान पर प्ररूप 19(वा)-ग पढ़ा जाएगा, प्ररूप 19-क के स्थान पर प्ररूप 19 (वा)-क पढ़ा जाएगा.

(8) ग-यदि उस पर मत एक से अधिक विकल्प के पक्ष में दिये गये हैं; और

छ-यदि मत को उपदर्शित करने वाले चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति में लगा है जिससे कि यह बात संदेहपूर्ण हो कि मत किस विकल्प को दिया गया है.

(9) निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिन्ह अस्पष्ट है, या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा. यदि मतपत्र चिन्हित किये जाने के ढंग से ऐसा आशय स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मत किसी विशिष्ट विकल्प के लिए है.

(10) रिटर्निंग ऑफिसर उन सभी विधिमान्य मतों की, जो हरेक विकल्प के पक्ष में दिये गये हैं, गणना करेगा, और उनके योग को प्ररूप 20(वा) में परिणाम पत्र में अभिलिखित करेगा और उसे आख्यापित (एनाउन्स) करेगा.

(11) तदुपरान्त सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल पृथक्-पृथक् बांधे जाएंगे और उन्हें एकसाथ पैकेट में रखा जाएगा, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर की और महापौर/अध्यक्ष की उनके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की, जो इस पर अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद किया जाएगा और ऐसे सीलबंद पैकेट पर, गणना की तारीख और इसकी अंतर्वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण अभिलिखित किया जाएगा.

67. मतपेटियों की समीक्षा और उनका खोला जाना.—(2) किसी मतपेटी के मतगणना टेबल पर खोले जाने के पूर्व संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ताओं को, जो उस टेबल पर उपस्थित हों, पत्र पर सील का या किसी ऐसी अन्य सील का जो उस पर लगी हो, निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि वह ठीक हालत में है, अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) यदि रिटर्निंग आफीसर या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को समाधान हो जाता है कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गई है, तो वह उस मतपेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम 62 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

68. मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना.—(1) (छ) एक से अधिक विकल्प के कालम में चिन्ह लगाया गया है।

69. मतों की गणना.—(1) हर मतपत्र की संशोधित रूप में लागू नियम-68 के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, गणना की जाएगी :

परन्तु किसी लिफाफे को जिसमें निम्नलिखित मतपत्र अंतर्विष्ट है, खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी।

(2) यदि किसी वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो तो उस वार्ड में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए गणना एक के बाद एक की जायेगी। और उसका परिणाम प्ररूप 21(वा) में पृथक्-पृथक् अभिलिखित किया जायेगा।

(3) किसी वार्ड में समस्त मतदान केन्द्रों के संबंध में गणना पूर्ण कर ली जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफीसर अंतिम परिणाम पत्र (शीट) प्ररूप 22 (वा) में परिणाम संकलित करेगा।

वह प्ररूप 20 (वा) में की प्रविष्टियों के आधार पर प्रत्येक विकल्प के पक्ष में डाले गये निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या उसमें अभिलिखित करेगा और तब प्रत्येक विकल्प के पक्ष में डाले गये विधिमान्य मतों की संख्या का योग करेगा और आख्यापित (एनाउन्स) करेगा।

70. गणना लगातार की जाएगी.—रिटर्निंग ऑफीसर, यथासाध्य, मतगणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब मतगणना निलंबित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकेटों और कागजपत्रों को, स्वयं अपनी सील से और संबंधित महापौर/अध्यक्ष या निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की जो अपनी सील लगाना चाहें, सीलों से सीलबंद करके रखेगा और ऐसे अंतरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्व सावधानियां बरतेगा।

71. नये मतदान के पश्चात् गणना का पुनः प्रारंभ किया जाना.—यदि संशोधित रूप में लागू नियम 60 से 62 के अधीन नवीन मतदान किया जाता है तो रिटर्निंग आफीसर उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को, उस समय और उस स्थान में, जो उसके द्वारा उस निमित्त नियत किया गया है और जिसकी सूचना संबंधित महापौर/अध्यक्ष को, उनके निर्वाचन अभिकर्ता को पहले की जा चुकी है, मतों की गणना पुनः प्रारंभ करेगा।

(2) संशोधित रूप में लागू नियम 65 से 69 तक के उपबंध ऐसी आगे की गणना के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे।

72. मतों की पुनर्गणना.—(1) रिटर्निंग ऑफीसर द्वारा संशोधित रूप में लागू नियम 69 के उप नियम-3 के अधीन प्रत्येक विकल्प के लिए प्राप्त मतों की कुल संख्या का आख्यापन किये जाने के पश्चात् संबंधित महापौर/अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या तो पूर्णतः या भागतः मतों की पुनर्गणना करवाने के लिए उन आधारों पर, जिनपर वह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, कथन करते हुए लिखित आवेदन रिटर्निंग ऑफीसर को कर सकेगा।

(4) (ख) प्ररूप-22 (वा) में परिणाम पत्र को ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यक सीमा तक संशोधित करेगा।

(5) संशोधित रूप में लागू नियम-69 के उप नियम-3 के अधीन या उप नियम-4 के अधीन महापौर/अध्यक्ष द्वारा मतदान में प्राप्त मतों की कुल संख्या आख्यापित किये जाने के पश्चात् रिटर्निंग ऑफीसर परिणाम पत्र को पूरा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसके पश्चात् पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा :

परन्तु गणना पूरी होने पर इस उप नियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उसके पूरा होने के समय उपस्थित संबंधित महापौर/अध्यक्ष और उनके निर्वाचन अधिकर्ता को उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(6) समस्त विधिमान्य मतपत्रों को एक साथ बंडल में बांधा जाएगा और प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के साथ ही पृथक पैकेट में रखा जाएगा, जिसे सीलबंद किया जाएगा और उस पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी:—

- (क) नगरपालिका का नाम, संबंधित महापौर/अध्यक्ष के नाम सहित,
- (ख) गणना की तारीख.

77. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों की अभिरक्षा.—जिला निर्वाचन अधिकारी संशोधित रूप में लागू नियम-58 तथा 59 में निर्दिष्ट पैकेटों को तथा निर्वाचन संबंधी समस्त अन्य कागज पत्रों को अभिरक्षा में रखेगा.

79. निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों का निपटारा.—(1) संशोधित रूप में लागू नियम 77 में निर्दिष्ट पैकेट छः माह की कालावधि तक या किसी विधिक कार्यवाही के लंबित रहने की कालावधि तक रखा जाएगा और उसके पश्चात् निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधधीन रहते हुए उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
बी. सी. रावत, सचिव.

प्ररूप-11(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 33 (1) देखिये]
निर्वाचन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
*महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

मैं, निवासी , जो ऊपर वर्णित निर्वाचन से संबंधित महापौर/
अध्यक्ष हूँ, एतद्वारा श्री निवासी को ऊपर वर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता के रूप
में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान
तारीख

महापौर/अध्यक्ष के हस्ताक्षर
नाम

मैं, ऊपर वर्णित नियुक्ति को स्वीकार करता हूँ.

स्थान
तारीख

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

अनुमोदित

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम
सील

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

मतदान अभिकर्ता की घोषणा

(पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा , यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता
से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

तारीख

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

**प्ररूप 12 (वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापिस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम 34 (1) देखिये]
मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के

*महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के संबंध में निर्वाचन

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

.....
.....

*मैं जो ऊपर वर्णित निर्वाचन से संबंधित महापौर/अध्यक्ष हूँ/ऊपर वर्णित निर्वाचन में महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री/कु./श्रीमती पता को मतदान केन्द्र क्रमांक (मतदान के लिये नियत स्थान) में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

*मैं जो नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक का निर्वाचित पार्षद हूँ, एतद्वारा श्री / कु./ श्रीमती पता को मतदान केन्द्र क्रमांक (मतदान के लिये नियत स्थान) में उपस्थित रहने के लिये मतदान अभिकर्ता नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान
तारीख

महापौर / अध्यक्ष / उनके
निर्वाचन अभिकर्ता / पार्षद के हस्ताक्षर
नाम

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान
तारीख

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

*जो विकल्प लागू न हो उसे काट दीजिए.

मतदान अभिकर्ता की घोषणा (पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा, यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा / करूंगी.

तारीख

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम
मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम

****प्रारूप-13 (वा)**

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू नियम 35 (1) देखिये]
गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

*नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद् के महापौर / अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

.....
.....

*मैं जो ऊपर वर्णित निर्वाचन से संबंधित महापौर/अध्यक्ष हूँ / ऊपर वर्णित निर्वाचन में महापौर / अध्यक्ष का निर्वाचन अभिकर्ता हूँ, एतद्वारा श्री / कु./ श्रीमती पता को (गणना के लिये नियत स्थान) पर होने वाली मतों की गणना में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

*मैं जो नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक का निर्वाचित पार्षद हूँ, एतद्वारा श्री/कु./श्रीमती को वार्ड क्रमांक की मतों की गणना के लिये नियत स्थान में उपस्थित रहने हेतु अपने गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ.

स्थान

महापौर/अध्यक्ष/उनके निर्वाचन

अभिकर्ता/पार्षद के हस्ताक्षर

नाम

मैं ऐसे गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये सहमत हूँ.

स्थान

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

गणन अभिकर्ता की घोषणा
(रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएं)

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में साधारणतः निर्वाचन और विशिष्टतः मत दिये जाने की गोपनीयता से संबंधित विधि तथा नियमों द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा/करूंगी.

स्थान

गणन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख

नाम

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए,

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

सील

प्ररूप-15(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 49 (2) (ग) (देखिये)]

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के
 * महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

प्रविष्टि का क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियां		अभ्याक्षेपित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अभ्याक्षेपित व्यक्ति	पहचानकर्ता यदि कोई हो का नाम	अभ्याक्षेपकर्ता का नाम	पीठासीन अधिकारी का आदेश	निक्षेप वापस प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-16(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 52(1) (देखिये)]

अंधे/शिथिलांग मतदाता के साथी द्वारा घोषणा पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के
 * महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

मैं, पिता
 आयु निवासी
 पता

एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि :—

- (क) मैंने आज तारीख को किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य मतदाता के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है.
- (ख) मैं श्री/कुमारी/श्रीमती, जो मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक के क्रमांक पर दर्ज है, के निमित्त मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये मत को गुप्त रखूंगा/रखूंगी.

स्थान

(साथी के हस्ताक्षर)

तारीख

नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

पीठासीन अधिकारी

मतदान केन्द्र क्रमांक

*जो विकल्प उचित न हो, उसे काट दीजिए.

प्ररूप-17(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू ** नियम 54 (2) देखिये]

निविदत्त मतों की सूची

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद के
* महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

क्रमांक	मतदाता का नाम	मतदाता सूची की प्रविष्टि की विशिष्टियाँ		मतदाता का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रमांक	व्यक्ति को जिसने मत डाल दिया जारी किए गए मतपत्र का क्रमांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
		मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता का क्रमांक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

तारीख

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

* जो विकल्प उचित न हो, उसे काट दीजिए.

**प्ररूप-18(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू † नियम 57 देखिए]

भाग-1 मतपत्र लेखा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत के

* महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

मतदान केन्द्र का क्रमांक तथा नाम

	अनुक्रमांक		कुल संख्या
	कहां से	कहां तक	
1.	पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या		
2.	उपयोग में न लाए गये मतपत्रों की संख्या		
3.	मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्र (1-2=3)		
4.	मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्र:—		
	(क) मुद्रण की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्र		
	(ख) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र		
	(ग) रद्द किये गये मतपत्र		
		योग (क+ख+ग)	
5.	मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र		
	** (3-4=5)		
	(**अनुक्रमांक देने की आवश्यकता नहीं है)		

स्थान

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख

नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

भाग-2 प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाये गये मतपत्रों की कुल संख्या
 2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग-1 की मद 5 में दर्शायी गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या में कोई अन्तर, यदि कोई हो
- तारीख

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप-19(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 63(2) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के लिये आवेदन

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के

* महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन.

प्रति,

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

जिला

महोदय,

मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में अपना मत देना चाहता/चाहती हूं. मुझे *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक के मतदान केन्द्र क्रमांक पर निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है.

2. मेरा नाम ऊपर वर्णित नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के वार्ड क्रमांक की मतदाता सूची के भाग अनुक्रमांक. के क्रमांक पर परिविष्ट है.

3. निवेदन है कि मुझे एक निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजें, ताकि मैं अपना मत दे सकूं.

भवदीय,

पता

हस्ताक्षर

.....

नाम

स्थान

तारीख

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19(वा)-क

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 63 (4) (क) देखिए]

लिफाफा-क

(क)	गणना के पूर्व न खोला जाए
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के * महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन	
निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र	
मतपत्र का क्रमांक	

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19(वा) ख

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 63 (4) (ख) देखिए]

लिफाफा-ख

(ख)	गणना के पूर्व न खोला जाए	निर्वाचन तत्काल
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के * महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में निर्वाचन		
निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र		
प्रति,		
रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)		
.....		
जिला		
भेजने वाले के हस्ताक्षर		

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19(वा) ग

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिये संशोधित रूप में लागू** नियम 63 (4) (ग) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता द्वारा घोषणा

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के * महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन	
मैं, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं, ऊपर वर्णित निर्वाचन में वह मतदाता हूँ जिसे क्रमांक वाला निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी किया गया है.	
तारीख	निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता के हस्ताक्षर
	नाम
	पता

हस्ताक्षर का अभिप्रमाणन

ऊपर वर्णित घोषणा पर श्री/कु./श्रीमती (मतदाता) ने, जिसे मैं स्वयं जानता/जानती हूँ/ जिसे (पहचानने वाले) श्री/कु./श्रीमती ने, जिसे मैं स्वयं जानता/जानती हूँ, मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं.

यदि कोई पहचानने वाला है तो हस्ताक्षर

नाम

पता

तारीख

अभिप्रमाणनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

तारीख

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-19(वा) घ

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू ** नियम 63 (4) (घ) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिये अनुदेश

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
*महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सम्बन्ध में निर्वाचन

1. इसके साथ भेजे गये मतपत्र पर संबंधित महापौर/अध्यक्ष का नाम विकल्प के साथ उल्लिखित है. आप जिस विकल्प पर अपना मत देना चाहते हैं इस विकल्प के सामने इस प्रयोजन से रखे गये स्थान पर स्पष्ट रूप से या x अन्य किसी रीति से चिन्ह लगाकर अपना मत अभिलिखित करें, जिससे स्पष्ट और संदेह के परे यह उपदर्शित हो जाए कि आप किस विकल्प पर अपना मत दे रहे हैं.

2. मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने के अपेक्षित चिन्ह से भिन्न किसी भी प्रकार के न तो हस्ताक्षर करें न कोई शब्द लिखें, न कोई चिन्ह या संकेत लगाए और न कोई बात लिखें.

3. मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिन्हित प्ररूप-19 (वा)-क में छोटे लिफाफे में रखे. लिफाफे को बंद कर दें और उसे सील लगाकर या अन्यथा सुरक्षित रूप से बंद कर दें.

4. फिर आप प्ररूप 19(वा)-ग में इसके साथ भेजी गई घोषणा पर नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करा लें—

- (क) यदि आप शासकीय सेवक हैं या किसी नगरपालिका अथवा सरकारी उपक्रम के कर्मचारी हैं तो जहां आप कार्यरत हैं उस कार्यालय का कार्यालय प्रमुख.
- (ख) कोई राजपत्रित अधिकारी, जो आपको जानता है या उस मतदान केन्द्र का जिस पर आप निर्वाचन-कर्तव्यरूढ़ हैं पीठासीन अधिकारी.
- (ग) नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई राजस्व अधिकारी.

आप यह घोषणा ऊपर वर्णित विनिर्दिष्ट अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के पास ले जाएं और आपकी पहचान के बारे में उसका समाधान हो जाने के पश्चात् उसकी उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर करें. यह अधिकारी आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित करके घोषणा आपको लौटा देगा, आप अपना मतपत्र अभिप्रमाणन अधिकारी को नहीं दिखाएँ और न ही उसे यह बताएं कि आपने किस को मत दिया है.

5. आपकी घोषणा हस्ताक्षरित हो जाने और आपके हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 19(वा)-ग में घोषणा और साथ ही "क" चिह्नित प्ररूप 19(वा)-क में छोटा लिफाफा (जिसमें मतपत्र रखा गया है) को "ख" चिह्नित प्ररूप 19(वा)-ख में बड़े लिफाफे में रखें. बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) को डाक से या संदेश वाहक के मार्फत भेजें अथवा उसे व्यक्तिशः परिदत्त करें. कृपया "ख" चिह्नित प्ररूप 19(वा)-ख में बड़े लिफाफे को रिटर्निंग आफिसर को भेजने या सौंपने के पूर्व उस पर अंकित प्रविष्टियों की पूर्ति कर लें.

6. आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना हेतु नियत तारीख और समय पर अर्थात् तारीख को पूर्वान्ह/ अपरान्ह बजे के पूर्व उक्त लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए.

7. कृपया यह भी ध्यान रखें कि:-

- (एक) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति में अभिप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा.
- (दो) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास नियत तारीख और समय के पश्चात् पहुंचता है तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी.

प्ररूप-20(वा)

[संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 66 (10) (देखिये)]

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना का परिणाम

*नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
*महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन.

महापौर/अध्यक्ष का नाम	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (क) विधिमान्य किये गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
- (ख) अविधिमान्य किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या
- (ग) प्राप्त हुए कुल निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या

स्थान
तारीख

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

प्ररूप-21(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 69 (2) (देखिये)]

गणना का परिणाम

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के

* महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्रमांक

महापौर/अध्यक्ष का नाम	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गये मतों की संख्या	महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
 (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या

स्थान
 तारीख

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
 नाम
 रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
 नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

परिशिष्ट-ग्यारह
 नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप-22(वा)

[महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में संशोधित रूप में लागू** नियम 69 (3) देखिये]

अन्तिम परिणाम-पत्र

*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के
 महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन

(1)	निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या (2)	संबंधित महापौर/अध्यक्ष के पक्ष में/विरोध में डाले गये मतों की संख्या (3)					महायोग (2+3) (4)
		मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	योग

- (1) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गये मतपत्रों की संख्या.

- (2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतपत्रों की संख्या.
- (3) अविधिमान्य मतपत्रों की संख्या
- (4) योग

2. (एक) विधिमान्य मतों की कुल संख्या
- (दो) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या
- (तीन) डाले गये मतों की कुल संख्या

स्थान	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
तारीख	गणना पर्यवेक्षक	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
	नाम	नाम

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिए.

** मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2, दिनांक 9-3-2001

टीप.—आवश्यकता होने पर पृष्ठ भाग का उपयोग करें.

(1)	निर्वाचन कर्तव्य मतों की संख्या (2)	संबंधित महापौर/अध्यक्ष के पक्ष में/विरोध में डाले गये मतों की संख्या (3)					महायोग (2+3) (4)
		मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	मतदान केन्द्र क्रमांक ()	

- (1) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में डाले गये मतपत्रों की संख्या.
- (2) संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के विरोध में डाले गये मतपत्रों की संख्या.
- (3) अविधिमान्य मतपत्रों की संख्या.
- (4) योग

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गणना पर्यवेक्षक	रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)
नाम	नाम

THE MADHYA PRADESH
NAGARPALIKA NIRVACHAN NIYAM, 1994
(As on July 2014)

RESEARCH AND ANALYSIS

FOR THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

OF THE NATIONAL RESEARCH COUNCIL ON SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIKA NIRVACHAN NIYAM, 1994

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II—LIST OF VOTERS

3. Preparation of 'voters' List and appointment of Registration Officer.
4. Publication of Voters' List for inviting claims and objections.
5. Claims and objections.
6. Disposal of claims and objections.
7. Inspection and issue of certified copies.
8. Duration of Voters' List and its revision.
9. Finalisation of Voters' List.
10. Custody and destruction of papers.

CHAPTER III—ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR CONDUCT OF ELECTIONS

11. Officers and Staff for conducting elections.
- 11-A. Commission's power to issue General or Special orders or directions.
- 11-B. Requisition of Vehicles etc., for Election purposes.
- 11-C. Payment of compensation.
- 11-D. Manner of serving order or requisition of vehicles, vessels and animals.
12. District Election Officer and Deputy District Election Officer.
13. Appointment of Returning Officer.
14. Appointment of Assistant Returning Officer.
15. General duty of Returning Officer.
16. Polling stations.
17. Appointment of Presiding and Polling Officers.
18. General duty of Presiding Officer.
19. Duty of Polling Officer.
20. Control of District Election Officer at District Level.

CHAPTER IV—CONDUCT OF ELECTION

21. Notice of Election and time schedule therefor.
22. Manner of publication of notice under rule 21.
23. Extension of time for completion of election.
24. Nomination of candidates.
- 24-A. Declaration of criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification by the candidates.
25. Presentation of nomination papers.
26. Security Deposit.

27. Notice of nomination and time and place for the scrutiny.
28. Scrutiny of nomination papers.
29. Withdrawal of candidature.
30. Preparation of list of contesting candidates.
31. Allotment of symbols for election.
32. Publication of the list of contesting candidates.

CHAPTER V—CANDIDATES AND THEIR AGENTS

33. Appointment of election agent.
34. Appointment of polling agent.
35. Appointment of counting agent.
36. Revocation of the appointment or death of polling agent.
37. Revocation of the appointment or death of counting agent.

CHAPTER VI—GENERAL PROCEDURE OF ELECTION

38. Death of candidates before poll.
39. Uncontested Election.
40. Contested Election

CHAPTER VII—POLL AND VOTING FOR ELECTION

41. Manner of voting at election.
42. Ballot Box.
- 42A. Voting Machines at Elections.
43. Form of ballot papers.
44. Arrangement at Polling Station.
45. Admission to Polling Station.
46. Ballot boxes to be sealed before the commencement of poll.
47. Facilities for women voters.
48. Identification of voters.
49. Challenging of Identity.
50. Issue of ballot paper.
51. Voting procedure.
52. Recording of vote by blind or infirm voter.
53. Spoiled and returned ballot papers and ballot papers found outside ballot boxes.
54. Tendered votes.
55. Closing of poll.
56. Sealing of ballot boxes after poll.
57. Account of ballot papers.
58. Sealing of other packets.
59. Delivery of ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer.
60. Adjournment of poll in emergency.

- 61. Recommencement of adjourned poll.
- 62. Fresh poll in case of damage, destruction or tampering of a ballot box etc. or due to procedural irregularity.
- 63. Election duty ballot.

CHAPTER VII A—VOTING BY VOTING MACHINES

CHAPTER VIII—COUNTING OF VOTES

- 64. Supervision of counting of votes.
- 65. Admission to the place fixed for counting.
- 66. Counting of election duty ballot papers.
- 67. Scrutiny and opening of ballot boxes.
- 68. Scrutiny and rejection of ballot papers.
- 69. Counting of votes.
- 70. Counting to be continuous.
- 71. Recommencement of counting after fresh polls.
- 72. Recount of votes.
- 73. Equality of votes.
- 74. Declaration and return of election.
- 75. Grant of certificate of election to the returned candidates.

CHAPTER VIII-A—POLLING IN RELATION OF THE MAYOR/PRESIDENT FROM HIS OFFICE

- 75-A. Commencement of the process in relation to recall of Mayor/President from his office.
- 75-B. Present Rules to remain applicable according to situation.
- 75-C. Notice of poll and time Schedule therefor.
- 75-D. Manner of publication of Notice under Rule 75-C.
- 75-E. publication of the list of the Polling Stations.
- 75-F. Allotment of Symbols.
- 75-G. The manner of publication of Form-26 under Rule 75-F.
- 75-H. Declaration of the result of Poll.
- 75-I. Notification of the result of Election in relation to recall of Mayor/President.
- 75-J. Notification of Vacancy.

CHAPTER IX—ELECTION PAPERS

- 76. Return or forfeiture of security deposit.
 - 77. Custody of papers relating to election.
 - 78. Production and inspection of election papers.
 - 79. Disposal of election papers.
 - 80. Repeal
-

LIST OF FORMS

S. No. (1)	Subject (2)	Rule Number (3)	Form No. (4)
1	Voters' List	3	Form-1
2	Notice of Election	21	Form-2
3	Notice regarding Status of Reservation of Seats	22-A	Form-2-A
4	Nomination paper	24(2)	Form-3
5	Notice of nomination	27	Form-4
6	List of validly nominated candidates	28(8)	Form-5
7	Withdrawal of Candidature	29(1)	Form-6
8	Notice of Withdrawal of Candidatures	29(4)	Form-7
9	Notice of nomination by a political party	31(2)(ii)	Form-8
10	Notice of authorisation of office bearer by political party	31(2)(iv)	Form-9
11	List of contesting candidates	32	Form-10
12	Appointment of Election Agent	33(i)	Form-11
13	Appointment of Polling Agent	34(1)	Form-12
14	Appointment of Counting Agent	35(i)	Form-13
15	Declaration of uncontested Election	39	Form-14
16	List of Challenged Votes	49(2)(6)	Form-15
17	Declaration by the Companion of Blind and Infirm Voter	52(i)	Form-16
18	List of Tendered Votes	54(2)	Form-17
19	Ballot Paper Account	57	Form-18
20	Application for Election Duty (E.D.) Ballot Paper	63(2)	Form-19
21	Small envelope for E. D. Ballot Paper	63(4)(a)	Form-19A
22	Large envelope for E. D. Ballot Paper	63(4)(b)	Form-19B
23	Declaration by voter on Election Duty	63(4)(c)	Form-19C
24	Instructions for guidance of voters on Election Duty	63(4)(d)	Form-19D
25	Result of Counting of E. D. Ballot Papers	66(10)	Form-20
26	Result of Counting of Votes	69(2)	Form-21
27	Final Result Sheet	69(3)	Form-22
28	Declaration cum Return of Election	74	Form-23
29	Certificate of Election	75	Form-24
30	Notice of Election in relation to Recall of Mayor/President	75-C	Form-25
31	Polling in relation to Recall of Mayor/President	75-F	Form-26
32	Declaration of result of Polling in relation to Recall of Mayor/President.	75-H	Form-27
33			Form-17 'A'
34			Form-18 'A'
35			Form-21 'A'

Bhopal, the 29th July 1994

No. 84-XVIII-III-94.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 10 read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (6) of Section 29 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government in consultation with the State Election Commission hereby make the following rules for the preparations of electoral rolls and conduct of all elections to the Municipalities namely:—

MADHYA PRADESH NAGARPALIKA NIRVACHAN NIYAM, 1994

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules, may be called the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) “Act” means (i) the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956); or (ii) the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be;

(b) “Appellate Authority” means the officer designated by the State Election Commission as Appellate Authority in consultation with the State Government to hear appeals under these rules;

*(c) **District Election Officer**—“District Election Officer” means the Officer appointed by the State Election Commission as District Election Officer (Municipality) in consultation with the State Government for preparation of voters' list and conduct of elections to Municipalities in a district”;

**(d) “Election” means an election to fill a seat or seats in a Municipality and includes the election in relation to recall the Mayor of a Municipal Corporation or the President of a Municipality or Nagar Panchayat from his office as the case may be.”

(e) “Election Commission” means the Madhya Pradesh State Election Commission constituted under Article 243k of the Constitution;

(f) “Election Proceedings” means the proceedings commencing from the issue of the notice for elections and ending with the declaration of results of such election;

(g) “Form” means a form appended to these rules;

(h) “Marked copy of the voters' list” means the copy of the voters' list set apart for the purpose of marking the names of voters to whom ballot papers are issued at an election;

*(h-1) ‘Mayor’ means the Mayor of a Municipal Corporation;”

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

**असाधारण राजपत्र क्र. 749, दिनांक 29-12-2000.

- (i) "Municipality" means a Municipal Corporation constituted under Section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) for a larger urban area or a Municipal Council constituted under Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) for a smaller urban area or a Nagar Panchayat constituted under Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) for a transitional area, that is to say, an area in transition from a rural area to an urban area;
- *“(i-1) ‘President’ means the President of a Municipal Council or a Nagar Panchayat;”
- (j) “Recognised Political Party” means a political party for the time being recognised by the Election Commission of India as a National Party or as a State Party in Madhya Pradesh under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;
- (k) “Registration Officer” means the Electoral Registration Officer (Municipality) and includes Assistant Electoral Registration Officer (Municipality) appointed by the State Election Commission, in consultation with the State Government;
- (l) “Returning Officer” means the Returning Officer (Municipality) appointed by the State Election Commission or when so authorised by the Election Commission, the District Election Officer (Municipality), as a Returning Officer for election to any Municipality and includes an Assistant Returning Officer (Municipality);
- (m) “Voters' List” means the electoral roll or the list of voters of a ward of a Municipality;
- (n) “Ward” means the ward of a Municipality;
- (o) The words and expression used, which have not been defined in these rules, shall carry the meaning as has been assigned to them in the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as the case may be.

CHAPTER II—LIST OF VOTERS

3. Preparation of Voters' List and appointment of Registration Officer.—(1) The Election Commission shall subject to the provisions of the Act cause to be prepared in Form-1 a wardwise list of voters in Hindi written in the Devanagiri script for each Municipality.

(2) The Election Commission shall, in consultation with the State Government appoint a Registration Officer for each municipality and one or more Assistant Registration Officer as may be found necessary to assist the Registration Officer in the preparation of the list of voters for the municipality.

(3) Every Assistant Registration Officer shall subject to the control of Registration Officer be competent to perform all or any of the functions of the Registration Officer.

In the said rules,

1. After rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

“3-A Breach of official duty in preparation of Voters list etc.—

- (1) If any Registration Officer, Assistant Registration Officer or any person who breaches any official duty which he has to carry out under the provisions of the said Act relating to revision or correction of any entry which has to be included or excluded from the voters list, then in case of such breach of any act or omission without any reasonable cause he shall be punished with imprisonment

which shall be not less than three months, but it may be extended upto two years with fine.

- (2) Unless any complaint is made by the Election Commission or the Collector and District Electoral Officer of the district or under his authority, no court shall be able to punish under sub-rule (1) without any cognizance.”.

4. Publication of Voters' List for inviting claims and objections.—(1) As soon as the Voters' list is ready, the Registration Officer shall give a public notice inviting claims for inclusion of names in the list and objections to any entry therein, by displaying a notice in such form as may be prescribed by the Election Commission and making a copy of the list available for inspection—

- (a) at his office, if it is within the Municipality;
- (b) at the office of the Municipality; and
- (c) at such other places in or near the ward as may be specified by him for the purpose.

(2) The notice shall specify the period during which and officer with whom an objection or claim may be lodged and the date, time and place for the hearing of such objections and claims, if any, by the Registration Officer.

2. In rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2-a) Registration Officer/Assistant Registration Officer, as the case may be shall authorize an employee to receive the claim/objection on the draft voters list. This employee shall be authorized with reference to the ward.”.

(3) The voters' list shall remain open for inspection, free of charge, by the public for a period of atleast seven days from the date of publication of the notice, during office hours.

(4) Copy of the voters' list may be supplied to any person on payment of such fee as may be fixed by the Election Commission by a general or special order.

5. Claims and objections.—(1) Any person, whose name is not entered in the voters' list or is entered at an incorrect place or with incorrect particulars or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his own name or the name of any other person in that list, may prefer a claim or objection by delivering to the Registration Officer an application in writing duly signed by him not later than 3 O'clock in the afternoon of the last day specified in the notice under rule 4 and no claim or objection thereafter shall be entertained.

(2) Every claim or objection shall be preferred in such form as may be prescribed by the Election Commission and shall either be presented to the Registration Officer or to such other officer as may be nominated by him in this behalf.

(3) A claim or objection may be accompanied by any documents on which the claimant or objector relies.

6. Disposal of claims and objections.—(1) The Registration Officer shall, after holding such summary inquiry into the claims or objections as he deemed fit, record his decision in writing and shall make available on demand a copy of such decision to the claimant or objector free of charge forthwith.

(2) No person shall be represented by any legal practitioner in any proceeding under this rule.

(3) The Registration Officer shall amend the voters' list in accordance with his decision.

(4) The voters' list so amended shall be subject to decision in appeal, if any, be final and a copy thereof duly authenticated by the Registration Officer shall be kept in his office and another copy deposited in the office of District Election Officer.

(5) Any person aggrieved by the decision of the Registration Officer may prefer an appeal to the Appellate Authority within five days of such decision. Every appeal shall be in such form as may be prescribed by the Election Commission and presented to the Appellate Authority along with a copy of the decision of the Registration Officer. The Appellate Authority, after giving the appellant an opportunity of hearing and after making such summary enquiry as it deems fit, shall pass suitable orders expeditiously and in the event of the appeal succeeding, direct the Registration Officer to amend the voters' list to give effect to its decision. The decision of the Appellate Authority shall be final:

Provided that no amendment shall be carried out in the voters list according to the decision of the Appellate Authority after the last date and time fixed for making nominations in the notice issued under rule 21 and before the completion of Election.

7. Inspection and issue of certified copies.—Every member of the public shall have the right to inspect the voters' list referred to in sub-rule (4) of Rule 6 on payment of a fee of two rupees in cash and certified copies of the same may be issued by the Registration Officer or by an officer authorised by him in this behalf to an applicant on payment of the same fees in cash as are prescribed for copies of revenue records.

***8. Duration of voters' list and its revision.**—(1) The voters' list referred to in sub-rule (4) of rule 6 shall remain in force until revised under sub-rule (2) or sub-rule (3).

(2) Every such list shall be liable to revision by reference to the first day of January of the year in which it is so revised—

- (i) before each General Election to the Municipalities or as the case may be;
- (ii) before each bye-election to fill a seat in a Municipality.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) it shall not be necessary to revise the voters' list before any bye-election which is held during the calendar year in relation to the first day of January where of the list has been originally prepared :

Provided that the Election Commission may, for reasons considered sufficient by it, direct special revision of the voters' list before holding a bye-election.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions, the validity or continued operation of the voters' list referred to in sub-rule (4) of rule 6 shall not in any way be affected by non-revision of any such list under sub-rule (2) or when so directed by the Election Commission under provision to sub-rule (3)".

****9. Finalisation of voters' list.**—Subject to the provision of rule 9-A, no correction in any entry or inclusion or deletion of any name shall be made in the voters' list after its finalisation under rule 6 :

Provided that clerical, technical or printing error or omission, apparent on the face of the record, regarding any voter may be corrected by the Registration Officer at any time before the last date and time fixed for making nomination under rule 21."

*असाधारण राजपत्र क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

***"9-A. Deletion of entries in the Voters' list in certain cases.—**(1) If the Registration Officer, on an application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that the name of any person in the voters' list of a Municipality after its finalisation under rule 6 should be deleted on the ground that the person concerned is registered in the voters' list of more than one ward of the Municipality concerned or of any other Municipality or of any Panchayat, the Registration Officer shall subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Commission in this behalf, delete the entry:

Provided that before taking any action in this behalf, the Registration Officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

(2) No deletion of any entry shall be made under sub-rule (1) after the last date fixed for making nomination in the notice issued under rule 21 for an election in any ward of the Municipality concerned and before the completion of that election.

(3) The Registration Officer shall record in writing the reasons for his decision to delete an entry under sub-rule (1) and shall make available, on demand, a copy of such decision to the person concerned free of charge, forthwith.

(4) Any person aggrieved by the decision of the Registration Officer under sub-rule (1) may prefer an appeal to the District Election Officer within fifteen days of such decision.

(5) The District Election Officer, after giving the appellant an opportunity of being heard and making such enquiry as he deems fit, shall pass suitable order on the appeal and the order of the District Election Officer shall be final."

***"10. Custody and destruction of papers.—**The preliminary voters' list published under rule 4, the claims and objections received under rule 5 along with the order of the Registration Officer or Appellate Authority thereon and the papers relating to the proceedings under rule 9-A shall be preserved in the record room of the District Election Officer until after the next revision of the list and shall then be destroyed."

CHAPTER III—ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR CONDUCT OF ELECTIONS

11. Officers and Staff for conducting elections.—(1) The State Government shall, when so requested by the Election Commission make available to the Election Commission such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission under the Act and these rules.

(2) All the officers and members of the staff appointed or deployed for preparation of Voters' list and conduct of election of any Municipality under the Act or these rules, shall function under the superintendence, direction and control of the Election Commission.

***"(3) The Commission may assign such duties and functions to officers and members of staff appointed or deployed under sub-rule (1) and invest them with such powers, in relation to such areas, as it may deem necessary or consider fit in relation to conduct of elections and matters connected therewith or incidental thereto."**

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

***"11A.—Commission's power to issue General or Special orders or directions.—**Notwithstanding anything contained in these rules, the Commission may issue such special or general orders or directions which may not be inconsistent with the provisions of the Act for fair and free elections."

****[11-B. Requisition of Vehicles etc., for Election purposes.—**(1) The District Election Officer may, if it appears to him in connection with an election under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 that any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force for maintaining law and order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election he may by order in writing requisite such vehicle, vessel or animal and may make such further orders as may appear to him to be necessary or expedient in connection with the requisition.

(2) The requisitioning shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of the vehicle, vessel or animal and such order shall be served on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any, vehicle, vessel or animal is requisitioned under this rule, the period of such requisitioning shall not extend beyond the period for which such vehicle, or animal is required for any of the purposes mentioned in this sub-rule.

Explanation.—In this rule "Vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

11-C. Payment of compensation.—Whenever in pursuance of Rule 11-B any vehicle, vessel or animal is requisitioned there shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the basis of the rate fixed for such vehicle, vessel or animal by the Chief Election Officer of the State of Madhya Pradesh for State Assembly Elections :

Provided that any person aggrieved by the amount of compensation determined by District Election Officer, may apply within thirty days from the date or the order determining the compensation to the Divisional Commissioner for a review. The decision of the Divisional Commissioner shall be final.

11-D. Manner of serving order or requisition of vehicles, vessels and animals.—An order or requisition under sub-rule (1) of Rule 11-B shall be served :—

- (1) Where a person to whom such order is addressed a Corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in Rule 2 of Order XXIX or Rule 3 of Order XXX, as the case may be, in the first Schedule to the Code of Civil Procedure, Act, 1908 (No. V of 1908), and

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

**मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2, क्रमांक 13, दिनांक 30-3-2001

(2) Where the person to whom such order is addressed is an individual :—

- (i) personally by delivering or tendering the order, or
- (ii) by registered post with acknowledgement due, or
- (iii) if a person cannot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult male member of his family, or by affixing such copy on some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business, or personally worked for gain.

11-E. Penalty for contravention of any order regarding requisition.—If any person contravenes any order made under sub-rule (1) of Rule 11-B he shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to rupees five hundred or with both.]

12. District Election Officer (Municipality) and Deputy District Election Officer (Municipality).—(1) The Election Commission shall in consultation with the State Government, appoint a District Election Officer (Municipality) for each district and one or more Deputy District Election Officers (Municipality) as may be found necessary to assist the District Election officer in the conduct of elections to Municipalities in the district.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the District Election Officer shall co-ordinate and supervise all work in the district in connection with the conduct of all elections to Municipalities in the district.

(3) The District Election Officer shall also be ex-officio Returning Officer (Municipality) for elections to the Municipality at the district headquarters.

***"12A.—Observers.**—(1) The Commission may nominate an Observer to watch the conduct of election or elections in a Municipality or a group of Municipalities and to perform such other functions as may be entrusted to him by the Commission.

(2) The Observer nominated under sub-rule (1) shall have the power to direct the Returning Officer for any Municipality for which he has been nominated, to stop the counting of votes at any time before the declaration of the result or not to declare the result if in the opinion of the Observer 'booth capturing' has taken place at any polling station of that Municipality or at the place fixed for counting of votes or any ballot papers used at a polling station unlawfully taken out of the custody of the Returning Officer or accidentally or intentionally destroyed or lost or damaged or tampered with to such an extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained.

(3) Where an Observer has directed the Returning Officer under sub-rule (2) to stop counting of votes or not to declare the result, the observer shall forthwith report the matter to the Commission and thereupon the Commission shall, after taking all material circumstances into consideration issue appropriate directions under rule 62.

Explanation.—The expression 'booth capturing' shall have the meaning assigned to it in Section 14-D of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964."

13. Appointment of Returning Officer (Municipality).—The Election Commission or when so authorised by the Election Commission, the District Election officer shall appoint an officer of the State Government not below the rank of Naib-Tehsildar as a Returning Officer (Municipality) for every election to fill a seat in any Municipality other than the Municipality at the District headquarters :

Provided that nothing in this rule shall prevent the Election Commission or the District Election Officer from appointing same person to be a Returning Officer for election to more than one Municipality.

14. Appointment of Assistant Returning Officer (Municipality).—(1) The Election Commission or when so authorised by the Election Commission, the District Election Officer (Municipality) may appoint one or more persons as Assistant Returning Officers (Municipality) to assist the Returning Officer in the performance of his functions.

(2) Every Assistant Returning Officer shall subject to the control of the Returning Officer be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer.

15. General duty of Returning Officer.—It shall be the general duty of the Returning Officer in any election to perform all such acts and things as may be necessary for effectively conducting the election in the manner provided by these rules.

16. Polling Stations.—(1) The Returning Officer shall provide sufficient number of polling stations for every election under these rules and shall, not later than 20 days before the date of poll, publish a list showing the polling stations and the polling areas for which they will be set up.

(2) No change shall be made by the Returning Officer in the location of a polling station notified under sub-rule (1), without previous approval of the Election Commission, which shall be sought through the District Election Officer.

(3) Change in the location of a polling station, if approved by the Election Commission, shall be—

(a) published for general information in the ward affected by the change; and

*“(b) communicated in writing to the contesting candidates from the ward, as expeditiously as possible by the Returning Officer.

17. Appointment of Presiding and Polling Officers.—(1) The Returning Officer shall with the prior approval of the District Election Officer appoint a Presiding Officer for each polling station and such polling officer or officers to assist the presiding officer, as he deems necessary :

Provided that no person who is not in the employment of the State Government or a local authority or any public undertaking of the State Government, shall be appointed as Presiding Officer:

Provided further that if a Polling Officer is absent from the polling station, the Presiding Officer may appoint any person who is present at the polling station, other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election, to be the Polling Officer during the absence of the former officer, and inform the Returning Officer accordingly.

(2) A polling officer shall subject to the directions of the Election Commission, if so authorised by the Presiding Officer, perform all or any of the functions of the Presiding Officer under these rules.

(3) If the presiding Officer, owing to illness or any other unavoidable cause, is obliged to absent himself from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer as has been previously authorised by the Returning Officer to perform such functions during any such absence.

(4) Reference in these rules to the Presiding Officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include any person performing any function which he is authorised to perform under sub-rule (2) or as the case may be, under sub-rule (3).

18. General duty of Presiding Officer.—It shall be the general duty of the Presiding Officer at a polling station to maintain order there and to see that the poll is fairly taken.

19. Duty of a Polling Officer.—It shall be the duty of every Polling Officer at a polling station to assist the Presiding Officer for such station in the performance of his functions.

20. Control of District Election Officer at district level.—The Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Polling Officers, and all other persons appointed in accordance with these rules shall, within the over-all direction and control of the Election Commission, work under the control of the District Election Officer.

***20-A. Returning Officer, Presiding Officer, etc., deemed to be on deputation to election Commission.**—The Returning Officer, Assistant Returning Officer, Presiding Officer, Polling Officer and any other officer appointed under this chapter for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Commission for the period commencing on and from the date of notice of election and ending with the date of declaration of the results of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control superintendence and discipline of the Commission.

CHAPTER IV—CONDUCT OF ELECTION

21. Notice of Election and time schedule therefore.—In accordance with the time schedule prescribed by the Election Commission, the District Election Officer shall by notice in Form 2 specify—

- (a) the last date, time and place for making nominations for election to the seat of **"Mayor, President or Councillor" which shall be the seventh day after the date of publication of the notice or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (b) the date, time and place for scrutiny of nominations, and such date shall be the day next following the last date appointed for making nominations, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (c) the last date for withdrawal of candidature which shall be the second day after the date for the scrutiny of nominations, or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
- (d) the date on which and the time during which the poll shall, if necessary, be taken, and
- (e) the date, time and place for the counting of votes.

Note :— "Public Holiday" means any day which is declared to be a holiday by the State Government for its offices as well as the Government Treasuries and Sub-Treasuries in the State.

*असाधारण राजपत्र क्रमांक 46 दिनांक 13-11-98.

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

22. Manner of publication of notice under rule 21.—Notice under rule 21 shall be published at least twenty days before the date appointed for the poll by affixing a copy of such notice on the notice board in the office of the :—

- (a) District Election Officer (Municipality);
- (b) Returning Officer (Municipality); and
- (c) Municipality concerned.

***22-A. Publication of notice regarding reservation status seats.**—(1) The District Election Officer shall, simultaneously with the publication of notice of election under rule 21, get a notice in form 2-A published showing the status of reservation of every seat in a Municipality for which election is to be held, by affixing a copy thereof on the notice board in the office of—

- (a) District Election Officer;
- (b) Returning Officer, and
- (c) Municipality concerned.

(2) The District Election Officer shall issue on demand by any member of public a certified copy of the notice referred to in sub-rule (1), forthwith, on payment of the same fee as are prescribed for copies of revenue records.

23. Extension of time for Completion of Election.— It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient to extend the time for completion of any election by making necessary amendments in the time schedule prescribed by it under rule 21.

24. Nomination of candidates.—(1) Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat if he is qualified to be elected to fill that seat under the provisions of the Act.

***" Provided that in the case of a seat reserved for the Schedule Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes or a woman, no person who is not a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe or Other Backward Class or is not a woman, as the case may be, shall be qualified to be elected to such seat".

(2) Every nomination paper presented under rule 25 shall be in Form 3.

(3) A nomination paper shall be supplied by the Returning Officer to any voter on demand.

†“24-A. (1) Each candidate shall furnish the information relating to,—Declaration of criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification—

- (i) any pending criminal case in which he is charged and any disposed criminal case in which he has been convicted;
- (ii) the movable and immovable property of which he, his spouse and his dependent children are jointly or severally owners or beneficiaries;

*असाधारण राजपत्र क्रमांक 377 दिनांक 7-7-97

**असाधारण राजपत्र क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

†असाधारण राजपत्र, क्र. 347, दिनांक 20-8-04.

- (iii) his liabilities to any public financial institution;
- (iv) his liabilities to the Central Government or the State Government; and
- (v) the educational qualifications which he possesses, to the Returning Officer at the time of filing the nomination paper in an affidavit sworn by the candidate, in such form and in such manner, as may be specified by the State Election Commission.

Explanation.—For the purposes of this sub rule—

- (i) “immovable property” means the land and includes any building or other structure attached to the land or permanently fastened to anything which is attached to the land;
 - (ii) “movable property” means any other property which is not the immovable property and includes corporeal and incorporeal property of every description;
 - (iii) “public financial institution” means a public financial institution within the meaning of section 4-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes bank;
 - (iv) “bank” referred to in clause (iii) means,—
 - (a) State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);
 - (b) Subsidiary Bank having the meaning assigned to it in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);
 - (c) Regional Rural Bank established under section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1975 (21 of 1976);
 - (d) Corresponding new bank having the meaning assigned to it in clause (da) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); and
 - (e) Co-operative Bank having the meaning assigned to it in clause (cci) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as modified by sub-clause (i) of clause (c) of section 56 of that Act; and
 - (v) “dependant children” means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependant on the candidate for their livelihood.
- (2) The nomination paper shall be rejected, if the affidavit is not enclosed.
 - (3) The information given in the affidavit shall not be enquired into by the Returning Officer.
 - (4) The Returning Officer shall, as soon as may be after furnishing of the information to him under sub-rule (1), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, at a conspicuous place at his office for the information of electors of the concerned ward for which the nomination paper is filed and, shall on demand from any other candidate/elector of the ward, make available the information received of the candidate and, shall also publicize the information received through the media.
 - (5) If any candidate or elector files an affidavit against the information contained in the affidavit filed by a candidate under sub-rule (1), it shall also be displayed in the manner prescribed in sub-rule (4).”.

25. Presentation of Nomination Papers.— On or before the date appointed under clause (a) of rule 21 each candidate shall either in person or by his proposer deliver to the Returning Officer or Asstt. Returning Officer so authorised by the Returning Officer for that purpose, during the time and at the place specified in the notice issued under rule 21, a duly completed nomination paper in the prescribed form and signed by the candidate and* in the case of election of Mayor or President, by a voter of any ward of the Municipality and in the case of election of Councillor from any ward, by a voter of that ward as proposer:

Provided that any person who is subject to any disqualifications as voter under the Act shall not be eligible to sign any nomination paper as proposer.

(2) Nothing in this rule shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper :

Provided that not more than *"two" nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the Returning Officer.

***"26. Security Deposit.**—(1) A Candidate shall not be deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash, either before or at the time of presentation of nomination paper under rule 25, with the Returning Officer, the following amount, namely:—

(a) for the seat of 'Councillor'.

(i) of Nagar Panchayat , a sum of Rupees 1000/-

(ii) of Municipal Council, a sum of Rupees 3000/-

(iii) of a Municipal Corporation, a sum of Rupees 5000/-

(b) for the seat of President of a Nagar Panchayat a sum of Rupees 10,000/-.

(c) for the seat of President of a Municipal Council, a sum of Rupees 15,000/- and

(d) for the seat of Mayor of a Municipal Corporation, a sum of Rupees 20,000/- :

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Caste or Scheduled Tribe or other Backward Classes he shall be required to deposit only half of the above amount as deposit under this rule.

(2) Where the candidature of a candidate has been proposed by more than one nomination paper not more than one deposit shall be required of him under sub-rule (1)".

*****27. Notice of nomination and time and place for security.**—(1) On presentation of the nomination paper under sub-rule (1) of rule 25, the Returning Officer shall satisfy himself that the serial number and the name of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the voters' list :

Provided that the Returning Officer shall permit any misnomer or inaccurate description or clerical or technical error in the nomination paper to be corrected and where necessary shall overlook any such misnomer or inaccurate description or clerical or technical error in the nomination paper.

*असाधारण राजपत्र क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

**असाधारण राजपत्र क्रमांक 377 दिनांक 7-7-97

(2) The Returning Officer shall inform the person delivering the nomination paper about the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations and shall enter in the nomination paper its serial number and sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper was delivered to him and shall as soon as may be thereafter, cause to be affixed on the notice board in his office a notice of the nomination in Form 4, containing description similar to those contained in the nomination paper, both of the candidate and of the proposer".

28. Scrutiny of nomination papers.—(1) On the date fixed for the scrutiny of nomination papers received under rule 25, the candidates, their election agents, one proposer of each candidate, and one other person duly authorised in writing by the candidate, but no other person, may attend at the time and place appointed in this behalf under rule 21 and the Returning Officer shall give them all reasonable facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered as required by Rule 25.

(2) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made with regard to any nomination and may either on such objections or on his own motion, after such summary inquiry if any, as he deems necessary, reject any nomination paper on any of the following grounds, that is to say—

- (a) that the candidate is disqualified for being elected to fill the seat by or under the Act;
- (b) that the proposer is disqualified from subscribing a nomination paper;
- (c) that there has been a failure to comply with any of the provisions of rule 24, 24-A**, 25, 26; and
- (d) that the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.

(3) Nothing contained in clause (c) or (d) of sub-rule (2) shall be deemed to authorise the rejection of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(4) The Returning Officer shall not reject any nomination paper on the ground of mere clerical or printing error or any defect which is not of a substantial nature.

(5) The Returning Officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of rule 21 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control :

Provided that in case any objection is raised by the Returning Officer or is made by any other person, the candidate may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date fixed for scrutiny and the Returning Officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

*(5-A) if nomination of a candidate has been accepted by the Returning Officer for more than one ward through oversight for want of objection or for any other reason whatsoever, the Returning Officer shall after giving an opportunity to such candidate or his election agent, ignore

*असाधारण राजपत्र क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

**असाधारण राजपत्र क्र. 347, दिनांक 20-8-2004

the nomination paper tendered later in point of time and record this fact on such nomination paper and shall delete or caused to be deleted from the list of validly nominated candidate in Form 5, the name of such candidate from the ward in question. The Returning Officer shall also affix a copy of the revised list in Form 5 on the notice board in his office, duly recording the date and time of such affixture below his signature".

(6) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision regarding accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection. The order passed by the Returning Officer shall be final.

(7) For the purposes of this rule the production of a certified copy of an entry made in the voters' list of the relevant Municipality shall be conclusive evidence of the right of any voter named in that entry to stand for election, unless it is proved that the candidate is disqualified.

(8) Immediately after all the nomination papers have been scrutinised and decision accepting or rejecting the same have been recorded, the Returning Officer shall prepare a list of validly nominated candidates in Form 5 and affix it on the notice board in his office, duly recording the date and time of such affixture, below his signatures.

29. Withdrawal of Candidature.—(1) Any candidate may withdraw his candidature by delivering application in Form 6 to the Returning Officer on the date and by the hour appointed under clause (c) of Rule 21.

(2) The application may be given either by the candidate in person or by his proposer or election agent who has been authorised in this behalf in writing by the candidate :

Provided that where the application is delivered to the Returning Officer by the proposer or the election agent of a candidate, it shall be accepted only if presented alongwith the acknowledgement of the nomination paper given to the candidate or his proposer at the time of presentation of the nomination paper under rule 25.

(3) No person who has given an application of withdrawal of his candidature under sub-rule (1), shall be allowed to cancel such application.

(4) The Returning Officer shall on being satisfied as to the genuineness of an application of withdrawal and the identity of the person delivering it under sub-rule (2) cause a notice in Form 7, giving particulars of the candidates who have withdrawn their candidature, to be affixed on the notice-board in his office.

30. Preparation of List of Contesting Candidates.—(1) Immediately after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under clause (c) of rule 21, the Returning Officer, shall prepare a list of contesting candidates, that is to say, candidates whose nomination papers have been finally accepted and who have not withdrawn their candidature within the said period.

*(2) For Purpose of listing the names under sub-rule (1), the candidates shall be classified in the following categories, namely:—

- (i) candidates of recognized political parties;
- (ii) candidates of registered political parties other than the candidates mentioned in part (i);
- (iii) other candidates.

(3) Category mentioned in sub-rule (2) shall be specifically kept in order and in each category the names of the contestant shall be kept in alphabetical order and the address and other specifications of the contestant as prescribed in nomination papers shall also be in order."

31. Allotment of symbols for election.—(1) Where a poll becomes necessary the Returning Officer shall consider the choice of symbols expressed by the contesting candidates in their nomination papers and shall subject to any general or special direction issued in this behalf by the Election Commission,—

- (a) allot a different symbol to each contesting candidate in conformity, as far as practicable, with his choice :

provided that the choice shall be limited to three symbols only and the choice beyond this number shall be ignored; and

- (b) if more contesting candidates than one have indicated their preference for the same symbol, decide by lot, to which of such candidates, the symbol will be allotted;
- (c) not allot a symbol reserved for a recognised political party by the Election Commission of India under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, to a candidate who has not been set-up by that party;
- (d) allot to a candidate set-up by a recognised political party only the symbol reserved for that party and no other symbol.

*** “(e) Allot symbols to candidates of unrecognized political parties of their liking from prescribed free symbols;

- (f) Allot, firstly recognized symbols to the candidates of National Political Parties, secondly reserved symbols to the candidates of recognized State political parties thirdly symbols of liking from free symbols to the candidates of non recognized registered Political Parties and fourthly symbols of liking to independent candidates from free symbols:

Provided that in allotment of symbols preference shall be given to the candidates of non-recognized Political parties over the independent candidates;

- (g) If a Political Party which is recognized as a State Party in any other State sets up a candidate in the State of Madhya Pradesh, then such candidates may, to the exclusion of other candidates of the Constituency, be allotted the symbol reserved for that party in the State in which it is recognized State Party, notwithstanding that such symbol is specified in the list of free symbols in the State of Madhya Pradesh on the fulfillment of each of the following conditions, namely:—

- (i) That in nomination paper the candidate has declared to this effect;
- (ii) That the authorized office bearer of the District unit of the concerned political party has given notice in writing in Form-8 under rule 31(2) for this purpose which has been received upto 3.00 P.M. on the last day of withdrawal of candidatures;
- (iii) Such office bearer has been authorized by the state unit of that political party in Form-9 under rule 31(2) (iv) and his specimen signature is received by the Returning Officer upto 3.00 P.M. on the last day of withdrawal of candidatures:

Provided that if the information of the effect that the candidate has been set up by that political party through authorized office bearer of that political party is not received in the prescribed period, the candidate shall be deemed to be an independent candidate;

- (iv) Any message or photocopy of any letter received by Fax shall not be accepted as authentic or satisfactory and so they shall not be admitted in evidence.”.

(2) A candidate shall be deemed to be set-up by a recognised political party if and only if—

- (i) the candidate has made a declaration to that effect in his nomination paper; and
- (ii) a notice in writing to that effect has been delivered in Form 8, not later than 3.00 p.m. on the last day of withdrawal of candidatures to the Returning Officer under intimation to the District Election Officer; and
- (iii) the said notice is signed by an office bearer of the District unit of the party authorised by the State Unit of the party to do so; and
- (iv) the name and specimen signature of such authorised office bearer are communicated to the Returning Officer in Form 9 under intimation to the District Election Officer.

*“(2-A) If any condition of sub-rule (2) has not been fulfilled, the candidate shall be deemed not to have been set up by a recognised political party and the symbol reserved for such party shall not be allotted to him.”

(3) If more nomination papers than one are delivered by or on behalf of a candidate, the choice as to symbols made in the nomination paper first delivered and no other choice as to symbols, shall be taken into consideration, even if that nomination paper has been rejected :

*“Provided that if a candidate has not expressed any choice of symbols in the nomination paper first delivered in point of time, or has not been able to get a symbol of his choice, the Returning Officer shall allot a symbol to him in accordance with general or special directions issued by the Election Commission in this behalf”.

(4) The allotment by Returning officer of any symbol to a candidate shall be final except where it is inconsistent with any direction issued by the Election Commission in this behalf in which case the Election Commission may revise the allotment in such manner as it deems fit.

(5) Every candidate or his election agent shall forthwith be informed of the symbol allotted to the candidate and be supplied with a specimen thereof by the Returning Officer.

(6) The State Government may after previous publication in the official Gazette direct that nothing contained in clauses (c) and (d) of sub-rule (1) and sub-rule (2) shall apply to an election and an election symbol reserved for any political party shall not be allotted to any candidate in such election.

Bhopal, the 5th October 2004

***No. 13-F. 1-98-04-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (6) of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, the State Government hereby rescinds the erstwhile Local Self Government Department's Notification No. 1269-XVIII-III-94, dated the 17th October 1994 published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, No. 889 dated the 17th October 1994.

*“31-A. **Substitution of candidates set-up by recognised political parties.**—A recognised political party may either cancel the notice in Form 8 given in favour of a candidate or change such notice by substituting the name of another candidate subject to fulfilment of the following conditions, namely:—

- (a) Subsequent cancelling or substituting the earlier notice in Form 8 is received by the Returning Officer not later than 3.00 p.m. on the last date for withdrawal of candidatures;

*मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

***मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 462, दिनांक 5-10-2004

- (b) Such subsequent notice in Form 8 is signed by the same authorised office bearer who had signed the earlier Form 8 and is unambiguous and clearly shows that it either cancels or substitutes the earlier notice as the case may be;
- (c) The Returning Officer is satisfied about the genuineness of subsequent notice; and
- (d) The candidate in whose favour subsequent notice has been given has already made a declaration in his nomination paper that he has been set-up by the said political party”.

32. Publication of the list of contesting candidates.—Returning Officer shall, immediately after its preparation, cause a copy of the list of contesting candidates in Form 10 to be affixed on the notice board in his office and shall also supply a copy thereof, to each contesting candidate or his election agent.

CHAPTER V—CANDIDATE AND THEIR AGENTS

33. Appointment of election agent.—(1) If a candidate desires to appoint an election agent such appointment shall subject to the provisions of sub-rule (2) and (3), be made in Form 11 either at the time of delivering the nomination paper or at any time before election.

(2) The appointment of the election agent may be revoked by the candidate at any time by a declaration in writing signed by him and lodged with the Returning Officer. Such revocation shall take effect from the date on which it is lodged. In the event of such revocation or in the event of the election agent dying before or during the period of the election, the candidate may appoint a new election agent in accordance with the provisions of sub-rule(1).

(3) No person, who is for the time being disqualified under the Act from being elected or from voting at any election of a Municipality shall, so long as the dis-qualification subsists, be appointed as an election agent.

34. Appointment of polling agent.— (1) At an election at which poll is to take place any contesting candidate or his election agent, may appoint one agent and one relief agent to act as polling agents of such candidate at each polling station. Such appointment shall be made by a letter in writing in duplicate in Form 12 signed by the candidate or his election agent.

(2) The candidate or his election agent shall deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the polling agent who shall, on the date fixed for the poll, present it to and sign the declaration contained therein, before the Presiding Officer. The Presiding Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No polling agent shall be allowed to perform any duty at the polling station unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

35. Appointment of counting agent.—

*“(1) Each candidate or his election agent may appoint agents to act as counting agents of such candidate by a letter in writing in duplicate in form 13 signed by the candidate or his election agent, to the extent as mentioned below :—

- (a) One counting agent for a ward having only one polling station;
- (b) as many counting agents as there are counting tables for a ward having two or more polling stations”.

(2) The candidate or his election agent shall also deliver the duplicate copy of the letter of appointment to the counting agent who shall on the date fixed for counting of votes, present it to and sign the declaration contained therein before the Returning Officer. The Returning Officer shall retain the duplicate copy presented to him in his custody. No counting agent shall be allowed to perform any duty at the place fixed for the counting of votes, unless he has complied with the provisions of this sub-rule.

36. Revocation of the appointment or death of polling agent.—(1) The appointment of the polling agent may be revoked by the candidate at any time before the commencement of the poll by a declaration in writing signed by him.

(2) Such declaration shall—

- (a) in the case where the appointment is revoked not less than seven days before the commencement of the poll be lodged with the Returning Officer.
- (b) in any other case, be lodged with the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the polling agent was appointed for duty.

(3) If the polling agent of a candidate dies before the commencement of the poll, the candidate or his election agent shall forthwith report in writing the fact of such death :—

- (a) in case where the death takes place less than seven days before the commencement of the poll, to the Returning Officer, and
- (b) in any other case to the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the polling agent was appointed for duty.

(4) Whenever the Returning Officer receives any declaration of report made under the sub-rule (1) or (3) he shall forthwith communicate such declaration or report, as the case may be, to the Presiding Officer of the polling station where such polling agent was appointed for duty.

(5) Where the appointment of a polling agent is revoked under sub-rule (1) or where the polling agent dies before the close of the poll, the candidate or his election agent may at any time before the poll is closed, appoint a new polling agent in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 34:

Provided that the letter appointing new polling agent shall—

- (a) in case such appointment is made not less than seven days before the commencement of the poll be given to the Returning Officer; and
- (b) in any other case, be given to the Returning Officer or the Presiding Officer of the polling station where the new polling agent is appointed.

(6) The provisions of sub-rule (34) shall apply in relation to a polling agent appointed under sub-rule (5) as they apply in relation to a polling agent appointed under sub-rule (1) of rule 34.

37. Revocation of the appointment or death of the counting agent.—(1) The appointment of the counting agent may be revoked by the candidate at any time before the commencement of the counting of votes by a declaration in writing signed by him. Such declaration shall be lodged with the Returning Officer.

(2) If the Counting agent of a candidate dies before the completion of the counting of votes, the candidate or his election agent shall forthwith report the death in writing to the Returning Officer.

(3) Where the appointment of counting agent is revoked under sub-rule (1) or where the counting agent dies before the completion of the counting of votes, the candidate or his election agent may appoint a new counting agent in the manner laid down in sub-rule (1) of rule 35.

(4) the provisions of sub-rule (2) of rule 35 shall apply in relation to a counting agent appointed under sub-rule (3) as they apply in relation to counting agent appointed under sub-rule (1) of rule 35.

CHAPTER VI—GENERAL PROCEDURE OF ELECTION

38. Death of candidates before poll.—(1) poll shall not be countermanded due to death of a contesting candidate who has not been set up by a recognised political party, before the commencement of poll, except when as a result of such death there remains only one candidate in the fray, in which case the Returning Officer shall, upon being satisfied of the fact of the death of the candidate countermand the poll and report the fact to the Election Commission through the District Election Officer.

(2) If a candidate, set up by a recognised political party—

- (a) dies at any time after 11 a.m. on the last date of making nominations and his nomination is found valid on scrutiny under rule 28; or
- (b) whose nomination has been found valid on scrutiny under rule 28 and who has not withdrawn his candidature under rule 29 dies, and in either case a report of his death is received at any time before the publication of the list of contesting candidates under rule 32; or
- (c) dies as a contesting candidate and a report of his death is received before the commencement of the poll;

the Returning Officer shall upon being satisfied about the fact of the death of the candidate by order, countermand the poll and report the fact to the Election Commission through the District Election Officer:

Provided that no order for countermanding a poll shall be made in case referred to in clause (a) except after the scrutiny of all the nominations including the nomination of the deceased candidate.

(3) When a poll is countermanded under sub-rule (1) or sub-rule (2), all proceedings with reference to the election shall be commenced afresh in all respects as if for a new election in accordance with the rules hereinbefore:

Provided that—

- (i) no further nomination shall be necessary in the case of a person who was a contesting candidate at the time of the countermanding of the poll; and

(ii) no person who has given an application of withdrawal of his candidature under sub-rule (1) rule 29 before the countermanding of the poll, shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

39. Uncontested Election.—(1) *If for any seat, after the date and time fixed for withdrawal of candidature, there remains only one candidate in the field, the Returning Officer shall forthwith declare in Form 14 such candidate as duly elected to fill the seat and shall send copy of such declaration to the Election Commission through the District Election Officer".

(2) If no nomination paper has been filed for any seat or if no candidate has been duly nominated for any seat the Returning Officer shall send a report of this fact to the Election Commission through the District Election Officer, and the Election Commission shall take further action to fill the seat in accordance with the provisions of the Act and these rules.

40. Contested Elections.—In cases other than those covered by rule 39 a poll shall take place.

CHAPTER VII—POLL AND VOTING FOR ELECTION

41. Manner of voting at election.—At every election where a poll is taken votes shall be given by ballot in the manner hereinafter provided and no votes shall be received by proxy.

42. Ballot Box.—Every ballot box shall, subject to general or special orders of the Election Commission, be of such design that ballot papers can be inserted therein but cannot be withdrawn without the box being unlocked and the seal being broken.

* (1) After rule 42, the following rule shall be inserted, namely:—

"42A. Voting Machines at Elections.—Notwithstanding anything contained in the Rules, the State Election Commission may order that in specified wards, the giving and recording of votes shall be by voting machines in the manner as prescribed hereafter.

Explanation.—For the purpose of this rule "Voting Machines" means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise, used for giving and recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in the rules shall save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in the election."

43. Form of ballot papers.—(1) Every ballot paper shall have a counterfoil attached thereto and shall be in such form and have such particulars as may be determined by the Election Commission.

(2) The ballot paper shall contain the names of the candidates in Hindi in the Devanagari script, arranged in the same order in which they appear in the list of contesting candidates against their election symbols.

44. Arrangement at Polling Stations.—(1) The District Election Officer shall provide at each polling station sufficient number of ballot boxes and ballot papers, copies of the voters' list in respect of the polling area, articles necessary for voters to mark the ballot papers as well as such other instruments and accessories as may be required for taking the poll at such polling station.

(2) Each polling station shall be furnished with one or more compartment called "voting compartment" in which voters can, one after another, cast their votes screened from observation, and no voter shall be allowed to enter such voting compartment when another voter is inside the same for the purpose of recording his vote.

(3) Outside each polling station there shall be displayed prominently—

- (a) a notice specifying the polling area, the voters of which are entitled to vote at the polling station; and
- (b) a notice giving the name of each candidate in Hindi in the Devanagari script in the same order in which the names of such candidates appear in the list of contesting candidates published under rule 32.

45. Admission to polling station.—The Presiding Officer shall regulate the number of voters to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than—

- (a) Polling Officers;
- (b) public servants on duty in connection with the election;
- (c) persons authorised by the Election Commission, District Election Officer or the Returning Officer;
- (d) candidates, their election agents and subject to the provisions of these rules one polling agent of each candidate;
- (e) a child in arms accompanying a voter;
- (f) a person accompanying a blind or infirm voter who cannot move without help; and
- (g) such other person as the Returning Officer or the Presiding Officer may employ for the purpose of identifying the voters.

46. Ballot Boxes to be sealed before the commencement of poll.—(1) The Presiding Officer at each polling station shall immediately before the commencement of the poll, allow inspection of each ballot box, to be used at the poll, by the candidates, their election agents or polling agents, who may be present at such station and demonstrate to them and to all other persons present, that it is empty.

(2) The Presiding Officer shall, after complying with the provisions of sub-rule (1), secure and seal the box in such manner that the slit in the box for insertion of ballot paper therein remains open and shall also allow the candidates or their election agents or polling agents, who may be present, to affix their own seals on the space in the box meant therefor, if they so desire.

(3) The seals to be used for ballot box shall be affixed in such manner that it shall not be possible to open the box again without breaking such seal or any thread on which the seals have been affixed.

47. Facilities for women voters.—(1) Where a polling station is for both men and women voters, the Presiding Officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches of women and men.

(2) The Returning Officer or the Presiding Officer may appoint a woman to serve as an assistant at a polling station to assist women voters and also to assist the Presiding Officer generally in taking the poll in respect of women voters and in particular, to help in searching any woman voter in case it becomes necessary to ensure free and fair election.

48. Identification of voters.—(1) The Presiding Officer may employ at the polling station such persons as he thinks fit to help in the identification of the voters or to assist otherwise in taking a poll.

*“(2) The State Election Commission may for establishing the identity of the voter, give such directions, as it thinks proper and when any voter fails to establish his identity according to such directions, the Ballot Paper shall not be issued to him and he shall be deprived of casting his vote.”.

(3) As each voter enters the polling station, the Presiding Officer or the Polling Officer authorised in this behalf shall check the voter's name and other particulars with the relevant entry in the voters' list and then call out the serial number, name and other particulars of the voter.

(4) In deciding the right of a person to obtain a ballot paper the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, shall overlook merely clerical or printing errors in an entry in the voters' list, if he is satisfied that such person is identical with the voter to whom such entry relates.

49. Challenging of Identity.—(1) Any candidate or his election agent or polling agent may challenge the identity of a person claiming to be particular voter by first depositing a sum of Rupees five in cash with Presiding Officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the Presiding Officer shall—

- (a) warn the person challenged of the penalty for impersonation;
- (b) read the relevant entry in the voters' list in full and ask him whether he is the person referred to in the entry;
- (c) enter his name and address in the list of the challenged votes in Form 15; and
- (d) require him to affix his signature or thumb impression in the said list.

(3) The Presiding Officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
- (b) put to the person challenged any questions necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the person challenged and other person offering to give evidence;

(4) If, after the inquiry, the Presiding Officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote, and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the Presiding Officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to the State Government and in other case, he shall return it to the challenger at the conclusion of the inquiry.

***“49-A. Safeguards against personation.—**(1) Every voter about whose identity the Presiding Officer or the Polling Officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the Presiding Officer or Polling Officer and an indelible ink mark to be put on it as far as possible just below the root of the nail so that the ink also spreads on the ridge between the skin and the root of the nail.

(2) If any voter refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act to remove the ink mark, he shall not be supplied with any ballot paper or allowed to vote.

Explanation.—Any reference in this rule to the left forefinger of a voter shall, in the case where the voter has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand, and shall in the case, where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand, and shall in the case where all his fingers of both the hands are missing be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

50. Issue of ballot paper.—(1) No ballot paper shall be issued to any voter before the hour fixed for the commencement of the poll.

(2) No ballot paper shall be issued to any voter after the hour fixed for the closing of the poll except to those voters who are present at the polling station at the time of the closing of the poll. Such voters shall be allowed to cast their votes even after the time for the poll is over.

***“(3) Every ballot paper and the counterfoil attached thereto shall be stamped on the back with such distinguishing mark as the Election Commission may direct, and every ballot paper, before it is issued to a voter, shall be signed in full on its back by the presiding officer.**

(4) At the time of issuing a ballot paper to a voter, the polling officer shall—

- (a) record on its counterfoil, the serial number of the voter as entered in the marked copy of the voters' list;
- (b) obtain the signature or thumb impression of that voter on the said counterfoil; and
- (c) underline the entry relating to a voter in the marked copy of the voters' list to indicate that a ballot paper has been issued to him, without recording therein the serial number the ballot paper issued to that voter :

Provided that no ballot paper shall be delivered to a voter unless he has put his signature or thumb impression on the counterfoil of that ballot paper”.

(5) No person in the Polling Station shall notedown the serial number of the ballot paper issued to a particular voter.

51. Voting procedure.—(1) A voter, on receiving the ballot paper, shall forthwith proceed to the voting compartment; there, make a mark on the ballot paper with the instrument supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote; fold the ballot paper so as to conceal his vote; insert the folded ballot paper into the ballot box and quit the polling station.

(2) No voter shall remain in the polling station longer than what is reasonably necessary for casting his vote.

52. Recording of vote by blind or infirm voter.—(1) If the presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity a voter is unable to recognise the symbols on the ballot paper or to make a mark thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the voter to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on the ballot paper on his behalf and in accordance with his wishes and if necessary for folding the ballot paper so as to conceal the vote and inserting it into the ballot box:

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one voter at any polling station on the same day:

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of a voter under this rule, the person shall be required to declare, in Form 16 that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the voter and that he has not already acted as the companion of any other voter at any polling station on that day.

(2) The Presiding Officer shall keep a record of all cases under this rule.

53. Spoiled and returned ballot papers and ballot papers found outside ballot boxes.—

(1) A voter who has inadvertently dealt with his ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot paper may, on returning it to the Presiding Officer and on satisfying him of the inadvertance, be given another ballot paper and the ballot paper so returned and the counter foil of such ballot paper shall be marked "Spoiled, cancelled" by the Presiding Officer.

(2) If a voter after obtaining a ballot paper decides not to use it, he shall return it to the Presiding Officer and the ballot paper so returned shall be marked as "Returned, cancelled" by the Presiding Officer.

(3) All ballot papers cancelled under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be kept in a separate packet.

(4) If any ballot paper, which has been issued to a voter has not been inserted by him into the ballot box, but is found any where in or near the polling station, whether within or outside the voting compartment, it shall be deemed to have been returned to the Presiding Officer under sub-rule (2) and dealt with accordingly.

54. Tendered Votes.—(1) If a person representing himself to be a particular voter named in the voters' list applies for a ballot paper after another person has already voted as such voter, the applicant shall after duly answering such questions as the Presiding Officer may ask, be entitled to receive a ballot paper (referred to herein after as a "tendered ballot paper") in the same manner as any other voter.

(2) Every such person shall, before being supplied with a tendered ballot paper, affix his signature or thumb impression against the entry relating to him in a list in Form 17.

(3) A tendered ballot paper shall be the same as any other ballot paper used at the polling except that—

- (a) Such tendered ballot paper shall be serially the last in the bundle of ballot papers issued for use at the polling station; and
- (b) Such tendered ballot paper and its counterfoil shall be endorsed on the back with the words "Tendered ballot paper" by the Presiding Officer in his own hand and signed by him.

(4) The voter, after marking a tendered ballot paper in the voting compartment and folding it, instead of putting it into the ballot box, shall give it to the Presiding Officer, who shall place it in a cover specially kept for the purpose.

55. Closing of Poll.—(1) The Presiding Officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf under clause (d) of rule 21 and shall not thereafter admit any voter into the polling station:

Provided that all voters present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether a voter was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the Presiding Officer and his decision shall be final.

56. Sealing of ballot boxes after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of poll, the Presiding Officer shall, in the presence of candidates or their election agents or polling agents close the slit of the ballot box and where the ballot box does not contain any mechanical device for closing the slit, he shall seal up the slit and also allow any candidate, election agent or polling agent present to affix his seal.

(2) The ballot box shall thereafter be sealed and secured.

(3) Where it becomes necessary to use a second ballot box by reason of the first box getting full, the first box shall be closed, sealed and secured as provided in sub-rule (1) and (2) before another ballot box is put into use.

57. Account of ballot papers.—The Presiding Officer shall at the close of the poll prepare a ballot paper account in Form 18 and enclose it in a separate cover with the words "Ballot Paper Account" superscribed thereon.

58. Sealing of other packets.—(1) The Presiding Officer shall then make into separate packets—

- (i) the marked copy of the voters' list;
- (ii) the counter foils of the used ballot papers;

- (iii) the ballot papers not issued to the voters;
- (iv) the tendered ballot papers along with their list in Form 17;
- (v) the cancelled ballot papers;
- (vi) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each such packet shall be sealed with the seals of the Presiding Officer and of those candidates, or their election agents or polling agents present who may desire to affix their seals thereon.

59. Delivery of ballot boxes, packets etc. to the Returning Officer.—(1) The Presiding Officer shall then deliver to the Returning Officer at such place as the Returning Officer or such other officer authorised by him in this behalf may direct:—

- (a) the ballot boxes;
- (b) the ballot paper account;
- (c) the sealed packets referred to in rule 58; and
- (d) all other papers used at the poll.

(2) The Returning Officer or such authorised officer shall make adequate arrangements for the safe transport of all ballot boxes, packets and other papers and for their safe custody until the commencement of the counting of votes.

60. Adjournment of poll in emergency.—(1) If at any election the proceedings at any polling station are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at any election it is not possible to take the poll at any polling station on account of any natural calamity, or any other sufficient cause, the Returning Officer or the Presiding Officer for such polling station shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later and where the poll is so adjourned by the Presiding Officer, he shall forthwith inform the Returning Officer concerned.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-rule (1) the Returning Officer shall immediately report the circumstances to the Election Commission through the District Election Officer and thereupon the Election Commission shall, as soon as may be, appoint the day on which the poll shall recommence and fix the polling station at which and the hours during which, the poll shall be taken. The Returning Officer shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed.

(3) The Presiding Officer shall follow as far as practicable, the provisions of rules 56 to 59 in the matter of sealing of ballot boxes and other packets, preparation of the account of ballot papers and delivery of the ballot boxes and other polled material, in the case of the adjourned poll, as if the poll were closed at the hour initially fixed in that behalf under rule 21.

(4) In every such case as aforesaid the District Election Officer shall notify in such manner as the Election Commission may direct the date, place and hours of poll fixed under sub-rule (2) and the provisions of the rules governing the original poll shall *mutatis mutandis* apply to the resumed poll under this rule.

61. Recommencement of adjourned poll.—(1) When a poll which was adjourned under rule 60, is recommenced, the voters who have already voted at the poll so adjourned shall not be allowed to vote again.

(2) The Returning Officer shall provide the Presiding Officer of the polling station at which such adjourned poll is held, with the sealed packet containing the marked copy of the voters' list and a new ballot box.

(3) The Presiding Officer shall open the sealed packet containing the marked copy of the voters' list in the presence of the candidates or their election agents or polling agents present and use the same for marking the names of the remaining voters to whom the ballot papers are issued at the adjourned poll without, however, recording therein the serial number of ballot papers.

(4) The provisions of rules 41 to 59 shall apply in relation to the conduct of an adjourned poll as they apply in relation to the poll before it was so adjourned.

62. Fresh poll in case of damage, destruction or tampering of a ballot box etc. or due to procedural irregularity.—(1) If at any election—

(a) any ballot box used at a polling station is unlawfully taken out of the custody of the Presiding Officer or the Returning Officer or is accidentally or intentionally destroyed or lost or is damaged or tampered with to such extent that the result of the poll at that polling station cannot be ascertained; or

(b) any such error or irregularity in procedure as is likely to vitiate the poll, is committed at a polling station, the Returning Officer shall forthwith report the matter to the Election Commission through the District Election Officer.

(2) The Election Commission shall on receipt of a report under rule (1) and after taking all material circumstances into account either—

(a) declare the poll at that polling station to be void, appoint a day and fix the hours for taking a fresh poll at that polling station and direct the District Election Officer to notify the day so appointed and the hours so fixed in such manner as it may deem fit; or

(b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station will not, in any way affect the result of the election or that the error or irregularity in procedure is not material, issue such directions to the District Election Officer as it may deem proper for further conduct and completion of the election.

(3) In every case covered by clause (a) of sub-rule (2), the District Election Officer shall proceed to conduct the poll afresh, in accordance with the directions of the Election Commission and the provisions of rules 41 to 59 shall apply to such fresh poll.

63. Election Duty Ballot.—(1) A person who is registered as a voter in a Municipality and by reason of his being deployed on election duty on the date of poll, is unable to vote at the polling station where he is entitled to vote, shall be known as a voter on election duty and his vote shall be recorded in the manner hereinafter provided.

(2) A voter on election duty shall send an application in Form 19 to the Returning Officer so as to reach him at least seven days' or such shorter period as the Returning Officer may allow, before the date of poll; and if the Returning Officer is satisfied that the applicant is a voter on election duty, he shall issue an election duty ballot paper (hereinafter called an E.D. ballot paper) to him.

Explanation.—A polling agent, a Polling Officer a Presiding Officer and any other Public Servant whom the Returning Officer regards as a voter on election duty shall be entitled to receive an E. D. ballot paper.

(3) Every E. D. ballot paper shall have a counter foil attached thereto and shall be in such form and shall have such particulars as may be determined by the Election Commission. The names of candidates shall be arranged on the E. D. ballot paper in the same order in which they appear in the list of contesting candidates and shall be in Hindi in the Devanagari script.

(4) Along with the E. D. ballot paper, the Returning Officer shall also send or handover the following forms to the applicant, viz—

- (a) a small inner envelop (to keep the ballot paper in), in Form 19A;
- (b) a large outer envelope addressed to the Returning Officer in Form 19B;
- (c) a declaration to be made by the voter, in Form 19C;
- (d) instructions for guidance of the voter, in Form 19D.

(5) Every Officer under whose care or through whom the E. D. ballot paper is sent shall ensure its delivery to the addressee without delay.

(6) The Returning Officer shall while issuing an E. D. ballot paper—

- (a) record on the counterfoil of the E. D. ballot paper the serial number of voter as entered in the marked copy of the voters' list for that polling station;
- (b) mark "E. D. B." against the name of the voter in the marked copy of the voters' list to indicate that an E. D. Ballot paper has been issued to him and that he is not to be allowed to vote personally at the polling station. The serial number of the E. D. ballot paper issued to the voter shall, however, not be recorded on the marked copy of the voters' list.

(7) The voter shall record his vote and despatch the E. D. ballot paper in the following manner viz—

- (a) the voter may record his vote by making a mark (like $\sqrt{}$ or x) anywhere in the space allotted to the candidate for whom he wants to vote. There is no particular mark required to be made; any mark can be accepted as valid so long as the intention of the voter to vote for a particular candidate is clear beyond any reasonable doubt and the identify of the voter is not disclosed by such mark.
- (b) after making his vote on the E. D. ballot paper, the voter shall enclose the ballot paper in the smaller (inner) envelope in Form 19-A.

(c) the voter shall then sign a declaration in Form 19-C in the presence of and have his signature attested by any one of the officers specified below to whose satisfaction he has been identified, viz—

(i) head of the office where he works, if he is a government servant or an employee of a Municipality or a Government Undertaking;

(ii) any gazetted officer or the Presiding Officer of the polling station at which he is on election duty;

(iii) any Revenue Officer not below the rank of a Naib Tahsildar;

(iv) any such officer as may be notified in this behalf by the Election Commission.

(d) the voter shall then place the smaller (inner) envelope in Form 19-A containing the E.D. ballot paper, along with the declaration in Form 19-C, in the larger (outer) envelope in Form 19-B; close the larger envelope and hand it over to the Returning Officer personally or send it to him through a messenger or by post, so as to reach the later before the hour fixed for the commencement of counting of votes.

(8) If any envelope containing an election duty ballot paper is received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed under clause (c) of rule 21; he shall note thereon the date and time of its receipt and shall keep all such covers together in a separate packet.

(9) The Returning Officer shall keep in safe custody until the commencement of the counting of votes all envelopes containing election duty ballot papers received by him.

(10) A voter against whose name "E. D. B." is marked in the marked copy of the voters' list, shall not be issued a ballot paper at a polling station.

(2) After Chapter VII, the following chapter shall be inserted, namely :—

Chapter VII 'A' **Voting By Voting Machines**

* 63 A. **Design of voting machines.**—Every voting machine shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such design as may be approved by the Election Commission.

63 B. **Preparation of voting machine by the returning officer.**—(1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and in such language as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their surname, father's name, occupation or residence or in some other manner.

(4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall —

- (a) fix the label containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.
- (b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

63 C. Arrangements at the polling stations.—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently —

- (a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled; and
- (b) a copy of the list of contesting candidates.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes free from observation.

(3) The returning officer shall provide at each polling station such number of voting machines so as to accommodate and exhibit required particulars of all the contesting candidates of a ward and copies of relevant part of the electoral roll and such other election material as may be necessary for taking the poll and in case more than one machine are provided at a polling station, they shall be connected with each other so as to form it a single balloting unit at that polling station.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

63 D. Admission to polling stations.—The presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than —

- (a) polling officers;
- (b) public servants on duty in connection with election;
- (c) persons authorised by the election Commission;
- (d) candidates their election agents and subject to the provisions of rule 34, one polling agent of each candidate;
- (e) a child in arms accompanying an elector;
- (h) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and
- (g) such other person as the returning officer or the presiding officer may employ under sub-rule (2) of rule 63 F or sub-rule (1) of rule 63 G.

63 E. Preparation of voting machine for poll.—(1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a label marked with —

- (a) the serial number, if any and the name of the ward;
- (b) the serial number and name of the polling station or stations, as the case may be;
- (c) the serial number of the unit; and
- (d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4) of rule 63 B.

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine and the presiding officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(4) The presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the control unit of the voting machine and shall secure and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed, it is not possible to press the "Result Button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the presiding officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

63 F. Facilities for women electors.—(1) Where a polling station is for both man and woman electors, the presiding officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The returning officer or the presiding officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist woman electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of woman electors and in particular, to help frisking any woman elector in case it becomes necessary.

63 G. Identification of electors.—(1) The presiding officer may employ at the polling station such person as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in taking the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) In deciding the right of a person to cast his vote, the presiding officer or the polling officer, as the case may be, shall overlook the clerical or printing errors in an entry in the electoral roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

63 H. Facilities for public servants on election duty.—A person on election duty as provided in rule 63 may send an application in Form No. 19 to the Returning Officer so as to reach him at least 7 days before the date of poll and on receiving such application if the Returning Officer is satisfied, the Returning Officer shall —

- (a) obtain thereon, the signature of the person producing it;
- (b) have the person's name and electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of the marked copy of the electoral roll; and
- (c) Permit him to cast his vote in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.

63 I. Challenging of identity.—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of five rupees in cash with the presiding officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall—

- (a) warn the person challenged of the penalty for personation;
- (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;
- (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 15; and
- (d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The presiding officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
- (b) put to person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government and in any other case, return to the challenger at the conclusion of the inquiry.

63 J. Safeguards against personation.—(1) Every elector about whose identity the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, he shall not be allowed to vote.

(3) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand and shall, in the case where all his fingers of both the hands are missing, be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

63 K. Procedure for voting by voting machines.—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall —

- (a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters as provided in rule 50 (4) (a); (17-A)
- (b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of voters; and
- (c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote :

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, it shall not be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the register of voters.

63 L. Maintenance of secrecy of voting by electors within the polling station and voting procedures.—(1) Every elector who has been permitted to vote shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote, the elector shall proceed to the presiding officer or the polling officer incharge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit for recording of elector's vote.

(3) The elector shall thereafter forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and
- (c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) Every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote, refuses, after warning given by the presiding officer to observe the procedure laid down in the rules, the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote, a remark to the effect that voting procedure has been violated shall be made against the elector's name in the register of voters by the presiding officer under his signature.

63 M. Recording of votes of blind or infirm electors.—(1) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognize the symbol on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes :

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day :

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, that person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 16 of all cases under this rule.

63 N. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall, before being supplied with tendered ballot paper, write his name against the entry relating to him to Form 17.

(3) On receiving the ballot paper, he shall forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'x' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
- (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
- (d) show to the presiding officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper;

- (e) give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and
- (f) leave the polling station.

(4) If, owing to blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance, the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same condition and after following the same procedure as laid down in rule 63 M for recording the vote in accordance with his wishes.

63 O. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.—(1) The presiding officer may, whenever he considers it necessary to do so, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the presiding officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenever the presiding officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

63 P. Closing of poll.—(1) The presiding officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf and he shall not thereafter admit any elector into the polling station :

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the presiding officer and his decision shall be final.

63 Q. Account of votes recorded.—The presiding officer shall, at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in form-18A enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded" superscribed thereon.

63 R. Sealing of voting machine after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.

63 S. Sealing of other packets.—(1) The presiding officer shall, then, make into separate packets —

- (a) the marked copy of the electoral roll;
- (b) the register of voters;
- (c) the cover containing the tendered ballot papers;
- (d) the list of challenged votes;
- (e) the unused ballot papers kept for issue as tendered ballot paper; and
- (f) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each such packet shall be sealed with the seal of the presiding officer and with the seal either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seal thereon.

63 T. Transmission of voting machines etc. to the returning officer.—(1) The presiding officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer, at such place as the returning officer may direct.

- (a) the voting machine;
- (b) the account of votes recorded;
- (c) the sealed packets referred to in rule 63 S; and
- (d) all other papers used at the poll.

(2) The returning officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for the safe custody until the commencement of the counting of votes.

63 U. Procedure of adjournment of poll.—(1) If at any election the polling is adjourned in emergency the procedure provided in rule 60 and 61 shall be followed.

63 V. Closing of voting machine in case of booth capturing.—Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

CHAPTER VIII—COUNTING OF VOTES

64. Supervision of counting of votes.—At every election where a poll is taken, votes shall be counted under the supervision and direction either of the Returning Officer or Assistant Returning Officer and each contesting candidate, or his election agent or counting agent shall have a right to be present at the time of counting.

65. Admission to the place fixed for counting.—(1) The Returning Officer or such other officers as may be authorised by him in this behalf, shall exclude from the place fixed for counting of votes all persons except—

- (a) such persons to be known as counting supervisors and counting assistants as he may appoint to assist him in the counting;
- (b) person authorised by the Election Commission or the District Election Officer;
- (c) public servants on duty in connection with the election; and
- (d) candidates, their election agents and counting agents.

(2) No person who has been employed by or on behalf of or has been otherwise working for a candidate in or about the election shall be appointed under clause (a) of sub-rule (1).

(3) The Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf, shall decide which counting agent or agents shall watch the counting at any particular counting table or group of counting tables.

(4) Any person, who during counting of votes misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the Returning Officer or such other officers authorised by him in this behalf, may be removed from the place where the votes are being counted, by the Returning Officer, or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by the Returning Officer.

66. Counting of election duty (E. D.) Ballot papers.—(1) The Returning Officer shall first deal with the E. D. ballot papers in the manner hereinafter provided.

(2) No envelope in Form 19-B received by the Returning Officer after the expiry of the time fixed in that behalf shall be opened and no ballot paper contained in any such cover shall be counted.

(3) The other covers shall be opened one after another and as each cover is opened, the Returning Officer shall first scrutinise the declaration in Form 19-C contained therein.

(4) If the said declaration is not found or has not been duly signed and attested, or is otherwise substantially defective or if the serial number of the ballot paper as entered in it differs from the serial number endorsed on the envelope in Form 19-A that cover shall not be opened and after making an appropriate endorsement thereon, the Returning Officer shall reject the ballot paper therein contained.

(5) Each cover so endorsed and the declaration received with it shall be replaced in the outer envelope in Form 19-B and all such envelopes shall be kept in a separate packet which shall be sealed and on which shall be recorded the number and name of any of the ward the date of counting and a brief description of its content.

(6) The Returning Officer shall then place all the declarations in Form 19-C which he has found to be in order in a separate packet which shall be sealed before any envelope in Form 19-A is opened and on which shall be recorded the particulars referred to in sub-rule (5).

(7) The smaller envelopes in Form 19-A not already dealt with under the foregoing provisions of this rule shall then be opened one after another and the Returning Officer shall scrutinise each ballot paper and decide the validity of the vote recorded thereon.

(8) An E. D. ballot paper shall be rejected—

- (a) if it bears any mark, other than the mark to record the vote or writing by which the voter can be identified;
- (b) if no vote is recorded thereon;
- (c) if votes are given on it in favour of more candidates than one; or
- (d) if it is a spurious ballot paper; or
- (e) if it is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
- (f) if it is not returned in the cover sent along with it to the voter by the Returning Officer;
- (g) if the mark indicating the vote is placed on the ballot paper in such manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been given.

(9) A vote recorded on an E. D. ballot paper shall not be rejected merely on the ground that the mark indicating the vote is indistinct or made more than once, if the intention that the vote shall be for a particular candidate clearly appears from the way the paper is marked.

(10) The Returning Officer shall count all the valid votes given in favour of each candidate, record the total thereof in the result sheet in Form 20 and announce the same.

(11) Thereafter, all the valid ballot papers and all the rejected ballot papers shall be separately bundled and kept together in packet which shall be sealed with the seals of the Returning Officer and of such of the candidates their election agents or counting agents as may desire to affix their seals thereon and on the packet so sealed shall be recorded the number and name, if any, of the ward, the date of counting and a brief description of its contents.

67. Scrutiny and opening of ballot boxes.—(1) The Returning Officer or such other officers authorised by him, may have the ballot boxes used at the polling stations of a ward, opened and their contents counted simultaneously.

(2) Before any ballot box is opened at a counting table a candidate or his election agent or counting agent present at the table, shall be allowed to inspect the paper seal or such other seal as might have been affixed thereon and to satisfy himself that it is intact.

(3) The Returning Officer or such other officer authorised by him shall satisfy himself that none of the ballot boxes has in fact been tampered with.

(4) If the Returning Officer or such other officer authorised by him is satisfied that any ballot box has in fact been tampered with, he shall not count the ballot papers contained in that box and shall follow the procedure laid down in rule 62, in respect of that polling station.

68. Scrutiny and rejection of ballot paper.—(1) A ballot Papers contained in a ballot box shall be rejected if—

- (a) it bears any mark or writing by which the voter can be identified; or
- (b) it is a spurious ballot paper; or
- (c) it has been so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established; or
- (d) it bears a serial number, or is of a design, different from the serial numbers of or as the case may be, design, of the ballot paper authorised for use at the particular polling station; or
- (e) it does not bear any mark which it should have borne under the provisions of sub-rule (3) of rule 50; or
- (f) it has not been marked; or
- (g) it has been marked in the columns of more than one candidate ; or
- (h) it has been marked by an equipment and in the manner other than the equipment and the manner prescribed for that purpose:

Provided that where Returning Officer, on being satisfied that any such defect as is mentioned in clause (d) or clause (e) has in respect of all or any ballot papers used at a polling station been caused by the mistake or failure on the part of the Presiding Officer or Polling Officer concerned, has directed that the defect should be overlooked, a ballot paper shall not be rejected only on the ground of such defect under clause (d) or clause (e).

(2) Before rejecting any ballot paper under sub-rule (1) the Returning Officer or such other officer authorised by him, shall allow each counting agent present a reasonable opportunity to inspect the ballot paper but shall not allow him to handle it or any other ballot paper.

(3) The Returning Officer shall record on every ballot paper which he rejects the letter "R" and the grounds of rejection in abbreviated form whether in his own hand or by means of a rubber stamp.

(4) All ballot papers rejected under this rule shall be bundled together.

69. Counting of votes.—(1) Every ballot paper which is not rejected under Rule 68 shall be counted:

Provided that no cover containing tendered ballot paper shall be opened and no such ballot paper shall be counted.

(2) In case the number of polling stations in a ward in more than one, the counting for various polling stations in that ward shall be taken up one by one and the result thereof shall be recorded separately for each polling station in Form 21.

(3) After the counting in respect of all polling stations in a ward has been completed the Returning Officer shall compile the result in the final result sheet in Form-22.

He shall also record therein the number of E. D. votes cast in favour of each candidate on the basis of entries in Form 20 and then total up the number of valid votes polled by each candidate and announce the same.

(3) After rule 69, the following rule shall be inserted, namely :—

*** “69 A. Scrutiny and inspection of voting machines.—**(1) The Returning Officer shall have the control units of the voting machines used at more than one polling stations taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1), the Candidate or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the voting machines have in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 62 as may be applicable in respect of the polling station where that machine was used.

***69 B. Counting of votes when Electronic Voting Machine are used.—**(1) After the returning officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tampered with, he shall have the votes recorded therein.

9. In rule 69 C,—

(i) in sub-rule (1), for the word and figure “Form 21”, the word, figure and letter “Form 21-A” shall be substituted;

(ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(3) The data of a voter is recorded in two places in the Control Unit of Electronic voting Machine. One is recorded in the memory of Control Unit and the other one is recorded in the Detachable Memory Module established in the Unit. The Election Commission shall issue instructions to seal the data after declaration of result of elections in the Control Unit for the use of court cases and for want of record and the Control Unit and Ballot Unit shall be used for the forthcoming elections. The process of sealing shall be determined by the Commission.”.

70. Counting to be continuous.—The Returning Officer shall as far as practicable proceed continuously with the counting of votes and shall, during any intervals when the counting has to be suspended, keep the ballot papers, packets and other papers relating to the election, sealed with his own seal and the seals of such candidates or election agents or counting agents as may be desirous of affixing their seals and shall cause adequate precautions to be taken for their safe custody during such intervals.

71. Recommencement of counting after fresh poll.—(1) If a fresh poll is held under Rule 60 or 62 the Returning Officer shall after completion of that poll, recommence the counting of votes on the date and at the time and place which have been fixed in that behalf and of which notice has been previously given to the candidates or their election agents.

(2) The provisions of Rules 65 to 69 shall apply so far as may be, to such further counting.

72. Recount of votes.—(1) After an announcement has been made by the Returning Officer of the total number of votes polled by each candidate under sub-rule (3) of Rule 69, a candidate or in his absence, his election agent may apply in writing to the Returning Officer to recount the votes either wholly or in part, stating the grounds on which he demands such recount.

(2) On such an application being made, the Returning Officer shall decide the matter and may allow the application in whole or in part or may reject it if it appears to him to be frivolous or unreasonable.

(3) Every decision of the Returning Officer under sub-rule (2) shall be in writing and contain the reasons therefor.

(4) If the Returning Officer decides under sub-rule (2) to allow an application either in whole or in part, he shall—

- (a) count or cause to be counted the ballot papers again in accordance with his decision;
- (b) amend the result sheet in Form 22 to the extent necessary after such recount; and
- (c) announce the amendments so made by him.

(5) After the total number of voters polled by each candidate has been announced under sub-rule (3) of rule 69 or under sub-rule (4), the Returning Officer shall complete and sign the result sheet and no application for a recount shall be entertained thereafter :

Provided that no step under this sub-rule shall be taken on the completion of the counting until the candidates and election agents present at the completion thereof have been given a reasonable opportunity to exercise the right conferred by sub-rule (1).

*(6) All valid ballot papers shall be bundled together and kept along with the bundle of rejected ballot papers in a Separate Packet which shall be sealed and on which shall be recorded the following particulars, namely:—

- (a) the name of the Municipality and the nomenclature of the seat to which the ballot papers relate, such as Mayor, President or Councillor.
- (b) The number of ward in the case of election of a Councillor.
- (c) The number of the Polling Station where the ballot papers have been used; and
- (d) The date of counting."

73. Equality of Votes.—If, after the counting of votes is completed and equality of votes is found to exist between any candidates and addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the Returning Officer shall forthwith decide between those candidates by lot and proceed as if the candidate on whom the lot falls has received an additional vote. In such a case the Returning Officer shall add the following words at the end of his declaration cum return of election in Form 23 namely "by draw of lot".

74. Declaration and Return of Election.—The Returning Officer shall then complete and certify the declaration cum-return of election in form 23 and send two signed copies thereof to the District Election Officer, one for his record and the other for onward transmission to the Election Commission.

75. Grant of Certificate of Election to the Returned Candidate.—As soon as may be after a candidate has been declared by the Returning Officer to be elected under rule 39 or 74, as the case may be the Returning Officer shall grant to such candidate a certificate of election in Form 24 and obtain from the candidate an acknowledgement of its receipt duly signed by him and immediately send the acknowledgement to the District Election Officer.

***“CHAPTER VIII-A. POLLING IN RELATION TO RECALL OF THE
MAYOR/PRESIDENT FROM HIS OFFICE**

75-A. Commencement of the process in relation to recall of Mayor/President from his Office.—When a reference under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 or under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 as the case be is received, the State Election Commission shall forthwith initiate the election process in relation to recall the Mayor or the President as the case may be and shall complete it within six months.

75-B. Present Rules to remain applicable according to situation.—For the purpose of Chapter VIII-A, the Rules from Chapter one to eight and Chapter nine of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 shall be applicable with such changes as the Commission may deem proper.

75-C. Notice of poll and time Schedule therefor.—In accordance with the time Schedule prescribed by the Election Commission, the District Election Officer shall by notice in Form 25—

- (i) specify the date and time of polling;
- (ii) specify the place, date and time of counting of votes.

75-D. Manner of publication of Notice under Rule 75-C.—Notice under Rule 75-C shall be published at least twenty days before the date prescribed for polling by affixing one copy of the notice on the notice boards of the following offices :—

- (i) District Election Officer (Nagarpalika);
- (ii) Returning Officer (Concerned Municipality);
- (iii) Concerned Municipality; and

the Returning Officer shall deliver a copy of the said notice to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-E. Publication of the list of the Polling Stations.—The Returning Officer shall in accordance with these rules, provide sufficient numbers of polling stations and along with the notice issued under Rule 75-C shall publish a list showing the polling stations and the polling areas for which they shall be set up.

75-F. Allotment of Symbols.—Subject to the direction of State Election Commission, the Returning Officer shall prescribe symbols separately for recalling and for continuing in office of the concerned Mayor/President and shall publish the same in Form 26.

*असाधारण राजपत्र क्र. 749, दिनांक 29-12-2000.

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 अक्टूबर 2009.

75-G. The manner of publication of Form 26 under Rule 75-F.—Form 26 shall be published along with the publication of the notice of election under Rule 75-C and such publication shall be made by affixing the notices on the notice boards of the following offices ;—

- (i) District Election Officer (Municipality);
- (ii) Returning Officer (Concerned Municipality);
- (iii) Concerned Municipality; and

the Returning Officer shall also deliver one copy of Form 26 to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-H. Declaration of the Result of Poll.—The Returning Officer, as far as possible, immediately after counting of votes shall declare the result of poll in Form 27 and shall send its two duly signed copies to the District Election Officer, out of which one shall be for record and the other shall be forwarded by him to the State Election Commission.

75-I. Notification of the Result of Election in relation to recall of Mayor/President.—The result of election in relation to recall of Mayor/President shall be notified by the State Election Commission in the Official Gazette.

75-J. Notification of Vacancy.—If, out of the total number of voters casting their votes, more than half have cast their votes in favour of recalling the concerned Mayor or the President, the office of the concerned Mayor or the President, as the case be, shall be deemed to be vacant with effect from the date of declaration of the result and the notice of such vacancy shall be notified by the State Government in the Official Gazette.”

CHAPTER IX—ELECTION PAPERS

76. Return or forfeiture of Security deposit.—(1) The security deposit made under Rule 26 shall either be returned to the person making it or his legal representative or be forfeited to the State Government in accordance with the provisions of this rule.

(2) Except in cases hereafter mentioned in this rule, deposit shall be returned as soon as practicable after result of the election is declared.

(3) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3) the deposit shall be forfeited if, at an election where a poll has been taken, a candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-sixth of the total number of valid votes polled by all the candidates.

*“(5) Notwithstanding anything contained in this rule, the security deposit made under Rule 26 shall not be returned and shall stand forfeited to the State Government, if a claim therefore is not preferred by the person making in or through his legal representative, as the case may be within six months from the date of declaration of result of election.”

77. Custody of papers relating to election.—The District Election Officer shall keep in his custody the packets referred to in rules 58 and 59 and all other papers relating to the election.

78. Production and inspection of election papers.—While in the custody of the District Election Officer—

- (a) the packets of unused ballot papers;
- (b) the packets of used ballot papers whether valid, tendered or rejected;
- (c) the packets of the counterfoils of used ballot papers; and
- (d) the packets of marked copies of the voters' list;

shall not be opened and their contents shall not be inspected by or produced before any person or authority except a competent Court or Authority.

79. Disposal of Election Papers.—(1) The packets referred to in rule 78 shall be retained for a period of six months and shall thereafter be destroyed subject to any direction to the contrary given by the Election Commission or by the Competent Court or Authority or pending legal proceedings.

(2) All other papers relating to the election shall be retained for such period as the Election Commission may direct by a general or special order.

10. In rule 79, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(3) If the polling is done by Electronic Voting Machine, then the Detachable Memory Module and all the necessary materials shall be kept for a period, as the Election Commission may instruct either by a general or special order.”.

**** “79-A. Casual vacancies.**—(1) On occurrence of a vacancy of an elected † “Mayor, President or Councillor” of a municipality, due to any reason such as death, disqualification, resignation, absence without leave, setting aside of election etc. the Chief Executive Officer or the Commissioner of the Municipality, as the case may be, shall inform the district Election Officer about such vacancy within seven days from the date of its occurrence.

(2) The District Election Officer shall ensure due observance of sub-rule (1) and send to the State Government and the Election Commission in the first week of every month a consolidated statement of vacancies of elected Councillors in various Municipalities of the District, whereupon, the Election Commission shall take necessary action to fill the vacant seats and the provisions of these rules shall, Mutatis Mutandis apply to fresh poll taken to fill such seats.”

#“180. Repeal.—All rules, byelaws and orders if any, on the subject inforced immediately before the commencement of these rules shall be repealed ceased to have effect.”

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

†असाधारण राजपत्र क्र. 517, दिनांक 18-10-1995.

मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-2, में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 30-3-2001

FORM—1
(See rule 3)

LIST OF VOTERS

To,

Name of Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

District

Ward No. Voters' List Part Number (if any)

Serial No.	House No.	Name of Voter	Father's/Husband's Name	Male/Female Other's	Age	Photo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Registration Officer
(Municipality)

SUPPLEMENTARY VOTERS' LIST

Ward Number Name of the ward voters' list Part No. (if any)

(I) Additions

Serial No.	House No.	Name of Voter	Father's/Husband's Name	Male/Female	Age
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(II) Corrections

S. No.	Name of Voter	Existing Entry	Corrected Entry
(1)	(2)	(3)	(4)

(III) Deletions

S. No. of Entry	Name of voter
(1)	(2)

Registration Officer
(Mun.)

* FORM—2
(See rule 21)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY)

NOTICE OF ELECTION OF COUNCILLOR/MAYOR/PRESIDENT

No. In exercise of the powers conferred by rule 21 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I. District Election Officer (Municipality) do hereby give the following notice in relation to the Election of Mayor/President/Councillors** of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, specified in column (1) of the Schedule hereto:—

- (a) The seat/seats for which election is to be held is/are specified in column (2) of the schedule;
- (b) In the case of election of the Councillor/s the number/s of the concerned ward/s is/are specified in column (3) of the schedule;
- (c) The officer specified in column (4) of the Schedule will be the Returning Officer for conducting the election;
- (d) The place, date and time specified in column (5) of the schedule will be the place, last date and time for making nominations;
- (e) The place, date and time specified in column (6) of the schedule will be the place, date and time for the scrutiny of nominations;
- (f) The place, date and hour specified in column (7) of the schedule will be the place, date and hour for withdrawal of candidature;
- (g) The date and time specified in column (8) of the schedule will be the date and time during which the poll shall be taken;
- (h) The place, date and time specified in column (9) of the schedule will be the place, date and time for the counting of votes;

Place
Date

District Election Officer (Municipality)
District

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

**Strike out the inappropriate alternative.

*FORM 2-A
(See rule 22-A)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY)

NOTICE

Subject.—Notice regarding Status of Reservations of seats

In pursuance of Rule 22-A of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, it is hereby notified for general information that the status of reservation of the seat/seats of Mayor/President/Councillor of the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat for which election is to be held, is as shown in the following table :—

TABLE

Particulars of the seat for which election is to be held (e.g. Mayor/President/Councillor)	The number of ward (in the case of election of Councillor only)	Status of reservation (e.g. SC/SC-Woman/ ST/ST-Woman/OBC/ OBC-Woman/ Gen./Gen.-Woman)
(1)	(2)	(3)

Place

(Sd./-)

District Election Officer (Mun.)

Date

District

Name



SCHEDULE

Name of Municipality	Particulars of the seat/seats for which election will be held eg. Mayor/President/Councillor	The Number of ward (in the case of election of Councillor only)	Name and designation of the Returning Officer	Place, last date, time for making nominations	Place, date and time for scrutiny of nominations	Place, date and hour for withdrawal of candidature	Date and time during which poll shall be taken	Place, date and time for counting of votes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Place

District Election Officer (Municipality)

Date

District

Name

Seal

FORM—3
[See rule 24 (2)]

NOMINATION PAPER

Election of Councillor from ward No. of (*) Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

**Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal council/Nagar Panchayat

I nominate as a candidate for Election to the seat of*/Mayor/President/Councillor from Ward No. of* Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat District

Candidate's name

Father's/Husband's name

His postal address

His name is entered at S. No. in part No. of the voters' list of ward No. of the above mentioned Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat.

2. My name is and it is entered at S. No. in Part No. of the Voters' list of Ward No. of the above mentioned Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat.

Date

Signature of proposer

(Name)

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and here by declare,—

(a) that I have completed year of age;

** (b) that I am set up at this election by the (party);

(c) that the Symbols I have chosen are, in order or preference;

(i) (ii) (iii)

(d) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being chosen to the seat of Mayor/President/Councillor in the above mentioned Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat;

(e, **that I am a member of the *caste/tribe/Other backward class which is notified as a *Scheduled Caste/Scheduled Tribe/other backward class in relation to (district) of the State of Madhya Pradesh;

*Strike out the word not applicable

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

(f) that my name and my father's/husband's name have been correctly spelt out above in Hindi and that my name in the ballot paper and other election related documents be written as under :—@

Date

.....
(Signature of candidate)
(Name)

* Score out the word not applicable

** Score out this paragraph, if not applicable.

@ If required, additions to the name may be made such as honorific title, professional title, Father's/husband's name, residence etc.

(to be filled by the Returning Officer)

S. No. of nomination paper

This nomination was delivered to me at my office at (hour) on (date)
by the * candidate/proposer.

Date

.....
Returning Officer
(Municipality)
(Name)

* Score out the word not applicable.

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination paper.

.....

I have examined this nomination paper in accordance with Rule 28 of the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994 and decide as follows : (*)

.....
.....
.....

Date

.....
Returning Officer
(Municipality)
(Name)
Seal

(*) In case nomination paper is rejected, state the reasons therefor.

Receipt of Nomination paper and Notice of Scrutiny

(To be handed over to the person presenting the nomination paper)

Serial Number of nomination paper

The nomination paper of Shri/Kum./Smt.

a candidate for election as Mayor/President/Councillor from Ward No. of (*) Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat was delivered to me at my office at (hour) on (date) by the * candidate/proposer. All nomination papers will be taken up for scrutiny at (hour) on (date) at (place).

Date

Returning Officer

(Municipality)

(Name)

* Strike out the word not applicable.

FORM—4
(See rule 27)

NOTICE OF NOMINATION

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/Nagar Panchayat

Notice is hereby given that the following nominations in respect of the above election have been received up to 3 p.m. today.

No. of the nomination paper (1)	Name of the candidate (2)	Name of Father/* husband (3)	Age of the candidate (4)	Address (5)
---------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------

Party affiliation (6)	Particulars of castes or tribes for candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes or other Backward Classes (7)	No. of the Candidate in the Voters' List (Part No. S. No.) (8)	Name of proposer (9)	S. No. of the proposer in Voters' List (Part No. S. No.) (10)
-----------------------------	---	---	----------------------------	---

Place

Date

.....

Returning Officer
(Municipality)

(Name)

Seal

* Strike off the inappropriate alternative.

FORM—5
[See rule 28 (8)]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

S. No.	Name of Candidate	Name of *father/ husband	Address of candidate	Party affiliation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Place
Date
Time

Returning Officer
(Municipality)
Name
Seal

* Strike off the inappropriate alternative.

FORM—6
[See rule 29 (1)]

APPLICATION FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

**Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

To,

The Returning Officer (Municipality)
.....

I, a candidate validly nominated at the above election do hereby give notice that I withdraw my Candidature.

2. The *receipt/receipts given in acknowledgement of the nomination* paper/papers submitted to you on (date) on my behalf * is/are enclosed herewith in original.

Place
Date

Signature of validly nominated candidate

*Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

This notice was delivered to me at my office at(hour) on (dated)
by (Name)

Date

Returning Officer
(Municipality)
(Name)
Seal

Receipt for notice of withdrawal

(To be handed over to the person delivering the notice)

The notice of withdrawal of candidature by a validly nominated candidate at the
Election of *Mayor/President/Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar
Panchayat was delivered to me by (**) at my
office at (hour) on (date).

Date

Returning Officer
(Municipality)
(Name)

* Strike off inappropriate alternative.

** Here insert one of the following alternatives as may be appropriate:— (1) Candidate (2) Candidate's Proposer
(3) Candidate's Election agent.

FORM—7

[See rule 29 (4)]

NOTICE OF WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar
Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President or Municipal Council/Nagar Panchayat

Notice is hereby given that following validly nominated *Candidate/Candidates at the above election*has/have
withdrawn* his/their candidature today.

Name of validly nominated candidate (1)	Address of validly nominated candidate (2)	Remark (3)
1.		
2.		
3.		

Date

Returning Officer (Municipality)
(Name)
Seal

* Strike off the inappropriate alternative.

**FORM—8

[See rule 31 (2) (ii)]

NOTICE AS TO NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE POLITICAL PARTY

The Returning Officer (Municipality),
Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat
District

Subject.—Election of Mayor/President/Councillors* to Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat District Names of Party candidates.

Sir,

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby give notice that the following persons have been set up by (Party) as its candidates at the ensuing Municipal Election cited above.

Particulars of the seat <i>eg.</i> Mayor/ President or Councillor (1)	The No. of ward (In the case of election for Councillor only)		Name of the approved candidate (4)	Father's/ Husband's name of the approved candidate (5)	Postal address of the approved candidate (6)
	In figures (2)	In words (3)			

Name of the substitute candidate (who will step in, in the event of the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or his withdrawing from the contest) (7)	Father's/ Husband's name of the substitute candidate (8)	Postal address of the substitute candidate (9)
---	--	---

Yours faithfully,

Place

Date

(Seal of the Party)

Name and signature of the authorised
office bearer of the District unit of the Party.**Copy to:—**

The Collector and District Election Officer (Municipality)
District for information.

Place

Date

(Seal of the Party)

Name and signature of the
authorised person of the Party.

*Strike out the inappropriate alternative.

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

**FORM—9

[See rule 31 (2) (iv)]

NOTICE OF AUTHORISATION OF OFFICE BEARER BY POLITICAL PARTY

..... PARTY, MADHYA PRADESH

To,

The Returning Officer (Municipality),

Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat

District

Subject.—Election of Mayor/President/Councillors* to Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat District Authorisation of office bearer for intimating the names of Party candidates.

In pursuance of Rule 31 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 I hereby communicate for the following person (s) has/have been authorised by the party, which is a National party/State party in the State of Madhya Pradesh, to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the Party at the election cited above:—

Name of office bearer authorised to send notice (1)	Name of office held in the District unit of the party (2)	District (s) in respect of which he has been authorised (3)
---	---	---

2. The specimen signatures of the above mentioned office bearer of the District Unit of the party so authorised are given below:—

Name	Specimen Signature
(i) Shri	(i)
(ii) Shri	(ii)
(iii) Shri	(iii)

Place

Date

(Seal of the Party)

Yours faithfully,
President/Secretary
Name of the Party.

*Strike out the inappropriate alternative.

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—10
(See rule 32)

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

S. No. (1)	Name of Candidate (2)	Address of candidate (3)	Party affiliation (4)	Symbol allotted (5)
1.				
2.				
3.				

Place

Date

Returning Officer (Municipality)

(Name)

Seal

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—11
[See rule 33(1)]

APPOINTMENT OF ELECTION AGENT

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

*Election of Mayor/ of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

I resident of a candidate at the above election do hereby appoint resident of as my election agent from this day at the above election.

Place

Date

Signature of candidate

(Name)

I accept the above appointment

Place

Date

.....

Signature of Election agent
(Name))

Approved

.....

Signature of the Returning
Officer (Municipality)
(Name))
Seal

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—12
[See rule 34 (1)]

APPOINTMENT OF POLLING AGENT

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

I * a candidate/the election agent of
..... who is a candidate at the above election, do hereby appoint (Name)
(Address) as a polling agent to attend polling station No.
at (Place fixed for the poll).

Place

Date

.....

Signature of * candidate/election agent
(Name))

I agree to act as such polling agent

Place

Date

.....

Signature of Polling agent
(Name))

DECLARATION OF POLLING AGENT TO BE SIGNED BEFORE PRESIDING OFFICER

I hereby declare that at the above election I will not do anything forbidden by law and rules pertaining to elections
in general and secrecy of voting in particular.

.....

Signature of polling agent
(Name))

Signed before me.

Date

.....

Presiding Officer
(Name))

**असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

* Strike off the inappropriate alternative.

FORM—13
[See rule 35(1)]

APPOINTMENT OF COUNTING AGENTS

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

To,

The Returning Officer (Municipality)

I * a candidate/the election agent of
..... who is a candidate at the above election, do hereby appoint (Name)
(Address) as my counting agent to attend the counting of votes at ..
..... (Place fixed for counting).

Place

Date

Signature of * candidate/election agent
(Name

I agree to act as such counting agent

Place

Date

Signature of Counting agent
(Name

DECLARATION OF COUNTING AGENT (TO BE SIGNED BEFORE THE RETURNING OFFICER)

I hereby declare that at the counting of votes of the above election, I will not do anything forbidden by law or rules
pertaining to elections in general and secrecy of voting in particular.

Date

Signature of polling agent
(Name

Signed before me.

Date

Signature of Returning Officer
(Municipality)
(Name)
Seal

FORM—14
(See rule 39)

DECLARATION OF RESULT OF UNCONTESTED ELECTION

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

In pursuance of sub-rule (1) of rule 39 of the Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I declare that:

..... (Name)

..... (Address)

** Sponsored by

(Name of the recognised Political Party)

has been duly elected as Mayor/President/Councillor in the above mentioned election.

Place

Date

Signature

Returning Officer (Municipality)

Seal

* Strike off the in appropriate alternative.

** Strike off if not required.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—15
[See rule 49(2) (c)]

LIST OF CHALLENGED VOTES

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

S. No. of entry	Name of the Voter	Particulars of entry in Voters' list		Signature or thumb impression of the person challenged	Address of the person challenged
		Part number of Voters' list	Voter's Serial Number		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Name of identifier if any (7)	Name of challenger (8)	Order of Presiding Officer (9)	Signature of challenger on receiving refund of deposit (10)
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	---

Signature of Presiding Officer

Date

(Name)

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—16
[See rule 52(1)]

DECLARATION BY THE COMPANION OF BLIND OR INFIRM VOTER

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

I Son of
aged resident of
Address
here by declare that —

(a) I have not acted as Companion of any other voter at any Polling Station today;

(b) I will Keep Secret the Vote recorded by me on behalf of

(Name) Serial No. &
Part No. of Voters' List

Place

Date Signature of Companion

(Name)

Countersigned

Presiding Officer

Polling Station No.

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—17
[See rule 54(2)]

LIST OF TENDERED VOTES

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

Number of Polling Station

S. No.	Name of voter	Particulars of entry in the voters' list		Address of voter.
(1)	(2)	Part No. of voters' list (3)	S. No. of voter. (4)	(5)

Serial number of tendered ballot paper	Serial number of ballot paper issued to the person who has already voted.	Signature or thumb impression of person tendering vote
(6)	(7)	(8)

Date

Signature of Presiding Officer
(Name

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-97.

"FORM—17-A

[see sub-rule (1) (a) of rule 63k]

VOTER REGISTER

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and Councillor from Ward No. of Municipal Council/Municipality/
Municipal Corporation

No. (1)	Number of voter in the voters' list (2)	The details of documents produced by the voter as a proof of his identity (3)	Signature/Thumb impression of a voter (4)	Remarks (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date:

signature of Presiding Officer."

FORM—18
[See rule 57]

BALLOT PAPER ACCOUNT

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

(No. and Name of Polling Station)

	Serial From	Nos To	Total No.
1. Ballot papers received by the presiding officer			
2. Ballot papers unused			
3. Ballot papers used at the polling station (1-2=3)			
4. Ballot papers used at the polling station but not INSERTED IN TO THE BALLOT BOX.—			
(a) Ballot papers cancelled due to printing mistake			
(b) Ballot papers used as tendered ballot papers			
(c) Ballot papers cancelled			
(a + b + c)			
Total			
5. Ballot papers to be found in the ballot box (3-4=5)			
(* Serial numbers need not be given)			

Signature of the Presiding Officer

Place

Date

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-97.

PART—II RESULT OF INITIAL COUNTING

1. Total number of ballot papers found in the ballot box(es) used at the polling station.
2. Discrepancy, if any, between the total number as shown against item 1 in this part and the total number of ballot papers to be found in the ballot box(es) as shown in item 5 of Part I.

Date

.....
Signature of counting Supervisor

(Name)

.....
Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name)

"FORM—18-A

(see rule 63Q)

PART-1 ACCOUNT OF RECORDED VOTES

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. of Municipal Council/
Municipality/Municipal Corporation

The number and name of Polling Centre Contoral Unit No. the Identity No.
of polling machine used, Polling Unit No. 1 2 Printer No. (If used)
No. of Detachable Memory Module

1. The total number of Electoral fixed in the Polling Centre :
2. The total number of voters recorded in the Voters' Register :
3. The number of voters recorded in voting machine :
4. The number of voters who are not permitted to vote under the :
provisions of rule 63L.
5. The number of voters who have decided not to poll (2-3-4=5) :
6. The number of tendered ballots :

Serial Number
Total From to

- (a) Received for use :
- (b) Issued to the Electoral :
- (c) Not used and taken back :

7. Account of seals of paper

Signature of Election Agent

1. The seals of paper Total Number 1
granted for use
S. No. From to
2. Used seals of paper Total Number 2
S. No. From to
3. The unused seals of paper returned to the 3
Returning Officer Total Number 4
S. No. From to
4. The seals of paper Total Number 5
destroyed, if any S. No. From to 6

Date :

Signature of the Presiding Officer

Place:

Polling Centre No.

PART—2

RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1. Total number of votes found in Electronic Voting Machine used at the Polling Centre. :
2. Any difference found in total number of votes shown in Head-1 of this part with Head-3 of Part-1, if any :

Date:

Signature of the Calculating Supervisor

Place:

Name

Signature of the Returning Officer
(Municipality)

Name:".

FORM—19
[See Rule 63(2)]

APPLICATION FOR ELECTION DUTY BALLOT PAPER

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

To,

The Returning Officer (Municipality)

.....

District

Sir,

I intend to cast my vote at the above mentioned Election.

I have been posted on Election duty at Polling Station No. of ward No. of * Municipal
Corporation/Council/Nagar Panchayat

2. My name is entered at Serial No. of Part No. of voters' list of Ward No.
of the above mentioned *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat.

3. I request that an Election duty Ballot paper may be sent to me to enable me to vote at the following address:—

Address :

Yours faithfully,

.....

(Name)

Place

Date

* Strike off the inappropriate alternative.

FORM—19-A
[See rule 63(4) (a)]

ENVELOPE-A

A

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

*Election of Mayor/President /Councillor for ward No.
of Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

Election Duty Ballot Paper

Serial number of Ballot Paper

FORM—19-B
[See rule 63(4) (b)]

ENVELOPE-B

B

NOT TO BE OPENED BEFORE COUNTING

ELECTION-IMMEDIATE

*Election of Mayor/President /Councillor for ward No.
of Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

Election Duty Ballot Paper

To,

The Returning Officer (Municipality)

Distt.

Signature of Sender

.....

FORM—19-C
[See rule 63(4) (C)]

DECLARATION BY VOTER ON ELECTION DUTY

Election of* Mayor/President/Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/
Council/ Nagar Panchayat District

I hereby declare that I am the voter to whom the Election Duty Ballot Paper bearing serial No. has been
issued at the above election.

Date

SIGNATURE OF THE VOTER

(Name)

Address

.....

ATTESTATION OF SIGNATURE

The above has been signed in my presence by (voter) who is personally known to me/has been
identified to my satisfaction by (Identifier) who is personally known to me.

Signature of Identifier, if any

Signature of Attesting Officer

(Name)

(Name)

Designation

Address

Address

Date

* Strike off the inappropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—19-D
[See rule 63(4) (d)]

INSTRUCTIONS FOR GUIDANCE OF VOTERS ON ELECTION DUTY

Election of* Mayor/President/ Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/
Council/ Nagar Panchayat

The persons whose names are printed on the ballot paper sent here-with are candidates at the above election. Record your vote by placing clearly a mark opposite the name of the candidate to whom you wish to give your vote in the space provided for the purpose. The mark may be made in the form '✓' or 'X' or in any other manner at such a place so as to indicate clearly and beyond doubt to which candidate you are giving your vote. If the mark is so placed as to make it doubtful to which candidate you have given your vote, your vote will be invalid.

2. Do not put your signature or write any word or make any mark sign or writing what so over on the ballot paper other than the mark required to record your vote.

3. After you have recorded your vote on the ballot paper place the ballot paper in the smaller envelope marked 'A' sent herewith. Close the envelope and secure it by seal or otherwise.

4. You may then sign the declaration in Form 19 C also sent herewith in the presence of and have your signature attested by any one of the officers specified below:—

(a) head of office where you are working, if you are a government servant or an employee of a Municipality or a government undertaking;

(b) any gazetted officer known to you or the Presiding Officer of the polling station at which you are on election duty.

(c) any Revenue Officer not below the rank of a Naib Tahsildar.

You may take the declaration to any of the above mentioned specified officers and sign it in his presence after he has satisfied himself about your identity, the Officer will attest your signature and return the declaration to you. You must not show your ballot paper to the attesting officer nor tell him how you have voted.

5. After your declaration has been signed and your signature has been attested, place the declaration in Form 19 C, as also the smaller cover marked 'A' (containing the ballot paper) in the larger envelope marked 'B' After closing the larger envelope, send it to the Returning Officer (Municipality) by post or by messenger or deliver it to him personally. Please fill in all the entries on the larger envelope 'B' before sending it or handing it over to the Returning Officer (Municipality).

6. You must ensure that the envelope reaches the Returning Officer before (*) the hour and date fixed for the commencement of counting of votes that is, before AM/PM on (Date)

7. Please note that—

(i) If you fail to get your Declaration attested or certified in the manner indicated above, your Ballot-paper will be rejected;

(ii) If the cover reaches the Returning Officer (Municipality) after the hour and date specified before, your vote will not be counted.

FORM—20
[See rule 66 (10)]

RESULT OF COUNTING OF E. D. BALLOT PAPERS

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

S. No. (1)	Name of candidate (2)	Valid votes cast in favour of the candidate (3)
---------------	--------------------------	--

2. (a) Total No. of E. D. votes
(b) Total No. of invalid E. D. votes
(c) Total No. of valid E. D. votes received

Signature of Returning Officer (Municipality)

Place

(Name)

Date

* Strike off the in appropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—21
[See rule 69 (2)]

RESULT OF COUNTING

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

Polling Station No.

S. No. (1)	Name of candidate (2)	No. of Valid votes cast in favour of the candidate (3)
---------------	--------------------------	---

2. (i) Total No. of valid votes

(ii) Total No. of invalid votes

(iii) Total No. of votes cast

.....
Signature of counting Supervisor

(Name)

.....
Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name)

Place

Date

* Strike off the in appropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

"FORM—21-A

(See rule 69B)

RESULT OF CALCULATION

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. of Municipal Council/ Municipality/Municipal Corporation (To be filled in separately for Mayor/President and Councillor).

Polling Centre No

S. No.	Name of Candidate	The number of votes received as per the Election Control Unit
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- (a) Under/Number of no, voting
(b) The number of unfinished votes.

Date:
Place

Signature of Calculating Supervisor
The name and full signature of Candidate/
Election Agent/Calculating Agent
Signature of the Returning Officer
(Municipal Corporation)

Name".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.

FORM-22
[See rule 69 (3)]

FINAL RESULT SHEET

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/ Nagar Panchayat

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat

FINAL RESULT SHEET

S. No.	Name of candidate (2)	No. of valid E. D. Votes cast in favour of the candidate (3)	No. of valid Votes cast in favour of the candidate Polling Station wise. (4)								Grand Total (5)
			P. N.	P. N.	P. N.	P. N.	P. N.	P. N.	P. N.	P. N.	Total
(1)											

224

2. (i) Total No. of valid Votes
(ii) Total No. of invalid Votes
(iii) Total No. of valid Votes cast
(iv) Total No. of valid E. D. Votes
(v) Total No. of invalid E. D. Votes
(vi) Total No. of E. D. Votes cast

Place

Date

*Strike off the appropriate alternative

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

Signature of Counting Supervisor

(Name)

Signature of Returning Officer

(Municipal)

(Name)

Election of Councillor from Ward No. of *Municipal Corporation/Council/
Nagar Panchayat *

***Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat**

S. NO. (1)	NAME OF CANDIDATE (2)	PARTY AFFILIATION (3)	NO. OF VOTES POLLED (4)
---------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Total number of tendered votes

of (Address)
has been duly elected.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

FORM—24
(See rule 75)

CERTIFICATE OF ELECTION

I, Returning Officer (Municipality) for the

*Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat

District hereby
certify that I have on day of
..... declared.

Shri/Smt./ku.

Resident of

* Sponsored by

(Name of recognised political party)

to have been duly elected as ** Mayor/President/Councillor from Ward No..... of the (*) Municipal
Corporation/Council/Council and
in token there of, I have granted to him/her this certificate of election.

Place

Returning Officer (Municipality)

Date

(Name)

Seal.

* Strike off the in appropriate alternative.

*असाधारण राजपत्र क्र. 377, दिनांक 7-7-1997.

* FORM-25
(See Rule 75-C)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY) DISTRICT
NOTICE OF ELECTION IN RELATION TO RECALL OF MAYOR/PRESIDENT

No Under sub-section (2) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/ under sub-section (2) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, the Government of Madhya Pradesh, Department of Urban Administration and Development Department has made a reference to the State Election Commission to conduct polling in relation to recall of the Mayor of Municipal Corporation /President of Municipality/Nagar Council Shri/Smt. on the ground that three fourths of the Councillors have signed the motion for recalling.

WHEREAS, under sub-section (3) of Section 24 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/ under sub-section (3) of Section 47 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961, the State Election Commission has directed me to arrange for polling, in relation to recall of the said Mayor/President in, accordance with the rules;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Rule 75-C of Madhya Pradesh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I District Election Officer (Municipality) district hereby give notice for polling in relation to recall of the said Mayor/President Shri/Smt. of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council as follows :—

- (i) The polling shall be held on from A.M. to P.M.
- (ii) The counting shall be held on at place from A.M. to P.M.
- (iii) Shri Collector/Sub-Divisional Officer (Revenue) shall be Returning Officer for this polling.

PLACE :

.....
District Election Officer (Municipality)

District

DATED :

Name

* FORM-26
(See Rule 75-F)

POLLING IN RELATION TO RECALL OF MAYOR/PRESIDENT

Polling in relation to recall of the Mayor/President Shri/Smt. of
Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Council

Name (1)	Voting Options (2)	Symbol (3)
	A—For recall (To vacate office)	
.....	B—Against recall (To continue to hold office as before)	

PLACE : Returning Officer (Nagarpalika)

DATED : Name

* FORM-27
(See Rule 75-H)

Declaration of result of polling in relation to recall of Mayor/President

Polling was held on in relation to recall of the Mayor/
President Shri/Smt.. . . . of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar
Council Total votes were cast of which votes
were in favour of recall and votes were against recall and were found invalid.

THEREFORE, I the Returning Officer hereby declare
that more than half/less than half of the total number of voters casting their votes have cast votes in favour
of recalling the Mayor/President, consequently the Mayor/President is deemed to have vacated the office/shall
continue to hold office as before.

PLACE : Signature (Returning Officer)

Name

DATED : Seal

भाग-तीन

मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956
मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961

(iii) the adapting for sale of any article.

(iii) किसी वस्तु को विक्रय हेतु अनुकूल बनाना.

CLAUSE (64) APPLICABLE IN
CHATTISGARH ONLY

केवल छत्तीसगढ़ में लागू खण्ड (64)

¹[(64) "Year" means a financial year beginning on the first day of April of the year.]

¹[(64) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन से शुरू से होने वाला वित्तीय वर्ष.]

PART II
CONSTITUTION AND GOVERNMENT

दूसरा भाग
रचना तथा शासन

CHAPTER II
THE MUNICIPAL AUTHORITIES

दूसरा अध्याय
नगरपालिक प्राधिकारी

6. **Municipal authorities charged with the execution of this Act.**—The Municipal authorities charged with carrying out the provisions of this Act shall be—

6. **नगरपालिक प्राधिकारी जिन पर इस अधिनियम को कार्यान्वित करने का भार है**—नगरपालिक प्राधिकारी, जिन पर इस अधिनियम के आदेशों को कार्यान्वित करने का भार आरोपित किया गया है, निम्नलिखित होंगे—

- (a) The Corporation
- (b) ²[The Mayor-in-Council]
- ³[(c) The Mayor
- (d) The Commissioner].

- (अ) निगम
- (आ) ²[मेयर-इन-कौंसिल]
- ³[(इ) महापौर
- (ई) आयुक्त].

⁴[7. **Constituion of Municipal Corporation.**—(1) There Shall be constituted a Municipal Corporation for a larger urban area in accordance with the provisions of this Act:

⁴[7. **नगरपालिक निगम का गठन**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिक निगम का गठन किया जाएगा :

Provided that a Corporation under this section may not be constituted in such urban area or part thereof as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment or a group of such establishments in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification, specify to be an industrial township.

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निगम, ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन या ऐसे स्थापनों के किसी समूह द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें.

1. Ins. by Sec. 2(v) of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012). Published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). Applicable only in Chhattisgarh.
2. Subs. by Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.
3. Subs. by Act No. 11 of 1999, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 23-4-1999.
4. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Rajpatra (Extraordinary) dated 30-5-1994.

(2) In this section "a larger urban area" means such area as the Governor may have regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors as he may deem fit, specify by public notification for the purposes of this Act.

(3) The Corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall be the said name sue and be sued.]

(2) इस धारा में "वृहत्तर नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा क्षेत्र जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) नियम एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा]

टिप्पणी

राज्य को नगरपालिक निगम से संबंधित विधि अधिनियमित करने की शक्ति है—उसको उनके ऊपर कार्यपालक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं—1956 का अधिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।

पूरन सिंह पलैया बनाम लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, 2007 (3) जे. एल. जे. 201.

8. Power of Corporation to acquire and hold movable and immovable property.— The Corporation shall have power to acquire and hold property, both movable and immovable, within or without the limits of the city and, subject to the provisions of this Act and the rules ¹[and byelaws] made thereunder, to transfer any property held by itself and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Act.

8. चल तथा अचल संपत्ति प्राप्त तथा धारण करने की निगम की शक्ति— निगम को नगर की सीमाओं के भीतर और बाहर चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त एवं धारण करने और इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों ¹[और उपविधियों] के आदेशों के पालन के अधीन स्वयं अपने द्वारा धारित किसी सम्पत्ति को अन्तरित करने और अनुबन्ध करने और इस अधिनियम के आशयों के लिए आवश्यक अन्य समस्त कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी।

1. Subs. by M. P. Act No. 13 of 1961.

¹[9. **Composition of Municipal Corporation**—(1) A Municipal Corporation shall consist of :—

- (a) a Mayor, that is Chairperson elected by direct election from the Municipal area;
- (b) Councillors elected by direct election from the wards;
- (c) not more than six persons, having special knowledge or experience in the municipal administration, nominated by the State Government:

Provided that only a person residing within the municipal area and being otherwise not ineligible for election as a councillor, may be nominated.

- (d) Members of the House of the People and the Members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the municipal area;
- (e) Members of the Council of States registered as electors within the Municipal area:

¹[9. नगरपालिक निगम की संरचना—(1) नगरपालिक निगम निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

- (क) नगरपालिक * [वार्डों] से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति (चेयरपर्सन);
- (ख) वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित पार्षद् ;
- (ग) नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले छह से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति ही नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो नगरपालिक क्षेत्र में निवास करता है और जो पार्षद् के रूप में निर्वाचन के लिए अन्यथा अपात्र नहीं है;

- (घ) लोक सभा के सदस्य तथा राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिक क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है;
- (ङ) राज्यसभा के सदस्य, जो नगरपालिक क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं :

1. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

* अंग्रेजी में शब्द "area" दिया गया है अतः शब्द "वार्डों के स्थान पर शब्द "क्षेत्र" समीचीन प्रतीत होता है.

¹[Provided that a member of the House of the People and a member of the State Legislative Assembly as mentioned in clause (d) or a member of council of States, as mentioned in clause (e) may nominate his representative, who possesses such qualifications as may be prescribed in this behalf to attend the meeting of the Corporation.]

(2) The persons nominated under clause (c) of sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) Persons referred to in sub-section (1) shall be deemed to be councillors for all purposes of this Act but the persons referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) shall not have the right to vote in the meeting of the Corporation.

(4) If any municipal area fails to elect a Mayor or any ward fails to elect a Councillor, fresh election proceedings shall be commenced for such municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat, and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy :

Provided that proceedings of election of Speaker, or any of the Committee under the Act shall not be satyed, pending the election of such seat.]

²[10. **Determination of number and extent of wards and conduct of elections.**—
(1) The, State Government shall from time to time, by notification in the official gazette, determine the number and extent of wards to be constituted in each Municipal area :

¹[परन्तु खण्ड (घ) में वर्णित लोकसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सदस्य या खण्ड (ड) में वर्णित राज्यसभा के सदस्य अपने प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हों, जैसी कि इस निमित्त विहित की जाएं, निगम के सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए नामनिर्देशित कर सकेंगे.]

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेंगे.

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए पार्षद समझे जाएंगे किन्तु उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) तथा (ड) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को निगम के सम्मिलनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(4) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के लिए स्थान को भरने के लिए छह मास के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा :

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष, विभागीय समितियों या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.]

²[10. **वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण तथा निर्वाचनों का संचालन.**—(1) राज्य सरकार समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक नगरपालिक क्षेत्र में गठित किए जाने वाले वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण करेगी :

1. Ins. by M. P. Act No. 27 of 2000, Published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 6-9-2000.

2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

Provided that the total number of wards shall not be more than seventy and not less than forty in any municipal area.

(2) Only one Councillor shall be elected from each ward.

(3) The formation of the wards shall be made in such a way that the population of each of the wards shall, so far as practicable, be the same throughout the city and the area included in the ward is compact.

(4) As soon as the formation of wards of a municipal area is completed, the same shall be reported by the State Government to the State Election Commission.]

¹[(5) Omitted.]

¹[(6) Omitted.]

²[11. **Reservation of seats.**—(1) Out of the total number of wards determined under sub-section (1) of Section 10, such number of seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every Municipal Corporation as bears, as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Municipal Corporation as the population of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such wards shall be those in which the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, is most concentrated.

(2) As nearly as possible twenty five percent of the total number of wards shall be reserved for other backward classes in such

परन्तु किसी नगरपालिक क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या सत्तर से अधिक और चालीस के कम नहीं होगी.

(2) प्रत्येक वार्ड से केवल एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा.

(3) वार्डों की रचना इस प्रकार की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या यथासाध्य पूरे नगर के वार्डों में एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहत क्षेत्र हो.

(4) जैसे ही किसी नगरपालिक क्षेत्र के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को की जाएगी.]

¹[(5) विलुप्त]

¹[(6) विलुप्त]

²[11. **स्थानों का आरक्षण.**—(1) प्रत्येक नगरपालिक निगम में धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित वार्डों की कुल संख्या में, से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात उस नगरपालिक निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो उस नगरपालिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे वार्ड वे होंगे जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक घनी है.

(2) ऐसे नगरपालिक निगमों में, जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या कम स्थान आरक्षित रखे गए हैं, वार्डों की कुल

1. Omitted by M. P. Act No. 12 of 1995, Published in M. P. Gazette (Extraordinary) date 1-5-1995.

2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

Municipal Corporation, where fifty percent or less seats are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and such seats shall be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed :

Provided that if from any ward so reserved no nomination paper is filled for election, as a Councillor, by any member of the backward classes, then the Collector shall be competent to declare it as unreserved.

(3) ¹[As nearly as possible fifty percent] ²[Not less than one third] of the total number of seats reserved under sub-sections (1) and (2), shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes, as the case may be.

(4) ¹[As nearly as possible fifty percent] ²[Not less than one third] (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes), of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipal Corporation shall be reserved for women and such seats, shall be allotted by rotation to different wards in a Municipal Corporation in such manner as may be prescribed.

(5) The reservation of seats under sub-sections (1), (2) and (3) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए ऐसी रीति में, जो कि विहित की जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे :

परन्तु यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो कलेक्टर उस वार्ड को अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा.

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के ¹[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] ²[कम से कम एक तिहाई] स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) प्रत्येक नगरपालिक निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के ¹[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] ²[कम से कम एक तिहाई] स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिक निगम में के उन भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, चक्रानुक्रम में आवंटित किए जाएंगे.

(5) उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा.

1. Substituted by M. P. Ant No. 16 of 2007 for the words "not less than one-third", published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478(3). Applicable only in M. P.
2. Applicable only in Chhattisgarh.

Explanation.—In this section “other backward classes” means category of persons belonging to Backward Classes as notified by the State Government.]

स्पष्टीकरण.—इस धारा में “अन्य पिछड़े वर्ग” से अभिप्रेत है, ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.]

टिप्पणी

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16, सन् 2007 द्वारा किये गये संशोधन का प्रयोजन—शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के पक्ष में आरक्षण—आरक्षण का अनुपात बढ़ाकर 50% करना—संशोधन करने का प्रयोजन प्रारंभिक अथवा बुनियादी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सहभागिता में महिला को सशक्त बनाना है. **अशोक कुमार मालपानी और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) MPLJ 229.**

म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 में प्रयुक्त “हॉरीज़ॉन्टल आरक्षण” शब्द का आशय का अर्थ निकालने के लिए नहीं किया जा सकता कि इसमें समायोजन करना ही होगा. (1995) 5 एस. सी. सी. 173 एवं ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2540, प्रभेदित. **अशोक कुमार मालपानी और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) MPLJ 229.**

शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये 50% तक सीटों के आरक्षण से संबंधित उपबंध संवैधानिक रूप से वैध है और संविधान के अधिकारातीत नहीं. **अशोक कुमार मालपानी और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2010 (1) MPLJ 229.**

¹[11-A. **Reservation of the office of the Mayor**—(1) Out of the total number of offices of Mayors of Corporations in the State, such number of offices of Mayors shall be reserved for Schedule Castes and Scheduled Tribes, as shall bear the same proportion, as nearly as possible as the population of each of these categories within the limits of all the Municipal Corporations in the State bears to the total population within such limits.

(2) As nearly as possible, twenty five percent of the total number of offices of Mayors shall be reserved for other Backward classes.

²[(3) As nearly as possible fifty percent of the total number of offices of Mayor reserved under sub-sections (1) and (2) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.]

¹[11-क. **महापौर के पद का आरक्षण.**—(1) राज्य में के निगमों के महापौर के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये ऐसी संख्या में महापौर के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो राज्य के समस्त नगरपालिक निगमों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है.

(2) महापौर के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

²[(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित किए गए महापौर (मेयर) के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.]

1. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, Published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) date 21-04-1997.

2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 2007, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478(3).

Applicable only in M. P.

**SUB-SECTION (3) APPLICABLE IN
CHHATISGARH ONLY**

(3) As nearly as possible one-third of the total number of offices of Mayor reserved under sub-sections (1) and (2) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.

(4) As nearly as possible ¹[fifty percent] ²[one third] (including the number of offices reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes) of the total number of offices shall be reserved for women.

(5) The aforesaid reservation shall be made in such manner as may be prescribed.

(6) The reservation of offices of Mayors under sub-sections (1), (2) and (3) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

Explanation.—In this section and in Section 11, the expressions “Scheduled Castes”, “Scheduled Tribes” and “Other Backward Classes” shall have the same meaning as assigned to them, in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).]

³[12. Qualification of voters and their registration.—Subject to the provisions of

**केवल छत्तीसगढ़ में लागू
उपधारा (3)**

(3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किए गए महापौर के पदों की कुल संख्या से कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव ¹[पचास प्रतिशत] ²[एक तिहाई] स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

(5) पूर्वोक्त आरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए.

(6) उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन महापौर के पदों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा.

स्पष्टीकरण—इस धारा तथा धारा 11 में अभिव्यक्ति “अनुसूचित जातियों” तथा “अनुसूचित जनजातियों” और “अन्य पिछड़े वर्गों” का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में दिया गया है.]

³[12. मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना—धारा 13 तथा 14 के उपबन्धों के अधीन

1. Subs. by M. P. Act No. 16 of 2007 for the words "one-third", published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478(3). Applicable only in M.P.

2. Applicable only in Chhattisgarh.

3. Subs. by M. P. Act No. 11 of 1978.

Sections 13 and 14 every person who —

- (a) is not less than eighteen years of age on the 1st day of January of the year in which the electoral roll for a ward is prepared or revised;
- (b) is ordinarily resident in the ward within the meaning of Section 20 of the Representation of the People, Act 1950 (No. 43 of 1950), subject to modification that reference to “Constituency” therein were a reference to “area comprised in the ward”; and
- (c) is otherwise qualified to be registered in the Assembly roll relatable to the ward;

shall be entitled to be registered in the electoral roll of that ward:

Provided that—

- (i) no person shall be entitled to be registered in the electoral roll more than one ward in the same city;
- (ii) no person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.]

13. Disqualification for Voters.—¹[(1) A person shall be disqualified for registration in the electoral roll if he -

- (a) is not citizen of India; or
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

रहते हुये प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो—

- (ए) उस वर्ष की, जिसमें किसी वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है;
- (बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20, जो इस उपांतरण के अध्वधीन रहेगी कि उसमें ‘निर्वाचन-क्षेत्र’ के प्रति किया गया निर्देश ‘वार्ड में समाविष्ट क्षेत्र’ के प्रति किया गया निर्देश है, के अर्थ के अन्तर्गत मामूली तौर से निवासी है; और
- (सी) उस विधानसभा निर्वाचक नामावली में, जिसका कि उस वार्ड से संबंध स्थापित किया जा सकता हो, नाम दर्ज किया जाने के लिये अन्यथा अर्हित है;

उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा:

परन्तु—

- (एक) कोई भी व्यक्ति उसी नगर में के एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।
- (दो) कोई भी व्यक्ति किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार नाम दर्ज किया जाने का हकदार नहीं होगा।]

13. मतदाताओं के लिये निरर्हता—¹[(1) कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज किया जाने के लिये निरर्हित होगा यदि वह—

- (ए) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (बी) विकृतचित्त का है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है, या

(c) is convicted of an offence under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955), unless a period of five years or such lesser period as the State Government may allow in any particular case, has elapsed since his conviction; or

(d) is for the time being disqualified from voting under the provision of any law relating to corrupt practices and other offences in connection with election.

(I-a) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included:

Provided that the name of any person struck off the electoral roll by reason of a disqualification under clause (d) of sub-section (I) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force removed under any law authorising such removal.]

¹[(2) If the State Election Commission or an Authority appointed by it, on an application made to it or on its own motion, is satisfied after such enquiry as it thinks fit that any entry in the electoral roll of the Corporation-

(a) is erroneous or defective in any particulars;

(b) should be transposed to another place in the roll; or

(सी) प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 (क्रमांक 22 सन् 1955) के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, जब तक कि उसकी दोष-सिद्धि के समय से पांच वर्ष की कालावधि या ऐसी कम कालावधि, जिसे राज्य सरकार किसी विशिष्ट मामले में अनुज्ञात करे, नहीं बीत गई हो, या

(डी) निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरणों तथा अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरहित है.

(1-ए) किसी भी ऐसे व्यक्ति का, जो कि नाम दर्ज कर लिया जाने के पश्चात् इस प्रकार निरहित हो जाता है, नाम उस निर्वाचक नामावली में से, जिसमें कि वह नाम सम्मिलित है, तत्काल काट दिया जाएगा:

परन्तु किसी व्यक्ति का नाम, जो कि उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन की निरहता के कारण निर्वाचक नामावली में से काटा गया है, उस नामावली में उस परिस्थिति में तत्काल पुनः स्थापित कर दिया जाएगा जबकि ऐसी निरहता उस कालावधि के दौरान, जिसमें कि ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो कि ऐसा हटाया जाना प्राधिकृत करती है.]

1[(2) यदि राज्य निर्वाचन आयोग या उसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी का, उसको दिए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जाँच के पश्चात् जैसी कि वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि निगम की निर्वाचक नामावली में कोई भी प्रविष्टि—

(क) किन्हीं विशिष्टियों में गलत या त्रुटिपूर्ण है;

(ख) नामावली में अन्यत्र रखी जानी चाहिए; या

- (c) should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinary resident in the ward or is otherwise not entitled to be registered in that roll;

it shall amend, transpose or delete the entry :

Provided that before taking any action in the ground that the person concerned has ceased to be ordinarily resident, in the ward or that he is otherwise not entitled to be registered in the electoral roll of that ward, the State Election Commission or the authority, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

Explanation.—The expression ‘ordinarily resident’ shall have the same meaning as is assigned to it in clause (b) of Section 12.

¹[14. **Preparation of Electoral rolls and conduct of Elections.**—(I) The Superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of ²[all elections of Councillors and Mayors] of the Municipal Corporation shall be vested in the State Election Commission.

(2) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission, make rules for the preparation of electoral rolls and conduct of ²[all elections of Councillors and Mayors] of Municipal Corporations.]

- (ग) इस आधार पर लोप कर दी जानी चाहिए कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या वह वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है,

तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा :

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये अन्यथा हकदार नहीं है, कोई कार्यवाही करने से पूर्व यथास्थिति राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति “मामूली तौर से निवासी” का वही अर्थ होगा जो उसके लिये धारा 12 के खण्ड (बी) में दिया गया है.]

¹[14. **निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना तथा निर्वाचनों का संचालन**—(1) नगरपालिक निगमों के ²[पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों] के लिये निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराए जाने और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(2) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के लिए और नगरपालिक निगमों के ²[पार्षदों तथा महापौर के सभी निर्वाचनों] के संचालन के लिये नियम बनाएगी.

1. Subs. by M. P. Act No. 12 of 1995.

2. Subs. by M. P. Act No.18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

3. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

³[14-A. Account of Election Expenses.—

(1) Every candidate at an election of Mayor shall, either himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorised by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both days inclusive.

Explanation-I.—Any expenditure incurred or authorised in connection with the election of a candidate by a political party or by any other association or body of persons or by any individual other than the candidate or his election agent shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by the candidate or by his election agent for the purpose of this sub-section.

Explanation-II.—For the removal of doubt, it is hereby declared that any expenditure incurred in respect of any arrangements made, facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mentioned in clause (7) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951, in discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate or by his election agent for the purpose of this sub-section.]

(2) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

(3) The account of expenditure shall contain Such particulars as may be prescribed by the State Election Commission.

3[14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा—(1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

स्पष्टीकरण-एक.—किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकाय द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है।

स्पष्टीकरण-दो.—शंकाओं को दूर करने के लिये यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के खण्ड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खण्ड के परन्तु में यथावर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बावत् उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है।]

(2) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाए।

(3) व्यय के लेखे में ऐसे विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाएं।

¹[14-B. **Lodging of account of election expenses.**—Every contesting candidate at an election of Mayor shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate lodge with the officer notified by the State Election Commission an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under section 14-A.

14-C. **Disqualification for the failure to lodge account of election expenses.**—if the State Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and
- (b) has no good reason or justification for the failure, the State Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for being chosen as and for being a ²[Councillor or a Mayor] of the Corporation, ³[for a period not exceeding five years] from the date of the order.]

¹[14-ख. **निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.**—महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

14-ग. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता.**—यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा निगम का ²[पार्षद या महापौर] होने के लिए उस आदेश की तारीख से ³[पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए] निरर्हित होगा.]

1. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

2. Subs. by M. P. Act No. 29 of 2003, for the word "member" published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same amendment in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

3. Subs. by M. P. Act No. 29 of 2003, for the words "for a period of five years", published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same amendment in Chhattisgarh by C. G. Act No. 15 of 2004, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

¹[14-D. **Removal of Reduction of period of disqualification.**—The State Election Commission, on making an application within thirty days from the date of publication of the order, passed under clause (b) of Section 14-C, in the official Gazette may for reasons to be recorded in writing remove any disqualification or reduce the period of any such disqualification.]

²[15. **Eligibility for Voting.**—Every person registered as a voter in the municipal electoral roll, for the time being in operation of a ward, and no person who is not so registered, shall be eligible to vote at any election for the councillors or Mayor :

Provided that no person shall vote more than once in any election of the councillors or an election of the Mayor, as the case may be.]

²[16. **Qualification for election as Mayor or Councillor.**—(1) Subject to the provisions of this Act, a person who is enrolled in the Municipal electoral roll as a voter, shall be qualified to be a candidate—

- (a) for the election of Mayor, if he is not less than 25 years of age; and
- (b) for the election of Councillor if he is not less than twenty-one years of age.

(2) No person who is a candidate for any one ward shall be a candidate for any other ward.

¹[14-घ. **निरहता की कालावधि का हटाया जाना या कम किया जाना.**—राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 14-ग के खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन किया जाने पर कारण अभिलिखित करते हुए, किसी निरहता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरहता की कालावधि को कम कर सकेगा.]

²[15. **मतदान की पात्रता.**—ऐसा प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षदों या महापौर के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.]

²[16. **महापौर या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता.**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिक निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है—

- (क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है महापौर के निर्वाचन हेतु, और
- (ख) यदि वह आयु में इक्कीस वर्ष से कम नहीं है पार्षद के निर्वाचन हेतु; अभ्यर्थी होने के लिए अर्ह होगा.

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो किसी एक वार्ड के लिए अभ्यर्थी है, किसी अन्य वार्ड के लिए अभ्यर्थी नहीं होगा.

1. Ins. by M. P. Act No. 29 of 2003, Published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) date 25-8-2003. Same Section 14-D inserted in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

(3) Any person who ceases to be Mayor or a Councillor shall, if qualified under sub-section (1), be eligible for re-election as such.]

¹[(4) If a person is elected for the Office of Mayor and Councillor both, he shall have to resign from one of the office within seven days from the date on which he is declared elected.]

17. General disqualification for becoming a ²[Councillor or Mayor].—(1) No person shall be a ²[Councillor or Mayor], who—

³[(a) (i) has been convicted of an offence punishable under Section 153-A, or Section 171-E, or Section 171-F, or sub-section (2) or sub-section (5) of Section 505 of the Indian Penal Code 1860 (No. 45 of 1860) or under the Protection of Civil Rights Act, 1955 (No. 22 of 1955) or under Section 125 of the Representation of the People Act, 1951 (No. 43 of 1951) or Section 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (No. 28 of 1961) or Section 10 or Section 11 of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964 (No. 13 of 1964) unless a further period of six years has elapsed since his release after undergoing the sentence;

(ii) has been convicted by a court in India—

(a) for an offence not falling under sub-clause (i) and sentenced to imprisonment for a period of not less than two years; or

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो महापौर या पार्षद न रहे, यदि उपधारा (1) के अधीन अर्ह है, उस रूप में पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा.]

¹[(4) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्याग-पत्र देना होगा.]

17. ²[पार्षद या महापौर] होने के लिए व्यापक निरर्हताएं.—(1) कोई भी ऐसा व्यक्ति ²[पार्षद या महापौर] नहीं होगा, जो—

³[(ए) (एक) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ड या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 25) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या मध्यप्रदेश लोकल अथॉरिटीज़ (इलेक्टोरल ऑफ़ेन्सेस) एक्ट, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964) की धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दंडादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो,

(दो) भारत के किसी न्यायालय द्वारा—

(क) उपखंड (एक) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

1. Ins. by M. P. Act No. 20 of 1998, Published in M. P. Rajpatra (Asadharan) date 29-8-1998.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

3. Subs. by M. P. Act No. 7 of 1988.

(b) for contravention of any provisions of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhruti Adhikaron Ka Paradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984), or of any law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs,

unless a further period of six years has elapsed since his release after undergoing the sentence.

Explanation.—In this clause—

- (a) “Law providing for the prevention of hoarding or profiteering” means any law, or any order, rule or notification having the force of law provided for—
- (i) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;
 - (ii) the control of price at which any essential commodity may be brought or sold;
 - (iii) the regulation of acquisition, possession, storage, transportation, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;
 - (iv) the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(ख) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो,

जब तक कि दंडादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में—

- (क) “जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाली विधि” से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसमें—
- (एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण या विनियमन करने;
 - (दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने;
 - (तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने;
 - (चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबंध है.

(b) “**drug**” shall have the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940);

(c) “**essential commodity**” shall have the same meaning as assigned to it in the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955);

(d) “**food**” shall have the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954).

¹[(a-l) has, in proceedings for questioning the validity or regularity of an election or ²[nomination) been found to have been guilty of any corrupt practice, unless a period of five years has elapsed since the date of the finding of the disqualification has been removed by the State Government under section 441-G;]

(b) has been removed from office under section ³[18, 19-B or sub-section (3) of Section 23] unless he has been relieved by Government from the disqualification arising on account of such removal from office;

⁴[(bb) has been disqualified for further election or ²[nomination] as a ⁵[Councillor or Mayor] under section 17-A unless he has been relieved by the Government from such disqualifications;]

(c) is an undischarged insolvent;

(d) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(ख) “**औषधि**” का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है;

(ग) “**आवश्यक वस्तु**” का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है,

(घ) “**खाद्य**” का वही अर्थ होगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है.

¹[(ए-1) किसी निर्वाचन या ²[नामनिर्दिष्ट] की वैधता या नियमितता पर आपत्ति उठाने संबंधी कार्यवाही में, किसी दूषित व्यवहार का दोषी पाया गया हो, जब तक कि निष्कर्ष के दिनांक से पाँच वर्ष का काल व्यतीत न हो गया हो या धारा 441-ए के अधीन राज्य शासन द्वारा निरहता हटा न दी गई हो;]

(बी) धारा ³[19, 19-ख या धारा 23 की उपधारा (3)] के अधीन पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि वह इस प्रकार पद से हटाए जाने के कारण उत्पन्न निरहता से शासन द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो;

⁴[(बी बी) ⁵[पार्षद या महापौर] के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या ²[नामनिर्दिष्ट] किए जाने के लिए धारा 17-ए के अधीन निरहता कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरहता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो;]

(सी) ऐसा असम्पन्न हो, जो भारमुक्त न हो;

(डी) विकृत चित्त हो, और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो;

1. Subs. by M. P. Act No. 13 of 1961.

2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

3. Subs. by M. P. Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.

4. Ins.. by M. P. Act No. 59 of 1976.

5. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

1[(e) is less than twenty five years of age, in case of a Mayor and is less than twenty one years of age, in case of councillor;]

(f) is in the service of the Government or any local authority or is a Government pleader;

(g) has directly or indirectly by himself or his partner, any share or Interest in any work being done by order of the Corporation or in any contract or employment with or under, or by, on behalf of the Corporation.

Explanation—A person shall not be deemed to have incurred disqualifications under this clause by reasons of his—

(a) receiving a Government or municipal pension;

(b) having any share or interest in —

(i) any lease, sale or transfer of land;

(ii) any agreement for the loan of money or any security for the payment of money only;

(iii) any joint stock company except as a director or managing agent or any registered co-operative society;

(iv) occupying as a tenant any premises belonging to the Corporation;

(h) has been dismissed from Government or Municipal service on account of misconduct involving moral turpitude; ²[.]

¹[(ई) महापौर की दशा में पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो;]

(एफ) शासन या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या शासकीय अभिभाषक हो;

(जी) स्वयं या अपने साझेदार द्वारा निगम की आज्ञा से किए जा रहे किसी कार्य में या निगम के साथ या अधीन या द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या सेवा-नियुक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता हो.

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति इस चरण के अधीन इस कारण से निरहित हुआ नहीं समझा जाएगा कि—

(अ) उसे शासकीय या नगरपालिक निवृत्ति वेतन मिल रहा है,

(आ)

(1) उसका किसी पट्टे, विक्रय या भूमि के अंतरण में,

(2) केवल धन के ऋण के लिये किसी ठहराव में या धन के भुगतान के लिए किसी प्रतिभूति में,

(3) संचालक या प्रबंध प्रतिनिधि या रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति के अतिरिक्त किसी संयुक्त समवाय में,

(4) निगम के किसी उपान्त को भाड़ेदार के रूप में अधिवासित करने में, कोई अंश या हित रखता है।

(एच) कदाचरण के आधार पर शासकीय या नगरपालिक सेवा से पदच्युत किया जा चुका हो जिसमें नैतिक अधः पतन सन्निहित हो, ²[.]

1. Subs by M. P. Act No. 18 of 1997, Published in M. P. Gazette (Extraordinary) date 21-4-1997.

2. Omitted by M. P. Act No. 59 of 1976.

(i) has any tax or dues, payable, to the Corporation, standing against his name for a period exceeding one year, ¹[or]

¹[(j) has not paid the amount of charge imposed upon him under Section 11 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) within the time specified in Section 15 of the said Adhiniyam;]

²[(k) if he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislative Assembly of the State:

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;]

³[(1) has been convicted of an offence against women;]

⁴[***]

⁵[(n) has been disqualified under Section 14-C;]

⁶[(o) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board of its successor

(आई) जिसके नाम पर एक वर्ष से अधिक काल से कोई कर या प्राप्य धन, जो निगम को देय हो, अवशिष्ट, हो ¹[या]

¹[(जे) जिसने मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 11 के अधीन उस पर आरोपित किए गए प्रभार की रकम का भुगतान उक्त अधिनियम की धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर न किया हो.)]

²[(के) यदि वह राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है.]

³[(एल) महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है.]

⁴[***]

⁵[(एन) धारा 14-ग के अधीन निरहित किया गया हो;]

⁶[(ओ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से

1. Ins. by M. P. Act No. 59 of 1976.

2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

3. Ins. by M. P. Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.

4. Clause (m) deleted in M. P. by M. P. Act No. 16 of 2007, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478 (3). Same clause (m) also omitted in Chhattisgarh by C. G. Act No. 9 of 2009 (w.e.f. 29-9-2009), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 29th September, 2009 at pages 587-588 (1). Said clause was inserted by M. P. Act. No. 12 of 2000, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 2-5-2000, as bellow :-

"(m) has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001."

5. Ins. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same clause (n) inserted in Chhattisgarh by C. G. Act No. 15 of 2004, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 03-01-2005. **So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.**

6. Clause (o) inserted by M. P. Act No. 5 of 2010, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-1-2010 at pages 207-208(1). **Applicable only in M. P.**

companies, standing against his name for a period exceeding six months.]

(2) **Disability from continuing as a** ¹[Councillor or Mayor].—If any ¹[Councillor or Mayor] during the term of which he has been ²[elected] or ³[nominated] —

⁴[(a) **becomes disqualified.**—(i) under sub-section (1) of Section 13 and his name is struck off from the electoral roll under sub-section (1-a) of that Section; or

(ii) under sub-section (1) of this Section;]

(b) acts as a ¹[Councillor or Mayor] in any matter —

(i) in which he has directly or Indirectly by himself or his partner, any share or interest, as is described in clause (g) of sub-section (1); or

(ii) in which he is professionally interested on behalf of a client, principal or other person; or

(c) absent himself during ²[six consecutive months] from the meeting of the Corporation except with the leave of the Corporation; or

⁵[***]

अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.]

(2) ¹[पार्षद या महापौर] बने रहने के लिए अयोग्यता—यदि कोई ¹[पार्षद या महापौर] ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिये वह—²[निर्वाचित] या ³[नामनिर्दिष्ट] किया गया हो—

⁴[(ए) (एक) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन निरहित हो जाता है तथा उसका नाम उस धारा की उपधारा (1-ए) के अधीन निर्वाचन नामावली में से काट दिया जाता है; या

(दो) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन निरहित हो जाता है;

(बी) किसी ऐसे मामले में ¹[पार्षद या महापौर] के रूप में कार्य करे—

(एक) जिसमें वह स्वयं या अपने साझेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता हो, जैसा कि उपधारा (1) के चरण (ए) में वर्णित है; या

(दो) जिसमें वह किसी व्यवहारी, नियोक्ता या अन्य व्यक्ति की ओर से व्यवसाय के रूप में हित रखता हो; या

(सी) निगम की अनुमति के अतिरिक्त अपने आप को निगम की बैठकों से ²[लगातार छह मास] तक अनुपस्थित रखे; या

⁵[***]

1. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

2. Subs. by M. P. Act No. 13 of 1961.

3. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

4. Subs. by M. P. Act No. 11 of 1978.

5. Clause (cc) deleted in M. P. by M. P. Act No. 16 of 2007, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 15-5-2007 at pages 478-478 (3). Same clause (cc) also omitted in Chhattisgarh by C. G. Act No. 9 of 2009 (w.e.f. 29-9-2009), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 29th September, 2009 at pages 587-588 (1). Said clause was inserted by M. P. Act No. 12 of 2000, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 2-5-2000, as bellow :-

"(cc) he gets a child on or after 26th January, 2001 which increases the number of his children to more than two; or".

(d) fails to pay any arrears of any kind due by him to the Corporation within three months after a notice in this behalf has been served upon him;

¹[(e) becomes disqualified for being chosen as and for being a Councillor or Mayor under Section 14-C;] he shall subject to the provisions of sub-section (3) be disabled from continuing to be a ²[Councillor or Mayor] and his office shall become vacant :

³[Provided that a disqualification under clause (a) of sub-section (1) shall not take effect until three months have elapsed from the date of conviction, or, if within that period an appeal is filed or application for revision is filed in respect of the conviction or the sentence until that appeal or application is disposed off by the Court.]

(3) **Power to decide whether vacancy has occurred** - ⁴[In every case except the cases falling under Clause (n) of sub-section (1) and Clause (c) of sub-section (2)] ⁵[In every case] the authority competent to decide whether a vacancy has occurred under this Section shall be the Government. The decision may be given either on any application made by any person or *suo motu* until the Government decides that the vacancy has arisen, the ²[Councillor

(डी) किसी भी प्रकार के किन्हीं भी ऐसे अवशेषों का जो उसके द्वारा निगम को देय हों, इस संबंध में उस पर सूचना-पत्र के निर्वाह किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर भुगतान न करें;

¹[(ई) धारा 14-ग के अधीन पार्षद या महापौर के रूप में चुने जाने के लिये तथा होने के लिए निरहित हो जाता है;] वो वह उपधारा (3) के आदेशों के पालन के अधीन ²[पार्षद या महापौर] के रूप में बने रहने के अयोग्य होगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा:

³[परन्तु उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन की कोई निरर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि दोषसिद्धि की तारीख से तीन मास न बीत चुके हों या उस कालावधि के भीतर दोषसिद्धि या दण्डादेश के संबंध में कोई अपील फाइल की जाती है या पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन फाइल किया जाता है, तो जब तक कि ऐसी अपील या आवेदन का निपटारा न्यायालय द्वारा नहीं कर दिया जाता है.]

(3) यह निर्णय करने की शक्ति कि क्या कोई रिक्ति हुई है—⁴[उपधारा (1) के खण्ड (एन) और उपधारा (2) के खण्ड (ई) के अधीन आने वाले प्रकरणों के सिवाय प्रत्येक प्रकरण में] ⁵[प्रत्येक प्रकरण में] यह निर्णय देने के लिये कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा. यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा. जब तक शासन यह निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, वह ²[पार्षद

1. Ins. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003.

Applicable only in Madhya Pradesh.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

3. Inserted by M. P. Act No. 7 of 1988.

4. Subs. by M. P. Act No. 29 of 2003, for the words "In every cae". Published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. **Applicable only in Madhya Pradesh.**

5. **Applicable only in Chhattisgarh.**

or Mayor] shall not be disabled under sub-section (2) from continuing to be a ¹[Councillor or Mayor] :

Provided that no order under this Section shall be passed against any ¹[Councillor or Mayor] without giving him a reasonable opportunity of being heard.

या महापौर] उपधारा (2) के अधीन ¹[पार्षद या महापौर] के रूप में बने रहने के लिये अयोग्य नहीं होगा:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आज्ञा किसी भी ¹[पार्षद या महापौर] के विरुद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा मेयर को उसके पद से हटाना—साधारण निष्कासन से कोई अपात्रता नहीं होगी बल्कि वह दंड होगा—यदि धारा 19-बी (1) के अधीन आदेश के साथ-साथ धारा 19-बी (2) के तहत अतिरिक्त आदेश भी पारित किया जाता है तो अपात्रता, पदधारी द्वारा उपगत होगी. सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (4) एम. पी. एल. जे. 485.

²[17-A. Power to disqualify ex-Mayor, ¹[Speaker] etc.—(1) If as a result of audit report or an enquiry or any other proceeding, it comes to the notice of the State Government that any person while he was holding the office of the Mayor, ¹[Speaker], Chairman or Member of a Committee constituted under this Act or a Councillor has committed such acts of commission or omission which, in the opinion of the State Government, would have made his continuance in such office undesirable in the interest of the public or the Corporation, the State Government may, notwithstanding the fact that he has ceased to hold such office, by an order in writing declare such person to be disqualified for further election, ³[or nomination] as a ¹[Councillor or Mayor] for such period not exceeding five years as may be specified by the State Government in such order.

²[17-ए. भूतपूर्व महापौर ¹[अध्यक्ष] आदि को निरहित करने की शक्ति—(1) यदि किसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, या किसी जांच या किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप राज्य सरकार की जानकारी में यह आए कि किसी व्यक्ति ने, जबकि वह महापौर ¹[अध्यक्ष] का या इस अधिनियम के अधीन गठित की गई किसी समिति के अध्यक्ष या सदस्य का या पार्षद का पद धारण किए हुए था, ऐसे कार्य या कार्यलोप किए थे जिनके कि कारण राज्य सरकार की राय में उसका ऐसे पद पर बना रहना लोक-हित या निगम के हित की दृष्टि से अवांछनीय हो जाता, तो राज्य सरकार इस तथ्य के होते हुए भी वह ऐसे पद पर नहीं रह गया है, लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को ¹[पार्षद या महापौर] के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने, ³[या नामनिर्दिष्ट किए जाने] के लिए पाँच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे आदेश में निर्दिष्ट की जाए, निरहित घोषित कर सकेगी.

1. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

2. Substituted by M. P. Act No. 59 of 1976.

3. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 30-5-1994.

(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation].

[17-B. Oath or affirmation by the Mayor and the Councillor.—(1) Every Mayor and every Councillor shall before taking part in the election of Speaker in the first meeting of the Corporation or before entered upon his office, as the case may be, shall make and subscribe in the presence of the Collector an oath or affirmation in the following form :—

I, the Mayor/elected Councillor/nominated Councillor of Municipal Corporation swear in the name of the God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully and impartially perform my duties.

(2) If the Mayor or Councillor does not take an oath under sub-section (1), it shall be deemed that such Mayor or Councillor, as the case may be, has not assumed his office:

Provided that except with the permission of the Divisional Commissioner if any Mayor or Councillor, as the case may be, does not take an oath within three months from the date of his election or nomination, as the case may be, his seat shall be deemed to have been vacant *ipso facto*.]

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जावेगा जब तक कि स्पष्टीकरण देने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.]

[17-ख. महापौर तथा पार्षद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—(1) प्रत्येक महापौर तथा प्रत्येक पार्षद, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा :—

मैं महापौर / निर्वाचित पार्षद / नामनिर्दिष्ट पार्षद नगरपालिक निगम ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की सम्प्रभुता तथा अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।

(2) यदि महापौर या पार्षद उपधारा (1) के अधीन शपथ नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, ऐसे महापौर या पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है:

परन्तु यदि यथास्थिति, महापौर या पार्षद संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन मास के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.]

1. Ins. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003.

Applicable only in Madhya Pradesh.

2. Ins. by C. G. Act No. 15 of 2004, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-01-2005.

Applicable in Chhattisgarh.

SECTION 17-B APPLICABLE IN
CHHATTISGARH ONLY

²[17-B. Oath or affirmation by the Mayor and the Councillor—

(1) Every Mayor and every Councillor shall before taking part in the election of Speaker in the first meeting of the Corporation or before entering upon his office, as the case may be, shall make and subscribe in the presence of the Collector an oath or affirmation in the following form :—

I,..... Mayor/elected councillor/nominated councillor of Municipal Corporation swear in the name of God/solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully and impartially perform my duties.

(2) If the Mayor or Councillor does not take an oath under sub-section (1), it shall be deemed that such Mayor or Councillor as the case may be, has not assumed his office:

Provided that except with permission of the Director if any Mayor or Councillor, as the case be, does not take an oath within 30 days from the date of his' election or nomination, as the case may be, his seat shall be deemed to have fallen vacant *ipso facto*.]

¹[18. Election of Speaker—(1) The Mayor and the elected Councillors of the Corporation shall within fifteen days from the date of the notification of the election under Section 22, in the prescribed manner, elect a speaker from the elected Councillors.

(2) The Speaker shall declare a panel of two

केवल छत्तीसगढ़ में लागू

धारा 17-ख

²[17-ख. महापौर तथा पार्षद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.—(1) प्रत्येक महापौर

तथा प्रत्येक पार्षद, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व कलेक्टर के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा :—

मैं महापौर/निर्वाचित पार्षद/नामनिर्दिष्ट पार्षद नगरपालिक निगम ईश्वर की शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा।

(2) यदि महापौर या पार्षद उपधारा (1) के अधीन शपथ नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, ऐसे महापौर या पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है :

परन्तु यदि यथास्थिति, महापौर या पार्षद संचालक की अनुमति के सिवाय, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीस दिन के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.]

¹[18. अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन—(1) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

elected Councillors every year to preside over the meetings of the Corporation during his absence in order of the name in the panel.

(3) The meeting under sub-section (1) shall be called and presided over by the Collector.

(4) The term of the Speaker shall be coterminous with the term of the Corporation.]

¹[18-A. Powers and functions of the Speaker.—(1) Subject to the provisions of the Act, the speaker shall have the following powers and functions :—

- (i) to preside over the meetings of the Corporation and send the copy of proceeding to the Commissioner within seven days from the date of meeting;
- (ii) to fix the date of the meeting of the Corporation with the consent of the Mayor and arrange to send the notice thereof alongwith the Agenda as approved by the Mayor, and
- (iii) to have administrative control over the officers and servants of his office including the Corporation Secretary.

(2) The Speaker shall have power to call the execution report from the Commissioner, on the decisions taken in the meeting of the Corporation, and may take steps to include in the agenda of the next meeting of the corporation such matters in which execution has been delayed beyond three months.]

19. Removal of Councillors.—(1) The

(2) अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति के दौरान, निगम के सम्मिलनों की अध्यक्षता करने के लिए प्रतिवर्ष दो निर्वाचित पार्षदों की एक नामावली घोषित करेगा जिसमें नामावली में दिए गए क्रम में नाम होंगे.

(3) उपधारा (1) के अधीन सम्मिलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा.

(4) अध्यक्ष की पदावधि, निगम की पदावधि की सह-विस्तारी होगी.]

¹[18-क. अध्यक्ष (स्पीकर) की शक्तियां तथा कृत्य.—(1) इस अधिनियम के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे :—

(एक) निगम के सम्मिलन की अध्यक्षता करना तथा सम्मिलन की तारीख से सात दिन के भीतर आयुक्त को कार्यवाही की प्रतिलिपि भेजना;

(दो) महापौर की सहमति से निगम के सम्मिलन की तारीख नियत करना तथा उसकी सूचना उस कामकाज की सूची (एजेण्डा) के साथ जो कि महापौर द्वारा अनुमोदित की गई है, महापौर को भिजवाने की व्यवस्था करना; और

(तीन) अपने कार्यालय के अधिकारियों तथा सेवकों जिसमें निगम का सचिव भी सम्मिलित है, पर प्रशासकीय नियंत्रण रखना.

(2) अध्यक्ष को नगरपालिक निगम के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चयों पर आयुक्त से निष्पादन रिपोर्ट मंगवाने की शक्ति होगी तथा वह ऐसे मामलों को जहां निष्पादन तीन माह से परे लम्बित रहा हो, निगम के आगामी सम्मिलन के कामकाज की सूची (एजेण्डा) में सम्मिलित करने के लिए कदम उठा सकेगा.]

1. Ins. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 25-8-2003. Same Section 18-A inserted in Chhattisgarh by C. G. Act No. 15 of 2004, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

¹[Divisional Commissioner] may at any time, remove any ²[elected] ³[.....] councillor—

(a) if his continuance as a councillor is not, in the opinion of the ¹[Divisional Commissioner], desirable in the interest of the public or the corporation; or

⁴[(a-1) if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved, or]

(b) if the Corporation has, by a resolution supported by at least two third of the total number of councillors; recommended that a councillor is not fit to continue as a councillor on account of misconduct in the discharge of his duties or disgraceful conduct and should therefore be removed.

(2) The ¹[Divisional Commissioner] may, while ordering the removal under ⁵[sub-section (3) of Section 23] or this Section, also order that such councillor shall not be eligible to become a councillor of a Corporation for a period which shall be specified in the order and

19. **पार्षदों का हटाया जाना.**—(1) ¹[संभागीय आयुक्त] किसी भी ²[निर्वाचित] ³[.....] किए गए पार्षद को किसी भी समय हटा सकेगा—

(अ) यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना ¹[संभागीय आयुक्त] के मत में सार्वजनिक या निगम के हित में वांछनीय न हो;

⁴[(अ-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, या]

(आ) यदि निगम ने ऐसे ठहराव द्वारा जो पार्षदों की सम्पूर्ण संख्या के कम से कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो, या सिफारिश की हो कि ऐसा पार्षद अपने कर्तव्यों के सम्पादन में कदाचरण या अशोभनीय आचरण का दोषी होने के कारण पार्षद होने के योग्य नहीं है और इसलिए उसे हटा दिया जाना चाहिए.

(2) ¹[संभागीय आयुक्त] ⁵[धारा 23 की उपधारा (3)] या इस धारा के अधीन हटाने की आज्ञा देते समय, यह आज्ञा भी दे सकेगा कि ऐसा पार्षद ऐसी अवधि तक, जो उस आज्ञा में निर्दिष्ट की जाएगी और

1. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997. in State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 3 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words are applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

2. Subs. by M. P. Act No. 13 of 1961,

3. Omitted by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

4. Ins. in State of M. P. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 25-8-2003 and in State of C. G. by Sec. 3 of C. G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). So, now clause (a-1) is applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

5. Subs. by M. P. Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-8-1998.

which shall not exceed ¹[five] years :

Provided that no resolution recommending the removal of any councillor shall be passed by the Corporation nor any such order of removal shall be passed by the ²[Divisional Commissioner] unless such councillor has been given a reasonable opportunity of showing cause why a recommendation should not be made for his removal or why he should not be removed from his office.

³[(3) An appeal against the order passed under sub-section (1) or sub-section (2) of this Section or Section 23 shall lie to the State Government within 30 days of the date on which the order is conveyed to the aggrieved party. The State Government may after giving a reasonable opportunity of being heard, pass such order on the appeal as it may think fit.]

³[19-A. Automatic vacation of all offices on ceasing to be Councillor.—A person who ceases to be Councillor shall automatically vacate all the offices in the Corporation which he holds by virtue of his being a Councillor.

[19-B. Removal of Mayor or Speaker or

जो ¹[पांच वर्ष] से अधिक की नहीं होगी, फिर से निगम का पार्षद नहीं हो सकेगा :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब तक ऐसे पार्षद को यह कारण बताने का समुचित अवसर न दे दिया जाए कि उसे उसके पद से हटाए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए या उसे क्यों न हटाया जाए तब तक न तो निगम द्वारा उसे हटाने की सिफारिश का ठहराव पारित किया जाएगा और न ²[संभागीय आयुक्त] द्वारा उसे हटाने की ऐसी कोई आज्ञा दी जाएगी.

³[(3) इस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 23 के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील, उस तारीख से, जिसको कि व्यथित पक्ष को वह आदेश पहुंचाया गया है, 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को होगी. राज्य सरकार सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि उचित समझे.]

³[19-क. पार्षद न रहने पर समस्त पदों की अपने आप रिक्ति.—कोई व्यक्ति पार्षद न रहने पर निगम में उन समस्त पदों को अपने आप रिक्त कर देगा जिन्हें वह पार्षद होने के आधार पर धारण करता है.

1. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997. In State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 3 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words are applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

3. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

Chairman of a Committee.—(1) The State Government may, at any time remove a Mayor or Speaker or Chairman of any Committee, if his continuance as a Mayor or Speaker or Chairman of any Committee as the case may be, is not, in the opinion of the State Government, desirable in public interest or in the interest of the Corporation or if it is found that he is incapable of performing his duties or is working against the provisions of this Act¹[or the rules made thereunder or if it is found that the Mayor does not belong to the reserved category for which the seat was reserved].

²[(2) As a result of the order of removal of Speaker or Chairman of any Committee, as the case may be, under sub-section (1), it shall be deemed that such Speaker or the Chairman of any Committee, as the case may be, has been removed from the office of Councillor also. At the time of passing order under sub-section (1), the State Government may also pass such order that the Mayor or Speaker or Chairman of any Committee, as the case may be, shall be disqualified to hold the office of Mayor or Speaker or Councillor, as the case may be, for the next term :

[19-ख. महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का हटाया जाना.—(1) राज्य सरकार, महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी, यदि यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष के रूप में उसका बना रहना, राज्य सरकार की राय में, लोकहित में या निगम के हित में वांछनीय नहीं है या यदि यह पाया जाए कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या वह इस अधिनियम¹[या उसके अधीन बनाए गए नियमों के, या यदि यह पाया जाए कि महापौर उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था], के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा है.

²[(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति, अध्यक्ष (स्पीकर) या किसी समिति के अध्यक्ष (चेयरमेन) को हटाए जाने के आदेश के परिणामस्वरूप यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को पार्षद, के पद से भी हटा दिया गया है. उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करते समय, राज्य सरकार, ऐसा आदेश भी पारित कर सकेगी कि यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति का अध्यक्ष, आगामी पदावधि के लिए यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या पार्षद का पद धारण करने हेतु निरहित होगा :

1. Subs. In State of M. P. by M. P. Act No. 29 of 2003, for the words "or the rules made thereunder", Published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 25-8-2003. In State of C. G. same was subs. by Sec. 4 of C. G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012, Pages 425-426(26). So, now above words are applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.
2. Subs. by M. P. Act No. 29 of 2003, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 25-8-2003. Applicable only in Madhya Pradesh.

Provided that no such order under this Section shall be passed unless a reasonable opportunity of being heard is given.]

**SUB-SECTION (2) APPLICABLE IN
CHHATTISGARH ONLY**

(2) The State Government may while ordering the removal under sub-section (1), also order that such Mayor or Speaker or Chairman of any committee shall be disqualified to hold such office for the next term :

Provided that no such order under this section shall be passed unless a reasonable opportunity of being heard is given.

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो.]

**केवल छत्तीसगढ़ में लागू
उपधारा (2)**

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन हटाने का आदेश देते समय, यह आदेश भी दे सकेगी कि ऐसा महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति का अध्यक्ष आगामी पदावधि के लिये पद धारण करने हेतु निरहिंत होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो.

टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा मेयर को उसके पद से हटाना—साधारण निष्कासन से कोई अपात्रता नहीं होगी बल्कि वह दंड होगा—यदि धारा 19-बी (1) के अधीन आदेश के साथ-साथ धारा 19-बी (2) के तहत अतिरिक्त आदेश भी पारित किया जाता है तो अपात्रता, पदधारी द्वारा उपगत होगी. **सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2008 (4) एम. पी. एल. जे. 485.**

19-C. Resignation of Mayor.—(1) The Mayor may resign his office by tendering his resignation in writing to the State Government.

(2) On receipt of the resignation, under sub-section (1), the State Government shall :—

- (i) if satisfied about its genuineness, accept the resignation and notify the fact of such resignation and the occurrence of casual vacancy by reason of such resignation in the Gazette;

19-ग. महापौर का त्याग-पत्र.—(1) महापौर, राज्य सरकार को लिखित में अपना त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन त्याग-पत्र प्राप्त होने पर, राज्य सरकार—

- (एक) उसकी वास्तविकता के बारे में यदि उसका समाधान हो जाए, त्याग-पत्र स्वीकार करेगी और ऐसे त्याग-पत्र के तथ्य की ओर उसके कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित करेगी;

- (ii) if not satisfied about its genuineness, not accept the resignation for reasons to be recorded in writing.

(3) If it appears to the State Government that the Mayor having become liable for removal under section ¹[19.B] has tendered his resignation to escape such removal, then notwithstanding anything contained in this section, the State Government may order his removal in accordance with the provisions of the said section and thereupon the Mayor shall be deemed to have been removed from the date he resigns his office.]

²**20. Duration of the Municipal Corporation.**—(1) Every Municipal Corporation, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

³**[Explanation]**—The meeting held under sub-section (1) of Section ⁴[18] for the purpose of electing ⁴[the Speaker] shall be deemed to be the first meeting for the purpose of this sub-section.]

(2) An election to constitute a Municipal Corporation shall be completed—

- (a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1);

(दो) यदि, उसकी वास्तविकता के बारे में समाधान न हो, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेगी।

(3) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि महापौर ने धारा ¹[19-ख] के अधीन हटाए जाने के दायित्वाधीन हो जाने के कारण ऐसे हटाए जाने से बच निकलने के लिए त्याग-पत्र दिया है, तो इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार उसके हटाए जाने का आदेश दे सकेगी और उसके पश्चात् उस महापौर के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस तारीख से उसने त्याग-पत्र दिया है उस तारीख से वह हटा दिया गया है।]

²**[20. नगरपालिक निगम की अवधि.]**—(1) प्रत्येक नगरपालिक निगम, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो अपने प्रथम सम्मिलन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बना रहेगा, इससे अधिक नहीं।

³**[स्पष्टीकरण.]**—⁴(अध्यक्ष) को निर्वाचित करने के लिए धारा ⁴[18] की उपधारा (1) के अधीन किए गए सम्मिलन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रथम सम्मिलन है।]

(2) किसी नगरपालिक निगम का गठन करने के लिए निर्वाचन—

- (क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी कालावधि की समाप्ति के पूर्व;

1. Subs. by M. P. Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-9-1998.
2. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994.
3. Ins. by M. P. Act No. 12 of 1995.
4. Subs. by Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

- (b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that where the remainder of the period for which the dissolved Municipal Corporation would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this section for constituting the Municipal Corporation for such period.

(3) A Municipal Corporation constituted upon the dissolution of a Municipal Corporation before the expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved Municipal Corporation would have continued under sub-section (1) had it not been so dissolved.]

¹[(4) Subject to the provisions of this Act, the term of Mayor and every Councillor shall be conterminous with the term of the Corporation.]

²[21. **Filling to Casual Vacancies.**—(1) As soon as the office of a Mayor or the seat of an elected Councillor becomes vacant or is declared vacant, or the election of the Mayor or the Councillor as the case may be, is declared void, the State Government shall forthwith inform the State Election Commission for filling up the vacancy and the person so elected shall hold office of Mayor or Councillor as the case may be, only for the remaining period of the Corporation :

- (ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व, पूरा करा लिया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसी शेष कालावधि, जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिक निगम बना रहता, छह मास से कम है, वहां ऐसी कालावधि के लिए उस नगरपालिक निगम का गठन करने हेतु इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी नगरपालिक निगम की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिक निगम के विघटन पर गठित किया गया कोई नगरपालिक निगम उस कालावधि के केवल शेष भाग के लिए बना रहेगा, जिसके लिए विघटित नगरपालिक निगम, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं किया जाता तो वह उपधारा (1) के अधीन बना रहता.]

¹[(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महापौर तथा प्रत्येक पार्षद की पदावधि निगम की पदावधि की सहविस्तारी होगी.]

²[21. **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.**—(1) जैसे ही महापौर का पद या किसी निर्वाचित पार्षद का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या यथास्थिति महापौर या पार्षद का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल सूचित करेगी और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति यथास्थिति महापौर या पार्षद का पद निगम की केवल शेष कालावधि के लिए धारण करेगा:

1. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extra-ordinary) dated 21-4-1997.

Provided that if the remaining period of the Corporation is less than six months, such vacancy shall not be filled in.

(2) Until the vacancy in the office of Mayor is filled in under sub-section (1), all the powers and duties of the Mayor shall be performed by such elected Councillor as the State Government may nominate in this behalf:

Provided that if the office of Mayor is reserved under Sec. 11-A, such councillor shall be nominated from the elected Councillors belonging to such reserved category.]

¹[22. Notification of election of ¹[Mayor and Councillor].—Every election of a ²[Mayor and Councillor] shall be notified by the State Election Commission in the official gazette].

²[23. Resignation of Speaker or Councillors .—(1) The Speaker or any Councillor may resign his office by tendering his resignation in writing to the Mayor who shall forward the same to the ³[Divisional Commissioner] and If the Speaker or such Councillor, as the case may be, desire he may also send a copy of his resignation directly to the ³[Divisional Commissioner].

(2) On receipt of the resignation under sub-section (1), the ³[Divisional Commissioner] shall—

परन्तु यदि किसी नगरपालिक निगम की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्ति नहीं भरी जाएगी.

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन महापौर के पद की रिक्ति न भरी जाए, तब तक महापौर की समस्त शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे निर्वाचित पार्षद द्वारा पालन किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यदि महापौर का पद धारा 11-क के अधीन आरक्षित है तो ऐसा पार्षद ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के निर्वाचित पार्षदों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.]

¹[22. ¹[महापौर तथा पार्षद] के निर्वाचन की अधिसूचना.—²[महापौर तथा पार्षदों] का प्रत्येक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.]

¹[23. अध्यक्ष या पार्षदों का त्याग-पत्र .— (1) अध्यक्ष या कोई पार्षद महापौर को लिखित त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा, जो उसे ³[संभागीय आयुक्त] को अग्रेषित करेगा और यथास्थिति, यदि अध्यक्ष या ऐसा सदस्य वांछा करे, तो वह अपने त्याग-पत्र की एक प्रति ³[संभागीय आयुक्त] को सीधे भी भेज सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन त्याग-पत्र प्राप्त होने पर ³[संभागीय आयुक्त]—

1. Subs. by M. P. Act No. 16 of 1994, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 30-5-1994.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

3. In State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 4 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words applicable in M. P. as well as in C.G.

(i) if satisfied about its genuineness, accept the resignation and notify the fact of such resignation and the occurrence of casual vacancy by reason of such resignation in the Gazette;

(ii) if not satisfied about its genuineness, not accept the resignation for reasons to be recorded in writing.

(3) If it appears to the ¹[Divisional Commissioner] that any Councillor having become liable for removal under Section 19 has tendered his resignation to escape such removal, then notwithstanding anything contained in this section, the ¹[Divisional Commissioner] may order his removal in accordance, with the provisions of the said section and thereupon the Councillor shall be deemed to have been removed from the date he resigned his office.]

(एक) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में उसका समाधान हो जाए, तो त्याग-पत्र स्वीकार करेगा और ऐसे त्याग-पत्र के तथ्य की ओर ऐसे त्यागपत्र के कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित करेगा।

(दो) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में समाधान न हो, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेगा।

(3) यदि ¹[संभागीय आयुक्त] को यह प्रतीत होता है कि किसी पार्षद ने धारा 19 के अधीन हटाए जाने के दायित्वाधीन हो जाने के कारण ऐसे हटाए जाने से बच निकलने के लिए त्याग-पत्र दिया है, तो इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ¹[संभागीय आयुक्त] उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार उसके हटाए जाने का आदेश दे सकेगा और उसके पश्चात् उक्त पार्षद के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस तारीख से उसने त्याग-पत्र दिया है उस तारीख से वह हटा दिया गया है।]

सुसंगत निर्णय विधि के लिखे देखें : सुरेश सेठ बनाम कमिश्नर, इन्दौर नगरपालिक निगम और अन्य, ए.आई.आर. 2006 सुप्रीम कोर्ट 767.

²[23-A. No-confidence motion against Speaker.—(1) A motion of no-confidence may be moved against the Speaker by any elected Councillor at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2) and if the

²[23-क. अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव.—(1) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन

1. In State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 4 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

2. Ins. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

motion, is carried by a majority of two thirds of the elected Councillors present and voting in the meeting and if such majority is more than half of the total number of elected Councillors constituting the Corporation, the office of the Speaker, shall be deemed to have fallen vacant forthwith :

Provided that no such resolution shall lie against the Speaker within a period of—

- (i) two years from the date on which the Speaker enters upon his office,
- (ii) one year from the date on which the previous motion of no-confidence was rejected.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Corporation shall be convened and presided over by the Collector in the following manner, namely—

- (i) the meeting shall be convened forthwith on a requisition signed by not less than ¹[one third) of the total number of elected Councillors constituting the Corporation for the time being,
- (ii) the notice of such a meeting specifying the date, time and place shall be dispatched to the Mayor and every Councillor ten clear days before the meeting.

में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो, तो अध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा :

परन्तु अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव—

- (एक) उस तारीख से जिससे कि अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर,
- (दो) उस तारीख से, जिस पर कि पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष के भीतर नहीं होगा.

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए निगम का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा कलेक्टर द्वारा उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी—

- (एक) तत्समय निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम ¹[एक तिहाई] द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा.
- (दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी;

(iii) the no-confidence motion moved under this section shall be decided through secret ballot.]

¹[24. **Recalling of Mayor.**—(1) Every Mayor of a Corporation shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the corporation area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed:

Provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three-fourth of the total number of the elected Councillors and presented to the ²[Divisional Commissioner] :

Provided further that no such process shall be initiated :

- (i) within a period of two years from the date on which such Mayor is elected and enters his office;
- (ii) if half of the period of tenure of the Mayor elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the Mayor shall be initiated once in his whole term.

(तीन) इस धारा के अधीन लाए गए अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा.]

¹[24. **महापौर का वापस बुलाया जाना.**—(1) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए :

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे ²[संभागीय आयुक्त] को प्रस्तुत न कर दिया जाए :

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया—

- (एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पदधारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;
- (दो) यदि उप चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरम्भ नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

1. Subs. by M. P. Act No. 11 of 1999, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 23-4-1999.

2. In State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 5 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words applicable in M. P. as well as in C. G.

(2) The ¹[Divisional Commissioner], after satisfying himself and verifying that the three-fourth of the Councillors specified in sub-section (1) have signed the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(3) On receipt of the reference, the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.]

²[25. Powers and functions of Mayor.—(1) The Mayor, shall—

(a) have administrative control over the officers and servants of his office including the office of the ³[Mayor-in-Council] and Appeal Committee;

(b) exercise such powers and perform such functions as described in the Act or the Rules made thereunder.

(2) The Mayor or in his absence ⁴[such member of the Mayor-in-Council,

(2) ¹[संभागीय आयुक्त] अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा।]

²[25. महापौर की शक्तियां तथा कृत्य.—
(1) महापौर—

(क) अपने कार्यालय के जिसमें ³[मेयर-इन-काउंसिल] तथा अपील समिति का कार्यालय सम्मिलित है, अधिकारियों तथा सेवकों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखेगा।

(ख) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन वर्णित किए गए हैं।

(2) महापौर या उसकी अनुपस्थिति में ⁴[मेयर-इन-काउंसिल का ऐसा सदस्य जो महापौर

1. In State of C. G. for the words "Divisional Commissioner" the words "Director, Urban Planning and Development" were subs. by C. G. Act No. 6 of 2003, published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 26-4-2003 at page 214 (2). But now, again for the words "Director Urban Planning and Development" the words "Divisional Commissioner" subs. by Sec. 5 of C. G. Act No. 17 of 2011 (w.e.f. 2-1-2012), published in C. G. Rajpatra (Asadharan) dated 11-5-2011 Pages 344(9-16). So, now above words applicable in M. P. as well as in C.G.

2. Subs. by M. P. Act No. 18 of 1997, published in M. P. Gazette (Extraordinary) dated 21-4-1997.

3. Subs. by M. P. Act No. 20 of 1998, published in M. P. Rajpatra (Asadharan) dated 29-9-1998.

4. In State of M. P. subs. by M. P. Act No. 29 of 2003 for the words "the speaker", "Published in M. P. Gazette (Extraordinary) date 25-8-2003. Same amendment in Chhattisgarh by C.G. Act No. 15 of 2004, published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 3-1-2005. So, now Applicable in Madhya Pradesh as well as in Chhattisgarh.

अधिसूचना क्र. 967-6681-अट्टारह-दो-73, दि. 26-12-1973. म. प्र. राजपत्र भाग-2, दिनांक 8-2-1974, पृष्ठ 108-109 पर प्रकाशित—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारियों को उसके (सारणी) के कॉलम (3) के तत्स्थानीय प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट किये गये उक्त अधिनियम के उपबन्धों के संबंध में विहित प्राधिकारियों के रूप में घोषित करता है :—

सारणी

क्रमांक	प्राधिकारी	उपबंध
(1)	(2)	(3)
1.	कलेक्टर	धारा 35(1), व्याख्या (1)
2.	कलेक्टर	धारा 38, उपधारा (2)
3.	कलेक्टर	धारा 39, उपधारा (2)
4.	कलेक्टर	धारा 40, उपधारा (2)
5.	कलेक्टर	धारा 45
6.	कलेक्टर	धारा 46, उपधारा (4) तथा (5)
7.	कलेक्टर	धारा 47, उपधारा (2) (चार)
8.	कलेक्टर	धारा 62, उपधारा (2)
9.	कलेक्टर	धारा 93, उपधारा (1) (क)
10.	जिला मजिस्ट्रेट	धारा 123, उपधारा (1) (ज)
11.	1[कलेक्टर]	धारा 53, उपधारा (1) (ग)
12.	उप-संचालक स्थानीय संस्थाएं	धारा 116, उपधारा (3)
13.	उप-संचालक स्थानीय संस्थाएं	धारा 120, उपधारा (1)
14.	कलेक्टर	धारा 260, उपधारा (1)

(2) सार्वजनिक रास्ता—अतिक्रमण हटाना नगरपालिका के कर्तव्याधीन. गोपाल शर्मा बनाम म. प्र. राज्य एवं अन्य, 1996 एम. पी. ए. सी. जे. 147.

रास्ता एवं सार्वजनिक रास्ता—रास्ते में खुला स्थान शामिल होता है, इसको सार्वजनिक रास्ते के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है. मधुसूदन खण्डेवाल बनाम नगरपालिका परिषद, 1995 (2) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 176.

जो रास्ता सार्वजनिक रास्ते से जुड़ा हो, सार्वजनिक रास्ते का एक हिस्सा माना जाएगा. जगन्नाथ प्रसाद बनाम नगर पालिका परिषद, मुरैना, 1995 एम. पी. एल. जे. 212.

CHAPTER II Constitution of Municipalities

4. ¹[***]

²[5. Constitution of Municipal Councils and Nagar Panchayats.—

(1) There shall be constituted,—

(a) a Municipal Council for a smaller urban area; and

(b) a ³[Nagar Parishad] for a transitional area, that is to say, an area in transition from a rural area to an urban area:

Provided that a Municipal Council or a ³[Nagar Parishad], as the case may be, may not be constituted in such urban area or part thereof; as the Governor may, having regard to the size of the area and the municipal services being provided or proposed to be provided by an industrial establishment or a group of such establishments in that area and such other factors as he may deem fit, by public notification specify to be an industrial township:

Provided further that when an area is notified to be a transitional area, the Gram Panchayat having jurisdiction over such area shall continue to function until a duly elected ³[Nagar Parishad] is constituted under this Act.

अध्याय 2 नगरपालिकाओं का गठन

4. ¹[***]

²[5. नगरपालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों का गठन—(1)

(क) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका परिषद् का गठन किया जाएगा; और

(ख) किसी संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणतगत् क्षेत्र के लिए ³[नगर परिषद्] का गठन किया जाएगा:

परन्तु यथास्थिति कोई नगरपालिका परिषद् या कोई ³[नगर परिषद्] ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक स्थापन या ऐसे स्थापनों के किसी समूह द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें.

परन्तु यह और भी कि जब कोई क्षेत्र संक्रमणशील क्षेत्र होना अधिसूचित किया जाता है, तब ऐसे क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत तब तक कृत्य करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित ³[नगर परिषद्] गठित नहीं हो जाती है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा विलोपित (30-5-1994 से प्रभावी).
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30-5-1994 से प्रभावी).
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

(2) In this section, 'a smaller urban area' or 'a transitional area' means such area as the Governor may, having regard to the population of the area, the density of the population therein, the revenue generated for local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities, the economic importance or such other factors, as he may deem fit, specify, by public notification for the purposes of this Act]

¹[(3) [***]

²[5-A. Power of Governor to include or exclude certain area— (1))The Governor may by notification in the gazette, declare the intention to include within or exclude from the limits of a municipal area, any specified area.

(2) If the local authority having jurisdiction in the said area or any person resident therein, objects to such declaration, such authority or person may. submit an objection in writing to the Collector within a prescribed period and the Governor shall take such objection into consideration.

(3) When the said period has expired and the Governor has considered the objection under subsection (2), the Governor may by notification include within or exclude from the limits of a municipal area, any specified area:

(2) इस धारा में "लघुतर नगरीय क्षेत्र" या "संक्रमणशील क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसे राज्यपाल उस क्षेत्र की जनसंख्या, उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जिन्हें वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.]

¹[(3) [***]

²[धारा 5-क. कतिपय क्षेत्रों को सम्मिलित या अपवर्जित करने की राज्यपाल की शक्ति.—(1) राज्यपाल, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित करने या नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित करने का आशय घोषित कर सकेगा।

(2) यदि उक्त क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या उसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा पर आपत्ति करता है तो ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति विहित कालावधि के भीतर कलेक्टर को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और राज्यपाल ऐसी आपत्ति पर विचार करेगा।

(3) जब उक्त कालावधि का अवसान हो जाए और उपधारा (2) के अधीन आपत्ति पर राज्यपाल विचार कर लिया है तो राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को, किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर सम्मिलित कर सकेगा या नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित कर सकेगा:

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित एवं अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा विलोपित (21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

Provided that when an area is excluded from the limits of any municipal area, such area notwithstanding such exclusion shall continue to be within the limits of the municipal area until the area so excluded is included in a duly constituted Panchayat area.]

6. Procedure for publication of notifications—Every notification under Section 5 [or Section 5-A] shall be published in the Official Gazette and in at least one Hindi newspaper having circulation in the area to which it relates and also by posting a copy thereof—

- (a) in a conspicuous place in the office of the Collector;
- (b) in a conspicuous place in the office of the Municipality, if any, affected by the notification; and
- (c) in such conspicuous place in the area affected by the notification as the Collector may deem fit.

7. Effect of establishing Municipality for local area which : ceases to be Town Area or Panchayat—When any local area ceases to be a Town Area under the Bhopal State Town Area Act, 1954 (XIV of 1954), or a Panchayat under the Panchayat Law and immediately following such, cessation a Municipality is established under Section 5 for such area, then, as from the date of establishment of the Municipality (hereinafter

परन्तु जब कोई क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं से अपवर्जित कर दिया गया है तो उसे अपवर्जन के होते हुए भी ऐसा क्षेत्र तब तक नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर बना रहेगा जब तक कि इस प्रकार अपवर्जित किए गए क्षेत्र को सम्यक् रूप से गठित पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित नहीं कर दिया जाता है।]

6. अधिसूचना के प्रकाशन के लिए प्रक्रिया.—धारा 5 के अधीन [या धारा 5-क के अधीन] की प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में तथा कम से कम एक ऐसे हिन्दी समाचार पत्र में, जो उस क्षेत्र में जिससे कि वह संबंधित है, परिचालन में हो, प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि—

- (क) कलेक्टर के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में;
- (ख) अधिसूचना द्वारा प्रभावित नगरपालिका, यदि कोई हो, के कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में; और
- (ग) अधिसूचना द्वारा प्रभावित क्षेत्र में ऐसे सहजदृश्य स्थानों में, जैसा कि कलेक्टर उचित समझें; लगाकर भी प्रकाशित की जाएगी.

7. ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जो नगर क्षेत्र या पंचायत न रह जाए, नगरपालिका स्थापित करने का प्रभाव—जब कोई स्थानीय क्षेत्र भोपाल स्टेट टाउन एरिया एक्ट, 1954 (क्रमांक 14 सन् 1954) के अधीन नगर क्षेत्र या पंचायत विधि के अधीन पंचायत न रह जाए और ऐसी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् ऐसे क्षेत्र के लिए नगरपालिका धारा 5 के अधीन स्थापित कर दी जाए, तो नगरपालिका की स्थापना की तारीख से (जो

in this Section referred to as the specified date) the following consequences shall ensue, namely:—

- (a) the Town Area Committee or the Panchayat, as the case may be, shall cease to exist;
- (b) there shall be constituted a committee in accordance with the provision of Section 16 to exercise the powers of the Council pending its constitution;
- (c) the unexpended balance of the Town Area Fund or the Panchayat Fund and the property (including arrears rates, taxes, rents and fees) belonging to the Town Area Committee or the Panchayat all rights and powers which prior to such notification were and vested in the Town Area Committee or the Panchayat shall, subject to charges and liabilities affecting the same vest in the Committee until a Council is constituted under this Act;
- (d) any appointment, notification, notice, tax, order, scheme, licence, permission, rule, bye-law or form made, issued, imposed or granted under the Bhopal State Town Area Act, 1954 (XIV of 1954), or the Panchayat Law before the specified date in respect of such local area shall, so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been made, issued, imposed or granted in respect of the Municipality until it is superseded or modified by any appointment, notification, notice, tax,

इस धारा में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् —

- (क) यथास्थिति, नगर क्षेत्र समिति या पंचायत अस्तित्वहीन हो जाएगी;
- (ख) धारा 16 के उपबंधों के अनुसार एक समिति गठित की जाएगी जो परिषद् का गठन होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग करेगी;
- (ग) नगर क्षेत्र निधि या पंचायत निधि का व्यय न किया गया अतिशेष तथा नगर क्षेत्र समिति या पंचायत की सम्पत्ति [जिसमें स्थानीय करों (रेट्स), करों, भाटकों तथा फीस के बकाया सम्मिलित है] तथा ऐसे समस्त अधिकार तथा शक्तियाँ, जो ऐसी अधिसूचना के पूर्व नगर क्षेत्र समिति या पंचायत में निहित थी, उन्हें प्रभावित करने वाले समस्त भारों तथा दायित्वों के अधीन रहते हुए, तब तक समिति में निहित होंगी जब तक इस अधिनियम के अधीन परिषद् गठित न हो जाए;
- (घ) कोई भी ऐसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, कर, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा नियम, उपविधि या प्रारूप जो विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व, भोपाल स्टेट टाउन एरिया एक्ट, 1954 (क्रमांक 14 सन् 1954) या पंचायत विधि के अधीन ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में की गई है, जारी की गई है अधिरोपित किया गया है बनाई गई है, मंजूर की गई है, बनाया गया है, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, प्रवृत्त बनी रहेगी या बना रहेगा और उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नगरपालिका के संबंध में की गई, जारी की गई, अधिरोपित किया गया, बनाई गई, मंजूर की गई, बनाया गया है जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई, जारी की

order, scheme, licence, permission, rule bye-law or form made, issued, imposed or granted under this Act;

- (e) all budget estimates, assessment list, valuation or measurement made or authenticated under the Bhopal State Town Area Act, 1954 (XIV of 1954), or the Panchayat Law immediately before the specified date and in respect of the local area shall be deemed to have been made or authenticated under this Act;
- (f) all debts or obligations incurred and all contracts made by or on behalf of the Town Area Committee or Panchayat immediately before the specified date and subsisting on the specified date shall be deemed to have been incurred and made by the Council in exercise of the powers conferred under this Act;
- (g) all officers and servants in the employ of the Town Area Committee or Panchayat, as the case may be, immediately before the specified date shall be officers and servants of the Council under this Act and shall, until other provisions are made in accordance with the provisions of this Act, receive salary and allowances and be subject to conditions of service to which they were entitled or subject immediately before such date:

गई, अधिरोपित किए गए, किए गए, बनाई गई, मंजूर की गई, बनाए गए, किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना कर, आदेश, स्कीम, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, नियम, उपविधि या प्ररूप द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित न कर दी जाए;

- (ङ) विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व भोपाल स्टेट टाउन एरिया एक्ट, 1954 (क्रमांक 14 सन् 1954) या पंचायत विधि के अधीन उस स्थानीय क्षेत्र के संबंध में बनाए गए या अधिप्रमाणीकृत समस्त बजट प्राक्कलन, निर्धारण, निर्धारण सूची, मूल्यांकन या माफ, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए या अधिप्रमाणीकृत समझे जाएंगे;
- (च) विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व, नगर क्षेत्र समिति या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से उपगत समस्त ऋणों या बाध्याताओं तथा की गई समस्त संविदाओं, जो विनिर्दिष्ट तारीख को अस्तित्व में हैं के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् द्वारा उपगत हैं तथा की गई हैं;
- (छ) ऐसे समस्त अधिकारी तथा सेवक, जो विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व यथास्थिति नगर क्षेत्र समिति या पंचायत के नियोजन में हैं, इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारी तथा सेवक होंगे और जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अन्य उपबंध नहीं किया जाता, वही वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेंगे जो वे ऐसी तारीख के ठीक पूर्व पाने के हकदार थे तथा उन्हीं सेवा शर्तों के अधीन होंगे जिनके अधीन वे ऐसी तारीख के ठीक पूर्व थे;

Provided that it shall be competent to the Council to discontinue the services of any officer or servant, who in its opinion, is not necessary or suitable to the requirement of the Municipal service after giving such officer or servant notice as is required to be given by the terms of his employment:

Provided further that previous sanction of the State Government shall be obtained for discontinuing the services of any permanent officer or servant under the preceding proviso who on such discontinuance shall be entitled to such leave, pension, provident fund and gratuity as he would have been entitled to take or receive on being invalidated from service as if the Town Area Committee or Panchayat in the employ of which he was, had not ceased to exist;

(h) all proceedings pending immediately before the specified date before the Town Area Committee or Panchayat or any other authority, as the case may be, shall be deemed to be transferred to and continued by the Council or such authority;

(i) all appeals pending immediately before the specified date before the Town Area Committee or the Panchayat or any other authority, shall so far as may be practicable, be disposed of as if such local area had not become an Municipality when they were filed;

परन्तु परिषद् इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह किसी अधिकारी या सेवक की, जो उसकी राय में, नगरपालिका सेवा की आवश्यकता के लिए जरूरी या उपयुक्त नहीं है, सेवाएं ऐसे अधिकारी या सेवक को ऐसी सूचना देने के पश्चात् जैसी उसके नियोजन के निबन्धनों के अनुसार दी जाना अपेक्षित है, समाप्त कर दें;

परन्तु यह और भी कि किसी स्थायी अधिकारी या सेवक की सेवाएं पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन समाप्त करने के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी अभिप्रास की जाएगी और वह ऐसी सेवा समाप्ति पर ऐसी छुट्टी, पेन्शन, भविष्य-निधि तथा उपदान का, जिसे वह सेवा के लिए असमर्थ ठहरा दिए जाने पर लेने या पाने का हकदार होता, उसी प्रकार हकदार होगा मानों कि वह नगर क्षेत्र समिति या पंचायत, जिसके नियोजन में वह था, अस्तित्वहीन नहीं हुई थी;

(ज) ऐसी समस्त कार्यवाहियों के, जो विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व यथास्थिति नगर क्षेत्र समिति या पंचायत या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, संबंध में यह समझा जाएगा कि वे परिषद् या ऐसे प्राधिकारी को अंतरित हो गई है तथा उसके द्वारा चालू रखी गई है;

(झ) ऐसी समस्त अपीलें, जो विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व, नगर क्षेत्र समिति या पंचायत या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, यावत्साध्य उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानों कि ऐसा स्थानीय क्षेत्र उस समय, जबकि वे फाईल की गई थी, नगरपालिका नहीं बनी थी;

(j) all prosecutions instituted by, or on behalf of the Town Area Committee, or the Panchayat and all suits and legal proceedings instituted by, or against, such Town Area Committee or Panchayat pending on the specified date shall be continued by or against the Council as if such local area had not become a Municipality when such suits or proceedings were instituted.

¹[(k) on the application of this Act to any area under sub-section (3) of Section 1, the authority or any institution if performing the Municipal functions shall cease to perform such functions and all assets and liabilities of such authority or institution shall vest in the Municipal Council or ²[Nagar Parishad], as the case may be, constituted under this Act.]

Explanation —In this Section “Panchayat Law” means a law for the time being in force for the organization and administration of Village Panchayats in the State.

(ज) ऐसे समस्त अभियोजन जी नगर क्षेत्र समिति या पंचायत द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किए गए हैं, तथा ऐसे समस्त वाद तथा विधिक कार्यवाहियाँ, जो ऐसी नगर क्षेत्र समिति या पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई हैं और जो विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित हैं, उस परिषद द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार चालू रखी जाएगी मानों कि ऐसा स्थानीय क्षेत्र उस समय, जबकि ऐसे वाद या कार्यवाहियाँ संस्थित की गई थीं, नगरपालिका नहीं बनी थी;

¹[(ट) धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन किसी क्षेत्र को यह अधिनियम लागू किए जाने पर, वह प्राधिकारी या कोई ऐसी संस्था, यदि वह नगरपालिक कृत्य पालन कर रहा हो/कर रही हो, तो ऐसे कृत्य करने से प्रवरित रहेगा/प्रवरित रहेगी और ऐसे प्राधिकारी या संस्था की समस्त आस्तियाँ तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् में या ²[नगर परिषद्] में, जैसी भी कि दशा में, निहित हो जाएंगे.]

स्पष्टीकरण :—इस धारा में “पंचायत विधि” से अभिप्रेत है वह विधि जो राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन तथा प्रशासन के लिए तत्समय प्रवृत्त है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

टिप्पणी

अधिसूचना क्र. 615-अट्ठारह-एक-75, दि. 29 जुलाई, 1975. म. प्र. राजपत्र भाग-2, दिनांक 14-11-1975, पृष्ठ 1325 पर प्रकाशित—धारा 7 के उपबन्धों को निम्नलिखित क्षेत्र पर लागू किया गया—

1.	बुढ़ार	शहडोल	11.	मऊगंज	रीवा
2.	धनपुरी	शहडोल	12.	हरसूद	खण्डवा
3.	ब्यौहारी	शहडोल	13.	चिरमिरी	सरगुजा
4.	नागौद	सतना	14.	कोतमा	शहडोल
5.	पिछौर	शिवपुरी	15.	नौरोजाबाद	शहडोल
6.	तखतपुर	बिलासपुर	16.	चंदिया	शहडोल
7.	सेवड़ा	दतिया	17.	बैरागढ़	भोपाल
8.	उछेरा	सतना	18.	पचमढ़ी	होशंगाबाद
9.	केलारस	शिवपुरी	19.	तिवारी	टीकमगढ़
10.	हरपालपुर	छतरपुर			

8. Effect of including a local area in a Municipality — When a local area has been included in a Municipality by a notification under ¹[Section 5-A], all notifications, rules, bye-laws, orders, directions notices and powers made, issued or conferred under this Act and in force throughout the Municipality at the time, shall, unless the State Government, by notification otherwise directs apply to such local area.

8. स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित करने का प्रभाव—जब ¹[धारा 5-क] के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तो वे समस्त अधिसूचनाएँ, नियम, उपविधियाँ, आदेश, निदेश, सूचनाएँ तथा शक्तियाँ, जो इस अधिनियम के अधीन जारी की गई हैं, बनाए गए हैं, बनाई गई हैं, किए गए हैं, निकाली गई हैं या प्रदत्त की गई हैं जो सम्पूर्ण नगरपालिका में उस समय प्रवृत्त हैं, जब तक कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्यथा निर्देश न दे, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को लागू होगी।

9. Effect of excluding a local area from a Municipality —(1) When a local area is excluded from a Municipality by a notification published under ¹[Section 5-A],—

9. स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका से अपवर्जित करने का प्रभाव—(1) जब ¹[धारा 5-क] के अधीन प्रकाशित की गई अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका से अपवर्जित कर दिया जाता है; तक

(a) all notifications, rules, bye-laws, directions, notices and powers made, issued or conferred under this Act shall cease to apply thereto; and

(क) वे समस्त अधिसूचनाएँ, नियम, उपविधियाँ, आदेश, निदेश, सूचनाएँ तथा शक्तियों जो इस अधिनियम के अधीन जारी की गई हैं, बनाए गए हैं, बनाई गई हैं, निकाली गई हैं, या प्रदत्त की गई हैं, उसको लागू नहीं रहेगी, और

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

(b) the State Government shall frame a scheme determining what portion of the balance of the Municipal fund and all other property vested in the Council shall, on such exclusion, vest—

(i) where such area is included within the limits of any other local authority, in such local authority; and

(ii) in any other case, in the State Government;

and in what manner the liability of the Council shall be apportioned between the Council and any such local authority or the State Government, as the case may be, and on the publication of such a scheme in the Gazette, such property and liability shall vest and apportioned accordingly :

Provided that before framing any such scheme the State Government shall consult the Council and where the area is included within the limits of any other local authority also such authority.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), all moneys due to the Council, immediately before the date of such exclusion, on account of tax, toll, fee, rate or otherwise may, in respect of the area so excluded be recovered by the Council as if such area has not been excluded.

(ख) राज्य सरकार एक स्कीम बनाएगी जिसमें यह अवधारित किया जाएगा कि नगरपालिका निधि का अतिशेष तथा परिषद् में निहित हुई अन्य समस्त संपत्ति का कितना भाग, ऐसा अपवर्जन किए जाने पर—

(एक) उसे दशा में जबकि ऐसा क्षेत्र किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी में; और

(दो) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार में निहित होगा;

और परिषद् के दायित्व का प्रभाजन परिषद् तथा यथास्थिति किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के बीच किस रीति में किया जाएगा और राजपत्र में ऐसी स्कीम के प्रकाशित हो जाने पर ऐसी सम्पत्ति तथा दायित्व तदनुसार निहित होंगे तथा प्रभाजित किए जाएंगे:

परन्तु कोई ऐसी स्कीम बनाने के पूर्व, राज्य सरकार परिषद् से और जहां वह क्षेत्र किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं में सम्मिलित किया जाता है, वहां ऐसे प्राधिकारी से भी परामर्श करेंगे.

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे समस्त धनों की वसूली जो इस प्रकार अपवर्जित किए गए क्षेत्र के संबंध में ऐसे अपवर्जन की तारीख के ठीक पूर्व कर, पथकर, फीस, स्थानीय कर (रेट) के मद्दे या अन्यथा परिषद् को शोध्य है, परिषद् द्वारा उसी प्रकार की जा सकेगी मानो कि ऐसा क्षेत्र अपवर्जित ही नहीं किया गया है.

¹[10 to 15. [***]

16. Exercise of powers of Council pending its constitution.—(1) When an area is declared to be a Municipality for the first time under this Act, the State Government shall, by notification, constitute a Committee consisting of a President, ²[a Vice-President] and such number of members as it may deem fit and such a Committee shall be deemed to be a Council for the purposes of this Act:

Provided that no person shall be appointed as President or Vice-President or member of such a Committee who is ineligible to hold such office in the Council under this Act.

³[(2) A Committee constituted under sub-section (1) shall continue to function until a Council is constituted under this Act or until the expiration of six months from the date of its constitution which is earlier.].

(3) The State Government may, by notification, at any time remove the President, Vice-President or a member of the Committee and appoint any other person eligible to be so appointed in his place.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the provisions of sections 41, 47 and 48 shall not apply to the Committee.

¹[10 से 15 [***]

16. परिषद् का गठन होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग.—(1) जब कि क्षेत्र को इस अधिनियम के अधीन प्रथम बार नगरपालिका घोषित किया गया है, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक समिति गठित करेगी जिसमें एक अध्यक्ष ²[एक उपाध्यक्ष] तथा इतनी संख्या में सदस्य होंगे जितने कि वह उचित समझे और ऐसी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, परिषद् समझी जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा जो परिषद् में ऐसा पद धारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपात्र है.

³[(2) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति, इस अधिनियम के अधीन परिषद् का गठन होने तक या उसके गठन की तारीख से छह मास का अवसान हो जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, कृत्य करती रहेगी.]

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को किसी भी समय हटा सकेंगे और उसके स्थान पर किसी भी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो इस प्रकार नियुक्त किए जाने के लिए पात्र है, नियुक्त कर सकेगी.

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 41, 47 तथा 48 के उपबंध समिति को लागू नहीं होंगे.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा विलोपित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

17. Erection and maintenance of boundary marks.—Every Council shall demarcate the boundaries of the Municipality by permanent boundary marks in such manner as may be prescribed by rules and shall be responsible for the maintenance and repairs thereof.

¹[18. **Incorporation of Municipalities.**—Every Municipality constituted under Section 5 of this Act, shall be a body corporate by the name of the Municipal Council or ²[Nagar Parishad], as the case may be, and shall have perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, both movable and immovable and subject to the provisions of this Act or any rules made thereunder, to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purposes of this Act and may sue and be sued in its corporate name.]

17. सीमा-चिन्हों का परिनिर्माण तथा अनुरक्षण.—प्रत्येक परिषद् नगरपालिका की सीमाओं व स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा ऐसी रीति में, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए, सीमांकित करेगी और उनके अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगी.

¹[18. **नगरपालिकाओं का निगमन.**—इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन गठित प्रत्येक नगरपालिका, यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या ²[नगर परिषद्] के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा धारण करने और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के, उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए उसके द्वारा धारित किसी भी संपत्ति को अंतरित करने तथा संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी तथा वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगी, और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा.]

टिप्पणी

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिशा बनाम चम्पालाल, 2007 रा.नि. 271 में प्रतिपादित किया गया कि कोई भी वाद आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण खारिज नहीं हो सकता.

सुखदेव सिंह बनाम भगत राय संघ मर्यादित, 1976 जे.एल.जे. 293 में सहकारी सोसायटी के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई. इसमें कहा गया कि सहकारी सोसाइटीज एक्ट, 1960 के अधीन सहकारी सोसायटीज का अस्तित्व नहीं है, यह लोगों द्वारा समान रूप से सहकारिता के आधार पर सम्मिलित होकर संकल्प द्वारा सहकारिता का भरा फार्म है और वे सहकारी संस्था को सोसायटी एक्ट के अधीन रजिस्टर कराते हैं और अस्तित्व में आने के बाद एक्ट के प्रावधानों से अधिशासित होते हैं, इसलिए सहकारी सोसाइटी एक्ट, 1960 के अधीन सहकारी संस्था निगमित निकाय तो है किन्तु इसका विधिक चरित्र नहीं है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

¹[19. Composition of, Municipal. Council or ²[Nagar Parishad].—(1) A Municipal Council or a ²[Nagar Parishad], shall consist of.—

- (a) President, that is Chairperson, elected by direct election from the Municipal area;
- (b) Councillors elected by direct election from the wards;
- (c) Not more than four persons in the case of Municipal Councils and not more than two persons in the case of ²[Nagar Parishad] having special knowledge or experience in Municipal Administration nominated by the State Government;

Provided that only a person residing within the Municipal area and being otherwise not ineligible for election as a Councillor may be nominated.

- (d) Members of the House of the people and the Members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the municipal area;
- (e) Members of the Council of State registered as electors within the municipal area:

⁴[Provided that a member of the House of the people and a member of the State Legislative Assembly as mentioned in clause (d) or a member of council of States, as mentioned in clause (e) may nominated his, representative, who possesses such qualifications as may be prescribed in this behalf to attend the meeting of the Council.]

¹[19. नगरपालिका परिषद् या ²[नगर परिषद्] की संरचना.—(1) नगरपालिका परिषद् या ²[नगर परिषद्] निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

- (क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष सभापति (चेयर पर्सन);
- (ख) वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित पार्षद;
- (ग) नगरपालिका परिषद् की दशा में चार से ³[अनधिक] और ²[नगर परिषद्] की दशा में दो से ³[अनधिक] नगरपालिक प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हों:

परन्तु केवल ऐसा व्यक्ति ही नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जो नगरपालिका क्षेत्र में निवास करता है और जो पार्षद के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए अपात्र नहीं है;

- (घ) उन निर्वाचक क्षेत्रों का जिसमें पूर्णतः या अंशतः नगरपालिक क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य तथा राज्य की विधान सभा के सदस्य;
- (ङ) राज्य सभा के सदस्य, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं.

⁴[परन्तु खण्ड (घ) में वर्णित लोक सभा के सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य या खण्ड (ङ) में वर्णित राज्य सभा के सदस्य अपने प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हताएं रखते हों, जैसी कि इस निमित्त विहित की जाए, परिषद् के सम्मिलन में भाग लेने के लिए नाम-निर्देशित कर सकेंगे.]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).
 2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.
 3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 29-8-1998 से प्रभावी).
 4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 2000 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 6-9-2000 से प्रभावी).

(2) The persons nominated under clause (c) of sub-section (1) shall hold office during the pleasure of the State Government.

(3) Persons referred to in clauses (c), (d) and (e) of sub-section (1) shall be deemed to be Councillors, but shall not have the right to vote in the meetings of the Council.

(4) If any municipal area fails to elect a President or any ward fails to elect a Councillor, fresh election proceedings shall be commenced for such municipal area or ward, as the case may be, within six months to fill the seat, and until the seat is filled it shall be treated as casual vacancy:

Provided that proceedings of election of Vice President, or any of the Committees under the Act shall not be stayed, pending the election of such seat].

20. Election petitions.—(1) No election [or nomination] under this Act be called into question except by a petition presented in accordance with the provisions of this section.

(2) Such petition may be presented on one or more of the grounds specified in Section 22—

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त तक पद धारण करेंगे.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (ग), (घ) तथा (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्ति पार्षद समझे जाएंगे किन्तु उन्हें परिषद् के सम्मिलनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा.

(4) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहे या कोई वार्ड पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहे, तो यथास्थिति ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छः माह के भीतर नहीं निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा.

परन्तु अधिनियम के अधीन उपाध्यक्ष या किन्हीं समितियों के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएगी.]

20. निर्वाचन अर्जी.—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्वाचन [या नाम निर्देशन] को इस धारा के उपबंधों के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करके ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं.

(2) ऐसी अर्जी धारा 22 में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधार पर—

(a) by any candidate at such election ¹[or nomination]; or

(b) :—

(i) in the case of an election of a Councillor, by any voter of the ward concerned;

(ii) in the case of a ²[nomination] of Councillor, by any Councillor;

³[(iii) in the case of election of President by any voter of the Municipal area;]

to the District Judge, where such election ¹[or nomination] is held within the revenue district in which the Court of the District Judge is situate, and in any other case, to the Additional District Judge having the permanent seat of his Court within the revenue district in which such election ¹[or nomination] is held and if there be more than one such Additional District Judge within the said revenue district, to such one of them as the District Judge may specify for the purpose (hereinafter such District Judge or Additional District Judge referred to as Judge).

(3) No petition presented under sub-section (2) shall be admitted unless—

(i) it is presented within thirty days from the date on which the result of such election ¹[or nomination] was notified in the Gazette; and

(क) ऐसे निर्वाचन ¹[या नाम-निर्देशन] में किसी अभ्यर्थी द्वारा; या

(ख) :—

(एक) पार्षद के निर्वाचन की दशा में, संबंधित वार्ड के किसी भी मतदाता द्वारा;

(द) पार्षदों के ²[नाम-निर्देशन] की दशा में, किसी पार्षद द्वारा;

³[(तीन) नगरपालिका क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में.]

उस दशा में जबकि ऐसा निर्वाचन या ¹[नाम-निर्देशन] उस राजस्व जिले में, जिसमें जिला न्यायाधीश को, और किसी अन्य दशा में, उस अपर जिला न्यायाधीश को, जिसके न्यायालय का स्थायी, स्थान उस राजस्व जिले में, जिसमें ऐसा निर्वाचन ¹[या नाम-निर्देशन] किया गया है, स्थित है, प्रस्तुत की जा सकती है और यदि उक्त राजस्व जिले में एक से अधिक ऐसे अपर जिला न्यायाधीश हैं, तो उनमें से उस अपर जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है जिसे जिला न्यायाधीश इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, (इसमें इसके पश्चात् ऐसे जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश, न्यायाधीश के नाम से निर्दिष्ट है).

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई भी अर्जी तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक—

(एक) वह उस तारीख से, जिसको ऐसे निर्वाचन ¹[या नाम-निर्देशन] का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए; और

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

(ii) it is accompanied by a Government Treasury receipt showing a deposit of two hundred rupees, in the case of ¹[election or nomination to Municipal Councils] and one hundred rupees in the case of ¹[election or nomination to ²[Nagar Parishad]].

(4) A petitioner shall join as respondents to his petition.

(a) where the petitioner, in addition to claiming a declaration that the election ³[or nomination], as the case maybe, of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected ³[or nominated], all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and

(b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.

(5) An election petition shall

(a) contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(दो) उसके साथ ¹[नगरपालिका परिषदों के लिए निर्वाचन या नाम-निर्देशन] की दशा में, दो सौ रुपये का, और ¹²[नगर परिषद्] के लिए निर्वाचन या नाम-निर्देशन की दशा में, एक सौ रुपये का निक्षेप दर्शाने वाली सरकारी खजाने की रसीद न हो.

(4) कोई अर्जीदार अपनी अर्जी में,

(क) उस दशा में जबकि अर्जीदार, इस घोषणा के लिए कि यथास्थिति निर्वाचित समस्त अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी भी अभ्यर्थी का निर्वाचन ³[या नाम-निर्देशन] शून्य है, दावा करने के साथ-साथ ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है ³[या नाम-निर्दिष्ट किया गया है] दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों को, और, उस दशा में, जबकि किसी ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए दावा नहीं किया जाता है, निर्वाचित हुए समस्त अभ्यर्थियों को; और

(ख) किसी ऐसे अन्य अभ्यर्थी को, जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण का अभिकथन अर्जी में किया गया है, प्रत्यर्थियों के रूप में संयोजित करेगा.

(5) निर्वाचन अर्जी

(क) में उन तात्त्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित (1-5-1995 से प्रभावी).

(b) Set forth with sufficient particulars, the ground or grounds on which the election ¹[or nomination] called in question;

(ख) में पर्याप्त विशिष्टियों सहित वह आधार या वे आधार दिये जाएंगे जिस पर या जिन पर निर्वाचन ¹[या नाम-निर्देशन] प्रश्नगत किया गया है;

(c) be signed by the petitioner and verified in the manner prescribed in the Code of Civil Procedure, 1908. (V of 1908), for the verification of pleadings.

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उस रीति से सत्यापित की जाएगी जो अभिवचनों के सत्यापन के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908) का सं. 5) में विहित की गई है.

टिप्पणी रूपरेखा

1. परिसीमा
2. मतों का निरीक्षण
3. अधिकारिता
4. जाति प्रमाण-पत्र

5. आरक्षित सीट
6. पुनर्गणना
7. प्रकीर्ण

1. परिसीमा

धारा 20 एवं परिसीमा अधिनियम की धाराएं 5 एवं 29.—निर्वाचन याचिका दाखिल करने में एक दिन का विलम्ब—विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता है—पुनरीक्षण खारिज की गयी. रविन्द्र चन्दोरिया बनाम रामशंकर एवं अन्य, 2012 (3) एम. पी. एच. टी. 146=2012 (3) एम. पी. एल. जे. 463.

2. मतों का निरीक्षण

अवैध मत—निर्वाचन याचिका—मतों के निरीक्षण हेतु आदेश—चुनौती दिया गया—आदेश सही माना गया, रिट याचिका खारिज की गयी. राकेश जैन बनाम चक्कीलाल कुशवाह एवं अन्य, 2011 (5) एम. पी. एच. टी. 78 (डी.बी.).

3. अधिकारिता

प्रदीप शर्मा बनाम जीवन कुमार नवलखा एवं अन्य, 2008 (2) एम. पी. एच. टी. 249=2008 (2) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 8 के मामले में एक चुनाव याचिका सीधे अपर जिला न्यायाधीश जावरा में दाखिल की गई एवं उक्त मामले में यह आपत्ति ली गई कि यह याचिका जिला न्यायाधीश रतलाम के समक्ष दाखिल करना था क्योंकि जिला न्यायाधीश ही धारा 20 के अन्तर्गत याचिका गृहीत कर सकता है. इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि म. प्र. नगरपालिका अधिनियम की धारा 20 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “जिला न्यायाधीश” का प्रयोग न्यायालय को बताने के लिये किया गया है, न कि नामोदिष्ट व्यक्ति के बतौर एवं अपर जिला न्यायाधीश द्वारा आपत्ति के निरस्ती के आदेश का समर्थन किया गया.

म. प्र. सिविल न्यायालय अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में जिला न्यायाधीश निर्वाचन याचिका चलाने के लिये अपर जिला न्यायाधीश को समनुदेशित कर सकता है. राजेन्द्र प्रसाद बनाम महेन्द्र सिंह बारगाही, 2001 (2) एम. पी. एल. जे. 82.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

निर्वाचन याचिका सही ही जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की गयी. आरती सिंह बनाम उषा कोल, 2003 (2) एम. पी. एल. जे. 224.

भूषणलाल साहू बनाम जमनादास सुखवानी, 1983 जे. एल. जे. 722 के मामले में निर्वाचन से संबंधित अनियमितता की चुनौती का उसके धारा से संबंध को बताया गया है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल निर्वाचन आवेदन धारा 20 के प्रस्तुत कर चुनौती दी जा सकती है. इसमें धारा 19 को भी शामिल किया गया है एवं यह उद्धरित किया गया है कि धारा 19 एवं 20 एक ही अध्याय से संबंधित है. इसे निर्वाचन से संबंधित कहा जाता है. अतएव निर्वाचन या चुनाव को निर्वाचन आवेदन के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है.

इन्द्रजीत बनाम निर्वाचन आयोग, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 103, में मतदाता सूची की तैयारी की अपूर्णता के आधार पर निर्वाचन कार्यवाही को चुनौती दी गई इसमें यह कहा गया कि चूंकि मतदाता सूची की तैयारी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले होती है इसलिए धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं है इसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समुचित मामले में जिस मतदाता सूची की तैयारी का निर्वाचन कार्यवाहियों पर प्रतिकूल और तात्त्विक प्रभाव पड़ता है या निर्वाचन तात्त्विक रूप से प्रभावित हो सकता है उसमें उच्च न्यायालय धारा 20 के अधीन हस्तक्षेप कर सकती है.

4. जाति प्रमाण-पत्र

प्रत्यर्थी उसकी ओ. बी. सी. प्रास्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के आधार पर नगर पंचायत के पद से हटाया गया था. ऐसा आधार धारा 41-क के तहत नहीं आता. ऐसे प्रकरणों में उपचार केवल धारा 20 के तहत दाखिल निर्वाचन याचिका में उपलब्ध है. रिट अपील खारिज की गयी. (श्रीमती शारदा देवी बनाम नूरजहां, 2007 (5) 75 (डी. बी.)=2007 (1) एम. पी. एल. जे. 153=2007 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 67.

निर्वाचन याचिका—जाति प्रमाण-पत्र की जांच—यह मानते ठहराया गया कि—

The election tribunal may be a Civil Court for a variety of purposes but the fact remains that the election tribunal is a forum, specially created by a special statute for adjudicating an election dispute, where the tribunal is enjoined with the duty to satisfy itself about the correctness of facts more so when and issue of genuineness or correctness of a caste certificate is required to be adjudicated upon by the election tribunal (which is normally a jurisdiction of the competent authority), therefore the election tribunal is expected to perform its duties in a careful manner for satisfying itself about the correctness and genuineness of the caste certificate. One might leave the issue of calling the record of the school to the discretion of the litigating parties but the election tribunal would have been completely justified in summoning the record of the competent authority for ascertaining genuineness and correctness of the contents of the caste certificate either on its own or by directing the petitioner or respondent to summon the record of the competent authority in view of framing of an issue by the election tribunal, to declare Goving Singh as a member of Scheduled Tribe,

परिधि के भीतर माना गया—मामला प्रति-प्रेषित किया गया. (रामचरण पिता छोटेलाल आदिवासी और अन्य बनाम गोविन्द सिंह एवं अन्य, 2010 (3) एम. पी. एल. जे. 417).

5. आरक्षित सीट

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पार्षद की सीट पर सिख हरिजन का नामांकन गलत रूप से स्वीकार किया गया। उसका निर्वाचन अपास्त किये जाने योग्य है। सुरेन्द्र कुमार लकेरा बनाम मलिक सिंह चावला, 1998 (1) जे. एल. जे. 278.

6. पुनर्गणना

बाला देवी दीक्षित बनाम सरोजिनी देवी, 1996 (2) विधि भास्वर, 229-231, में प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत अंतर्वलित है, इस मामले में नगर पंचायत के निर्वाचन में इस बात पर आपत्ति की गई दो मतपत्र अवैध रूप से खारिज किए गए इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि ट्रियुनल मतपत्रों की पुनर्गणना दोनों पक्षों को सुनकर पुनर्गणना किए जाने के संबंध में विनिर्दिष्ट आदेश दिए बिना नहीं कर सकता है इस संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर विशेष आदेश देना होगा यदि आदेश पुनर्गणना किए जाने बाबत दिया जाता है तब ही पुनर्गणना की जा सकेगी अन्यथा नहीं.

निर्वाचन याचिका—वोटों की पुनर्गणना का आदेश अन्तःवर्ती आदेश होता है। धारा 26 के तहत कोई याचिका नहीं होगी। मुबारक मास्टर बनाम हंसराज, 2003 (5) एम. पी. एल. जे. 559).

मतों की पुनर्गणना हेतु आवेदन न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात् विचारण करना चाहिए। निम्नानुसार ठहराया गया:—

Before recording complete evidence of the parties, the Court below on the basis of the evidence produced by respondent No. 1 passed the order for recounting. Such course was not available to the Court and only after recording the entire evidence of the parties, it ought to have considered the application on merits and thereafter to record a finding that recounting in the case is necessary. Without following such recourse, the Court in the mid of the evidence when the petitioner, is yet to produce the evidence has directed recounting. This deprived the petitioner for leading evidence to rebut the contention of the respondent and has caused prejudice to the petitioner. The Court ought to have considered this application after recording the entire evidence in the case. In these circumstances, the order passed by the Court cannot be sustained under the law. Consequently, this petition is allowed. The impugned order directing recounting of the votes is hereby quashed. Matter is remitted back to the trial Court with a direction to record the evidence of petitioner. After recording the evidence of the petitioner, the trial Court shall consider afresh the application filed by respondent No. 1 under section 151 of the Civil Procedure Code.

(मुबारक मास्टर बनाम हंसराज तंवर, 2004 (4) एम. पी. एल. जे. 280.

7. प्रकीर्ण

डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में अन्तर्वलित निदेश पालन किये जाने चाहिए। सुरेन्द्र कुमार लकेरा बनाम मलिक सिंह चावला, 1998 (1) जे. एल. जे. 278.

राम बिलास गौर बनाम तहसीलदार होशंगाबाद, 1986 (2) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 41, में यह अभिनिर्धारित किया कि मतदाता सूची में नाम प्रविष्ट या रजिस्टार कराने की आपत्ति कार्यालयीन समयावधि में की जानी चाहिए.

मतदाता सूचित में दर्ज किए गए नाम को संबंधित को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर ही आपत्ति सही पाई जाने के पश्चात् हटाया जा सकता है. किन्तु यदि मतदाता सूची में अन्तिम रूप से नाम दर्ज हो चुका है तो दर्ज नामों को नहीं हटाया जा सकता है.

निर्वाचन याचिका तब ही प्रस्तुत ही जा सकती है, जब निर्वाचन पूर्ण हो गया हो. यदि किसी कारण से निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो अनुतोष धारा 20 के तहत नहीं बल्कि रिट याचिका द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. गोवर्धन दास बनाम म. प्र. राज्य, 1966 जे. एल. जे. 504=1966 एम. पी. एल. जे. 591.

पार्षद के विरुद्ध पार्षद ही याचिका लगात सकता है. किसी करदाता द्वारा दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है. बाबुलाल तिवारी बनाम म. प्र. राज्य, 1965 जे. एल. जे. (एस. एन.) 127=1966 एम. पी. एल. जे. 591.

याचिकाकर्ता ने एक लिखित कथन दाखिल करके प्रत्यर्थी क्र. 5 के पक्ष का समर्थन नहीं किया, उसे व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता. निम्नानुसार ठहराया गया:—

Normally, a person aggrieved must be man who has suffered a legal grievance, a man against whom a decision has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or wrongfully refused him something, or wrongfully affected his title to something". The Apex Court held that the appellant cannot, by any reckoning, be said to be a 'person aggrieved' by the decision of the High Court, dismissed the appeal by allowing the preliminary objections.

Here in the present case the petitioner by filing written statement supported the stand of respondent No.3 in the election petition now cannot withdraw her stand and contrary to the stand taken by her in her written statement can challenge the impugned order by saying that she is aggrieved by the impugned order. The admission made by the petitioner in her written statement is binding against her and she cannot be permitted to change her stand in this revision application, and therefore, it cannot be said that the she is a person aggrieved and comes within the purview of section 26(2) of the Act.

संजूबाई बनाम गंगा देवी पिप्पल, 2007 (1) एम. पी. एल. जे. 242.

निर्वाचन याचिका—अधिकारिता—जहां निर्वाचन होता है, यदि वहां जिला जज का न्यायालय है, तब उसी जिला जज के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जाएगी. निम्नानुसार ठहराया गया :—

As per notification No. 2052-F 1-2-2009-XXI-B (One), it is clear that it is not always necessary that civil district and revenue district must be common. Illustratively, in the revenue district of Dindori (S.N.23), Court of District Judge is not situated but it is situated in district Mandla. Similarly, in the revenue district of Anuppur and Umaria at S.No.37 of the Gazette Notification, no Court of District Judge is situated. In such cases, when the place of election and selection is within the particular revenue district having no Court of District Judge in the same revenue district, the election petition may be presented to the Additional District Judge having the permanent seat of his Court within the revenue district in which such election or selection is held.

रजनी साहू बनाम असमा एवं अन्य, 2011 (1) एम. पी. एल. जे. 596=2011(1) एम. पी. जे. आर. 104.

21. Relief that may be claimed by petitioner — (1) A petitioner may claim-

- (a) a declaration that the election or ¹[nomination] of all or any of the returned candidates is void; and
- (b) in addition thereto a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected.

(2) The expression “returned candidate” means a candidate whose name is notified in the Gazette under Section 45.

22. Grounds for declaring election or ¹[nomination] to be void — (1) Subject to the provisions of sub-section (2) if the Judge is of the opinion-

- (a) that on the date of election or ¹[nomination] a returned candidate was not qualified or was disqualified, to be chosen as a ²[President or a Councillor]; or
- (b) that any corrupt practice has been committed by returned candidate or his agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his agent;
- (c) that any nomination paper has been improperly rejected; or
- (d) that the result of the election or ¹[nomination], in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected-

21. वह अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा.—(1) अर्जीदार—

- (क) इस घोषणा का कि सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] शून्य है; और
- (ख) इसके अतिरिक्त इस घोषणा का भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है; दावा कर सकता है.

(2) “निर्वाचित अभ्यर्थी” पद से वह अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम राजपत्र में धारा 45 के अधीन अधिसूचित कर दिया गया है.

22. निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] को शून्य घोषित करने के आधार—(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, यदि न्यायाधीश की यह राय है कि—

- (क) निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] की तारीख को ²[अध्यक्ष या कोई पार्षद] के रूप में चुने जाने के लिये अर्हित नहीं था या निरर्हित कर दिया गया था; या
- (ख) निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या
- (ग) कोई नामनिर्देशन पत्र समुचित रूप से प्रतिक्षेपित कर दिया गया है; या
- (घ) निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] का परिणाम, जहाँ तक उसका संबंध निर्वाचित अभ्यर्थी से है—

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (21-4-1997 से प्रभावी).

- (i) by the improper acceptance of any nomination; or
- (ii) by the improper acceptance or refusal of any vote or reception of any vote which is void; or
- (iii) by the non-compliance with the provision of this Act or of any rules or orders made thereunder save the rules framed under ¹[Section 32] in . so far as they relate to preparation and revision of list of voters;

he shall declare the election or ²[nomination] of the returned candidate to be void.

(2) If in the opinion of the Judge a returned candidate has been guilty by an agent of any corrupt practice, but the Judge is satisfied—

- (a) that no such corrupt practice was committed at the election or ²[nomination] by the candidate and every such corrupt practice was committed contrary to the instructions, and without the consent of the candidate;
- (b) that the candidate took all reasonable means for preventing the commission of corrupt practice at the election or ¹[nomination]; and

(एक) किसी नाम निर्देशन के अनुचित प्रतिग्रहण से तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ है; या

(दो) किसी मत के अनुचित तौर पर प्रतिग्रहण या इन्कार करने से या ऐसे किसी मत के लिये जाने से जो शून्य है, तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ है; या

(तीन) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के सिवाय ¹[धारा 32] के अधीन बनाए गए नियमों के, जहाँ तक वे मतदाताओं की सूची के तैयार किए जाने तथा उसके पुनरीक्षण से संबंधित है, या उसके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुपालन से तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ है;

तो वह निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन या ²[नाम निर्देशन] के बावत् यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है.

(2) यदि न्यायाधीश की यह राय है कि निर्वाचित अभ्यर्थी किसी अभिकर्ता द्वारा किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है, किन्तु न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि—

(क) अभ्यर्थी ने निर्वाचन या ²[नाम निर्देशन] में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था और जो भी भ्रष्ट आचरण किया था वह अभ्यर्थी के अनुदेशों के प्रतिकूल था और उस सम्मति के बिना किया गया था;

(ख) अभ्यर्थी ने निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] में भ्रष्ट आचरण किए जाने का निवारण करने के लिये सभी युक्तियुक्त उपाय किए थे; और

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

(c) that in all other respects the election or ¹[nomination] was free from any corrupt practice on the part of the candidate or any of his agents;

(ग) निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] अन्य सभी बातों में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं में से किसी की तरफ से भ्रष्ट आचरण से मुक्त था;

than, the Judge may decide that the election or ¹[nomination] of the returned candidate is not void.

तो न्यायाधीश यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] शून्य नहीं है.

टिप्पणी

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पार्षद की सीट पर सिख हरिजन का नामांकन गलत रूप से स्वीकार किया गया. उसका निर्वाचन अपास्त किये जाने योग्य है. सुरेन्द्र कुमार लकेरा बनाम मलिक सिंह चावला, 1998 (1) जे. एल. जे. 278.

एक मत के आधार पर निर्णय—निर्णायक मत को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं. आरती सिंह बनाम उषा कोल एवं अन्य, 2003 (2) एम. पी. एल. जे. 224.

मतदाता के निवासी होने सम्बन्धी प्रश्न, निर्वाचन याचिका सुनने वाला न्यायाधीश विनिश्चित नहीं कर सकता. कंचन उर्फ सावित्री मार्को बनाम कलावती उईके एवं अन्य, 2003 (3) एम. पी. एल. जे. 117.

23. Procedure to be followed in disposal of election petition - An election petition shall be enquired into and disposed of according to such summary procedure as may be prescribed by rules made under this Act.

23. निर्वाचन अर्जी के निपटाए जाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.—किसी निर्वाचन अर्जी की जाँच तथा उसका निपटारा ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए.

24. Decision on election petition.- (1) At the conclusion of the trial of an election petition the Judge shall make an order-

धारा 24. निर्वाचन अर्जी पर विनिश्चय :—निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति पर, न्यायाधीश—

- (a) dismissing the election petition; or
- (b) declaring the election or ¹[nomination] of all or any of the returned candidates to be void; or
- (c) declaring the election or ¹[nomination] of all or any of the returned candidates to be void and the petitioner and any

- (क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करने वाला; या
- (ख) यह घोषणा करने वाला कि सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] शून्य है; या
- (ग) यह घोषणा करने वाला कि सभी निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] शून्य है और अर्जीदार तथा

other candidate to have been duly elected or ¹[nominated].

(2) If any person who has filed an election petition has, in addition to calling in question the election or ¹[nomination] of the returned candidate, claimed declaration that he himself or any other candidate has been duly elected or ¹[nominated] and the Judge is of opinion—

- (a) that in fact the petitioner or such candidate received a majority of the valid votes; or
- (b) that but for the votes obtained by the returned candidate the petitioner or such other candidate would have obtained a majority of the valid votes;

the Judge shall, after declaring the election or ¹[nomination] of the returned 1 candidate, to be void, declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected or ¹[nominated].

(3) At the time of making an order under this section the Judge shall also make an order—

- (a) where any charge is made in the petition of any corrupt practice having been committed at the election or ¹[nomination], regarding—

कोई अन्य सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है या ¹[नाम निर्दिष्ट] है; आदेश करेगा.

(2) यदि ऐसी निर्वाचन अर्जी फाइल करने वाले किसी व्यक्ति ने,, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन या ¹[नाम-निर्देशन] को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिये दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है या ¹[नाम निर्दिष्ट] है और न्यायाधीश की यह राय है कि—

- (क) अर्जीदार को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है; या
- (ख) यदि निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा वे मत प्राप्त न किए जाते जो उसने अभिप्राप्त किए हैं तो अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती;

तो न्यायाधीश निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि यथास्थिति, अर्जीदार या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है या ¹[नाम निर्दिष्ट] है.

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश करते समय, न्यायाधीश—

- (क) उस दशा में, जिसमें अर्जी में यह आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है—

(i) a finding whether any corrupt practice has or has not been proved to have been committed at the election or ¹[nomination] and the nature of that corrupt practice; and

(ii) the names of all person, if any, who have been proved at the trial to have been guilty of any corrupt practice and the nature of that practice; and

(b) fixing the total amount of costs payable, and specifying the person by and to whom costs shall be paid:

Provided that person who is not a party to the petition shall not be named in the order sub-clause (ii) of clause (a) unless-

(a) he has been given notice to appear before the Judge and show cause why he should not be so named; and

(b) if he appears in pursuance of the notice, he has been given an opportunity of cross-examining any witness who has already been examined by the Judge and has given evidence against him of calling evidence in his defence and of being heard.

(एक) यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] में किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना साबित हुआ है या साबित नहीं हुआ है, और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए; और

(दो) उन समस्त व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हो, जिनकी बावत् विचारण में यह साबित हुआ है कि वे किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए; और

(ख) संदेय खर्चों की कुल रकम को नियत करते हुए, और उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके द्वारा और जिनको खर्च दिए जाएंगे; आदेश भी करेगा:

परन्तु जब तक उस व्यक्ति को, जो अर्जी का पक्षकार नहीं है खण्ड (क) के उपखण्ड (दो) के अधीन आदेश में तब तक नामित नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) उसे न्यायाधीश के समक्ष उपसंजात होने के लिए तथा यह हेतु दर्शित करने के लिये कि उसे क्यों न ऐसे नामित किया जाए, सूचना न दे दी गई हो; और

(ख) यदि वह सूचना के अनुसरण में उपसंजात होता है, तो उसे किसी भी ऐसे साक्षी का, जिसका न्यायाधीश द्वारा पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दी है, प्रतिपरीक्षण करने का, अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश कराने का और सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

टिप्पणी रूपरेखा

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. निर्वाचन प्रक्रिया | 5. जमानत की रकम जमा कराना अनिवार्य |
| 2. निर्वाचन याचिका हेतु परिसीमा | 6. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर न होने का प्रभाव |
| 3. अधिकारिता | 7. पुनर्गणना हेतु आवेदन |
| 4. पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं | 8. प्रकीर्ण |

1. निर्वाचन प्रक्रिया

राजकृष्ण बनाम विनोद, 1954 सुप्रीम कोर्ट (एस. सी.) 737 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि निर्वाचन प्रक्रिया शामिल रहती हैं, परिणाम यदि घोषित भी हो जाता है तो निर्वाचन अर्जी पेश की जा सकती है।

ब्रज बिहारी गुप्ता बनाम एल. एल. खरे, 1976 जे. एल. जे. 401, में म. प्र. उच्च न्यायालय की क्षे. बैंच की संयुक्त पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यदि एक बार चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है एवं परिणाम घोषित कर दिया जाता है तब व्यथित व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष विवाद के हल पहुंच सकता है जो निर्वाचन से संबंधित विवाद को अभिलेख एवं तर्क के आधार पर निर्णित करेगा।

भूषण लाल साहू बनाम जमनादास सुखवानी, 1983 जे. एल. जे. 722, के मामले में म. प्र. उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि चुनाव के अन्तिम परिणाम से संबंधित विवाद हो या चुनाव प्रक्रिया संबंधी विवाद हो या चुनाव प्रक्रिया के पारित अंतःवर्ती आदेश पर विवाद हो या विवाद निर्वाचित याचिका में चुनाव में अन्तिम परिणाम घोषित हो जाने के बाद अर्जीदार उठा सकता है।

चीफ कमिश्नर अजमेर बनाम राधे श्याम दानी के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा की निर्वाचनों का मूलभूत तत्व यह है कि समुचित निर्वाचक नामावलियों का रख-रखाव होना चाहिए एवं इसके लिये संबंधित दलों को समीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए. यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि आपत्तियों को सुना जाए एवं जांच की जाए की पात्रता रखने वालों को ही मतदाता सूची में अंकित किया गया है कि नहीं यह जब तक नहीं किया जाता प्राधिकारी चुनाव कराने की प्रक्रिया जो उनका कर्तव्य है के योग्य नहीं है एवं अपूर्ण निर्वाचक नामावली के आधार पर कराए गए निर्वाचन वैधता के निकट नहीं होते हैं और संबंधित पार्टी जो व्यथित है कि पहल पर निर्वाचन को चुनौती दी जा सकती है।

अधिकरण के अधिकार न्यायालय को भी प्राप्त होते हैं. अधिकरण किसी भी प्रत्याशी को विजयी घोषित करने की शक्ति रखता है. जयपाल सिंह बनाम गिरीशचन्द्र पटवा, 2006 (3) एम. पी. एल. जे. 600=2006 (2) एम. पी. जे. आर. 363.

2. निर्वाचन याचिका हेतु परिसीमा

कमरलाल बनाम गोरे लाल, 1987 (2) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 158 के मामले में निर्वाचन में निर्वाचन अर्जी की परिसीमा के विषय में स्पष्ट किया गया है, इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्वाचन अर्जी तीस दिन की समयावधि में प्रस्तुत करना चाहिए उसके पश्चात् दाखिल आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं है।

3. अधिकारिता

भूषणलाल साहू बनाम जमनादास सुखवानी, 1983 जे. एल. जे. 722 के मामले में निर्वाचन से संबंधित अनियमितता की चुनौती का उसके धारा से संबंध को बताया गया है यह स्पष्ट किया गया है कि केवल निर्वाचन आवेदन धारा 20 के प्रस्तुत कर चुनौती दी जा सकती है. इसमें धारा 19 को भी शामिल किया गया है एवं यह उद्धरित किया गया है कि धारा 19 एवं 20 एक ही अध्याय से संबंधित हैं. इसे निर्वाचन से संबंधित कहा जाता है. अतएव निर्वाचन या चुनाव को निर्वाचन आवेदन के द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है.

इन्द्रजीत बनाम निर्वाचन आयोग, ए. आई. आर. 1986 एस. सी. 103, में मतदाता सूची की तैयारी की अपूर्णता के आधार पर निर्वाचन कार्यवाही को चुनौती दी गई इसमें यह कहा गया कि चूंकि मतदाता सूची की तैयारी चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले होती है इसलिए धारा 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन-पत्र पोषणीय नहीं है इसमें माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि समुचित मामले में जिस मतदाता सूची की तैयारी का निर्वाचन कार्यवाहियों पर प्रतिकूल और तात्त्विक प्रभाव पड़ता है या निर्वाचन तात्त्विक रूप से प्रभावित हो सकता है उसमें उच्च न्यायालय धारा 20 के अधीन हस्तक्षेप कर सकती है.

ईदनदास बनाम निर्वाचन अधिकारी, 1966 जे. एल. जे. 434, के मामले में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि आधारीय रूप से मतदाता सूची इतनी त्रुटिपूर्ण हो कि निर्वाचन का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो जाए तब उच्च न्यायालय न्याय के उद्देश्य हेतु समुचित मामले में हस्तक्षेप कर सकती है.

श्रीमती सुमन पटेल बनाम श्रीमती भानमती, 1998 (2) विधि भास्वर 261 में माननीय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन से संबंधित आवेदन-पत्र समुचित रीति से सक्षम अधिकारी के समक्ष दाखिल की जानी चाहिए एवं आवेदन-पत्र सक्षम व्यक्ति जो अधिकारिता रखता है के द्वारा दाखिल की जानी चाहिए.

4. पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं

गजेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम. पी., 1995 (2) एम. पी. जे. आर. 210, में माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि जहां आवेदक निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त नहीं करना चाह रहा है तब प्रकरण में निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है.

5. जमानत की रकम जमा कराना अनिवार्य

कृष्ण गोपाल बनाम कुंज बिहारी, 1998 (2) विधि भास्कर 141 के मामले में आवेदन की ग्राह्यता के विषय में स्पष्ट किया गया इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि जमानती रकम जमा होना चाहिए एवं उसकी रसीद निर्वाचन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए यदि जमा की गई राशि की रसीद संलग्न नहीं होगी तो निर्वाचन आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा.

6. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर न होने का प्रभाव

एम. कमलम् बनाम डॉ. वी. ए. सैयद मुहम्मद, ए. आई. आर. 1978 सु. को. 840, में निर्वाचन आवेदन-पत्र में आवेदक ने हस्ताक्षर नहीं किए थे किन्तु उसके द्वारा शपथ-पत्र में जो कथन किए गए थे उसमें हस्ताक्षर थे इस माननीय न्यायालय ने घातक न मानकर आवेदन-पत्र को स्वीकार कर लिया.

7. पुनर्गणना हेतु आवेदन

कु. शारदा देवी बनाम कृष्ण चन्द्र पत्र ए. आई. आर., 1982 एस. सी. 1569 में निर्वाचन प्रक्रिया में हुए मतों की पुनर्गणना को स्पष्ट किया गया है इसमें कहा गया कि मतगणना पुनः कराए जाने के आवेदन-पत्र में

समाधानप्रद तथ्य लिखे जाने चाहिए. मतों की गणना में हुई गलतियों का प्रथमदृष्टया सबूत दिया जाना चाहिए यदि प्रथमदृष्टया दिया गया प्रमाण साबित हो जाता है तो मतों की पुनर्गणना का आदेश दिया जाना चाहिए.

इसी प्रकार ए. यूनुस कुंजू बनाम आर. एस. उन्नी, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 960, में यह निर्धारित किया गया कि पुनर्गणना के लिये आवश्यक व्योरो का कथन तथा न्यायालय के समक्ष निश्चायक पेश करके प्रथमदृष्टया समाधान किया जाना चाहिए.

गेंदालाल बनाम नारायण आचार्य, 1981 जे. एल. जे. 163, के मामले में पुनर्गणना के महत्व को दर्शित किया गया कि मतगणना पुनः की जाने के लिये आदेश सामान्यतः प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्वाचन आवेदन-पत्र में उन सारवान तथ्यों का अभिकथन नहीं किया गया हो जिनके आधार पर आवेदन-पत्र की दी गई है न्यायाधिकरण तब ही पुनर्गणना का आदेश प्रदान करे जब न्याय हेतु उसे आवश्यक प्रतीत हो.

8. प्रकीर्ण

रामविलास गौर बनाम तहसीलदार होशंगाबाद, 1986 (2) म. प्र. वी. नो. 41, में निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करने के समय को स्पष्ट किया गया है इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने या आपत्ति हेतु समय कार्यालयीन समय है एवं कार्यालयीन समय पर ही मतदाता सूची में दर्ज नाम को सूचना एवं सुनवाई का अवसर देकर ही आपत्ति सही पाए जाने की जांच के पश्चात् ही मतदाता सूची से नाम हटाना चाहिए.

देवीसिंह बनाम नारायण सिंह, 1981 (2) म. प्र. वी. नोट 96, में निर्वाचन प्रक्रिया में उठाए गए भ्रष्टाचार के आधार को स्पष्ट किया गया है इसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार का आधार लिए जाने पर प्रार्थी को यह बताना आवश्यक होगा कि रुपया कब, किसने, किसको बांटा, प्रार्थी को यह भी बताना होगा कि यह सब किस निर्वाचन क्षेत्र में हुआ यदि प्रार्थी शराब बांटने की बात अपने प्रार्थना पत्र में करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि उक्त शराब का कब किसने किसको देने का किसकी सहमति या किसी निर्देशन पर प्रबंध किया. इसी प्रकार यदि लाभ की बात अपने आवेदन-पत्र में दाखिल करता है तो उसे यह भी स्पष्ट करना होगा.

उमेद सिंह पटेल बनाम ललित नारायण दुबे, 1988 (2) विधिभास्कर 272, में जाली मतदान का आरोप लगाया गया था इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचित अभिकर्ता की सहमति से जाली मतदान होने का आरोप सिद्ध होना चाहिए तथा निर्वाचन तात्विक रूप से व्यथित हुआ यह साक्ष्य दिया जाना चाहिए.

शुजालपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक बनाम म. प्र. व्यापार निगम भोपाल में यह स्पष्ट किया गया कि यदि निर्वाचन आवेदन-पत्र में गलती हो गई है एवं उसके आधार पर कोई आदेश पारित हो गया है तो गलती सुधार की पुर्नविलोकित नहीं हो सकती है.

बाग्सिंह बनाम एडीशनल कलेक्टर इन्दौर, 1977 जे. एल. जे. 691, में अभिनिर्धारित किया गया कि निर्वाचन आवेदन से हितबद्ध पक्ष निर्वाचन आवेदन केवल दो पक्षकारों के बीच का मामला ही नहीं होता है इसमें निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता हितबद्ध रहते हैं. उसकी ओर से सही निर्वाचित पार्शद् उनका हित प्रतिनिधित्व करने वाला स्थानीय शासन से पार्शद् बनकर पहुंचे. इसीलिए निर्वाचन आवेदन को अदम पैरवी में खारिज करने का प्रावधान

म्युनिसिपल निर्वाचन आवेदनों से नहीं किया जा सकता है। अपेक्षा वह की जाती है कि निर्वाचन आवेदन का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर हो और निर्वाचन आवेदन का विनिश्चय करते समय उस दशा में खारिज योग्य समझी जा सकती है जब तक कि अर्जीदार ने अर्जी में किए गए अभिकथनों की सहायता संदेह से परे प्रमाणित न कर दी गई है।

25. Procedure in case of equality of votes - If during the trial of an election petition it appears that there is an equality of votes between any candidates at the election or ¹[nomination] and that an addition of a vote would entitle any of those candidates to be declared elected or ¹[nominated], then the Judge shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot fall had received an additional vote.

26. Finality of decision - (1) No appeal shall lie against the decision of the Judge on the petition.

(2) Any person aggrieved by the decision of the Judge on the petition may, within thirty days from the date of such decision, apply to the High Court for revision on any of the following grounds:—

- (a) that the decision is contrary to law;
- (b) that the Judge has exercised jurisdiction not vested in him by law or has failed to exercise a jurisdiction vested in him by law, but subject to such orders as the High Court may pass thereon, such decision shall be final.

25. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया.—यदि निर्वाचन अर्जी के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन या ¹[नाम-निर्देशन] में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर है और मतों में एक मत और जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित या ¹[नाम-निर्दिष्ट] घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा तो न्यायाधीश उनके बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा, और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।

26. विनिश्चय का अंतिम होना.—(1) अर्जी पर न्यायाधीश के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) अर्जी पर न्यायाधीश के विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण के लिये आवेदन निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर कर सकेगा—

(क) यह कि विनिश्चय विधि के प्रतिकूल है;

(ख) यह कि न्यायाधीश ने ऐसे अधिकारिता का, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, प्रयोग किया है या वह ऐसी अधिकारिता का, जो विधि द्वारा उसमें निहित हैं, प्रयोग करने में असफल रहा है; किन्तु ऐसे आदेशों के, जैसे उच्च न्यायालय उस पर पारित करे, अध्यक्षीन रहते हुए, ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

टिप्पणी

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. परिसीमा | 4. व्यथित व्यक्ति |
| 2. अधिकारिता | 5. भ्रष्ट आचरण |
| 3. आदेश का अन्तःवर्ती होना | 6. प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने का प्रभाव |

1. परिसीमा

नाथूजी बनाम डि. जज बैतूल, 1983 जे. एल. जे. 392, के मामले में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या जज या अतिरिक्त जिला जज द्वारा किए गए विनिश्चय की अपील होगी की नहीं इसमें विनिर्धारित किया गया कि निर्वाचन आवेदन पर जिला न्यायाधीश था उनके द्वारा राजस्व जिले के अनेक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किए गए विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी. निर्वाचन आवेदन की ग्राह्यता की आपत्ति खारिज होने पर उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकती है, इस प्रकार की पुनरीक्षण धारा 26(2) के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है इसमें परिसीमा का भी उल्लेख 30 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है.

धारा 26 एवं परिसीमा अधिनियम की धाराएं 5 एवं 29.—निर्वाचन याचिका दाखिल करने में एक दिन का विलम्ब—विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता—पुनरीक्षण खारिज की गयी. रविन्द्र चन्दोरिया बनाम रामशंकर एवं अन्य, 2012(3) एम. पी. एच. टी. 146=2012(3) एम. पी. एल. जे. 463.

2. अधिकारिता

अधिकारिता—कोई भी न्यायालय केवल अवर न्यायालय के निर्णय की जांच कर सकता है. इन्द्रजीत सिंह बनाम जगदीश प्रसाद, 2003 (4) एम. पी. एल. जे. 46.

3. आदेश का अन्तःवर्ती होना

निर्वाचन याचिका—वोटों की पुनर्गणना का आदेश अन्तःवर्ती आदेश होता है. धारा 26 के तहत कोई याचिका नहीं होगी. मुबारक मास्टर बनाम हंसराज, 2003 (5) एम. पी. एल. जे. 559.

4. व्यथित व्यक्ति

याचिकाकर्ता ने एक लिखित कथन दाखिल करके प्रत्यर्थी क्र. 5 के पक्ष का समर्थन नहीं किया, उसे व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है. निम्नानुसार ठहराया गया :—

Normally, a person aggrieved must be man who has suffered a legal grievance, a man against whom a decision has been pronounced which has wrongfully deprived him of something or wrongfully refused him something, or wrongfully affected his title to something." The Apex Court held that the appellant cannot, by any reckoning, be said to be a 'person aggrieved' by the decision of the High Court, dismissed the appeal by allowing the preliminary objection.

Here in the present case the petitioner by filing written statement supported the stand of respondent No. 3 in the election petition now cannot withdraw her stand and contrary to the stand taken by her in her written statement can challenge the impugned order by saying that she is aggrieved by the impugned order. The admission made by the petitioner in her written statement is binding against her and she cannot be permitted to change her stand in this revision

application, and therefore, it cannot be said that she is a person aggrieved and comes within the purview of section 26(2) of the Act.

संजूबाई बनाम गंगा देवी पिप्पल, 2007 (1) एम. पी. एल. जे. 242.

5. भ्रष्ट आचरण

बाबूलाल बनाम कोकर मुंजारे, ए. आई. आर. 1988 एम. पी. 15(23), में भ्रष्ट आचरण सिद्ध होने पर दण्ड की व्यवस्था का प्रावधान है इस प्रकरण में व्यवस्था दी गई की भ्रष्ट आचरण सिद्ध होने के पश्चात् विनिश्चय विचारण न्यायालय के लागू होने की तारीख से भविष्य में पाँच वर्ष तक की अवधि के लिये मतदान करने से वंचित होना होगा.

6. प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने का प्रभाव

प्रतिभूति राशि जमा नहीं की गयी—पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है. राधेश्याम त्रिपाठी बनाम कैलाश नारायण गुप्ता, 1998 (1) डब्ल्यू. एन. 45.

27. Disqualification arising out of corrupt practices - If any person, after the commencement of this Act, is, upon the trial of an election petition thereunder, found guilty of any corrupt practice, he shall, for a period of five years from the date on which such finding takes effect, be disqualified for voting at any election :

Provided that the State Government may, by notification, remove the disqualification incurred under this section with effect from such date as may be specified therein.

28. Corrupt practices - The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:—

- (i) Bribery as defined in clause (1) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).
- (ii) Undue influence as defined in clause (2) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

27. भ्रष्ट आचरण से उद्भूत होने वाली निरर्हता.—यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् उसके अधीन किसी निर्वाचन अर्जी के विचार पर किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो वह, उस तारीख से, जिसको ऐसा निष्कर्ष प्रभावशील हो, पाँच वर्ष की कालावधि के लिये किसी निर्वाचन में मतदान करने हेतु निरर्हित हो जाएगा:

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन उपगत निरर्हता की ऐसी तारीख से जो, उसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी, हटा सकेगी.

28. भ्रष्ट आचरण.—इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगी.—

- (एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, (1951 का सं. 43) की धारा 123 के खण्ड (1) में यथापरिभाषित रिश्वत;
- (दो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 123 के खण्ड (2) में यथापरिभाषित असम्यक् असर डालना;

- (iii) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent, to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of or appeal to, religious symbols, or the use of or appeal to, national symbol, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of that candidate's election ¹[***].
- (iv) The publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of the candidate or his election agent of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true in relation to the personal character or conduct of any candidate, or in relation to the candidature, or withdrawal from contest of any candidate being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election ¹[***].
- (v) The hiring or procuring whether on payment or otherwise of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person with the consent of the candidate or his election agent for the conveyance of any elector (other than the candidate himself, and the members of his family or his agent) to or from any polling station provided in accordance with the rules made under this Act:
- (तीन) जाति, मूलवंश समुदाय या धर्म के आधार पर मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सुव्यवस्थित अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन ¹[***] संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई;
- (चार) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में, या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या निर्वाचन लड़ने से अभ्यर्थिता वापस लेने के संबंध में किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो अभ्यर्थी के निर्वाचन ¹[***] की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है;
- (पाँच) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार उपबंधित किसी मतदान केन्द्र को या वहां से (स्वयं अभ्यर्थी और उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचन के प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा भाड़े पर लेना या उपाप्त करना:

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा विलोपित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

Provided that hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to or from any such polling station shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel, not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tramcar or railway carriage by an elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation.- In this clause the expression 'vehicle' means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicle or otherwise.

(vi) The holding of any meeting in which intoxicating-liquors are served.

(vii) The issuing of any circular, placard or poster having a reference to the election or selection which does not bear the name and address of the printer and publisher thereof.

¹[(vii-a) the incurring or authorising of expenditure in contravention of Section 32-A.]

(viii) Any other practice which the State Government may prescribe by rules to be a corrupt practice.

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्च पर स्वयं को किसी ऐसे मतदान केन्द्र को या वहाँ से प्रवहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है और ऐसा यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से प्रचलित होने वाला नहीं है तो ऐसे जलयान के भाड़े पर लिए जाने के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण है:

परन्तु यह और भी किसी ऐसे मतदान केन्द्र को जाने या वहाँ से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम कार या रेलगाड़ी के उपयोग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण है.

स्पष्टीकरण—इस खंड में "यान" पद से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित है और चाहे वह अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता है.

(छः) ऐसा कोई सम्मिलन करना जिसमें मादक लिकर अर्पित किए जाते हैं;

(सात) निर्वाचन या चयन के प्रति निर्देश करने वाला कोई ऐसा परिपत्र, इशतहार (प्लेकार्ड) या पोस्टर निकालना जिसमें उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं है;

¹[(सात-क) धारा 32-क के उल्लंघन में व्यय का उपगत या प्राधिकृत किया जाना;]

(आठ) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार, नियमों द्वारा, भ्रष्ट आचरण के रूप में विहित करें।

टिप्पणी

अधिसूचना क्र. 32-यू-अठारह, दि. 27 फरवरी, 1962 में भ्रष्टाचार से संबंधित निम्न नियत बनाये गये, अर्थात् :—

- (क) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 171-घ में यथा परिभाषित निर्वाचनों में प्रतिरूपण.
- (ख) किसी नगर पालिका पदाधिकारी या सेवक का मत मांगने के लिए अभिकर्ता के रूप में नियोजन में मौनानुकूलता.
- (ग) उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में किसी नगरपालिका पदाधिकारी का सेवक या अभिकर्ता के रूप में कार्य करना.

बालमुकुन्द बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 1993 जे. एल. जे. 109 एम. पी., में भ्रष्टाचार के साबित होने पर बल दिया गया है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 4 के अधीन न्यायालय के समक्ष अवैध परितोषण स्वीकार करने का आरोप था इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि इस हेतु यह सिद्ध होना चाहिए कि किस कार्य को कराना चाहा था जिसके करने का आशय नहीं था या किस कार्य को करने से वितर रहना चाहा गया जिसको करने का आशय था इस प्रकार निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में रिश्वत के कारण किस हेतु से प्रभाव डाला गया वह हेतु साक्ष्य में स्पष्ट होना चाहिए.

एस. एल. सोनी बनाम म. प्र. राज्य, 1994 क्रि. लॉ. रिपोर्टर 149 म. प्र., में अपराध की प्रमाणिकता के विषय में उल्लेख किया गया प्रकरण में राशि के भुगतान में रिश्वत का आरोप लगाया गया इसमें यह स्पष्ट किया गया कि यह साबित होना चाहिए की जिस राशि का भुगतान किया जाना रिश्वत के रूप में है तभी अपराध प्रमाणित माना जा सकता है अथवा नहीं.

लक्ष्मी नारायण नायक बनाम राम रतन चतुर्वेदी, 1990 जे. एल. जे. 480 में रिश्वत देने के मूल में मोल भाव के साथ सौदा तय हुआ था एवं परितोषण का कथित रूप से वायदा करने के एवज में वोटर्स से कोई वायदा लिया गया था इस मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि जब तक रिश्वत के मूल में कोई सौदा का तत्व न पाया जाए भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है —

²[29. Determination of number and extent of wards and conduct of elections

— (1) The State Government shall from time to time, by notification in the official gazette, determine the number and extent of wards to be constituted for each Municipality:

:

²[29. वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण और निर्वाचनों का संचालन—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, प्रत्येक नगरपालिका के लिए गठित किए जाने वाले वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण करेगी :

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी)

Provided that the total number of wards shall not be more than forty and not less than fifteen.

(2) Only one Councillor shall be elected from each ward.

(3) The formation of the wards shall be made in such a way that the population of each of the wards shall, so far as practicable be the same throughout the Municipal area and the area included in the ward is compact.

(4) As soon as the formation of wards of a Municipality is completed, the same shall be reported by the State Government to the State Election Commission.

(5) ¹[***]

(6) ¹[***]

²[29-A. Reservation of seats -(1) Out of the total number of wards determined under sub-section (1) of Section 29, such number of seats shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every Municipality as bears as may be, the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the Municipality as the population of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes in the Municipal area bears to the total population of that area and such wards shall be those in which the population of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, is most concentrated.

परन्तु वार्डों की कुल संख्या चालीस से अधिक तथा पन्द्रह से कम नहीं होगी.

(2) प्रत्येक वार्ड से केवल एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा.

(3) वार्डों की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे नगरपालिका क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र संहत क्षेत्र है.

(4) जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी.

(5) ¹[***]

(6) ¹[***]

²[29-क. स्थानों का आरक्षण—(1) धारा 29 की उपधारा (1) के अनुसार अवधारित वार्डों की कुल संख्या में से प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों की ऐसी संख्या आरक्षित रखी जाएगी और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम रूप से ही वही होगा जो कि उस नगर पालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और वे ऐसे वार्ड होंगे जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक संकेन्द्रित है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा विलोपित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा अन्तः स्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी)

(2) As nearly as possible twenty five percent of the total number of wards shall be reserved for other backward classes in such Municipalities where fifty percent or less seats are reserved for Scheduled Castes and Schedules Tribes, and such seats shall be allotted by rotation to different wards in such manner as may be prescribed:

Provided that if from any ward so reserved, no nomination paper is filed for election, as a Councillor by any member of the Other Backward Classes then the Collector shall be competent to declare it as unreserved.

(3) ¹[As nearly as possible fifty percent] of the total number of seats reserved under subsections (1) and (2), shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes, as the case may be.

(4) ¹[As nearly as possible fifty percent] (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes), of the total number of seats to be filled by direct election in every Municipality shall be reserved for women and such seats shall be allotted by rotation to different wards in a Municipality in such manner as may be prescribed.

(2) ऐसी नगरपालिका में जहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित हैं वहाँ यथा संभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिये चक्रानुक्रम से ऐसे रीति में आवंटित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये पिछड़े वर्गों के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो कलेक्टर उस वार्ड कोई अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिये सक्षम होगा.

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के ¹[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के ¹[यथाशक्य निकटतम रूप से पचास प्रतिशत] स्थान (जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में उन भिन्न-भिन्न वार्डों के लिये चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आवंटित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए.

(5) The reservation of seats under sub-sections (1), (2) and (3) shall cease to have effect on the expiration of the period specified in Article 334 of the Constitution of India.

Explanation —In this section ‘other backward classes’ means category of persons belonging to backward classes as notified by the State Government.

¹[29-B. Reservation of the office of President of the Council - (1) Out of total number of offices of Presidents of Municipal Councils and ²[Nagar Parishads], as the case may be, in the State, such number of offices of President shall be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as shall bear the same proportion, as nearly as possible, as the population of each of these categories within the limits of all the Municipal Councils and ²[Nagar Parishads), as the case may be in the State bears to the total population.

(2) As nearly as possible, twenty five percent of the total number of offices of Presidents of Municipal Councils and ²[Nagar Parishads], as the case may be, shall be reserved for other Backward Classes.

(3) As nearly as possible ³[fifty percent] of the total number of offices of Presidents reserved under sub-sections (1) and (2) shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, as the case may be.

(5) उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन स्थानों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा.

स्पष्टीकरण.—इस धारा में ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग.

¹[29-ख. परिषद् के अध्यक्ष पद का आरक्षण—(1) राज्य में यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों और ²[नगर परिषदों] के, अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये ऐसी संख्या में अध्यक्ष के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटतम रूप से वही होगा जो राज्य में यथास्थिति समस्त नगरपालिकाओं और ²[नगर परिषदों] की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है.

(2) यथास्थिति नगरपालिका परिषदों और ²[नगर परिषदों] के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(3) उपधारा (1) व (2) के अधीन आरक्षित किए गए अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम ³[पचास प्रतिशत] स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तः स्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी)
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.
3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र.16 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित.

(4) As nearly as possible ¹[fifty percent] (including the number of offices reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes) of the total number of offices shall be reserved for women.

(5) The aforesaid reservation shall be made in such manner as may be prescribed.

(6) The reservation of offices of Presidents under sub-sections (1), (2) and (3) shall cease to have effect on expiration of the period specified in Art. 334 of the Constitution of India.

Explanation —In this section and in Section 29-A, the expressions “**Scheduled Castes**”, “**Scheduled Tribes**” and “**Other Backward Classes**” shall have the same meaning as assigned to them, in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994).]

²[30. **Qualification of voters and their registration** — Subject to the provisions of Section 31, every person who-

- (a) is not less than eighteen years of age on the 1st day of January of the year in which the electoral roll for a ward is prepared or revised;
- (b) is ordinarily resident in the ward within the meaning of Section 20 of the Representation of the People Act, 1950 and shall not be entitled to amend, transpose or delete the entry:

(4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य संभव ¹[पचास प्रतिशत] स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) पूर्वोक्त आरक्षण ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन अध्यक्ष के पदों का आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नहीं रहेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में तथा 29-क में अभिव्यक्ति “**अनुसूचित जाति**”, “**अनुसूचित जनजाति**” और “**अन्य पिछड़ा वर्गों**” का वही अर्थ होगा जैसा कि उनके लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में समनुदेशित है.]

²[30. **मतदाताओं की अर्हता तथा उनका नाम दर्ज किया जाना** :—धारा 31 के उपबंधों के अधीन अध्यधीन रहते हुये प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो—

- (ए) उस वर्ष की जिसमें किसी वार्ड के लिए निर्वाचक नामवली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है;
- (बी) किसी वार्ड में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (क्रमांक 43 सन् 1950) की धारा 20 जो इस उपान्तरण के तो वह प्रविष्टि को संशोधित करेगा, अन्यत्र रखेगा या उसका लोप करेगा:

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16 सन् 2007 द्वारा प्रतिस्थापित.

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1978 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 18-4-1978 से प्रभावी).

Provided that- before taking any action on the ground that the person concerned has ceased to be ordinarily resident in the ward or that he is otherwise not entitled to be registered in the electoral roll of that ward, the State Election Commission or the authority, as the case may be, shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.

Explanation —The expression ‘ordinarily resident’ shall have the same meaning as is assigned to it in clause (b) of Section 30].

¹[32. Preparation of electoral rolls and conduct of elections —(1) The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of ²[all elections of Presidents and Councillors] of the Municipality shall be vested in the State Election Commission.

(2) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission, make rules for the preparation of Electoral rolls and conduct of ²[all elections of Presidents and Councillors] of the Municipality.

³[32-A. Account of election expenses — (1) Every candidate at an election of President shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election

परन्तु इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या यह कि वह उस वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व, यथास्थिति, राज्य निर्वाचन आयोग या प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण.—अभिव्यक्ति “मामूली तौर से निवासी” का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 30 के खण्ड (ख) में दिया गया है.]

¹[32. निर्वाचक नामावलियों का तैयार किया जाना और निर्वाचनों का संचालन—(1) नगरपालिका के ²[अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों] के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराये जाने और ²[अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों] के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के लिए और नगरपालिका के ²[अध्यक्षों तथा पार्षदों के सभी निर्वाचनों] के संचालन के लिये नियम बनाएगी.]

³[32-क. अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा.—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

incurred or authorised by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both days inclusive.

Explanation I— Any expenditure incurred or authorised in connection with the election of a President by a political party or by any other association or body of persons or by any individual other than the candidate or his election agent shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by the candidate or by his election agent for the purpose of this sub-section.

Explanation II— For the removal of doubt, it is hereby declared that any expenditure incurred in respect of any arrangements made, facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mention in clause (7) of section 123 of the Representation of the People Act, 1951, in discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorised by a candidate or by his election agent for the purpose of this sub-section.

(2) The total of the said expenditure shall not exceed, such mount as maybe prescribed by the State Government in consultation with the State Election Commission.

ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

स्पष्टीकरण.—एक—किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के संबंध में किसी राजनैतिक दल द्वारा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकाय द्वारा अथवा अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

स्पष्टीकरण.—दो—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के खण्ड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खण्ड के परन्तुक में यथा वर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बाबत उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है.

(2) उक्त व्यय का जोड़ उस रकम से अधिक नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से विहित की जाए.

(3) The account of expenditure shall contain such particulars as may be prescribed by the State Election Commission.

(3) व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए.

टिप्पणी अधिसूचना

अधिसूचना क्रमांक एफ. 29-एफ-96-97-1727 दिनांक 23 मई, 1997— म. प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956) 1956 का क्रमांक 23) की धारा 14-क की उपधारा (3) तथा म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 (1961 का क्रमांक 37) की धारा 32-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा विहित करता है कि नगरपालिक निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन में अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा म. प्र. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क की उपधारा (1) या, यथास्थिति, म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन व्ययों का जो लेखा रखा जाना है, उसमें दिन-प्रतिदिन के व्यय की दर एक मद के बावत् निम्नलिखित विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :—

- (क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था,
- (ख) व्यय का स्वरूप (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय),
- (ग) व्यय की राशि :—
 - (1) जिसका भुगतान किया गया है,
 - (2) जो अभी बकाया है,
- (घ) भुगतान की तारीख,
- (ङ) भुगतान पाने वाले का नाम और पता,
- (च) भुगतान की गई राशि के मामले में वाउचरों की क्रम संख्या,
- (छ) बकाया राशि के मामले में देयक (बिल) की क्रम संख्या,
- (ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे बकाया राशि का भुगतान किया जाना है.

2. व्यय की हर मद के लिए वाउचर अभिप्राप्त किया जाएगा, सिवाय ऐसे किसी मामले को छोड़कर जिसमें व्यय के स्वरूप के कारण (जैसे कि डाक व्यय, रेल द्वारा यात्रा या ऐसा ही अन्य प्रयोजन) वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है और ऐसे मामले में उपर्युक्त मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियाँ दिया जाना आवश्यक नहीं होगा.

3. सभी वाउचर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान की तारीख के क्रम से रखे जाकर और क्रम संख्यांकित किए जाकर निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किए जाएंगे और ऐसे क्रम संख्यांक उपर्युक्त मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किए जाएंगे.

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 26-5-97 पृष्ठ 563-564 पर प्रकाशित]

¹[32-B. Lodging of account of election expenses]—Every contesting candidate at an election of President shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the officer notified by the State Election Commission an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under section 12-A.]

¹[32-C. Disqualification for failure to lodge account of election expenses]—If the State Election Commission is satisfied that a person—

- (a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) has no good reason or justification for the failure;

the State Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for being chosen as, and for being a ²[Councillor or President] of the Municipal Council or ³[Nagar Parshad], as the case may be, ²[for a period not exceeding five years] from the date of the Order.]

⁴[32-D. Removal or reduction of period of Disqualification]—The State Election Commission, on making an application within days from the date of publication of the order,

[32.ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना]—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा.]

[32-ग. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता.]—यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यक्ति:—

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
- (ख) उस असफलता के लिये कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है;

तो निर्वाचन आयोग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा यथास्थिति, नगरपालिका परिषदों या ³[नगर परिषद्] का ²[पार्षद् या अध्यक्ष] होने के लिये उस आदेश की तारीख से 2[पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिये] निरर्हित होगा.]

⁴[32-घ. निरर्हता की कालावधि का हटाया जाना या कम किया जाना.]—राज्य निर्वाचन आयोग, धारा 32-ग के खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित. (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

4. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

passed under clause (b) of Section 32-C in the official Gazette may for reasons to be recorded in writing remove any disqualification or reduce the period of any such disqualification.]

¹[33. Eligibility for voting—Every person registered as a voter in the Municipal Electoral Roll, for the time being in operation of a ward, and no person who is not so registered, shall be eligible to vote at any election of the Councillors or President:

Provided that no person shall vote more than once in any election of the Councillors or an election of the President, as the case may be].

¹[34. Qualification for election as President or Councillor—1) Subject to the provisions of this Act, a person who is enrolled in the Municipal Electoral Roll as a voter, shall be qualified to be a candidate—

(a) for the election of President, if he is not less than 25 years of age; and

(b) for the election of Councillor, if he is not less than 21 years of age.

(2) No person who is a candidate for any one ward shall be a candidate for any other ward.

(3) Any person who ceases to be a President or Councillor shall, if qualified under sub-section (I), be eligible for re-election as such.]

भीतर, आवेदन किए जाने पर, कारण अभिलिखित करते हुए, किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरर्हता की कालावधि को कम करेगा.]

¹[33. मतदान की पात्रता : ऐसे प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है पार्षदों या अध्यक्ष के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति पार्षदों के किसी निर्वाचन में या अध्यक्ष के निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.]

¹[34. अध्यक्षता या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हता :—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिक निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है :—

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु और—

(ख) यदि वह आयु में इक्कीस वर्ष से कम नहीं है पार्षद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्ह होगा.

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी एक वार्ड के लिये अभ्यर्थी है, किसी अन्य वार्ड के लिये अभ्यर्थी नहीं होगा.

(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अध्यक्ष या पार्षद न रहे यदि उपधारा (1) के अधीन अर्ह है, उस रूप में पुनः निर्वाचन के लिये पात्र होगा.]

1[(4) If a person is elected for the Office of President and Councillor, both, he shall have to resign from one of the office within seven days from the date on which he is declared to be elected.]

1[(4) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद दोनों पदों के लिये निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तिथि से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.]

टिप्पणी रूपरेखा

1. सुने जाने का अवसर
2. बुनियादी त्रुटि

3. कानूनी अधिकार
4. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना

1. सुने जाने का अवसर

रामविलास गौर बनाम तहसीलदार होशंगाबाद, 1986 एम. पी. एल. जे. 396, के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि नाम दर्ज कराने की कार्यवाही या नाम रजिस्टर्ड किए गए पर आपत्ति नियत कालावधि में कार्यालयीन समय से लिखित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए. रजिस्टर्ड किए गए निर्वाचक नामावली के नाम को संबंधित व्यक्ति को पूर्व सूचना एवं सुने जाने का अवसर देकर ही हटाया जा सकेगा.

2. बुनियादी त्रुटि

ईदन दास बनाम निर्वाचन अधिकारी, 1966 एम. पी. एल. जे. 242, इस मामले में बुनियादी त्रुटि पूर्ण निर्वाचक नामावली के आधार पर कराई गई इस मामले में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्वाचन कार्यवाही गलत होने से चुनाव रद्द किया जाना चाहिए.

3. कानूनी अधिकार

बाबूलाल बनाम दत्तात्रय, 1971 एम. पी. एल. जे. 765, इसमें चुनाव लड़ने के अधिकार को बताया गया है एवं अभिनिर्धारित किया गया चुनाव लड़ने का अधिकार कानूनी अधिकार है.

इस नागरिक अधिकार को सिविल न्यायालय द्वारा या संबंधित अधिनियम में बताई गई रोक पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपबंधित अधिनियम या नियम के अधीन प्रभावी कराया जा सकता है.

सत्यनारायण बनाम महेशचन्द्र, 1970 एम. पी. एल. जे. 200, में नगरपालिका परिषद् में उम्मीदवार बनने की व्यवस्था है सामान्यतः लोकसभा एवं विधान सभा में एक प्रत्याशी एक से अधिक स्थान पर उम्मीदवारी कर सकता है ऐसे ही इस मामले में एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक स्थान से प्रत्याशी बना इसमें 34(2) एक से अधिक स्थान के लिये व्यक्ति प्रत्याशी बनने का हकदार नहीं होगा.

मोद सिंह बनाम स्टेट म. प्र., 1979 एम. पी. एल. जे. 441, में कलक्टर का निर्वाचन से संबंधित अधिकारिता को बताया गया और कहा गया कि निर्वाचन में खड़ा होने के लिये किसी व्यक्ति को अपात्र घोषित करने का अधिकार कलक्टर को नहीं है.

4. मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना

प्रताप सिंह बनाम स्टेट म. प्र. 1976 जे. एल. जे. नोट नं. 89, में मतदाता सूची में नाम प्रविष्टि के बारे में बताया गया और इसमें कहा गया कि अन्तिम रूप से निवास कर रहे नगरपालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना होगा.

35. Disqualification of candidates — ¹
[No person shall be eligible for election or as a President or election or nomination as a Councilor] if he-

- (a) is not a citizen of India; or
- (b) is a servant of Government and is remunerated by salary or honorarium (which expression shall not include fees or commission); or
- (c) hold any office of profit under the Council or is in the service of any other local authority; or
- (d) has been adjudged by a competent Court to be of unsound mind; or
- ¹[(dd) is less than twenty-five years of age, in case of President and is less than twenty one years of age in case of a Councilor];
- (e) is an undischarged insolvent; or
- (f) is suffering from a variety of leprosy which is infectious; or
- (g) has been dismissed from the service of the Government or any.; local authority for corruption or disloyalty to the State, unless a period of five years has elapsed since his dismissal; or

²[(h) has been convicted of an offence punishable under section 153-A or section 171-E or section 171-F or sub-section (2) or sub-section (3) of section 505 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860) or under the Protection of Civil Rights Act, 1955

35. अभ्यर्थियों की निरर्हताएं :—¹[कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन या पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम-निर्देशन के लिये पात्र नहीं होगा,] यदि वह—

- (क) भारत का नागरिक नहीं है; या
- (ख) सरकारी सेवक है और वेतन या मानदेय (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत फीस या कमीशन नहीं है) के रूप में पारिश्रमिक पाता है; या
- (ग) परिषद् के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है; या
- (घ) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त या न्याय निर्णीत किया जा चुका है; या

¹[(घघ) अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षदों की दशा में आयु इक्कीस वर्ष से कम हो;]

- (ङ) अनुमोदित दिवालिया है; या
- (च) इस प्रकार के कुछ रोग से पीड़ित है जो संक्रामक है; या
- (छ) भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और उसकी ऐसी पदच्युति से पाँच वर्ष की कालावधि समाप्त नहीं हुई है; या

²[(ज) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 153-क या धारा 171-ङ या धारा 171-च या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 7 सन् 1988 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 25-3-1988 से प्रभावी).

(No. 22 of 1955) or under section 125 of the Representation of the People act, 1951 (No. 43 of 1951), or sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (No. 28 of 1961), or section 10 or section 11 of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964 (No. 13 of 1964) unless a further period of six years has elapsed since his release after undergoing the sentence;

(hh) has been convicted by a court in India for any offence not falling under clause (h) and sentenced to imprisonment for a period of not less than two years unless a further period of six years has elapsed since his release after undergoing the sentence; or

(hhh) for contravention of any provisions of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhruiti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984), or of any law providing for the prevention of hoarding or profiteering or of adulteration of food or drugs Unless a further period of six years has elapsed since his release after undergoing the sentence.

Explanation — In this clause-

(1955 का सं. 22) के अधीन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का सं. 43) की धारा 125 के अधीन या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का सं. 28) की धारा 3 तथा 4 के अधीन या मध्यप्रदेश लोकल अथारिटीज (एलेक्टोरल आफेन्सेज) एक्ट, 1964 (क्रमांक 13 सन् 1964) की धारा 10 या धारा 11 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो;

(जज) भारत के किसी न्यायालय द्वारा, खण्ड (ज) के अधीन न आने वाले किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छः वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो; या

(जजज) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1984) के किन्हीं उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जब तक कि दण्डादेश भुगतने के पश्चात् उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो.

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड में-

(a) **“Law providing for the prevention of hoarding or profiteering”** means any law, or any order, rules or notification having the force of law providing for.-

(i) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;

(ii) the control of price at which any essential commodity may be bought or sold;

(iii) the regulation of acquisition, possession, storage, transportation, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

(iv) the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(b) **“drug”** shall have the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetic’ Act, 1940 (No. 23 of 1940); _

(c) **“essential commodity”** shall have the meaning assigned to it in the Essential Commodities Act, 1955 (No.10 of 1955);

(d) **“food”** shall have the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (No. 37 of 1954);]

(i) has directly or indirectly any share or interest in any contract with, by or on

(क) **“जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का उपबंध करने वाली विधि”** से अभिप्रेत है कोई विधि या विधि का बल रखने वाला कोई आदेश, नियम या अधिसूचना जिसमें—

(एक) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन करने;

(दो) ऐसी कीमत को, जिस पर किसी आवश्यक वस्तु का क्रय या विक्रय किया जा सकेगा, नियंत्रित करने;

(तीन) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन करने;

(चार) साधारणतः विक्रय हेतु रखी गई किसी आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकने का प्रतिषेध करने का उपबंध है.

(ख) **“औषधि”** का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का सं. 23) में उसके लिए दिया गया है;

(ग) **“आवश्यक वस्तु”** का वही अर्थ होगा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 10) में उसके लिए दिया गया है;

(घ) **“खाद्य”** का वही अर्थ होगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का सं. 37) में उसके लिए दिया गया है; या

(झ) परिषद् के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या

behalf of the Council, while owning such share or interest; or

- (j) has not paid all taxes due by him to the Municipality at the end of the financial year immediately preceding that in which the election or ¹[nomination] is held or made within thirty days of receipt of a notice of demand made in this behalf by the Chief Municipal Officer; or

²[(k) is disqualified to be a President or a Councilor under Section 41, 41-A or 35A as the case may be]; or

- (l) is a paid employee of any educational institute receiving financial aid from the Council; or

- (m) is a Government pleader; or

³(n) has not paid the amount of charge imposed upon him under Section 11 of the Madhya Pradesh Sthaniya Nidhi Sampariksha Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973) within the time specified in Section 15 of the said Adhiniyam];

¹[(o) If he is so disqualified by or under any law for the time being in force, for the purposes of elections to the Legislative Assembly of the State;

⁴[(p) has been convicted of an offence against women;]

अप्रत्यक्षतः कोई अंश (शेयर) या हित रखता है, जब तक ऐसा अंश या हित बना रहता है; या

- (ज) उन समस्त करों का, जो इस वित्तीय वर्ष के, जिसमें निर्वाचन या ¹[नाम निर्देशन] किया जाए, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्त में नगरपालिका को उसके द्वारा शोध्य है, भुगतान, मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई मांग की सूचना के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर नहीं कर चुका है; या

²[(ट) यथा स्थिति धारा 41, 41-क या धारा 35-क के अधीन अध्यक्ष या पार्षद होने के लिये निरहित है;]

- (ठ) किसी ऐसे शैक्षिक संस्था का, जो परिषद् से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, वैतनिक कर्मचारी है; या

- (ड) सरकारी प्लीडर है; या

³[(ढ) उसने मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 11 के अधीन उस पर अधिरोपित किए गए प्रभार की रकम का भुगतान उक्त अधिनियम की धारा 15 में विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर न किया हो;]

¹[(ण) यदि वह राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है;

⁴[(त) महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है;]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).
 2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).
 3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 59 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 19-10-1976 से प्रभावी).
 4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 29-8-1998 से प्रभावी).

(q) ¹[****]²[(r) has been disqualified under Section 32-C.]

[(s) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor company, standing against his name for a period exceeding six months.]

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty five years of age, if he has attained the age of twenty one years:]

Provided that a disqualification under clause (g), (h) or (k) may be removed by an order by the State Government in this behalf:

Provided further that the disqualification under clause (j) shall be deemed to have been automatically removed as soon as the Municipal dues are paid in full.

Explanation —A person shall not be deemed to have incurred disqualification under clause (i) by reason of his -

- (i) having any share or interest in any lease, sale or purchase of any immovable property or in any agreement for the same:

Provided that in the case of sale or purchase the previous sanction of the State Government or the prescribed authority has been obtained; or

- (ii) being a share - holder, in, or a member of, any incorporated or registered company or society; or

(घ) ¹[****]²[(द) धारा 32-ग के अधीन निरर्हित किया गया हो.]³[(ध) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.]

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है:

परन्तु खण्ड (छ), (ज) या (ट) के अधीन की कोई निरर्हिता राज्य सरकार के इस संबंध में आदेश द्वारा हटाई जा सकेगी:

परन्तु यह और भी कि जैसे ही नगरपालिका शोध्यों का पूर्णतः भुगतान कर दिया जाता है खण्ड (ज) के अधीन की निरर्हिता अपने आप हट गई समझी जाएगी.

स्पष्टीकरण.—किसी व्यक्ति के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि उसने खण्ड (झ) के अधीन निरर्हिता इस कारण उपगत कर ली है कि वह—

- (एक) किसी स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे, विक्रय या क्रय में या उसके लिए किए गए किसी करार में कोई अंश या हित रखता है:

परन्तु यह तब जबकि विक्रय या क्रय की दशा में राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त कर ली गई है; या

- (दो) किसी नियमित या रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सोसाइटी में अंशधारी या उसका सदस्य है; या

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16 सन् 2007 द्वारा विलोपित.

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 5 सन् 2010 द्वारा अन्तःस्थापित.

(iii) having a share or interest in any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of the Municipality may be inserted; or

(iv) having a share or interest in the occasional sale to the Council of any article in which he regularly trades, or in the purchase from the Council of any article, of a value in either case not exceeding in any official year five hundred rupees or such higher amount not exceeding two thousand rupees as the Council, with the sanction of the State Government, may fix in this behalf; or

(v) being a party to an agreement made with the Council for-

(a) payment of fixed charges in lieu of water-rate; or

(b) payment of special rate in lieu of special sanitary cess; or

(c) compounding of tax on vehicles or animal; or

(vi) being a party, as an owner of any building or land, to an agreement made with the Council for construction of drainage and water connection where a drainage scheme or water-works scheme has been commenced by the Council; or

(तीन) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(चार) परिषद् को किसी ऐसी वस्तु के, जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, यदा कदा किए गए विक्रय में अथवा परिषद् से किए गए किसी वस्तु के क्रय में, जिसका मूल्य दोनों में किसी भी दशा में किसी भी शासकीय वर्ष में पाँच सौ रुपये से या ऐसी और अधिक रकम से जो दो हजार रुपये से अधिक न हो, जैसी परिषद्, राज्य सरकार की मंजूरी से इस संबंध में नियत करे, अंश या हित रखता है; या

(पाँच) किसी ऐसे करार का, जो—

(क) जल रेट के बदले में नियत प्रभारों का भुगतान करने; या

(ख) विशेष स्वच्छता उपकर (स्पेशल सेनीटरी सेस) के बदले में विशेष स्थानीय कर (रेट) का भुगतान करने; या

(ग) यानों या पशुओं पर कर का प्रशमन करने के लिये परिषद् के साथ किया गया है; पक्षकार है; या

(घ:) उस दशा में जबकि कोई जल निकास स्कीम या जलप्रदाय (वाटर वर्क्स) स्कीम परिषद् द्वारा प्रारंभ की गई है, किसी ऐसे करार का, जो जल निकास तथा जल संयोजन (वाटर कनेक्शन) के सन्निर्माण के लिये परिषद् के साथ किया गया है, किसी भवन या भूमि के स्वामी की हैसियत से एक पक्षकार है; या

(vii) Holding a debenture or being otherwise interested in any loan raised by or on behalf of the Council; or

(viii) having a share or interest in occasional letting out on hire to the Council or in the hiring from the Council of any article for an amount not exceeding in any official year fifty rupees, or such higher amount not exceeding two thousand rupees, as the Council with the sanction of the State Government, may fix in this behalf.

(सात) कोई डिबेंचर धारण करता है या परिषद् द्वारा उसकी ओर से लिए गए किसी आधार में अन्यथा हितबद्ध है; या

(आठ) परिषद् को कोई वस्तु उतनी रकम के लिए, जो किसी शासकीय वर्ष में पचास रुपए से या ऐसी और अधिक रकम से जो दो सौ रुपए से अधिक न हो, जैसी परिषद् राज्य सरकार की मंजूरी से, इस संबंध में नियत करे, यदा कदा भाड़े पर देने या परिषद् से भाड़े पर लेने में अंश या हित रखता है.

टिप्पणी

आर. क्रिस्टोफर बनाम कार्यपाल इंजीनियर सिंचाई कर्मशाला बरेली, ए. आई. आर. 1966 इलाहाबाद 97, में लोक सेवक कि स्थिति उम्मीदवार कि निरर्हता की परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया इसमें कहा गया कि लोक सेवक का प्रथम दृष्टया अर्थ लोक क्षेत्र के पद पर नियुक्ति है यदि नियमित अस्थायी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका भी तैयार की गई है यदि उसे दैनिक मजदूरी भी दी जाती है तो उसे लोक सेवक का पद धारित करने वाला माना जाएगा.

अर्जुन सिंह बनाम अवेन्द्र सिंह, 1990 रा. नि. 1 हाईकोर्ट, के मामले यह बताया गया कि कारबार का पद लोक सेवक का है, इस प्रकरण में अर्जुन सिंह रघुवंशी अशोक नगर कृषि उपज मंडी में सदस्य के लिये कृषक की हैसियत से उम्मीदवार थे वह पटेल का पद भी धारित करता था जिससे उसका आवेदन लोक सेवक मानकर निरस्त कर दिया गया.

भूरीबाई बनाम स्टेट, 1978 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 156, में आयु के संबंध में अर्हता को स्पष्ट किया गया कि उम्मीदवार नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के दिनांक को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए. उम्मीदवार की आयु के लिये उसकी जन्म की तारीख जहां पदीय कर्तव्य निर्वहन में सरकार रिकार्ड में दर्ज की गई हो जैसे कोटवारी बुक, स्कूल में अध्ययन करने के लिये प्रवेश के समय की रजिस्टर में भरती के जन्म दिनांक लिए जाने का रिकार्ड, ज्योति सी से बनवाई जाने वाली जन्म पत्री, माता, पिता, अभिभावक की शपथ पूर्वक शपथ पत्र पर प्रमाणित साक्ष्य दी जा सकती है. साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करती है मेडिकल ज्युरिस्टेन्स पुस्तक के अनुसार रेडियोलोजिस्ट द्वारा दी गई आयु में कम से कम तीन वर्ष का अन्तर आयु में सही मानने में रह सकता है चाहे कम हो या अधिक.

अंतर सिंह बनाम स्टेट ऑफ म. प्र. 1984 जे. एल. जे. 604, के मामले अर्हता से संबंधित प्रश्न अन्तर्वलित था इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या ग्राम स्वास्थ्य दर्शक का पदलाभ का पद है इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि ग्राम स्वास्थ्य दर्शक का पद बीस सूत्रीय कार्यक्रम कमेटी के अन्तर्गत चयन किया गया है प्रश्नाधीन कार्य स्वेच्छा से सामाजिक कार्यकर्ता का अंशकालिक कार्य है एवं वह इस कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं लेता है अतएव वह उम्मीदवारी के लिये खड़े होने के निर्योग्य नहीं है.

जगतसिंह बनाम गनपत कुंअर जी, 1968 जे. एल. जे. 283, में विकृत चित्तता का प्रश्न था इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि विकृत चित्तता साबित करने के लिये अच्छा साक्ष्य सुयोग्य और सक्षम मनोचिकित्सक की हो सकती है।

ओमप्रकाश गुप्ता बनाम स्टेट यू. पी., 1957 एस. सी. सी. 214, ने यह कहा गया कि सरकारी उपलब्धियों से अधिक संपत्ति के जुड़ने का अनुपात भ्रष्टाचार को प्रकट करता है।

बसंतीलाल बनाम जिला मजिस्ट्रेट मंदसौर, 1977 जे. एल. जे. 253 में पार्षद कि नियोग्यता का विनिश्चयन अंतर्वर्तित था, एवं पार्षद सीमा के अंतर्गत जेल में निरोध तथा इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि सीमा में निरोध में होने पर धारा 38(1) (सी) में पार्षद अनुपस्थिति के कारण कोई नियोग्यता उपागत नहीं करता है। व्यक्तिगत सुनवाई के समय भी निरोध में रहने वाला पार्षद आने में असमर्थ है इसलिए विहित प्राधिकारी को ऐसे पार्षद के अभ्यावेदन पर विचार करके समुचित विनिश्चय करना चाहिए।

जे. एम. पेण्डसे बनाम चन्द्रगोपाल, 1972 एम. पी. एल. जे. 166, में स्वीकृति को बताया गया है इसमें कहा गया कि अध्यक्ष/पार्षद पर धारा 447, 427 तथा 379 भा. दं. स. के अन्तर्गत अभियोजन चलाए जाने के लिये धारा 197 दं. प्र. सं. के अधीन पूर्व स्वीकृति ली जाना आवश्यक है।

के. जी. अंसारी बनाम कलक्टर बिलासपुर, 1964 जे. एल. जे. 1, में पार्षद निरस्त अधिनियम के अंतर्गत पार्षद निर्वाचित हुआ इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि निरस्त अधिनियम के तहत पार्षद निर्वाचित हुआ उस निरस्त अधिनियम में नियत किए गए कार्यकाल पदावधि में वह पार्षद के रूप में बना रहेगा केवल निरस्त नियमों में वर्णित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रहकर कार्यकाल पूरा कर सकेगा उस पर 1961 नए विधि के अधीन अधिरोपित शर्तें या प्रतिबंध लागू नहीं होंगे वह नए विधि की धारा 2(2) (ii) के आधार पर पद पर बना रहेगा।

[35-A. Power to disqualify Ex-President, Vice-President etc — (1) If as a result of audit report or an enquiry or any other proceedings it comes to the notice of the State Government that any person, while he was holding the office of the President, Vice-President, Chairman or member of a Committee constituted under the Act or a councilor, has committed such act of commission or omission which, in the opinion of the State Government, would have made his continuance in such office undesirable in the interest of the public or the Municipality, the State Government may, notwithstanding fact that he has ceased to hold such office, by an order in writing, declare such person

[35-ए. भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि को निरहित करने की शक्ति :—(1) यदि किसी संपरीक्षा की रिपोर्ट, या किसी जाँच या किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार की जानकारी में यह आए कि किसी व्यक्ति ने, जबकि वह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का या इस अधिनियम के अधीन गठित की गई किसी समिति के सभापति या सदस्य का या पार्षद का पद धारण किए हुए था ऐसे कार्य या कार्य लोप किए थे जिनके कारण, राज्य सरकार की राय में, उसका ऐसे पद पर बना रहना लोकहित या नगरपालिका के हित की दृष्टि से अवांछनीय हो जाता, तो राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि वह ऐसे पद पर नहीं रह गया है, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को ²[पार्षद या

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 59 सन् 1976 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 19-10-1976 से प्रभावी)।

to be disqualified for further election, ¹[or nomination] ²[as a Councillor or President] for such period not exceeding five years as may be specified by the State Government in such order.

(2) No order under sub-section (1) shall be passed unless reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish an explanation.]

[36. Duration of the Municipality—(1) Every Municipality unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer.

(2) An election to constitute a Municipality shall be completed,-

(a) before the expiry of its duration specified in sub-section (1).

(b) before the expiration of a period of six months from the date of its dissolution:

Provided that, where the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued is less than six months, it shall not be necessary to hold any election under this section for constituting the Municipality for such period.

(3) A Municipality constituted upon the dissolution of a Municipality before the expiration of its duration shall continue only

अध्यक्ष] के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने ¹[या नाम निर्दिष्ट किए जाने] के लिये पाँच वर्ष से अनधिक ऐसे कालावधि तक के लिये जो कि राज्य सरकार द्वारा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निरर्हित घोषित कर सकेगी;

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्पष्टीकरण देने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

[36. नगरपालिका की अवधि—(1) प्रत्येक नगरपालिका, यदि वह पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम सम्मेलन के लिये नियत तारीख से पाँच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं.

(2) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन :—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की कालावधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा:

परन्तु जहाँ वह शेष कालावधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है, वहाँ ऐसी कालावधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने हेतु इस धारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा.

(3) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस कालावधि के केवल उतने शेष

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

for the remainder of the period for which the dissolved Municipality would have continued under sub- section (1) had it not been so dissolved.]

¹[(4) Subject to the provisions of this Act, the term of President and every Councillor shall be coterminous with the term of the Council.]

भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो वह उपधारा (1) के अधीन बनी रहती.]

¹[(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद की पदावधि परिषद् की पदावधि की सहविस्तारी होगी.]

टिप्पणी

हरगोविन्द ताम्रकर बनाम स्टेट ऑफ़ एम. पी., 1985 जे. एल. जे. 550, में नगरपालिका के विघटन के पश्चात् उसके कार्यकाल के विषय में स्थिति स्पष्ट की गई एवं कहा गया कि धारा 36 (2) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा किन्तु यदि नगरपालिका परिषद् विघटित की जाती है और उस विघटित होने वाली परिषद् का कार्यकाल पूरा होने में यदि छः मास से कम का समय रह गया है तो नया निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा. यदि छः मास से अधिक समय कार्यकाल में शेष रहा है तो कार्यकाल की समाप्ति के छः मास पूर्व से निर्वाचन परिषद् का नया करा लिया जाएगा.

²[36-A. ***]

2[36-क.*****]

³[37. Filling up of Casual Vacancies—
(1) As soon as the office of a President, or a seat of Councillor elected from ward, becomes vacant, or is declared vacant, or the election of President or the Councillor, as the case may be, is declared void, the State Government shall forth with inform the State Election Commission for tilling up the vacancy and the person so elected shall hold office of President or Councillor, as the case may be, only for the remaining period of the Council:

Provided that if the remaining period of the Council is less than six months, such vacancy shall not be filled in.

3[37. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना—
(1) जैसे ही अध्यक्ष का पद या किसी वार्ड से निर्वाचित पार्षद का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या यथास्थिति अध्यक्ष या पार्षद का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तो राज्य सरकार ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोग को तत्काल सूचित करेगा और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति यथास्थिति अध्यक्ष या पार्षद का पद परिषद की केवल शेष कालावधि के लिए धारण करेगा :

परन्तु यदि किसी परिषद की शेष कालावधि छः मास से कम है तो ऐसी रिक्ति नहीं भरी जाएगी.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 32 सन् 1967 द्वारा विलोपित (दि. 23-12-1967 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

(2) Until the vacancy in the office of President is filled in under sub-section (1) all the powers and duties of the President shall be performed by such elected Councillor as the State Government may nominate in this behalf :

Provided that if the office of President is reserved under Section 29-B the President shall be nominated from the elected Councillors belonging to such reserved category].

[38. Effect of subsequent disabilities—

(1) If any ²[Councillor or President]—

(a) becomes disqualified under subsection (1) of Section 31 and his name is struck off from the electoral roll under sub-section(1-A) of that section, or

(b) becomes subject to any of the disqualifications specified in Section 35 and such disqualification is not removable or being removable is not removed; or

(c) absents himself during six consecutive months from the meetings of the council, except with the leave of the council; or

³[(cc) becomes disqualified for being chosen as and for being a President or Councilor under section 32-C,]

(d) becomes incapable of acting; or

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के पद की रिक्ति न भरी जाए, तब तक अध्यक्ष की समस्त शक्तियाँ तथा कर्तव्य ऐसे निर्वाचित पार्षद् द्वारा पालन किए जाएंगे जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त नाम निर्दिष्ट करें :

परन्तु यदि अध्यक्ष का पद धारा 29-ख के अधीन आरक्षित है तो अध्यक्ष ऐसे आरक्षित प्रवर्ग के निर्वाचित पार्षदों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.]

¹[38.पश्चात्तर्ती नियोग्यताओं का प्रभाव.—(1)

यदि कोई ²[पार्षद या अध्यक्ष].—

(क) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित हो जाता है तथा उसका नाम उस धारा की उपधारा (1-क) के अधीन निर्वाचक नामावली में से काट दिया जाता है; या

(ख) धारा 35 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी भी निरर्हता के अधधीन हो जाता है और ऐसी निरर्हता हटाई जाने योग्य नहीं है या हटाई जाने योग्य होते हुए भी हटाई नहीं गई है; या

(ग) परिषद की इजाजत के बिना, लगातार छह मास तक परिषद् के सम्मिलनों में अनुपस्थित रहता है; या

³[(गग) धारा 32-ग के अधीन अध्यक्ष या पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित हो जाता है;]

(घ) कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 12 सन् 1995 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 1-5-1995 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

(e) acts as ²[Councillor or President in any matter—

(i) In which he has directly or indirectly, by himself or his partner, any share or interest, as is described in clause (i) of Section 35; or

(ii) in which he is professionally interested on behalf of a client, principal or other person; or

(ee) ¹[****]

(f) fails to pay any arrears of any kind due by him to the council on a demand made therefor under Section 53, within the period specified therein;

he shall subject to the provisions of sub-section (2), cease to be a ²[Councillor or President] ²[and his seat shall become vacant with effect from a date to be notified by the State Government except the case falling under clause (cc) and clause (r) of section 35].

(2) No councilor shall cease to be a councilor under sub-section (1) until the prescribed authority on its own motion or on an application made to it by any person in this behalf, decides that such a councilor has incurred the disqualification on any of the grounds specified therein and communicates the decision in relation thereto to such councilor:

Provided that no order shall be passed by the prescribed authority under this sub-section against any councilor without giving him a reasonable opportunity of being heard.]

(ड) किसी ऐसे मामले में ²[पार्षद या अध्यक्ष] के रूप में कार्य करता है :—

(एक) जिसमें वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने भागीदार द्वारा कोई ऐसा अंश या हित रखता है, जैसा कि धारा 35 के खण्ड (झ) में वर्णित है; या

(दो) जिसमें वह किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर से वृत्तिक रूप से हितबद्ध है; या

(डड) ¹[*****]

(च) उसके द्वारा परिषद को शोध्य किसी भी प्रकार के बकाया का भुगतान उसके लिए धारा 53 के अधीन मांग की जाने पर मांग की सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करने में असफल रहा है;

तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, पार्षद या अध्यक्षता ²[अध्यक्ष या पार्षद] नहीं रह जाएगा और ²[खण्ड (गग) तथा धारा 35 के खण्ड (द) के अधीन आने वाले मामलों में के सिवाय, उसका स्थान राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से रिक्त हो जाएगा.]

(2) किसी भी पार्षद का पार्षद बने रहना उपधारा (1) के अधीन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक कि विहित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति द्वारा उसके इस संबंध में किए गए आवेदन पर यह विनिश्चय नहीं करता है कि ऐसी पार्षद न उसमें विनिर्दिष्ट किए गए आधारों में किसी आधार पर निरहता उपगत कर ली है और जब तक उसके संबंध में विनिश्चय की संसूचना ऐसे पार्षद को नहीं दे देता है:

परन्तु विहित प्राधिकारी द्वारा पार्षद के विरुद्ध इस उपधारा के अधीन कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.]

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16 सन् 2007 द्वारा लुप्त.

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

39. ¹[***]

²[40. **Resignation of Vice-President or Councillors.**—(1) The Vice-President or any Councillor may resign his office by tendering his resignation in writing to the President, who shall forward the same to the Collector and if the Vice-President or such Councillor, as the case may be, desires he may also send a copy of his resignation directly to the Collector.

(2) On receipt of the resignation, under sub- section (1), the Collector shall—

- (i) if satisfied about its genuineness, accept the resignation and notify the fact of such resignation and the occurrence of casual vacancy by reason of such resignation in the Gazette;
- (ii) if not satisfied about its genuineness, not accept the resignation for reasons to be recorded in writing.

(3) If it appears to the Collector that any Councillor having become liable for removal under Section 41 has tendered his resignation to escape such removal, then notwithstanding anything contained in this section, the Collector may order his removal in accordance with the provisions of the said section and thereupon the Councillor shall be deemed to have been removed from the date he resigned his office]].

39. ¹[***]

²[40. **अध्यक्ष या किसी पार्षद का त्यागपत्र**—(1) उपाध्यक्ष या कोई पार्षद अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकेगा, जो उस कलेक्टर को अग्रेषित करेगा और यथास्थिति, अध्यक्ष या पार्षद ऐसी वांछा करे तो वह अपने त्यागपत्र की एक प्रति सीधे कलेक्टर को भी भेज सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन त्यागपत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर—

- (एक) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में उसका समाधान हो जाए, तो त्यागपत्र स्वीकार करेगा और ऐसे त्यागपत्र के तथ्य को और उसके कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित करेगा;
- (दो) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में समाधान न हो, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा.

(3) यदि कलेक्टर को यह प्रतीत होता है कि किसी पार्षद ने धारा 41 के अधीन हटाए जाने दायित्वाधीन हो जाने के कारण ऐसे हटाए जाने से बच निकलने के लिए त्यागपत्र दिया है, तो इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कलेक्टर उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार उसके हटाए जाने का आदेश दे सकेगा और उसके पश्चात् उस पार्षद के बारे में यह समझा जावेगा कि जिस तारीख से उसने त्यागपत्र दिया है उस तारीख से वह हटा दिया गया है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा (दिनांक 30-5-1994 से) लुप्त.

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 21-4-1997 से) प्रतिस्थापित.

¹[41. **Removal of Councillor** - (1) The Collector may, at any time move an elected Councillor—

(a) if his continuance as a Councillor, it not, in the opinion of the Collector, desirable in the interest of the Public or of the Council; or

²[(a-1) if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved; or]

(b) if the Council has, by a resolution supported by at least two-third of the total number of Councillors, recommended that the Councillor is not fit to continue as a Councillor on account of mis-conduct in the discharge of his duties or disgraceful conduct.

(2) The Collector may at any time, remove any elected Councillor if he, being a legal practitioner, acts or appears on behalf of any other person against the Council in any legal proceedings or against the State Government in any such proceeding relating to any matter in which the Council is or has been concerned, or acts or appears on behalf of any person in any criminal proceedings instituted, by or on behalf of the Council against such person.

¹[41. **पार्षद का हटाया जाना**—(1) कलेक्टर किसी निर्वाचित पार्षद को किसी भी समय हटा सकेगा—

(क) यदि उसका पार्षद के रूप में बना रहना, कलेक्टर की राय में लोकहित या परिषद के हित की दृष्टि से वांछनीय न हो; या

²[(क-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए कि स्थान आरक्षित रखा गया था; या]

(ख) यदि परिषद् ने पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई से समर्थित संकल्प द्वारा अनुशंसा की हो कि पार्षद, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचरण के कारण अथवा अशोभनीय आचरण द्वारा पार्षद बने रहने योग्य नहीं है.

(2) कलेक्टर, किसी भी समय किसी भी पार्षद को हटा सकेगा, यदि वह पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी विधिक कार्यवाही में परिषद् के विरुद्ध या किसी ऐसे विषय से संबंधित उस कार्यवाही में जिसे कि परिषद् संबंधित, या संबंधित रही है राज्य सरकार के विरुद्ध कार्य करता है या उपसंजात होता है या किसी ऐसी दाण्डिक कार्यवाही में, जो परिषद द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित की गई है, ऐसे व्यक्ति की ओर से कार्य करता है या उपसंजात होता है.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा अन्तःस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

(3) The Collector may, while ordering the removal under Section 40 or this Section, also order that such Councillor shall not be eligible to become a Councillor of a Municipal Council or ¹[Nagar Parishad], as the case may be, for its next term:

Provided that no resolution recommending the removal of any councillor shall be passed by the Municipal Councilor ¹[Nagar Parishad] as the case may be, nor any such order of removal shall be passed by the Collector unless such Councillor has been given a reasonable opportunity of showing cause.

(4) An appeal against the order passed under sub-sections (1), (2) or (3) of this Section or Section 40 shall lie¹ to the State Government within thirty days of the date on which the order is conveyed to the aggrieved party.

The State Government may after giving a reasonable opportunity of being heard, pass such order on the appeal as it may think fit].

(3) कलेक्टर, धारा 40 या इस धारा के अधीन हटाये जाने का आदेश करते समय यह भी आदेश करेगा कि ऐसा पार्षद, यथास्थिति, किसी नगरपालिका परिषद् या ¹[नगर परिषद्] का, उसकी आगामी अवधि के लिए पार्षद होने का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यथास्थिति न तो नगरपालिका परिषद् या ¹[नगर परिषद्] द्वारा किसी पार्षद को हटाए जाने की अनुशंसा करने वाला कोई (संकल्प) पारित किया जाएगा न ही कलेक्टर द्वारा हटाए जाने का इस प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाएगा जब कि ऐसे पार्षद को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए.

(4) इस धारा की उपधारा (1), (2) या (3) या धारा 40 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, व्यक्ति पक्ष को आदेश संप्रेषित होने के तीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को होगी.

राज्य सरकार सुनवाई अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे].

टिप्पणी

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 में पार्षद को हटाने का उपबंध किया गया है यह अधिनियम कलेक्टर को पार्षद को पदच्युति करने का अधिकार प्रदान करता है. यदि कोई पार्षद नियम विरुद्ध कार्य करता है या विधि व्यवसायी होकर राज्य के विपक्ष में उपसंजात होकर पैरवी करती है तो कलेक्टर धारा 41 के अनुसार पार्षद को उसके पद से हटा सकता है.

किन्तु भारतीय विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण करती है, यदि कलेक्टर किसी पार्षद को उसके पद से पदच्युत करता है और पार्षद को यह प्रतीत होता है कि कलेक्टर ने उसे पार्षद के पद से हटाकर विधि की त्रुटि की है तो वह व्यथित पार्षद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल कर उपचार प्राप्त कर सकता है.

किसी पार्षद को हटाने का आदेश गूढ़ आदेश नहीं हो सकता, यह सकारण आदेश होना चाहिए और सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए. (मुजफ्फर अली बनाम म. प्र. राज्य, 1999 (1) डब्ल्यू. एन. 172.

पार्षद को स्पष्टीकरण का अवसर दिये बिना हटाया गया. आदेश अभिखण्डित किया गया. (बद्री प्रसाद चिकवा बनाम म. प्र. राज्य 1998 (2) एम. पी. एल. जे. 361=ए.आई. आर. 1999 एम. पी. 38)

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित.

[41-A. Removal of President of Vice-President or Chairman of a Committee

— The State Government may, at any time, remove a President or Vice-President or a Chairman of any Committee, if his continuance as such is not in the opinion of the State Government desirable in public interest or in the interest of the Council or if it is found that he is incapable or performing his duties or is working against the provisions of the Act or any rules made thereunder or if it is found that he does not belong to the reserved category for which the seat was reserved.

(2) As result of the order of removal of Vice-President or Chairman of any Committee, as the case may be under subsection (1) it shall be deemed that such Vice-President or a Chairman of any Committee, as the case may be, has been removed from the office or Councillor also. At the time of passing order under subsection (1), the State Government may also pass such order that the President or Vice-President or Chairman of any Committee, as the case may be, shall be disqualified to hold the office of President or Vice-President or Chairman, as the case may be, for the next term:

Provided that no such order under this Section shall be passed unless a reasonable opportunity of being heard is given].

[41क. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का हटाया जाना—(1) राज्य सरकार, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी, यदि राज्य सरकार की राय में उसका इस प्रकार बना रहना लोकहित में या परिषद के हित में वांछनीय नहीं है या यदि यह पाया जाए कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा है या यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था.

(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को हटाए जाने के आदेश के परिणामस्वरूप यह समझा जाएगा कि यथास्थिति ऐसे उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को पार्षद के पद से भी हटा दिया गया है. उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करते समय राज्य सरकार ऐसा आदेश भी पारित कर सकेगी कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति का अध्यक्ष अगली पदावधि के लिये यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का पद धारण करने हेतु निरहिंत होगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

टिप्पणी

रूपरेखा

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. आवश्यक पक्षकार | 4. गलत जानकारी |
| 2. सुने जाने का अधिकार | 5. अध्यक्ष को हटाने की शक्ति |
| 3. तुच्छ आधारों पर याचिका घोषणीय नहीं | 6. केवल निर्वाचित व्यक्ति के विरुद्ध ही अवलम्ब |

1. आवश्यक पक्षकार

निर्दोष मांडेल बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2005 (2) मनिसा 97 (म. प्र. हा. को.) के मामले में नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। प्रकरण के तथ्य यह हैं कि नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को एक सूचना-पत्र दिया गया कि क्यों न आपको पद से हटा दिया जाए। उक्त सूचना-पत्र का जवाब अध्यक्ष द्वारा दिया गया। इसी मामले में राज्य सरकार द्वारा अनियमितता की जांच हेतु आर्थिक अपराध ब्यूरो को निर्दिष्ट किया एवं आर्थिक अपराध ब्यूरो द्वारा जांच उपरांत उक्त सूचना-पत्र से नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को दोषमुक्त किया गया। किन्तु ब्यूरो द्वारा अध्यक्ष की दोषमुक्ति की रिपोर्ट को विचार में न लेकर अध्यक्ष को उसको पद से हटा दिया एवं अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया जिससे व्यथित होकर नगरपालिका अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता के आधार थे कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उसे पक्षकार बनाया जाए एवं जांच में आर्थिक अपराध ब्यूरो की दोषमुक्ति की रिपोर्ट भी शामिल की जाए। विचारण के पश्चात् माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह विधि में सुव्यवस्थापित है कि जब कोई व्यक्ति उसके हटाए जाने को आक्षिप्त करता है तो वह व्यक्ति जो उसके स्थान पर आ चुका है, न तो आवश्यक, न उचित पक्षकार है, जो आक्षिप्त किया गया है, वह हटाया जाना है, यदि वह उसके आक्षेप में सफल होता है तो परिणाम का अनुसरण करना आबद्ध होता है। कोई जिसने आकस्मिक परिस्थिति का लाभ उठाया है, वह अधिकार के मामले के रूप में पक्षकार बनाए जाने के लिये दावा नहीं कर सकता है। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि हटाया जाना दूषित था अतः उक्त हटाए गए आदेश को अभिखण्डित किया गया एवं रिट याचिका को स्वीकार की गई। (निर्दोष माण्डेल बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2005 (2) मनिसा 97 म. प्र. हो. को.)

2. सुने जाने का अधिकार

अनुभा मुन्जारे विरुद्ध म. प्र. राज्य के मामले में माननीय न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से व्याख्या की, इस मामले में नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष को बिना सुने ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया एवं उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया। जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दाखिल किया एवं याचिका में यह निवेदन किया कि पद से हटाये जाने के पूर्व याचिकाकर्ता को सुना जाना था एवं अध्यक्ष पद पर जिस अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उसे भी आवश्यक पक्षकार बनाया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण को सुनने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त नए व्यक्ति को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है आगे माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी को भी पद से हटाए जाने के पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है और यह केवल औपचारिक न होकर वास्तविक एवं प्रभावी होना चाहिए। हटाए जाने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। (अनुभा मुन्जारे विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम. पी., 2005 (2) एम. पी. एल. जे. 521).

3. तुच्छ आधारों पर याचिका पोषणीय नहीं

बलेश्वर दयाल जायसवाल विरुद्ध म. प्र. राज्य के मामले में नगरपालिका अध्यक्ष को राज्य द्वारा पद से हटाया गया एवं चुनाव लड़ने से अपवर्जित करने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण के तथ्य थे कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष को प्रथम आरोप लगाकर कारण बताओ सूचना-पत्र दिया गया, जिसका उत्तर नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा दिनांक 25-2-2008 दिया गया। इसके उपरांत 11-4-2006 और 4-6-2006 को नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अपेक्षित किए बिना जो अतिरिक्त आरोप थे जिसका सीधे निष्कर्ष गूढ़ रीति में यह कहते हुए दिए कि आरोप साबित हैं, एवं आरोप को साबित के रूप में ठहराने के लिये कोई तथ्य एवं सामग्री की चर्चा नहीं की गई जो आरोप को साबित करने का आधार हो। उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह सुस्थापित विधि है कि शासन की कार्यवाही युक्तियुक्त होना चाहिए और यह नहीं ठहराया जा सकता कि धारा 41क मनमानी, बैलगाम और वैवेकीक शक्ति राज्य को चुने हुए अध्यक्ष को आयुक्तियुक्त रूप से स्वीकार किए गए हल्के आरोपों पर हटाने की शक्ति नहीं देती है। चूंकि धारा 41-क के तहत शक्ति का अनुप्रयोग गंभीर परिणाम देता है इसलिए यह केवल बहुत प्रबल और वजनदार कारणों हेतु अवलंब ली जा सकती है और सामग्री जिसके आधार पर ऐसी कार्यवाही न्यायसंगत रूप से ऐसी गंभीर कार्यवाही हेतु की जानी चाहिए। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस शक्ति के अनुप्रयोग द्वारा, राज्य प्रजातांत्रिक रूप से चुने अध्यक्ष को हटाती है, इसलिए ऐसी शक्ति तुच्छ कारणों से या सामग्री, जो कार्यवाही करने के लिये अपर्याप्त हो, अनुप्रयोग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार आक्षिप्त आदेश कायम नहीं रखा गया एवं रिट याचिका मंजूर की गई। (बालेश्वर दयाल जायसवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, मनिसा 2010 (3) एन. ओ. सी. 6 (म. प्र. हा. को.) = 2010 (1) एम. पी. एच. टी. 101 = आई. एल. आर. 2010 एम. पी. (111.)

दुराचरण एवं अनियमितताओं के आधार पर नगर पंचायत के अध्यक्ष को हटाया गया—धारा 41-क केवल प्रबल, तर्कपूर्ण एवं वजनदार, आधारों पर अवलंब ली जा सकती है, तुच्छ आधारों पर नहीं। निम्नानुसार ठहराया गया :—

Section 41-A of the M.P. Municipalities Act, 1961 as introduced by Amendment Act No. 18 of 1997 w.e.f. 21-4-1997 confers an extra ordinary and overriding power on the State Government to remove an elected office bearer of a local authority or committee under it on formation of an opinion that continuance of such office bearer is "not desirable in public interest" or "in the interest of the council" or that "he is incapable of performing his duties or is working against the provisions of the Act or any Rules" made thereunder. For taking action under section 41-A of removal of President, Vice-President or Chairman of any Committee, power is conferred on the State Government with no provision of any appeal. The action of removal casts a serious stigma on the personal and public life of the concerned office bearer and may result in his disqualification to hold such office for the next term. The exercise of power, therefore, has serious civil consequences on the status of an office bearer. The nature of power is such that it has to be exercised on an opinion objectively formed by the State Government. The misconduct or incapacity of the office bearer should be of such magnitude as to make his continuance undesirable in the "interest of council" or "in public interest". There are no sufficient guidelines in the provisions of Sec. 41-A as to the manner in which, the power has to be exercised except that it requires

that reasonable opportunity of hearing has to be afforded to the office bearer proceeded against. Keeping in view the nature of the power and the consequences that flow on its exercise such power can be invoked by the State Government only for very strong and weighty reason. Such a power is not be exercised for some trivial or minor irregularities in discharge of duties by the holder of the elected post. The material or grounds on which the action is taken should be such as to justify the exercise of drastic power of removal of the office bearer with consequence of his disqualification for another term. The provision has to be construed in a strict manner because the holder of office occupies it by election and he is deprived of the office by an executive order in which the electorate has no chance of participation.

(कौशल्या बाई बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 1999 (1) एम. पी. एल. जे. 368).

4. गलत जानकारी

प्रत्यर्थी उसकी ओ. बी. सी. प्रास्थिति के बारे में गलत जानकारी देने के आधार पर नगर पंचायत के पद से हटाया गया था. ऐसा आधार धारा 41-क के तहत नहीं आता. ऐसे प्रकरणों में उपचार केवल धारा 20 के तहत दाखिल निर्वाचन याचिका में उपलब्ध है. रिट अपील खारिज की गयी. (श्रीमती शारदा देवी बनाम नूरजहां, 2007 (5) 75 (डी. बी.) = 2007 (1) एम. पी. एल. जे. 153=2007 (1) एम. पी. डब्ल्यू. एन. 67.

5. अध्यक्ष को हटाने की शक्ति

अध्यक्ष को हटाने की शक्ति—आचरण सार्वजनिक हित पर प्रभाव डालने वाला नहीं—उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार ठहराया :—

The above section 41-A vests the State Government with power to remove the, President, Vice-President or a Chairman of any Committee, if his continuance in the office is not found desirable in public interest or in the interest of the Council. A conjoint reading of other provisions such as sections. 20, 22 and 41-A as also the, Article 243-ZG of the Constitution of India would make it amply clear that resort to section 41-A can be has to remove a person from the office only after he/she is duly elected and his/her conduct in office is otherwise found prejudicial to public interest or in the interest of the Council.

इस प्रकरण में अपीलार्थी के कार्य साबित होने के बावजूद केवल अनियमितताएं कारित करते थे, अवैधताएं नहीं. अपीलार्थी द्वारा कोई वित्तीय हानि नहीं पहुंचायी गयी. राज्य सरकार का अपीलार्थी को अध्यक्ष से हटाने का आदेश एवं अपीलार्थी की रिट याचिका एवं रिट अपील खारिज करने के आदेश भी अपास्त किये जाते हैं. अपीलार्थी की निरर्हता समाप्त की गयी. (शारदा कैलाश मित्तल बनाम म. प्र. राज्य, 2010 (2) एम. पी. एच. टी. 486 (एस. सी.) = 2010 (2) जे. एल. जे. 242 = 2010 (1) एम. पी. जे. आर. (एस. सी. 250 = 2010 (3) एम. पी. एल. जे. 131 = आई. एल. आर. (2010) एम. पी. 1248).

6. केवल निर्वाचित व्यक्ति के विरुद्ध ही अवलम्ब

यह धारा केवल सम्यक् रूप से निर्वाचित व्यक्ति को हटाने के लिये अवलम्ब ली जा सकती है. प्रकरण में निम्नानुसार ठहराया गया :—

Section 41-A does vest the State Government with Power to remove a President, Vice-President or a Chairman of any Committee, if his continuance in office is not found desirable in public interest or in the interest of the Council. However, a bare reading in juxtaposition, the provisions of sections 20, 22 and 41- B as also the Article 243-ZG of the Constitution would make it amply clear that resort to section 41-A can be had to remove a person from the office only after he is duly elected and his conduct in office is otherwise found prejudicial to public interest or in the interest of the Council. This provision cannot be pressed into service to call in question the election itself. Any such construction of section' 41- A will render the bar contained in Article 243-ZG of the Constitution and section . 20 of the. Act meaningless or futile.

(सीताबाई कैलाश कटारिया बनाम म. प्र. राज्य, 2001 (1) एम. पी. एल. जे. 265).

¹[41-B. Resignation of President —(1) President may resign his office by tendering his resignation in writing to the Chief Municipal Officer, who shall forward the same to the State Government and if the President desires he may also send a copy of his resignation directly to the State Government.

(2) On receipt of the resignation, under sub-section (1), the State Government shall.—

(i) if satisfied about its genuineness, accept the resignation and notify the fact of such resignation and the occurrence of casual vacancy by reason of such resignation in the Gazette.

(ii) if not satisfied about its genuineness, not accept the resignation for reasons to be recorded in writing.

(3) If it appears to the State Government that the President having become liable for

¹[41-ख. अध्यक्ष का त्यागपत्र—(1) अध्यक्ष, लिखित में अपना त्यागपत्र मुख्य नगरपालिका अधिकारी को देकर अपना पद त्याग सकेगा, जो उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और यदि अच्छा वाँछा करे, तो अपने त्यागपत्र की एक प्रति राज्य सरकार को सीधे भी भेज सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन त्यागपत्र प्राप्त होने पर, राज्य सरकार—

(एक) उसकी वास्तविकता के बारे में यदि उसका समाधान हो जाए, त्यागपत्र स्वीकार करेगी और ऐसे त्यागपत्र के तथ्य को और उसके कारण हुई आकस्मिक रिक्ति को राजपत्र में अधिसूचित करेगी,

(दो) यदि उसकी वास्तविकता के बारे में समाधान न हो, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगी.

(3) यदि राज्य सरकार से यह प्रतीत होता है कि अध्यक्ष ने धारा 41-क के अधीन हटाए जाने के

removal under Section 41-A has tendered his resignation to escape such removal, then notwithstanding anything contained in this Section, the State Government may order his removal in accordance with the provisions of the said Section and thereupon the President shall be deemed to have been removed from the date he resigned his office.]

42. Automatic vacating of all offices on ceasing to be Councillor—A person who ceases to be Councillor shall automatically vacate all the offices in the Council which he holds by virtue of his being such a Councillor.

¹[43. Election and term of Vice President —(1) The President and the elected Councillors of the Council shall, ²[***] at its first meeting as referred to in ³[sub-section (1) of Section 55] elect a Vice-President from amongst the elected Councillors in the prescribed manner.

³[(2) The meeting under sub-section (1) shall be presided over by such officer as mentioned in sub-section (2) of Section 55].

(3) The term of the Vice-President shall be coterminous with the term of the Council].

⁴[43-A. No-confidence motion against Vice-President -- (1) A motion of no confidence may be moved against the Vice-President by any elected Councillor at a

दायित्वाधीन हो जाने से बच निकलने के लिए त्यागपत्र दिया है, तो इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार उसके हटाए जाने का आदेश दे सकेगी उसके पश्चात् उस अध्यक्ष के बारे में यह समझा जाएगा कि जिस तारीख से उसने त्यागपत्र दिया है उस तारीख से वह हटा दिया गया है.]

42. पार्षद न रहने पर समस्त पदों का स्वयंमेव रिक्त हो जाना—कोई व्यक्ति, जो पार्षद नहीं रह जाता है, परिषद् में के उन समस्त पदों को, जिन्हें वह पार्षद होने के आधार पर धारण करना है, स्वयंमेव रिक्त कर देगा.

¹[43. उपाध्यक्ष का निर्वाचन तथा पदावधि—(1) परिषद् के अध्यक्ष तथा निर्वाचित सदस्य ²[.....] ³[धारा 55 की उपधारा 1] में यथा विनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मेलन में निर्वाचित पार्षदों में से विहित रीति में एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे.

³[(2) उपधारा (1) के अधीन सम्मेलन की अध्यक्षता ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो धारा 55 की उपधारा (2) में उल्लिखित है.]

(3) उपाध्यक्ष की पदावधि परिषद् की पदावधि से सहविस्तारी होगी.

⁴[43-क. उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव—(1) उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (2) के अधीन उस प्रयोजन के

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी).

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 20 सन् 1998 द्वारा लोपित (दि. 29-8-1998 से प्रभावी).

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 20 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 29-8-1998 से प्रभावी).

4. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा अंतः स्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी).

meeting specially convened for the purpose under subsection (2) and if the motion, is carried by a majority of two thirds of the elected Councillors present and voting in the meeting and if such majority is more than half of the total number of elected Councillors constituting the Council, the office of the Vice-President, shall be deemed to have become vacant forthwith a copy of such motion shall be sent by the Chief Municipal Officer to the Collector forthwith for filling up the vacancy:

Provided that no such resolution shall lie against the Vice-President within a period of—

- (i) two years from the date on which the Vice-President enters upon his office;
- (ii) one year from the date on which the previous motion of no-confidence was rejected.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Council shall be convened and presided over by the Collector or a Class I Officer in case of a Municipal Council and a Class II Officer in case of ¹[Nagar Parishad] as nominated by him, in the following manner, namely-

- (i) the meeting shall be convened forthwith on a requisition signed by not less than one-sixth of the total number of elected Councillors constituting the Council for the time being;

लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में निर्वाचित किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत उस समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हो तो उपाध्यक्ष का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा. ऐसे प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा कलेक्टर को तत्काल रिक्ति को भरने के लिये भेजी जाएगी:

परन्तु उपाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसा कोई प्रस्ताव :—

- (एक) उस तारीख से, जिससे कि उपाध्यक्ष अपना पद ग्रहण करे, दो वर्ष की कालावधि के भीतर;
- (दो) उस तारीख से, जिस तारीख के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर, नहीं होगा.

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये परिषद् का सम्मिलन बुलाया जाएगा तथा नगरपालिका परिषद् के मामले में कलेक्टर या किसी प्रथम वर्ग अधिकारी द्वारा और ¹[नगर परिषद्] के मामले में किसी द्वितीय वर्ग अधिकारी द्वारा जैसा कि उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित रीति में की जाएगी, अर्थात् :—

- (एक) तत्समय परिषद् का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम एक षष्ठमांश द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर तत्काल सम्मिलन बुलाया जाएगा;

(ii) the notice of such a meeting specifying the date, time and place shall be despatched to the President and every Councillor ten clear days before the meeting.

(iii) the no-confidence motion moved under this section shall be decided through secret ballot.]

44. ¹[*****]

²[45. Notification of election of president and Councillors—Every election of the President and Councillors from wards shall be notified by the State Election Commission in the official gazette.]

46. ¹[*****]

³[47. Recalling of President—(1) Every President of a Council shall forthwith be deemed to have vacated his office if he is recalled through a secret ballot by a majority of more than half of the total number of voters of the municipal area casting the vote in accordance with the procedure as may be prescribed;

provided that no such process of recall shall be initiated unless a proposal is signed by not less than three fourth of the total number of the elected Councillors and presented to the Collector;

(दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए अध्यक्ष तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी;

(तीन) इस धारा के अधीन लाया गया अविश्वास के प्रस्ताव का विनिश्चय गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा.]

44. ¹[*****]

²[45. अध्यक्ष और पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना—वार्डों से अध्यक्ष और पार्षदों का प्रत्येक निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा.]

46. ¹[*****]

³[47. अध्यक्ष का वापस बुलाया जाना—(1) किसी परिषद् के प्रत्येक अध्यक्ष द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, नगरपालिका क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए;

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक प्रारम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे कलक्टर को प्रस्तुत न कर दिया जाए;

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 17 सन् 1994 द्वारा विलोपित (दि. 30-5-1994 से प्रभावी)

2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 21-4-1997 से प्रभावी)

3. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 11 सन् 1999 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 23-4-1999 से प्रभावी)

Provided further that no such process shall be initiated:-

- (i) within a period of two years from the date on which such President is elected and enters his office;
- (ii) if half of the period of tenure of the President elected in a by-election has not expired:

Provided also that process for recall of the President shall be initiated once in his whole term.

(2) The Collector, after satisfying himself and verifying that the three fourth of the Councillors specified in subsection (1) have the proposal of recall, shall send the proposal to the State Government and the State Government shall make a reference to the State Election Commission.

(3) On receipt of the reference the State Election Commission shall arrange for voting on the proposal of recall in such manner as may be prescribed.]

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया—

(एक) उस तारीख से जिसको कि ऐसा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरम्भ नहीं की जाएगी.

(दो) यदि उपचुनाव में निर्वाचित अध्यक्ष की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरम्भ नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अध्यक्ष को वापिस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

(2) कलेक्टर अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापन कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पाषंडों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, पास बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने के लिए व्यवस्था करेगा.]

टिप्पणी

रूपरेखा

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. परिसीमा | 7. प्रक्रिया |
| 2. प्रस्ताव | 8. वापस बुलाने की शर्तें |
| 3. कलेक्टर के कर्तव्य | 9. उपाध्यक्ष को वापस बुलाना |
| 4. राज्य सरकार के कर्तव्य | 10. गुप्त मतदान |
| 5. व्यक्तिगत उपसंज्ञाति आवश्यक नहीं | 11. प्रकीर्ण |
| 6. कलेक्टर का अनुमोदन | |

1. परिसीमा

मांगी जल बनाम म. प्र. राज्य एवं 2008 (1) एम. पी. एच. टी. 119, के मामले में परिषद के अध्यक्ष को बुलाए जाने का प्रश्न की समयावधि का प्रश्न था इसमें अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 47

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 16 सन् 2007 द्वारा लुप्त.

2. मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित (दि. 25-8-2003 से प्रभावी).

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 236, दिनांक 2 मई 2011 में प्रकाशित]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2720-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 अप्रैल 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १७ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११

[दिनांक २९ अप्रैल, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २ मई, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६

(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
२३ सन् १९५६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३० में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(५) निगम के वार्षिक लेखे पर, अंकेक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जाएंगी.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१

(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
३७ सन् १९६१ का
संशोधन.

३. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, शब्द “नगर पंचायत” जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2011

क्र. 2721-169-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 17 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 17 OF 2011.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

[Received the assent of the Governor on the 29th April, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 2nd May, 2011.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

Short title.

PART - I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956
(No. 23 of 1956)

2. In Section 130 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), after sub-section (4) the following new sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

“(5) Copies of the audit report of the auditor on annual accounts of the Corporation shall be furnished to the State Government or such other authority as may be specified by the State Government in this behalf.”.

PART - II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961
(No. 37 of 1961)

3. Throughout the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), for the words “Nagar Panchayat” wherever they occur, the words “Nagar Parishad” shall be substituted.

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 265, दिनांक 3 जुलाई 2014 में प्रकाशित]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 001

आदेश

भोपाल, दिनांक 03 जुलाई 2014

क्र. एफ-57-01-2014-तीन-न.पा.-221.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचन के लिए निम्नांकित मुक्त निर्वाचन प्रतीक विहित करता है, अर्थात्:—

- (1) नगरपालिक निगम के महापौर या नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या नगर परिषद् के अध्यक्ष के लिए, संलग्न सूची के भाग—1 में उल्लिखित प्रतीक
- (2) नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् के पार्षद के लिए, संलग्न सूची के भाग—2 में उल्लिखित प्रतीक

2. आयोग द्वारा विहित उपरोक्त मुक्त निर्वाचन प्रतीक, उन प्रतीकों के अतिरिक्त होंगे जो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए आरक्षित है.

3. इस विषय के संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-57-01-2009-तीन-1035, दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 एतद्वारा निरस्त की जाती है.

संलग्न:—सूची भाग—1 एवं भाग—2.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

सूची

भाग 1—महापौर/अध्यक्ष के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	नल
2.	चाबी
3.	टेबल पंखा
4.	गुब्बारा
5.	स्लेट
6.	बिजली का स्विच
7.	कांच का गिलास
8.	रेडियो
9.	खम्भे पर ट्यूब लाइट
10.	स्टूल
11.	गैस बत्ती
12.	रोड रोलर

सूची

भाग 2— पार्षद के लिये विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

क्रमांक (1)	प्रतीक (2)
1.	केक
2.	कैमरा
3.	गाजर
4.	पतंग
5.	कोट
6.	टेंट
7.	छत का पंखा
8.	चारपाई
9.	सिलाई की मशीन
10.	नाव

13. बस
14. सीटी
15. प्रेशर कुकर
16. टेबल लैप
17. बल्लेबाज
18. मटका
19. गाड़ी
20. बैटरी-टॉर्च
21. सूरजमुखी
22. गेहूँ की बाली
23. सब्जियों की टोकनी
24. हार
25. अंगूठी
26. बैच
27. गैस सिलेन्डर
28. पीपल का पत्ता
29. हारमोनियम
30. हस्तचलित पम्प
31. हाथ चक्की
32. डबल रोटी
33. मेज
34. ब्रीफ केस
35. मोमबत्तियाँ
36. गैस स्टोव
37. दरवाजा
38. ब्रुश
39. बल्ला
40. जग
41. वायलिन
42. बेलन

11. स्कूटर
12. जीप
13. ब्लैक बोर्ड
14. टेलीफोन
15. टेलीविजन
16. कप और प्लेट
17. बरगद का पेड़
18. लेटर बाक्स (पत्र पेटी)
19. अलमारी
20. हाकी और गेंद
21. डीजल पम्प
22. दो तलवार और एक ढाल
23. डोली
24. फलों सहित नारियल का पेड़
25. कैची
26. बाल्टी
27. कमीज
28. फ्राक
29. केतली
30. लेडी पर्स
31. भोंपू
32. सेव
33. फसल काटता हुआ किसान
34. प्रेस

हस्ता/-
(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

हस्ता/-
(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 523, दिनांक 14 अक्टूबर 2009 में प्रकाशित]

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2009

क्र. 136 एफ-1-98-2004-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 14 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 42 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“42 क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें.—नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर सकेगा कि विनिर्दिष्ट बाडों में मतदान मशीनों द्वारा मत देना और मत अभिलिखित करना उसी रीति में किया जाएगा जैसा कि इसके पश्चात् यथा विहित है.

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए “मतदान मशीन” से अभिप्रेत है कोई मशीन या संयंत्र जो इलेक्ट्रॉनिकली या अन्यथा चलाया जाता है, का उपयोग मत देने और अभिलिखित करने में किया जाता है और नियमों में मतपेटी या मतपत्र के बारे में अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब भी निर्वाचन में ऐसी मतदान मशीन का उपयोग किया जाए, ऐसी मतदान मशीन के संदर्भ को सम्मिलित करते हुए अर्थ लगाया जाएगा.”.

(2) अध्याय-सात के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

अध्याय सात-क

मतदान मशीनों द्वारा मतदान

63 क. मतदान मशीन की डिजाइन.—प्रत्येक मतदान मशीन में एक कन्ट्रोल यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी डिजाइन की होगी जैसा कि निर्वाचन आयोग अनुमोदित करे.

63 ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—(1) मतदान मशीन की मतदान इकाई में ऐसा विवरण और ऐसी भाषा या भाषाएं अन्तर्विष्ट होंगी जैसी कि निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करें.

(2) मतदान इकाई पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम में वे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में आए हों.

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम एक जैसे हैं, तो वे उनके उपनाम के अतिरिक्त पिता का नाम, आजीविका या निवास जोड़ने के द्वारा या अन्य रीति से सुभिन्न किए जाएंगे.

(4) इन नियमों के पूर्वगामी उपबंधों के अध्याधीन रिटर्निंग आफिसर —

(क) मतदान यूनिट में, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लेबल के नाम और प्रतीक रहेंगे, चिपकाएगा और उस यूनिट को अपनी सील तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या उनके लेबल निर्वाचन अधिकर्ता जो वहां उपस्थित हों और जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों उनकी सील लगाकर सुरक्षित करेगा;

- (ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या क्रमांकित (समुच्चय) करेगा और नियंत्रण यूनिट में अभ्यर्थी सेट सेक्शन बंद करेगा और अपनी सील तथा चुनाव लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अधिकर्ता जो उपस्थित हों, जो अपनी सील लगाना चाहते हों, सुरक्षित करेगा।

63 ग. मतदान केन्द्र पर इंतजाम.—(1) प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर प्रमुख रूप से यह प्रदर्शित करेगा —

- (क) मतदान क्षेत्र जिसके मतदाता (इलेक्टर) मतदान केन्द्र पर मतदान करने के पात्र हैं और जब मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हों, इस प्रकार पात्र मतदाताओं की विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस; और
- (ख) चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति।

(2) प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक या एक से अधिक मतदान कक्ष होंगे जिनमें अपना मत निर्वाद रूप से अभिलिखित कर करेंगे।

(3) रिटर्निंग आफीसर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसी संख्या में मतदान मशीनों को उपलब्ध कराएगा जिससे वार्ड के समस्त चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अपेक्षित विशिष्टियाँ और प्रादर्श और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग और अन्य ऐसी चुनाव सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हों समायोजित कर सके और मतदान केन्द्र पर एक से अधिक मशीन उपलब्ध करने के मामले में वे एक दूसरे से संसक्त होंगी जिससे वे उस मतदान केन्द्र पर एक ही मतदान इकाई बनायें।

(4) उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिटर्निंग आफीसर निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से उसी परिसर में अवस्थित दो या दो से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामूहिक वोटिंग मशीन का उपबंध कर सकेंगे।

63.घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश.—पीठासीन अधिकारी मतदाताओं की ऐसी संख्या को नियमित करेगा जिसमें वे मतदान केन्द्र के भीतर किसी एक समय में मतदाता प्रवेश कर सकेंगे और वहां से निम्न को अपवर्जित करते हुए सभी अन्य व्यक्तियों को अलग कर देगा।

- (क) मतदान अधिकारों;
- (ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्य पर उपस्थित लोक सेवक;
- (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;
- (घ) अभ्यर्थीगण, उनके निर्वाचन अधिकर्तागण और नियम 34 के उपबंधों के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अधिकर्ता;
- (ङ) किसी मतदाता के साथ गोद वाला बालक;
- (च) अंधे या विकलांग मतदाता जो बिना सहायता के चल नहीं सकता, के साथ एक, और
- (छ) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे रिटर्निंग आफीसर या पीठासीन अधिकारी नियम 63च के उपनियम (2) या नियम 63छ के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे।

63 ड. मतदान के लिये मतदान मशीन का तैयार किया जाना.—(1) मतदान केन्द्र पर उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक लेबल रहेगा जिसमें लिखा रहेगा —

- (क) अनुक्रमांक, यदि कोई हो, और वार्ड का नाम;
- (ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के, सरल क्रमांक और मतदान केन्द्र का नाम;
- (ग) यूनिट का अनुक्रमांक; और
- (घ) मतदान की तारीख।

(2) मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले पीठासीन अधिकारी, उपस्थित मतदान एजेंट तथा अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही किसी मतदाता का कोई मत अभिलिखित नहीं है और इस मशीन पर, नियम 63-ख के उपनियम (4) में निर्दिष्ट (लेबल) नामपत्र लगा है।

(3) मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिये कागज की एक सील का उपयोग किया जायेगा और पीठासीन अधिकारी कागज की सील पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उपस्थित मतदान एजेंट के भी हस्ताक्षर कराएंगे यदि वे इच्छुक हों।

(4) इसके पश्चात् पीठासीन अधिकारी इस तरह हस्ताक्षरित कागज की सील को वोटिंग मशीन की नियंत्रण यूनिट में उसके लिए आशयित स्थान पर लगा देंगे और उसे सुरक्षित कर उसे सील करेंगे।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की गई सील ऐसी रीति में लगाई जाएगी कि यूनिट सील होने के पश्चात् बिना सील तोड़े “परिणाम बटन” दबाया जाना संभव नहीं हो।

(6) नियंत्रण यूनिट बंद की जाकर सुरक्षित की जाएगी और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अभिकर्ताओं के बिलकुल सामने रखी जाएगी तथा मतदान यूनिट मतदान कक्ष में रखी जायेगी।

63 च. महिला मतदाताओं के लिये सुविधाएं.—(1) जहां मतदान केन्द्र पुरुष तथा महिला दोनों मतदाताओं के लिये हों, वहां पीठासीन अधिकारी यह निर्देश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से महिलाओं तथा पुरुषों की पृथक्-पृथक् टोलियों में घुसने दिया जाए।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन अधिकारी किसी महिला को, महिला मतदाताओं की सहायता करने के लिए और महिला मतदाताओं के बाबत् मतदान करने में साधारणतः पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी महिला मतदाता की, उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, यदि आवश्यक हो, सहायिका के रूप में सेवा के लिए किसी मतदान केन्द्र में नियुक्त कर सकेगा।

63. छ. मतदाताओं की पहचान.—(1) पीठासीन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, मतदान केन्द्र में मतदाताओं की पहचान करने में मदद करने के लिए या मतदान में अन्यथा उसे सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा।

(2) जैसे-जैसे प्रत्येक मतदाता मतदान केन्द्र में प्रवेश करे, वैसे-वैसे पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत मतदान अधिकारी, मतदाता के नाम और विशिष्टियों को मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टियों से मिलाएगा और तब वह मतदाता का क्रमांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा।

(3) मतपत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार विनिश्चय करने में यथास्थित, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी मतदाता सूची में की गई मात्र कोई लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही मतदाता है जिससे ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है।

63 ज.—निर्वाचन कर्तव्य पर कार्यरत लोक सेवाकों के लिये सुविधाएं.—नियम 63 में यथा उपबंधित, निर्वाचन कर्तव्य पर उपस्थित व्यक्ति प्ररूप क्रमांक 19 में एक आवेदन रिटर्निंग आफिसर को भेज सकेगा, जो उसे कम से कम मतदान तिथि से 7 दिन पूर्व प्राप्त हो और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर यदि रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट है तो रिटर्निंग आफिसर —

(क) उस पर प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा;

(ख) प्रमाण-पत्र में लिखे हुए उस व्यक्ति का नाम और मतदाता नामावली के अनुक्रमांक की प्रविष्टि, मतदाता नामावली की चिन्हित की हुई प्रति के अंत में करेगा; और

(ग) उसे उसी रीति में अपना मतदान करने की अनुज्ञा देगा जैसे मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान करने का पात्र हो।

63 झ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप.—(1) मतदान अभिकर्ता विशिष्ट मतदाता होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन अधिकारी के पास नकद पांच रुपये की राशि पहले निक्षेप करके, कर सकेगा।

(2) पीठासीन अधिकारी ऐसे निक्षेप किये जाने पर —

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत् ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिये शास्ति की चेतावनी देगा;

(ख) मतदाता सूची में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है;

- (ग) अभ्याक्षेपित मतों की सूची प्ररूप 15 में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; और
 - (घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे का निशान लगाने की उससे अपेक्षा करेगा.
- (3) पीठासीन अधिकारी तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए —
- (क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें;
 - (ख) जिस व्यक्ति बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है, उसकी अनन्यता सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा; और
 - (ग) जिस व्यक्ति बाबत् अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रत्याशा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा.

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन अधिकारी का विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा.

(5) यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छतापूर्ण है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप शासन के पक्ष में समपहृत कर दिया जाय और अन्य दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा.

63 ज. दूसरे व्यक्ति द्वारा वास्तविक व्यक्ति बनने के विरुद्ध सुरक्षा उपाय.—(1) प्रत्येक मतदाता, जिसकी पहचान के बाबत् यथास्थिति, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को करने देगा तथा नाखून के मूल के यथासंभव निकटम स्थान पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाने देगा जिससे कि स्याही नाखून के मूल और त्वचा की कोर पर फैल सके.

(2) यदि कोई मतदाता, उपनियम (1) के अनुसार अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण कराने या इसे चिन्हित कराने से इंकार करता है या उसकी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिन्ह पहले से ही विद्यमान है या वह ऐसे स्याही चिन्ह को हटाने का कोई कृत्य करता है, तो उसे मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(3) इस नियम में मतदाता की बाईं दर्जनी के प्रति किसी निर्देश से, उस दशा में जिसमें मतदाता की बाईं तर्जनी नहीं है, यह समझा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी अन्य अंगुली के प्रति निर्देश है और जहां उसके बाएं हाथ की सभी उंगलियां न हो, वहां यह समझा जाएगा कि यह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति है और जहां उसके दोनों हाथों की सभी उंगलियां न हो वहां यह समझा जाएगा कि वह उसकी बाईं या दाहिने भुजा के ऐसे अग्रतन भाग के प्रति निदेश है, जो वह धारण करता हो.

63 ट. मतदान मशीन द्वारा मतदान की प्रक्रिया.—(1) मतदाता को मतदान करने की अनुमति देने के पहले मतदान अधिकारी —

- (क) मतदाता की निर्वाचक नामावली की मार्क वाली प्रति में नियम 50 (4) (क) में यथा उपबंधित मतदाता क्रमांक मतदाता रजिस्टर में दर्ज करेगा;
- (ख) मतदाता रजिस्टर में मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेंगे; और
- (ग) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मतदाता के नाम पर चिन्ह लगाएगा जिससे यह पता चलेगा कि उसे मत देने की अनुमति दी गई है :

परन्तु किसी भी मतदाता को तब तक मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उसका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान मतदाता रजिस्टर पर प्राप्त न कर लिया गया हो.

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि मतदाता रजिस्टर पर मतदाता के अंगूठा निशान का सत्यापन करे.

63 ठ. मतदान केन्द्र के भीतर मतदाता द्वारा और मतदान प्रक्रिया में मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना.— (1) प्रत्येक मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति दी गई है मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए एतदपश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा.

(2) मतदान की अनुमति मिलते ही मतदाता, पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी जो कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट प्रभारी हैं, के पास जाएगा जो समुचित बटन दबाकर मतदाता को मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट चालू कर देगा.

(3) इसके बाद मतदाता तुरंत —

(क) मतदान कक्ष में पहुंचेगा;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने वाली मतदान यूनिट पर बटन को दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा जिसके लिए मतदान करने का उसका इरादा है;

(ग) मतदान कक्ष के बाहर आएगा और मतदान केन्द्र से चला जाएगा.

(4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलंब किए बिना मतदान करेगा.

(5) किसी मतदाता को मतदान कक्ष के भीतर प्रवेश करने की अनुमति उस समय नहीं दी जाएगी जब दूसरा मतदाता भीतर हो.

(6) यदि कोई मतदाता जिसे मतदान करने की अनुमति मिल गई हो, पीठासीन अधिकारी के नियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की चेतावनी देने के बाद भी मतदान करने से इंकार करता है तब पीठासीन अधिकारी के निर्देश के बाद ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नहीं होगी.

(7) जब किसी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाती तब इस बाबत कि मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है मतदान रजिस्टर में उस मतदाता के नाम के सामने एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी और जिसमें उनके हस्ताक्षर होंगे.

63 ड. नेत्रहीन या अशक्त मतदाताओं के मतदान का अभिलिखित किया जाना.—(1) यदि पीठासीन अधिकारी का समाधान हो जाए कि अंधेपन या अन्य किसी शारीरिक अशक्तता के कारण कोई मतदाता, मतदान मशीन की मतदान यूनिट प्रतीक की पहचान करने में असमर्थ है या बिना सहायता समुचित बटन दबाकर अपना मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ है, तब पीठासीन अधिकारी उसे अनुमति देगा कि वह अपना एक साथी जिसकी उम्र उठारह वर्ष से कम न हो अपनी ओर से उसकी इच्छा के अनुसार मतदान अभिलिखित करने के लिए मतदान कक्ष तक ले जा सकेगा :

परन्तु किसी मतदान केन्द्र पर उसी दिन एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि इस नियम के अंतर्गत जिस दिन किसी व्यक्ति के साथी के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए तब पहले उसे यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा मतदाता की ओर से अभिलिखित किए जाने वाले मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी दूसरे मतदान केन्द्र पर किसी मतदाता के साथी के रूप में काम नहीं किया है.

(2) पीठासीन अधिकारी इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 16 में रखेगा.

63 ढ. निविदत्त मत.—(1) यदि कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पहले ही मतदान कर चुका हो उसके बाद कोई दूसरा व्यक्ति स्वयं को वह मतदाता विशेष बताकर मतदान करने आता है तब वह उसकी पहचान से संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने के बाद मतदान यूनिट द्वारा मतदान करने की अनुमति देने के स्थान पर उसे निविदत्त मतपत्र दिया जायेगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और उसका विवरण ऐसी भाषा में या भाषाओं में होगा जिसे निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे.

(2) ऐसे प्रत्येक मतदाता को निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पहले प्ररूप 17 में उसके संबंध में प्रविष्टि के सामने अपना नाम लिखना होगा.

(3) मतपत्र प्राप्त करते ही तुरंत उसे —

- (क) मतदान कक्ष में जाना होगा;
- (ख) वहां मतपत्र पर इस प्रयोजन हेतु दिए गए उपकरण या वस्तु द्वारा क्रॉस का चिन्ह "x" अभ्यर्थी के प्रतीक पर या निकट लगाकर जिसको मत देने का इरादा है अपना मतदान अभिलिखित करेगा;
- (ग) मतपत्र इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाए;
- (घ) यदि आवश्यक हो, तब मतपत्र पर विशिष्ट मार्क पीठासीन अधिकारी को दिखाएगा;
- (ङ) इसे पीठासीन अधिकारी को देगा जो इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर रखे गए लिफाफे में रखेगा; और
- (च) मतदान केन्द्र के बाहर चला जाएगा.

(4) यदि नेत्रहीन या शारीरिक अक्षमता के कारण ऐसा मतदाता बिना सहायता के मतदान अभिलिखित करने में असमर्थ रहता है तब पीठासीन अधिकारी उसे उसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा नियम 33-ड में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए एक साथी ले जाने की अनुमति देगा जो उसकी इच्छा के अनुसार उसका मत अभिलिखित करेगा.

63 ग. मतदान की अवधि में पीठासीन अधिकारी का मतदान कक्ष में प्रवेश.—(1) पीठासीन अधिकारी जब कभी वह आवश्यक समझे, मतदान की अवधि में मतदान कक्ष में प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे कदम उठा सकेगा जिससे यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो कि मतदान यूनिट में छेड़छाड़ नहीं की गई है या किसी अन्य प्रकार से बाधा नहीं पहुंचाई गई है.

(2) यदि पीठासीन अधिकारी को यह संदेह हो कि कोई मतदाता जो मतदान कक्ष में प्रवेश कर चुका है वह मतदान यूनिट में छेड़छाड़ कर रहा है या कोई बाधा डाल रहा है या मतदान कक्ष के भीतर अनावश्यक लम्बी अवधि तक है तब वह मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जो मतदान की प्रगति साधारणतया शांतिपूर्ण और नियमानुसार रहे यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक हो.

(3) पीठासीन अधिकारी जब कभी इस नियम के अधीन मतदान कक्ष में प्रवेश करेगा तो वह मतदान अधिकर्ता को, जो उपस्थित हों, यदि वे वांछा करें तो साथ चलने की अनुमति देगा.

63 त. मतदान का बंद किया जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी, मतदान बंद करने के नियत समय पर मतदान केन्द्र बंद कर देगा और उसके बाद किसी मतदाता को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा :

परंतु सभी मतदाता जो मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होते समय उपस्थित हों उन्हें अपना मतदान करने की अनुमति दी जाएगी.

(2) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या कोई मतदाता मतदान केन्द्र पर मतदान समाप्त होने के पहले उपस्थित था तब इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा.

63 थ. अभिलिखित मतों का लेखा.—पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्त होने पर प्ररूप 18 में अभिलिखित मतों का लेखा तैयार करेगा और इसे अलग लिफाफे में रख कर उसके ऊपर "अभिलिखित मतों का लेखा" लिखेगा.

63 द. मतदान के बाद मतदान मशीन का सीलबंद किया जाना.—(1) यथासाध्यशीघ्र मतदान बंद होने के बाद पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाद में मतदान अभिलिखित न हो सके नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा और मतदान यूनिट कंट्रोल यूनिट से अलग कर देगा.

(2) कन्ट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट इसके बाद सीलबंद कर दिए जाएंगे और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हें ऐसी रीति में अलग-अलग सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रखने वाली सील ऐसी चिपकाई जाएगी कि बिना सील तोड़े यूनिट का खोलना संभव नहीं होगा.

(3) मतदान अधिकर्ता जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों जो अपनी सील लगाने के इच्छुक हों, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.

63 ध. अन्य पैकेटों का सीलबंद किया जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी तब अलग-अलग पैकेट बनाएगा —

- (क) मतदाता सूची की मार्क की हुई प्रति;
- (ख) मतदाता रजिस्टर;
- (ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट करने वाला लिफाफा;
- (घ) चुनौती दिए गए मतों की सूची;
- (ङ) शेष बचे हुए निविदत्त मतपत्र जो काम नहीं आए; और
- (च) कोई अन्य कागजात, जिन्हें सीलड पैकेट में रखने का निर्वाचन आयोग का निदेश हो.

(2) ऐसा प्रत्येक पैकेट पीठासीन अधिकारी की सील द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अधिकर्ता या मतदान अधिकर्ता की, जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और जो अपनी सील लगाने का इच्छुक हो उनकी सील लगाकर सीलबंद किए जाएंगे.

63 न. मतदान मशीनें आदि रिटर्निंग आफिसर को भेजा जाना.—(1) पीठासीन अधिकारी इसके बाद ऐसे स्थान पर रिटर्निंग आफिसर को मतदान मशीन सौंप देगा या सौंपने के लिए भेज देगा, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर निदेश दे.

- (क) मतदान मशीन;
- (ख) अभिलिखित मतों का लेखा;
- (ग) नियम 63-ध में निर्दिष्ट सीलड बंद पैकेट्स; और
- (घ) सभी अन्य कागजात जिनका उपयोग मतदान में हुआ है.

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेट्स तथा अन्य कागजातों को मतगणना प्रारंभ होने तक के लिये सुरक्षित में रखे जाने के लिये सुरक्षित परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था करेगा.

63 प. मतदान स्थगित करने की प्रक्रिया.—यदि किसी निर्वाचन में आपातकालीन स्थिति में मतदान स्थगित हो जाता है तो नियम 60 और 61 में उपबंधित प्रक्रिया अपनाई जायेगी.

63 फ. बूथ पर कब्जा करने की स्थिति में मतदान मशीन को बंद किया जाना.—जहां पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि मतदान केन्द्र पर या मतदान हेतु नियत किसी स्थान पर, जो बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, तो वह तुरन्त मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट बंद कर देगा ताकि यह सुनिश्चित हो जाये कि आगे कोई मतदान अभिलिखित न हो सके और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा.

(3) नियम 69 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“69 क. मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण.—(1) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का उपयोग एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर होने की भी संवीक्षा और निरीक्षण करेगा और ऐसी यूनिटों में अभिलिखित मतों की गणना एक साथ होगी.

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों की गणना के पूर्व अभ्यर्थी या उसके गणना अभिकर्ता जो गणना टेबल पर उपस्थित हों उनको निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी कि कागज की सीलें तथा ऐसी अन्य मुख्य सीलें, जो यूनिट पर लगाई होंगी उनसे वे संतुष्ट हैं कि वे ज्यों की त्यों हैं.

(3) रिटर्निंग आफिसर अपने को संतुष्ट करेगा कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ नहीं की गई है.

(4) रिटर्निंग आफिसर संतुष्ट हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वस्तुतः छेड़छाड़ की गई है तब वे उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और नियम 62 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन जहां तक वह लागू होती हो उस मतदान केन्द्र के संबंध में करेगा.

69 ख. मतों की गणना जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हुआ है.—(1) रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाने के पश्चात्, कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ नहीं की गई है तब उसमें अभिलिखित मतों की गणना समुचित बटन जिस पर मार्क “रिजल्ट” नियंत्रण यूनिट में दिया हुआ है उसे दबा कर करेगा जिससे कुल मतदान और प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त हुए मत प्रदर्शन पटल पर प्रदर्शित किए जाएंगे, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत जो यूनिट में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए हैं.

(2) जब प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट पर प्रदर्शित हो जाएंगे तब रिटर्निंग आफिसर को —

- (क) प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में अलग-अलग अभिलिखित मतों की ऐसी संख्या;
- (ख) प्ररूप 21 में गणना परिणाम पत्रक में तत्स्थानी प्रविष्टि की जायेगी और इस प्रकार प्रविष्टि इनका विवरण जो परिणाम पत्रक में दर्ज है घोषित किया जायेगा.

69 ग. मतदान मशीन को सील किया जाना.—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी बाबत नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान परिणाम सुनिश्चित होने और नियम 69 (2) के प्ररूप 21 में दर्ज होने के बाद रिटर्निंग आफिसर अपनी सील से पुनः यूनिट सील बंद करेगा और ऐसे अभ्यर्थीगण या उसके निर्वाचन अभिकर्तागण जो वहां उपस्थित हों और अपनी-अपनी सीलें उस पर लगाने के इच्छुक हों, वे अपनी-अपनी सीलें लगायेंगे और सीलें इस तरह लगाई जाएगी कि मतदान परिणाम जो यूनिट में अभिलिखित हैं मिटने न पाये और यूनिट में ऐसे परिणाम की मेमोरी बनी रहे.

(2) इस प्रकार सीलबंद नियंत्रक यूनिट विशेष तौर से बनाई गई पेटी में रखी जायेगी जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विवरण अभिलिखित करेगा, अर्थात् :—

- (क) वार्ड का नाम;
- (ख) मतदान केन्द्र या केन्द्रों जहां नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का उपयोग हुआ है का विवरण;
- (ग) नियंत्रण (कंट्रोल) यूनिट का अनुक्रमांक;
- (घ) मतदान की तारीख; और
- (ङ) मतगणना की तारीख.”.

No. 136-F.No.-1-98-2004-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 read with section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of section 32 read with section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the

State Government, in consultation with the State Election Commission, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) After rule 42, the following rule shall be inserted, namely :—

“42 A. Voting Machines at Elections.—Notwithstanding anything contained in the Rules, the State Election Commission may order that in specified wards, the giving and recording of votes shall be by voting machines in the manner as prescribed hereafter.

Explanation.—For the purpose of this rule “Voting Machines” means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise, used for giving and recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in the rules shall save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used in the election.”.

- (2) After Chapter VII, the following chapter shall be inserted, namely :—

“CHAPTER VII-A

Voting By Voting Machines

63 A. **Design of voting machines.**—Every voting machine shall have a control unit and a balloting unit and shall be of such design as may be approved by the Election Commission.

63 B. **Preparation of voting machine by the returning officer.**—(1) The balloting unit of the voting machine shall contain such particulars and in such language as the Election Commission may specify.

(2) The names of the candidates shall be arranged on the balloting unit in the same order in which they appear in the list of the contesting candidates.

(3) If two or more candidates bear the same name, they shall be distinguished by the addition of their surname, father's name, occupation or residence or in some other manner.

- (4) Subject to the foregoing provisions of this rule, the returning officer shall —

- (a) fix the label containing the names and symbols of the contesting candidates in the balloting unit and secure that unit with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.
- (b) set the number of contesting candidates and close the candidate set section in the control unit and secure it with his seal and the seals of such of the contesting candidates or their election agents present as are desirous of affixing the same.

63 C. **Arrangements at the polling stations.**—(1) Outside each polling station there shall be displayed prominently —

- (a) a notice specifying the polling area, the electors of which are entitled to vote at the polling station and when the polling area has more than one polling station, the particulars of the electors so entitled; and
- (b) a copy of the list of contesting candidates.

(2) At each polling station there shall be set up one or more voting compartments in which the electors can record their votes free from observation.

(3) The returning officer shall provide at each polling station such number of voting machines so as to accommodate and exhibit required particulars of all the contesting candidates of a ward and copies of relevant part of the electoral roll and such other election material as may be necessary for taking the poll and in case more than one machine are provided at a polling station, they shall be connected with each other so as to form it a single balloting unit at that polling station.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) the returning officer may, with the previous approval of the Election Commission, provide one common voting machine for two or more polling stations located in the same premises.

63 D. Admission to polling stations.—The presiding officer shall regulate the number of electors, to be admitted at any one time inside the polling station and shall exclude therefrom all persons other than —

- (a) polling officers;
- (b) public servants on duty in connection with election;
- (c) persons authorised by the election Commission;
- (d) candidates, their election agents and subject to the provisions of rule 34, one polling agent of each candidate;
- (e) a child in arms accompanying an elector;
- (h) a person accompanying a blind or infirm elector who cannot move without help; and
- (g) such other person as the returning officer or the presiding officer may employ under sub-rule (2) of rule 63 F or sub-rule (1) of rule 63 G.

63 E. Preparation of voting machine for poll.—(1) The control unit and balloting unit of every voting machine used at polling station shall bear a label marked with —

- (a) the serial number, if any and the name of the ward;
- (b) the serial number and name of the polling station or stations, as the case may be;
- (c) the serial number of the unit; and
- (d) the date of poll.

(2) Immediately before the commencement of the poll, the presiding officer shall demonstrate to the polling agents and other persons present that no voter has been already recorded in the voting machine and it bears the label referred to in sub-rule (4) of rule 63 B.

(3) A paper seal shall be used for securing the control unit of the voting machine and the presiding officer shall affix his own signature on the paper seal and obtain thereon the signature of such of the polling agents present as are desirous of affixing the same.

(4) The presiding officer shall thereafter fix the paper seal so signed in the space meant therefor in the control unit of the voting machine and shall secure and seal the same.

(5) The seal used for securing the control unit shall be fixed in such manner that after the unit has been sealed, it is not possible to press the "Result Button" without breaking the seal.

(6) The control unit shall be closed and secured and placed in full view of the presiding officer and the polling agents and the balloting unit placed in the voting compartment.

63 F. Facilities for women electors.—(1) Where a polling station is for both man and woman electors, the presiding officer may direct that they shall be admitted into the polling station alternately in separate batches.

(2) The returning officer or the presiding officer may appoint a woman to serve as an attendant at any polling station to assist woman electors and also to assist the presiding officer generally in taking the poll in respect of woman electors and in particular, to help frisking any woman elector in case it becomes necessary.

63 G. Identification of electors.—(1) The presiding officer may employ at the polling station such person as he thinks fit to help in the identification of the electors or to assist him otherwise in taking the poll.

(2) As each elector enters the polling station, the presiding officer or the polling officer authorised by him in this behalf shall check the elector's name and other particulars with the relevant entry in the electoral roll and then call out the serial number, name and other particulars of the elector.

(3) In deciding the right of a person to cast his vote, the presiding officer or the polling officer, as the case may be, shall overlook the clerical or printing errors in an entry in the electoral roll if he is satisfied that such person is identical with the elector to whom such entry relates.

63 H. Facilities for public servants on election duty.—A person on election duty as provided in rule 63 may send an application in Form No. 19 to the Returning Officer so as to reach him at least 7 days before the date of poll and on receiving such application if the Returning Officer is satisfied, the Returning Officer shall —

- (a) obtain thereon, the signature of the person producing it;
- (b) have the person's name and electoral roll number as mentioned in the certificate entered at the end of the marked copy of the electoral roll; and
- (c) Permit him to cast his vote in the same manner as for an elector entitled to vote at that polling station.

63 I. Challenging of identity.—(1) Any polling agent may challenge the identity of a person claiming to be a particular elector by first depositing a sum of five rupees in cash with the presiding officer for each such challenge.

(2) On such deposit being made, the presiding officer shall—

- (a) warn the person challenged of the penalty for personation;
- (b) read the relevant entry in the electoral roll in full and ask him whether he is the person referred to in that entry;
- (c) enter his name and address in the list of challenged votes in Form 15; and
- (d) require him to affix his signature in the said list.

(3) The presiding officer shall thereafter hold a summary inquiry into the challenge and may for that purpose—

- (a) require the challenger to adduce evidence in proof of the challenge and the person challenged to adduce evidence in proof of his identity;
- (b) put to person challenged any question necessary for the purpose of establishing his identity and require him to answer them on oath; and
- (c) administer an oath to the person challenged and any other person offering to give evidence.

(4) If, after the inquiry, the presiding officer considers that the challenge has not been established, he shall allow the person challenged to vote and if he considers that the challenge has been established, he shall debar the person challenged from voting.

(5) If the presiding officer is of the opinion that the challenge is frivolous or has not been made in good faith, he shall direct that the deposit made under sub-rule (1) be forfeited to Government and in any other case, return to the challenger at the conclusion of the inquiry.

63 J. Safeguards against personation.—(1) Every elector about whose identity the presiding officer or the polling officer, as the case may be, is satisfied, shall allow his left forefinger to be inspected by the presiding officer or polling officer and an indelible ink mark to be put on it.

(2) If any elector refuses to allow his left forefinger to be inspected or marked in accordance with sub-rule (1) or has already such a mark on his left forefinger or does any act with a view to removing the ink mark, he shall not be allowed to vote.

(3) Any reference in this rule to the left forefinger of an elector shall, in the case where the elector has his left forefinger missing, be construed as a reference to any other finger of his left hand and shall, in the case where all the fingers of his left hand are missing, be construed as a reference to the forefinger or any other finger of his right hand and shall, in the case where all his fingers of both the hands are missing, be construed as a reference to such extremity of his left or right arm as he possesses.

63 K. Procedure for voting by voting machines.—(1) Before permitting an elector to vote, the polling officer shall —

- (a) record the electoral roll number of the elector as entered in the marked copy of the electoral roll in a register of voters as provided in rule 50 (4) (a);
- (b) obtain the signature or the thumb impression of the elector on the said register of voters; and
- (c) mark the name of the elector in the marked copy of the electoral roll to indicate that he has been allowed to vote :

Provided that no elector shall be allowed to vote unless he has his signature or thumb impression on the register of voters.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule for the time being in force, it shall not be necessary for any presiding officer or polling officer or any other officer to attest the thumb impression of the elector on the register of voters.

63 L. Maintenance of secrecy of voting by electors within the polling station and voting procedures.—

(1) Every elector who has been permitted to vote shall maintain secrecy of voting within the polling station and for that voting procedure hereinafter laid down.

(2) Immediately on being permitted to vote, the elector shall proceed to the presiding officer or the polling officer in charge of the control unit of the voting machine who shall, by pressing the appropriate button on the control unit, activate the balloting unit for recording of elector's vote.

(3) The elector shall thereafter forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record his vote by pressing the button on the balloting unit against the name and symbol of the candidate for whom he intends to vote; and
- (c) come out of the voting compartment and leave the polling station.

(4) Every elector shall vote without undue delay.

(5) No elector shall be allowed to enter the voting compartment when another elector is inside it.

(6) If an elector who has been permitted to vote, refuses, after warning given by the presiding officer to observe the procedure laid down in the rules, the presiding officer or a polling officer under the direction of the presiding officer shall not allow such elector to vote.

(7) Where an elector is not allowed to vote, a remark to the effect that voting procedure has been violated shall be made against the elector's name in the register of voters by the presiding officer under his signature.

63 M. Recording of votes of blind or infirm electors.—(1) If the presiding officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmities an elector is unable to recognize the symbol on the balloting unit of the voting machine or unable to record his vote by pressing the appropriate button thereon without assistance, the presiding officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote on his behalf and in accordance with his wishes :

Provided that no person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day :

Provided further that before any person is permitted to act as the companion of an elector on any day under this rule, that person shall be required to declare that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any other polling station on that day.

(2) The presiding officer shall keep a record in Form 16 of all cases under this rule.

63 N. Tendered votes.—(1) If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be, instead of being allowed to vote through the balloting unit, supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify.

(2) Every such elector shall, before being supplied with tendered ballot paper, write his name against the entry relating to him to Form 17.

(3) On receiving the ballot paper, he shall forthwith—

- (a) proceed to the voting compartment;
- (b) record there his vote on the ballot paper by placing a cross mark 'x' with the instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote;
- (c) fold the ballot paper so as to conceal his vote;
- (d) show to the presiding officer, if required, the distinguishing mark on the ballot paper;
- (e) give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose; and
- (f) leave the polling station.

(4) If, owing to blindness or physical infirmities, such elector is unable to record his vote without assistance, the presiding officer shall permit him to take with him a companion, subject to the same condition and after following the same procedure as laid down in rule 63 M for recording the vote in accordance with his wishes.

63 O. Presiding Officer's entry in the voting compartment during poll.—(1) The presiding officer may, whenever he considers it necessary to do so, enter the voting compartment during poll and take such steps as may be necessary to ensure that the balloting unit is not tampered or interfered with in any way.

(2) If the presiding officer has reason to suspect that an elector who has entered the voting compartment is tampering or otherwise interfering with the balloting unit or has remained inside the voting compartment for unduly long period, he shall enter the voting compartment and take such steps as may be necessary to ensure the smooth and orderly progress of the poll.

(3) Whenever the presiding officer enters the voting compartment under this rule, he shall permit the polling agents present to accompany him if they so desire.

63 P. Closing of poll.—(1) The presiding officer shall close a polling station at the hour fixed in that behalf and he shall not thereafter admit any elector into the polling station :

Provided that all electors present at the polling station before it is closed shall be allowed to cast their votes.

(2) If any question arises whether an elector was present at the polling station before it was closed, it shall be decided by the presiding officer and his decision shall be final.

63 Q. Account of votes recorded.—The presiding officer shall, at the close of the poll, prepare an account of votes recorded in form 18 and enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded" superscribed thereon.

63 R. Sealing of voting machine after poll.—(1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(2) The control unit and the balloting unit shall thereafter be sealed and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.

(3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.

63 S. Sealing of other packets.—(1) The presiding officer shall, then, make into separate packets —

- (a) the marked copy of the electoral roll;
- (b) the register of voters;
- (c) the cover containing the tendered ballot papers;
- (d) the list of challenged votes;
- (e) the unused ballot papers kept for issue as tendered ballot paper; and
- (f) any other papers directed by the Election Commission to be kept in a sealed packet.

(2) Each such packet shall be sealed with the seal of the presiding officer and with the seal either of the candidate or of his election agent or of his polling agent who may be present at the polling station and may desire to affix his seal thereon.

63 T. Transmission of voting machines etc. to the returning officer.—(1) The presiding officer shall then deliver or cause to be delivered to the returning officer, at such place as the returning officer may direct.

- (a) the voting machine;
- (b) the account of votes recorded;
- (c) the sealed packets referred to in rule 63 S; and
- (d) all other papers used at the poll.

(2) The returning officer shall make adequate arrangements for the safe transport of the voting machine, packets and other papers for the safe custody until the commencement of the counting of votes.

63 U. Procedure of adjournment of poll.—(1) If at any election the polling is adjourned in emergency the procedure provided in rule 60 and 61 shall be followed.

63 V. Closing of voting machine in case of booth capturing.—Where the presiding officer is of opinion that booth capturing is taking place at a polling station or at a place fixed for the poll, he shall immediately close the control unit of the voting machine to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit.

(3) After rule 69, the following rule shall be inserted, namely :—

“69 A. Scrutiny and inspection of voting machines.—(1) The Returning Officer shall have the control units of the voting machines used at more than one polling stations taken up for scrutiny and inspection and votes recorded in such units counted simultaneously.

(2) Before the votes recorded in any control unit of a voting machine are counted under sub-rule (1), the Candidate or his counting agent present at the counting table shall be allowed to inspect the paper seal and such other vital seals as might have been affixed on the unit and to satisfy themselves that the seals are intact.

(3) The returning officer shall satisfy himself that none of the voting machines have in fact been tampered with.

(4) If the returning officer is satisfied that any voting machine has in fact been tampered with, he shall not count the votes recorded in that machine and shall follow the procedure laid down in rule 62 as may be applicable in respect of the polling station where that machine was used.

69 B. Counting of votes when Electronic Voting Machine are used.—(1) After the returning officer is satisfied that a voting machine has in fact not been tampered with, he shall have the votes recorded therein counted by pressing the appropriate button marked “Result” provided in the control unit whereby the total votes polled and votes polled by each candidate shall be displayed in respect of each such candidate on the display panel provided for the purpose in the unit.

(2) As the votes casted to each candidate are displayed on the control unit, the returning officer shall have,—

- (a) the number of such votes recorded separately in respect of each candidate;
- (b) corresponding entries made in a result sheet in Form 21 and particulars so entered in the result sheet shall be announced.

69 C. Sealing of voting machines.—(1) After the result of voting recorded in the control unit has been ascertained candidate wise and entered in Form 21 under rule 69 (2), the returning officer shall reseal the unit with his seal and the seals of such of candidates or the election agents as are present who may desire to affix their seals thereon in such a way that the result of voting recorded in the unit is not obliterated and the unit retains the memory of such result.

(2) The control unit so sealed shall be kept in a specially prepared box on which the returning officer shall record the following particulars, namely :—

- (a) the name of the Ward;
- (b) the particulars of polling station or stations where the control unit has been used;
- (c) serial number of the control unit;
- (d) date of poll; and
- (e) date of counting.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राधव चन्द्रा, प्रमुख सचिव.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 217, दिनांक 28 मई 2014 में प्रकाशित]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 28 मई 2014

क्र. एफ-70-31-2014-तीन-1036.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24-क(1) (पांच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा नगरपालिका (नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्) में स्थान/ स्थानों को भरने के निर्वाचन में नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र के संबंध में निम्न निर्देश देता है:—

1. नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् के महापौर/ अध्यक्ष तथा पार्षद पद का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी दी जावेगी. इस शपथ-पत्र का प्ररूप इस आदेश के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार होगा.
2. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जायेगा. यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है तो उस कॉलम में “निरंक” शब्द अंकित किया जायेगा. रिटर्निंग आफिसर को यह जांच करनी होगी कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल करते समय शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे गए हैं या नहीं. यदि नहीं तो रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को रिक्त कॉलम भरने के लिए स्मरण करायेंगे. अभ्यर्थी द्वारा किसी भी कॉलम को रिक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए. स्मरण कराने के पश्चात् भी यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी स्तंभ को भरने में असफल होता है तो नामांकन पत्र की जांच/ संवीक्षा के समय रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन पत्र खारिज किया जायेगा.
3. उक्त शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित किया जायेगा और मजिस्ट्रेट/ शपथ आयुक्त/ नोटरी के समक्ष शपथित होगा.
4. अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन-पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्रस्तुत की जायेंगी.
5. उक्त शपथ-पत्र न दिये जाने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जावेगा.
6. अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जावेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जायेगी. तथा जरूरत पड़ने पर आयोग भी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी से ले सकेगा.

7. किसी निर्वाचक द्वारा मांग किए जाने पर शपथ-पत्र की प्रमाणित प्रति एक रुपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदाय की जायेगी.
8. यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ-पत्र में दी गई जानकारी के विरुद्ध शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जावेगी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अनुलग्नक

नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र देखिये नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 नियम-24-क(1)(पांच) (संशोधित)

कृपया अपना
नवीनतम फोटो यहां
चस्पा करें

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् के
महापौर / अध्यक्ष / पार्षद वार्ड क्रमांक के निर्वाचन के लिये.

भाग-क

मैं, पुत्र / पुत्री/ पत्नी आयु वर्ष, जो (डाक का पूरा पता लिखें) का/ की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/ करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/ करती हूं : —

- (1) मैं, (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं.
(जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम (नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर परिषद्) में वार्ड क्रमांक एवं भाग सं. के क्रम सं. पर प्रविष्ट है.
- (3) मेरा संपर्क दूरभाष/ मोबाइल नं. है/ हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है. और मेरा सोशल मीडिया खाता (यदि कोई है)

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है.	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
1.	स्वयं			
2.	पति या पत्नी			
3.	आश्रित-1			
4.	आश्रित-2			
5.	आश्रित-3			

(5) मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं.

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/ की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं.

(क)	मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/ जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे.	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की (धारा धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है.	
(ग)	न्यायालय, का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है.	

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :—

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख.	
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है.	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे.	

- (6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है.

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है.

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है.	
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें).	
(ग)	अधिरोपित दंड	
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है. यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति.	

- (7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे देता हूं :—

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1—संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण लिया जाना है.

टिप्पणी 2—जमा/विनिधान की दशा में क्र. सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं.

टिप्पणी 3—सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए.

टिप्पणी 4—यहां आश्रित का वही अर्थ है जो मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24क एवं स्पष्टीकरण :
— इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए—(पांच) के परिभाषित के अधीन स्पष्टीकरण.

टिप्पणी 5—रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं.

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी					
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा के रकम.					
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम.					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक, बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम.					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी न्यास आदि को दिए गए व्यक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम.					
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम).					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यदान वस्तु (वस्तुएं) व भार और मूल्य के ब्यौरे.					
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पणी 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है.

टिप्पणी 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्तया वर्णन किया जाना चाहिए.

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं).					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितयां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं).					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)					
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
(iv)	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं).					
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख.					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में).					
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान.					
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य					
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)					
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य.					

(8) मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :—

टिप्पणी—कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य. बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति.					
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य					
	नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति.					
	कोई अन्य दायित्व					
	दायित्वों का कुल योग					
(ii)	सरकारी शोध्य :					
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य.					
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य					
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य.					
	आय-कर शोध्य					
	धनकर शोध्य					
	सेवाकर शोध्य					
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य					
	विक्रयकर शोध्य					
	कोई अन्य शोध्य					
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग					
(vi)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन हैं, यदि हां तो अंतर्वर्लित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें.					

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं

(ख) पति या पत्नी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :—

.....
(प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें).

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिये गये ब्यौरों का उद्धरण

1.		अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु.	
2.		डाक का पूरा पता		
3.		नगरीय निकाय का नाम-जिला का नाम		
4.		उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है. (अन्यथा स्वतंत्र लिखें.)		
5.		(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं.		
		(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न.		
6.		ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दण्डित किया गया है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए.		
7.		 का स्थायी लेखा सं.	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है.	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी			
	(ख) पति या पत्नी			
	(ग) आश्रित			

8.		आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)					
क्रम संख्या		विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)					
ख.		स्थावर आस्तियां					
	I	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो).					
	III	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9		दायित्व					
	I	सरकारी शोध (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
10		ऐसे दायित्व जो विवादधीन हैं.					
	I	सरकारी शोध (कुल)					
	II	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)					
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : (प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें.					

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है. मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :—

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धी का मामला या लंबित मामले में भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है.
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की दर 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है.

आज तारीख को सत्यापित किया गया.

अभिसाक्षी

टिप्पणी 1—शपथ पत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए.

टिप्पणी 2—सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति “शून्य” या “लागू” नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए.

टिप्पणी 3—शपथ-पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 273, दिनांक 5 जुलाई 2014 में प्रकाशित]

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

अधि. क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) तथा धारा 433 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“3-क मतदाता सूची आदि तैयारी करने में पदीय कर्तव्यों का भंग.—

(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो मतदाता सूची की किसी ऐसी प्रविष्टि के पुनरीक्षण अथवा उसमें सुधार के सम्बन्ध में, जो उसमें सम्मिलित की जाना है या उसमें से अपवर्जित की जाना है, अपने ऐसे पदीय कर्तव्यों का भंग करता है जिनका कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किया जाना है, तो वह, उस दशा में, जहां कि किसी कृत्य का ऐसा भंग या लोप बिना किसी युक्तियुक्त कारण के किया गया हो, जुर्माने सहित कारावास से जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जब तक कि निर्वाचन आयोग या संबंधित जिले के कलेक्टर एवम् जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके अधीन प्राधिकार से परिवाद न किया जाए, कोई भी न्यायालय संज्ञान के बिना, दण्ड देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

2. नियम 5 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2-क) यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्रारूप मतदाता सूची पर दावे/आपत्ति प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा। यह कर्मचारी वार्ड का संदर्भ लेते हुए प्राधिकृत किया जाएगा।”

3. नियम 26 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए सम्पक् रूप से नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन या तो नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय या उसके पूर्व, रिटर्निंग आफिसर के पास निम्नांकित राशि नगद के रूप में जमा न कर दी हो, अर्थात्:—

(क) “पार्षद” के स्थान के लिए—

(एक) किसी नगरपालिका परिषद् के मामले में रु. 1000/- की धनराशि;

(दो) किसी नगरपालिका के मामले में रु. 3000/- की धनराशि;

(तीन) किसी नगरपालिका निगम के मामले में रु. 5000/- की धनराशि;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के स्थान के लिए रु. 10000/- की धनराशि;

(ग) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के स्थान के लिए रु. 15000/- की धनराशि;

(घ) किसी नगरपालिका निगम के महापौर के स्थान के लिए रु. 20000/- की धनराशि :

परन्तु जहां कोई अभ्यर्थी महिला हो या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का सदस्य हो वहां, इस नियम के अधीन उससे उपरोक्त धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप के रूप में जमा करवाया जाना अपेक्षित होगा.”.

4. अध्याय 7-क में शब्द “मतदाता-नामावली, निर्वाचक-नामावली” जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द “मतदाता सूची” स्थापित किए जाएं.
5. नियम 63-ट में उपनियम(1) में, खण्ड (क) में, शब्द अंक, कोष्ठक तथा अक्षर “50(4) (क) में यथा उपबंधित” के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर “50 (4) (क) में यथा उपबंधित, मतदाता प्ररूप 17 में मतदाता क्रमांक अभिलिखित करेगा” स्थापित किए जाएं.
6. नियम 63 ड में, उपनियम (4) में, शब्द, अंक तथा अक्षर “नियम 33-ड में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए” के स्थान पर शब्द, अंक, तथा अक्षर उसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, जो नियम 63 ड में अधिकथित है,” स्थापित किए जाएं.
7. नियम 63थ में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 18” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “प्ररूप 18क” स्थापित किए जाएं.
8. नियम 69 में, उपनियम (2) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 21” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “प्ररूप 21क” स्थापित किए जाएं.
9. नियम 69 ग में,—
 - (एक) उपनियम (1) में, शब्द तथा अंक “प्ररूप 21” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा अक्षर “प्ररूप 21-क” स्थापित किए जाएं;
 - (दो) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(3) मतदाता का डाटा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की नियंत्रण इकाई (कंट्रोल यूनिट) में दो जगह अभिलिखित होता है. एक नियंत्रण इकाई की मेमोरी में तथा दूसरा इकाई में स्थापित डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल में निर्वाचन आयोग, न्यायालयीन प्रकरणों में उपयोग के लिए, निर्वाचनों के परिणाम की घोषणा हो जाने के पश्चात् कंट्रोल यूनिट का डाटा सील करने के निदेश जारी करेगा और अभिलेख के अभाव में आगामी निर्वाचनों के लिए कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा. सील करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा अवधारित की जाएगी.”.
10. नियम 79 में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(3) यदि मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से कराया जाता है तो डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल तथा समस्त आवश्यक सामग्री ऐसी कालावधि तक रखी जाएगी जिसका कि निर्वाचन आयोग किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे.”.

11. प्ररूप 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप—17 क

[नियम 63ट का उपनियम (1) (क) देखिए]

मतदाता रजिस्टर

(जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/
नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन

क्रमांक	मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक	मतदाता द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	मतदाता के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

दिनांक:—

रिटर्निंग आफीसर के हस्ताक्षर.”

12. प्ररूप 18 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप—18 क

(नियम 63 थ देखिए)

भाग—1 अभिलिखित मतों का लेखा

(जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक से पार्श्व का निर्वाचन

मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक नियंत्रण यूनिट क्रमांक मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान मशीन का पहचान संख्यांक—मतदान यूनिट क्रमांक 1

2

प्रिन्टर क्र. (यदि प्रयुक्त हुआ है)

डिटेचेबल मेमोरी मोड्यूल का संख्यांक

1. मतदान केन्द्र में नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर में अभिलिखित मतदाताओं की कुल संख्या
3. मतदाता मशीन में अभिलिखित मतदाताओं की संख्या
4. नियम 63ठ के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या (2-3-4=5)
6. निविदत्त मतपत्रों की संख्या
क्रम संख्या
. से तक

क. प्रयोग के लिए प्राप्त

ख. निर्वाचकों को जारी किए गए

ग. प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए

7. कागज की सीलों का लेखा

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. उपयोग के लिए प्रदाय की गई कुल सं.
कागज की सीलें से तक

1

2. प्रयुक्त हुई कागज की सीलें कुल सं.
. से तक

2

3

3. रिटर्निंग आफिसर को वापस कुल सं.
की गई प्रयुक्त न की गई से तक
कागज की सीलें

4

5

4. नष्ट की गई कागज की सीलें कुल सं. क्रं. 6
यदि सं. से तक

तारीख

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

स्थान

मतदान केन्द्र क्रं.

भाग—2 प्रारम्भिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पाए गए मतों की कुल संख्या
2. इस भाग में मद 1 में दर्शाई गई मतों की कुल संख्या और भाग—1 की मद 3 में दर्शाए गए मतों की कुल संख्या में पाया गया अंतर, यदि कोई हो

तारीख

स्थान

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

नाम

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

नाम

13. प्ररूप 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्ररूप अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“प्ररूप—21 क

(नियम 69ख देखिए)

गणना का परिणाम

(जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निर्वाचन कराया जाएगा)

नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/
नगरपालिका/नगरपालिक परिषद् के वार्ड क्रमांक से पार्षद् का निर्वाचन

(महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद् के लिए पृथक्-पृथक् भरा जाए)

मतदान केन्द्र क्रमांक

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निर्वाचन नियंत्रण यूनिट के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

(क) अन्डर/नो वोटों की संख्या

(ख) अनफिनिस्ड मतों की संख्या

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी/निर्वाचन अधिकर्ता/गणना अधिकर्ता

का नाम तथा पूरे हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर (नगर निगम)

नाम

स्थान

दिनांक / /2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2014

क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 16-एफ-1-33-2013-अठारह-3, दिनांक 5 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

Bhopal, the 5th July 2014

Not. No. 16-F-1-33-2013-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 and section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, with consultation of State Election Commission, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

1. After rule 3, the following rule shall be inserted, namely:—

“3-A Breach of official duty in preparation of Voters list etc.—

- (1) If any Registration Officer, Assistant Registration Officer or any person who breaches any official duty which he has to carry out under the provisions of the said Act relating to revision or correction of any entry which has to be included or excluded from the voters list, then in case of such breach of any act or omission without any reasonable cause he shall be punished with imprisonment which shall be not less than three months, but it may be extended upto two years with fine.
- (2) Unless any complaint is made by the Election Commission or the Collector and District Electoral Officer of the district or under his authority, no court shall be able to punish under sub-rule (1) without any cognizance.”.

2. In rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2-a) Registration Officer/Assistant Registration Officer, as the case may be shall authorize an employee to receive the claim/objection on the draft voters list. This employee shall be authorized with reference to the ward.”.

3. for sub-rule (1) of rule 26, the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(1) any candidate shall not be considered duly nominated unless he has deposited the following sum of amount in cash either at the time of submitting his nomination form or before to the Returning Officer under rule 25, namely:—

- (a) For the seat of Councillor—

- (i) an amount of Rs. 1000/- in case of Municipal Council;
- (ii) an amount of Rs. 3000/- in case of Municipality;
- (iii) an amount of Rs. 5000/- in case of Municipal Corporation;

- (b) an amount of Rs. 10000/- for the position of President of Municipal Council.
- (c) an amount of Rs. 15000/- for the position of President of Municipality.
- (d) an amount of Rs. 20000/- for the position of President of Municipal Corporation:

Provided that where the candidate is a woman or a member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, it shall be desired to deposit the half of the above amount under this rule.”.

4. In Chapter-VIIA, the words “electoral roll” wherever they occur, the words “voters list” shall be substituted.
5. In rule 63K, in sub-rule (1), in clause (a), for the words, figure, brackets and letter “as provided in rule 50 (4) (a)”, the words, figure, brackets and letter “as provided in rule 50 (4) (a), the voter shall record the voter number in Form-17-A” shall be substituted.
6. In rule 63N, in sub-rule (4), for the words, figure and letter “after following the same procedure as laid down in rule 63M”, the words, figure and letter “following the same procedure as laid down in rule 63M”, shall be substituted.
7. in rule 63Q, for the word and figure “Form-18”, the word, figure and letter “Form-18-A” shall be substituted.
8. In rule 69, in Sub-rule (2), for the word and figure “Form 21”, the word and figure “Form 21-A” shall be substituted.
9. In rule 69 C,—
 - (i) in sub-rule (1), for the word and figure “Form 21”, the word, figure and letter “Form 21-A” shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(3) The data of a voter is recorded in two places in the Control Unit of Electronic voting Machine. One is recorded in the memory of Control Unit and the other one is recorded in the Detachable Memory Module established in the Unit. The Election Commission shall issue instructions to seal the data after declaration of result of elections in the Control Unit for the use of court cases and for want of record and the Control Unit and Ballot Unit shall be used for the forthcoming elections. The process of sealing shall be determined by the Commission.”.
10. In rule 79, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(3) If the polling is done by Electronic Voting Machine, then the Detachable Memory Module and all the necessary materials shall be kept for a period, as the Election Commission may instruct either by a general or special order.”.

11. After Form 17, the following Form shall be inserted, namely:—

“FORM—17-A

[see sub-rule (1) (a) of rule 63k]

VOTER REGISTER

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and Councillor from Ward No. of Municipal Council/Municipality/
Municipal Corporation

No.	Number of voter in the voters' list	The details of documents produced by the voter as a proof of his identity	Signature/Thumb impression of a voter	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Date:

signature of Presiding Officer.”.

12. After Form 18, the following Form shall be inserted, namely:—

“FORM—18-A

(see rule 63Q)

PART-1 ACCOUNT OF RECORDED VOTES

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. of Municipal Council/
Municipality/Municipal Corporation

The number and name of Polling Centre Contoral Unit No. the Identity No.
of polling machine used, Polling Unit No. 1 2 Printer No. (If used)
No. of Detachable Memory Module

1. The total number of Electoral fixed in the Polling Centre :
2. The total number of voters recorded in the Voters' Register :
3. The number of voters recorded in voting machine :
4. The number of voters who are not permitted to vote under the provisions of rule 63L. :
5. The number of voters who have decided not to poll (2-3-4=5) :
6. The number of tendered ballots :

Serial Number
Total From to

(a) Received for use :

- (b) Issued to the Electoral :
- (c) Not used and taken back :

7. Account of seals of paper

Signature of Election Agent

1. The seals of paper Total Number 1
- granted for use S. No. Fromto
2. Used seals of paper Total Number 2
- S. No. Fromto
3. The unused seals of paper returned to the 3
- Returning Officer Total Number 4
- S. No. Fromto
4. The seals of paper Total Number 5
- destroyed, if any S. No. Fromto 6

Date :

Signature of the Presiding Officer

Place:

Polling Centre No.

PART—2

RESULT OF PRELIMINARY CALCULATION

1. Total number of votes found in Electronic Voting :
- Machine used at the Polling Centre.
2. Any difference found in total number of votes shown :
- in Head-1 of this part with Head-3 of Part-1,
- if any

Date:

Signature of the Calculating Supervisor

Place:

Name

Signature of the Returning Officer
(Municipality)

Name:".

"FORM—21-A

(See rule 69B)

RESULT OF CALCULATION

(Where the polling shall be done by Electronic Voting Machine)

The election of Mayor/President and election of Councillor from Ward No. of Municipal Council/
Municipality/Municipal Corporation (To be filled in separately for Mayor/President
and Councillor).

Polling Centre No

S. No.	Name of Candidate	The number of votes received as per the Election Control Unit
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- (a) Under/Number of no, voting
(b) The number of unfinished votes.

Date:
Place

Signature of Calculating Supervisor
The name and full signature of Candidate/
Election Agent/Calculating Agent
Signature of the Returning Officer
(Municipal Corporation)

Name".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIYA, Dy. Secy.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 284, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्यप्रदेश)—462 011

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2014

क्र. एफ-67-03-2014-तीन-नपा-346.—यतः, मध्यप्रदेश राज्य में नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और, यतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अंतर्गत नगरपालिक निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए,

और, यतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अंतर्गत नगरपालिक निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी पर यह दायित्व है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करें,

और, यतः, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में धन-बल की अनिष्टकारी भूमिका से अच्छी तरह अवगत है और उसे रोकने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ यह आवश्यक और वांछनीय मानता है कि अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये जाने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा यथाशाक्य व्यापक और वास्तविक व्यय को प्रतिबिम्बित करने वाला हो.

पूर्व में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 जो की राजपत्र में भोपाल दिनांक 05 जून 1997 में प्रकाशित जारी किया था. वर्तमान में महापौर/अध्यक्ष के लिये व्यय सीमा में वृद्धि, जिसका प्रकाशन राजपत्र दिनांक 30 मई 2014 को प्रकाशित किया गया है. उक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग अपने पूर्व के आदेश निर्वाचन (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997 को अधिष्ठित करते हुए—

राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-जेड ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसरण में और निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करता है:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) संशोधित आदेश 2014 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) यह “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा,

2. परिभाषाएं और अभिव्यक्ति.—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961).

- (ख) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् में अध्यक्ष के पद के लिये कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है,
- (ग) "उप कंडिका" से अभिप्रेत है उस कंडिका की उप कंडिका, जिसमें यह शब्द आता है,
- (घ) "कंडिका" से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका,
- (ङ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है किसी नगर निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् में अध्यक्ष के पद के लिये कराये जाने वाला निर्वाचन,
- (च) "निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम में महापौर या किसी नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् में अध्यक्ष पद के लिये कराये जा रहे निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ है तथा जिसने निर्वाचन नियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है.
- (छ) "निर्वाचन व्यय" से अभिप्रेत है किसी निर्वाचन के संबंध में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत व्यय, जो उसके नामनिर्दिष्ट होने और निर्वाचन परिणाम की घोषणा तारीख के बीच (जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं) किया गया है.
- (ज) "प्रोफार्मा" से अभिप्रेत है—प्रोफार्मा "क"—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रोफार्मा "ख"—निर्वाचन व्यय का नगद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा "ग"—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर.
- (झ) प्रयुक्त किये गये उन शब्दों तथा पदों का जो इस आदेश में परिभाषित नहीं किये गये हैं, वही अर्थ होगा जो यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) या मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में उनके लिये दिया गया है.

3. निर्वाचन व्ययों के लेखे की विशिष्टियां.—अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे जाने वाले निर्वाचन व्ययों के लेखा में व्यय की एक मद की बावत् निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात्:—

1. प्रोफार्मा "क"—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर—

- (1) व्यय की तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था,
- (2) व्यय का स्वरूप (मद),

- (i) विवरण
- (ii) मात्रा
- (iii) प्रति यूनिट दर

(3) व्यय की राशि (रुपये में)

- (i) जिसका भुगतान किया गया,
- (ii) जो अभी बकाया है

(4) भुगतान की गयी राशि के मामले में,

- (i) भुगतान की तारीख
- (ii) भुगतान पाने वाले का नाम और पता
- (iii) व्हाउचर की क्रम संख्या एवं तारीख

(5) बकाया राशि के मामले में

- (i) देयक (बिल) की क्रम संख्या एवं तारीख
- (ii) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि का भुगतान किया जाना है.

(6) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि

(7) राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि एवं राजनैतिक दल का नाम

(8) अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय किसी अन्य द्वारा उपगत प्राधिकृत राशि (पूरा नाम व पता लिखें)

(9) टिप्पणी यदि कोई हो तो

2. प्रोफार्मा—“ख”—निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर

(1) प्राप्त—

- (i) तारीख
- (ii) व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई,
- (iii) रसीद संख्या
- (iv) राशि
- (v) बिल संख्या/व्हाउचर संख्या तथा तारीख

(2) भुगतान—

- (i) प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता
- (ii) व्यय की प्रकृति
- (iii) राशि

(3) शेष राशि

- (i) वह स्थान, जहां पर या जिस व्यक्ति के पास शेष राशि रखी गयी है (यदि नकद एक से अधिक स्थान/व्यक्ति के पास रखा गया है, तो नाम तथा शेष राशि का उल्लेख करें)

(4) टिप्पणी यदि कोई हो तो

“ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर.

(1) प्राप्ति—

(i) तारीख

(ii) व्यक्ति/दल/संस्था/निकाय/किसी अन्य का नाम तथा जिससे राशि प्राप्त की गई/बैंक में जमा की गयी राशि

(iii) नकद/चैक संख्या बैंक का नाम एवं शाखा

(iv) राशि

(iv) चैक संख्या

(2) भुगतान—

(i) प्राप्तकर्ता का नाम

(ii) व्यय की प्रकृति

(iii) राशि

(3) शेष राशि

(4) टिप्पणी यदि कोई हो तो

(2) व्यय की हर मद के लिये व्हाउचर तब से सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तदूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण व्हाउचर प्राप्त करना साध्य नहीं है,

(3) उप कंडिका (1) की मद (ड) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होगी जिनके लिए उप कंडिका (2) के अधीन व्हाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं.

4. निर्वाचन व्ययों के दिन प्रतिदिन के लेखे का संधारण.—(1)—अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रोफार्मा—“क”—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रोफार्मा “ख”—निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा “ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर के अनुसार रजिस्टर में, जो कि नामनिर्दिष्ट होने के तत्काल पश्चात् रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदत्त किया जाएगा, संधारित किया जाएगा.

(2) उप कंडिका (1) में संदर्भित रजिस्टर में व्यय की हर मद की विशिष्टियां दिन प्रतिदिन उसी कालक्रम के अनुसार दर्ज की जाएंगी जिसमें व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया है और रजिस्टर के साथ व्यय से संबंधित व्हाउचर या देयक (बिल) भी संधारित किये जाएंगे.

5. निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का अभिलेख निरीक्षण के लिये पेश किया जाना.—अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन व्यय के दिन प्रतिदिन के लेखे का रजिस्टर संबंधित व्हाउचरों तथा देयकों के साथ, किसी भी समय, रिटर्निंग ऑफिसर या जिला निर्वाचन अधिकारी, प्रेक्षक या आयोग द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर, तत्काल निरीक्षण के लिये पेश किया जाएगा और ऐसा करने में असफलता को अभ्यर्थी की ओर से इस आदेश का अनुपालन करने में एक गंभीर चूक माना जाएगा.

6. निर्वाचन व्ययों का सार विवरण.—निर्वाचन परिणामों की घोषणा के शीघ्र पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता भाग—I अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी, भाग—II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण एवं भाग—III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार, एवं अनुसूची 1—निर्वाचन निधियों एवं अभ्यर्थी के व्यय का विवरण, अनुसूची 2—अतिविशिष्ट व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक बैठक, रैली, जुलूस आदि में अभ्यर्थी पर यथा संभाजित व्यय, अनुसूची—3 अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार के लिए प्रचार सामग्री अनुसूची 4—केवल नेटवर्क, थोक एस.एम.एस. या इंटरनेट या सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अभ्यर्थी के लिए प्रचार पर व्यय का विवरण, अनुसूची 5—अभ्यर्थी के निर्वाचन प्रचार वाहन पर व्यय और प्रचार हेतु, अनुसूची 6—प्रचार कार्यकर्ताओं/एजेंटों पर

व्यय का विवरण, अनुसूची 7—निर्वाचन अभियान के प्रयोग में लाई गई स्वयं की निधि का विवरण, अनुसूची 8—पार्टियों से प्राप्त नकदी या चैक डिमाण्ड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा कुल धनराशि का विवरण एवं अनुसूची 9—किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघ/व्यक्तियों के निकाय इत्यादि द्वारा कर्ज उपहार या दान आदि के रूप में प्राप्त कुल धन, अभ्यर्थी के व्यय का विवरण अनुसार सूचीबद्ध विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल व्यय दर्शाया जाएगा।

7. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना.—(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

(2) निर्वाचन व्ययों का लेखा निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा अर्थात्:—

(क) कंडिका-4 में संदर्भित प्रोफार्मा “क”—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रोफार्मा “ख”—निर्वाचन व्यय का नकद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा “ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर, मूल रूप में,

(ख) प्रोफार्मा “क”—निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, प्रोफार्मा “ख”—निर्वाचन व्यय का नगद रजिस्टर एवं प्रोफार्मा “ग”—निर्वाचन व्यय का बैंक रजिस्टर, में निर्वाचन व्ययों के लेखा रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित व्हाउचर।

(ग) कंडिका 6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण।

(3) निर्वाचन व्ययों का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किये गये हैं तो उन्हें दाखिल किये जाने के पहले, अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा व्हाउचर भी प्रति हस्ताक्षरित किये जाएंगे।

(4) निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रोफार्मा—“घ” में एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ-पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा।

8. लेखा के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना.—जिला निर्वाचन अधिकारी उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा कंडिका-7 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अंदर एक सूचना, जिसमें—

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है

(ख) अभ्यर्थी का नाम, और

(स) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखों का निरीक्षण किया जा सकेगा,

विनिर्दिष्ट होगी, अपने सूचना-फलक पर लगवाएगा।

9. लेखों का निरीक्षण और उसकी प्रतियां प्राप्त करना.—कोई व्यक्ति दस रुपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त निर्धारित करें, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का हकदार होगा।

10. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय.—(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने के लिये अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यशाशक्य शीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में निम्नांकित बिंदुओं पर एक रिपोर्ट परिशिष्ट—(36) में भेजेगा:—

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम,

(ख) क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं? और यदि किया है तो वह तारीख जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, और

(ग) क्या उसकी राय में ऐसा लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित समय के अंदर और रीति में दाखिल किया गया है या नहीं.

(2) जहां कि जिला निर्वाचन अधिकारी की यह राय है कि निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन आयोग को भेजेगा.

(3) जिला निर्वाचन अधिकारी उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना-फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा.

(4) निर्वाचन आयोग उप-कंडिका (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अंदर और रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित है दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं.

(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों को अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करें कि उसे असफलता के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग या यथास्थिति मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए.

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उप-कंडिका (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिये अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर इस बारे में लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले से ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी, जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा.

(7) जिला निर्वाचन अधिकारी अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा, उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अंदर ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, आगे उपयुक्त कार्यवाही के लिये निर्वाचन आयोग को भेजेगा.

11. अनुदेश तथा निर्देश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति-निर्वाचन आयोग—

(क) इस आदेश के किसी उपबंध को स्पष्ट करने के लिये,

(ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो किसी उपबंध के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो, और

(ग) किसी ऐसी विशेष स्थिति जिसके बारे में इस आदेश में कोई उपबंध नहीं है या उपबंध अपर्याप्त है और जिसके लिए निर्वाचन आयोग की राय में उपयुक्त उपबंध करना आवश्यक है.

अनुदेश तथा निर्देश जारी करेगा.

हस्ता./—

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.